				जन्मतिथि ज्ञात न हो तो। उपरोक्त मांगी गयी सूचना की प्रविष्टि करने के पश्चात् सर्च रजिस्ट्री पर क्लिक करने से प्राप्त सही जानकारी प्रदर्शित होने पर पे–एण्ड–डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक कर ऑनलाइन माध्यम यूपीआई, डेबिटकार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से रू0 50 का भुगतान कर डाउनलोड कर सकते हैं।
4	**ई–छावनी पोर्टल (जल संयोजन)**	ई–छावनी पोर्टल द्वारा आम नागरिकों को सम्पत्ति संख्या के आधार पर व अपने घर की लोकेशन दर्ज कर अन्य वांछित दस्तावेजों के साथ घर बैठे आवेदन करने की सुविधा। समस्त दस्तावेज सही होने पर मात्र 03 दिवस के अंदर जल संयोजन की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है।	सभी नागरिक	ई–छावनी पोर्टल https://dehradun.cantt.gov.in/ पर मोबाइल नंबर द्वारा पंजीकरण कर नये जल संयोजन हेतु छावनी परिषद देहरादून द्वारा आवंटित सम्पत्ति संख्या के आधार पर आवेदन किया जा सकता है। जल संयोजन हेतु प्रक्रिया : पोर्टल पर जाकर वेबसाइट खुलने के पश्चात लॉगइन पर क्लिक करें। फिर सिटीजन पर क्लिक करें। यदि पंजीकरण पूर्व में नहीं किया गया है, तो अपने मोबाइल नं से पंजीकरण करें अपना नाम दर्ज करें व प्राप्त ओटीपी को दर्ज करें। खुलने के पश्चात् होम पेज पर सभी सेवाओं का विवरण दिखने के पश्चात वॉटर एवं सीवरेज के विकल्प पर क्लिक कर एप्लाई फॉर न्यू कनेक्शन पर क्लिक करें। एप्लाई बटन पर क्लिक करने के पश्चात अपने दिये गये 4 विकल्पों में से एक का चयन करें व सर्च करें विवरण खुलने के पश्चात सलेक्ट विकल्प पर क्लिक करें, कनेक्शन डिटेल में वॉटर पर क्लिक करें उसके पश्चात नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करें। तत्पश्चात एस्टिमेट पर क्लिक करें। खुलने के पश्चात केटेगरी में रेसिडेंसियल या कमर्शियल, पाइप साइज एवं कितने कनेक्शन की संख्या का चयन करें। तत्पश्चात अपने मकान की बिल्कुल सही लोकेशन का चयन करें, लोकेशन चयन के पश्चात बिल आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी वहां पर सब्मिट के बटन पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात दिये गये दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। सेल्फ डिक्लरेशन के फॉर्म को डाउन लोड कर भरकर अपलोड किया जा सकता है या जिस मोबाइल नं से आवेदन किया जा रहा है उसका आधार वैरिफिकेशन कर भी सेल्फ डिक्लरेशन किया जा सकता है।

				इसके पश्चात नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर सिस्टम द्वारा लगाये गये शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्ययम यूपीआई, डेबिड कार्ड ऑनलाइन बैंकिंग माध्यम से भुगतान कर अपना आवेदन जमा किया जा सकता है। 03 दिवस के भीतर कार्यालय द्वारा आपके आवेदन की जांच की जायेगी। फील्ड इन्सपेक्शन के पश्चात आपके द्वारा सही लोकेशन का चयन किया गया है अथवा नहीं। यदि नहीं किया गया है तो सभी चार्जेज घटाये या बढ़ाये जा सकते हैं। इसलिए गूगलमेप की मदर से बिल्कुल सही लोकेशन का चयन करें। (नोटः जल संयोजन हेतु सभी वांछित दस्तावेजों के साथ आकर कार्यालय से भी आवेदन करवाया जा सकता है)
5	**ई–छावनी पोर्टल ओ.बी.पी.एस. माड्यूल (ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान माड्यूल सिस्टम)**	भवन मानचित्र स्वीकृत कराने हेतु ई–छावनी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। सभी दस्तावेजों की जांच एवं मानकों को पूर्ण करने पर मात्र एक सप्ताह के भीतर भवन मानचित्र स्वीकृति की सुविधा।	सभी नागरिक	छावनी परिषद देहरादून में पंजीकृत आर्किटेक्ट के माध्यम से ई–छावनी पोर्टल dehradun.cantt.gov.in पर आवेदन किया जा सकता है।
6	**ई–छावनी पोर्टल (संपत्ति म्यूटेशन)**	सम्पत्ति हस्तांतरण हेतु ई– छावनी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा सभी दस्तावेजों के सही होने पर मात्र 45 दिन में स्वीकृति की सुविधा।	सभी नागरिक	सम्पत्ति हस्तांरण हेतु आवेदनकर्ता के पास कानूनी माध्यम से प्राप्त संपत्ति के दस्तावेज होने चाहिए। हस्तांतरण के लिए ई–छावनी पोर्टल dehradun.cantt.gov. in पर स्वयं से भी पोर्टल पर मोबाइल नं0 के माध्यम से पंजीकरण करने के पश्चात आवेदन किया जा सकता है या फिर कार्यालय में समस्त दस्तावेजों के साथ आकर भी आवेदन करवाया जा सकता है।
7	ई–छावनी पोर्टल (कर, गैर व इत्यादि शुल्क जमा करने हेतु	ई–छावनी पोर्टल पर किसी भी प्रकार की शिकायत जैसे सफाई से सम्बंधित स्ट्रीटलाइट, रोड़ इत्यादि फोटो व लोकेशन सहित दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध है। जिसका निवारण जिस अनुभाग से सम्बंधित उसके अनुसार	सभी नागरिक	ई–छावनी पोर्टल dehradun.cantt.gov.in पर अपने मोबाईल नं0 द्वारा पंजीकरण करने के पश्चात सिंगल विंडो सिस्टम पर समस्त सुविधाओं व कर–गैरकर व अन्य शुल्कों का भुगतान स्वयं से घर बैठे किया जा सकता है एवं अपने मोबाइल में ही चालान व रसीद प्राप्त की जा सकती है। **भुगतान करने की प्रक्रिया** : 1. पोर्टल पर जाकर वेबसाइट खुलने के पश्चात लॉग इन पर क्लिक

	सुविधा)	मात्र 03 दिवस में निवारण कराया जा सकता है।		करें फिर सिटीजन पर क्लिक करें। यदि पंजीकरण पूर्व में नहीं किया गया है तो अपने मोबाइल नं से पंजीकरण करें अपना नाम दर्ज करें व प्राप्त ओटीपी को दर्ज करें। 2. होमपेज खुलने के पश्चात संपत्ति कर, जल कर इत्यादि भुगतान हेतु विकल्पानुसार क्लिक करें। तत्पश्चात संपत्ति संख्या/जल कनेक्शन में पजीकृत मोबाइल न0 या दिये गये अन्य विकल्पों में से कोई एक पर क्लिक करें नीचे विवरण प्राप्त होने पर संपत्ति कर भुगतान के सम्बंध में नीले रंग में दी गई प्रापर्टी आई.डी पर क्लिक कर एवं संपत्ति का विवरण जांच की वह सही है तत्पश्चात पे के विकल्प पर क्लिक कर ऑनलाइन माध्यम यूपीआई, डेबिड कार्ड ऑनलान बैंकिंग माध्यम से भुगतान करें तत्पश्चात डाउनलोड रसीद विकल्प पर क्लि कर अपनी रसीद डाउन लोड करें। पानी के बिल के भुगतान हेतु भी उपरोक्तानुसार प्रक्रिया पूर्ण करें एवं भुगतान करें। (यहां नीले रंग में आईडी की जगह सीधे बिल के भुगतान हेतु विकल्प प्राप्त हो जायेगा कृपया ध्यान दें एवं बिल की जाँच कर लें कि यह सही है एवं सम्बंधित व्यक्ति का ही है)
8	ई–छावनी पोर्टल (जन शिकायत निवारण पोर्टल)	ई–छावनी पोर्टल पर किसी भी प्रकार की शिकायत जैसे सफाई से सम्बंधित स्ट्रीटलाइट, रोड़ इत्यादि फोटो व लोकेशन सहित दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध है। जिसका निवारण जिस अनुभाग से सम्बंधित उसके अनुसार मात्र 03 दिवस में निवारण कराया जा सकता है।	सभी नागरिक	ई–छावनी पोर्टल dehradun.cantt.gov.in पर अपने मोबाईल नं0 द्वारा पंजीकरण करने के पश्चात शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। **शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया** : पोर्टल पर जाकर वेबसाइट खुलने के पश्चात लॉगइन पर क्लिक करें फिर सिटीजन पर क्लिक करें यदि पंजीकरण पूर्व में नहीं किया गया है तो अपने मोबाइल नं0 से पंजीकरण करें अपना नाम दर्ज करें व प्राप्त ओटीपी को दर्ज करें। होमपेज खुलने के पश्चात फाइल कम्पलेंट पर क्लिक करें कम्पलेंट टाइप पर दर्ज करें जहां पर आपको सारे विकल्प प्राप्त होंगें किसी एक पर क्लिक करें जिससे भी संबंधित कम्लेंट हो। तत्पश्चात एडिशलन (अतिरिक्त) जो भी विवरण हो दर्ज करें अपनी कम्लेंट लोकेशनको पिक करें। देहरादून छावनी परिषद का चयन करें मोहल्ला वार्ड, लोकेलटी का चयन करें। हाऊस नं0/ स्ट्रीट नं0 व लेंड मार्क दर्ज करें

				सबसे ऊपर शिकायत से सम्बंधित फोटो को अपलोड करने का विकल्प भी दिया गया है आवश्यक लगे तो अपलोड किया जा सकता है। सभी चीजें दर्ज करने के पश्चात अपनी कम्लेंट फाइल करें आपकी शिकायत दर्ज हो जायेगी (नोटः इस पोर्टल पर केवल छावनी परिषद देहरादून क्षेत्र के अंतर्गत या अधिकार क्षेत्र में आने वाली शिकायत का निवारण केवल तीन दिन में किया जाता है जिसकी जानकारी आपको पंजीकृज मोंबाइल नं0 से मिलती रहेगी)
9	ई–छावनी पोर्टल (ट्रेड लाइसेंस)	ई–छावनी पोर्टल पर छावनी परिषद देहरादून में व्यापार कर रहे व्यापारियों को ट्रेड लाइसेंस हेतु आवेदन करने की व लाइसेंस प्राप्त करने की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है।	कैंट क्षेत्र में व्यापार कर रहे अथवा व्यापर करने हेतु इच्छुक नागरिक	ई–छावनी पोर्टल dehradun.cantt.gov.in पर अपने मोबाईल नं0 द्वारा पंजीकरण करने के पश्चात स्वयं से अथवा कार्यालय में आकर वांछित दस्तावेजों के साथ आवेदन किया जा सकता है। स्वयं से आवेदन की प्रक्रिया : पोर्टल पर जाकर वेबसाइट खुलने के पश्चात लॉगइन पर क्लिक करें फिर सिटीजन पर क्लिक करें यदि पंजीकरण पूर्व में नही किया गया है तो अपने मोबाइलनं से पंजीकरण करें अपना नाम दर्ज करें व प्राप्त ओटीपी को दर्ज करें। होमपेज खुलने के पश्चात एप्लाई फॉर ट्रेडलाइन सें सपर क्लिक करें देहरादून छावनी का चयन करें सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करें उसके पश्चात नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करें। सभी मांगी गई जानकारी दर्ज करें एवं नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करें। इसके पश्चात दिये गये दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। सेल्फडिक्लरेशन के फॉर्म को डाउन लोड कर भरकर अपलोड किया जा सकता है या जिस मोबाइल नं से आवेदन किया जा रहा है उसका आधार वैरिफिकेशन कर भी सेल्फडिक्लरेशन किया जा सकता है। तत्पश्चात सभी वांछित दस्तावेजों को अपलोड करने नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करें एव ंआवेदन शुल्क का भुगतान कर अपना आवेदन जमा कर दें। (नोटः सभी दस्तावेजों की जांच के पश्चात सही पाये जाने पर पंजीकृत मोबाइल नं0 से जांच कर अपने आवेदन का स्टेटस की जांच की जा सकती है यदि आवेदन सही होतो निर्धारित लाइसेंस फीस का भुगतान करने के पश्चात मात्र कुछ दिनों में ट्रेड लाइसेंस सर्टिफिकेट प्राप्त हो जायेगा)

10	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत छावनी परिषद देहरादून द्वारा 15 से 45 वर्ष तक के नागरिकों को योगा एवं सिलाई में निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।	सभी नागरिक	15 वर्ष से 45 वर्ष तक के इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। संबंधित प्रशिक्षण हेतु समय अपरान्ह 01:00 बजे से 03:30 बजे तक निर्धारित है। **पंजीकरण की प्रक्रिया** : अभ्यर्थी को https://www.skillindiadigital.gov.in/home की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। इसके पश्चात छावनी परिषद देहरादून द्वारा संचालित प्रशिक्षण केन्द्र जोकि कैंट कन्या इंटरकॉलेज गढ़ी कैंट में संचालित किया जा रहा है, में जाकर प्रशिक्षण हेतु बैच प्रारंभ होने से पूर्व संपर्क करना होगा। जहां पर जिस मोबाइल नं0 से पूर्व में उपरोक्त वेबसाइट पर पंजीकरण किया गया है वही मो0 नं0 देना अनिवार्य होगा।
11	60 वर्ष से ऊपर वरिष्ठ नागरिकों हेतु स्वाभिमान केन्द्र नाम से डे–केयरसेंटर	छावनी परिषद देहरादून द्वारा 60 वर्ष से ऊपर वरिष्ठ नागरिकों हेतु सन् 2012 से छावनी परिषद देहरादून के परिसर में डे–केयर–सेंटर संचालित है जिसमें वरिष्ठ नागरिकों हेतु इन्डोर गेम्स व अन्य विभिन्न क्रियाकलापों का आयोजन इस केन्द्र में किया जाता है।	सभी भारतीय नागरिक	60 वर्ष से ऊपर कोई भी भारतीय नागरिक स्वाभिमान केन्द्र, छावनी परिषद देहरादून में आकर रू0 250 प्रति माह सदस्यता शुल्क जमा कर स्वाभिमान केन्द्र का सदस्य बन सकताहै।
12	आयुर्वेदिक अस्पताल (पंचकर्मा सेंटर)	छावनी परिषद देहरादून कार्यालय परिसर के पीछे आयुर्वेदिक इलाज व पंचकर्मा की सुविधा उपलब्ध है।	सभी नागरिक	समय : प्राप्तः सुबह 09:00 बजे से दोपहर 02:00 बजेतक

ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ONGC), देहरादून।

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	लाभ	योग्यता	आवेदन प्रक्रिया/चयन प्रक्रिया
1	नेशनल अप्रैंटिस प्रमोशन स्कीम/	ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ONGC), राष्ट्र के कौशल निर्माण पहल के रूप में अपने 22 कार्य केंद्रों पर अपरेंटिस को तैनात करता है।	आईटीआई /स्नातक / डिप्लोमा	अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं जो व्यावसायिक प्रशिक्षु (अपरेंटिस) के रूप में योग्यता पूरी करते हैं। अपरेंटिस एक्ट 1961 के तहत (समय–समय पर संशोधित किए गए) व्यापार / विषयों में। पंजीकरण से पहले उम्मीदवारों को जानकारी ब्रोशर पढ़ना होगा और साइट https://ongcapprentices.ongc.co.in पर निर्देशों का पालन करना होगा।

2	खेल छात्रवृत्ति योजना	ONGC की खेल छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य आगामी युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।	खिलाड़ी को भारतीय नागरिक होना चाहिए और छात्रवृत्ति अवधि के दौरान किसी अन्य संगठन से कोई छात्रवृत्ति / भत्ता नहीं ले रहा होना चाहिए। आयु 14 से 25 वर्ष होनी चाहिए। शतरंज, जिमनास्टिक्स और तैराकी के लिए न्यूनतम आयु 10 वर्ष होगी।	खिलाड़ी की प्रवीणता को उनकी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट / घटनाओं में उनकी भागीदारी / प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा जो राष्ट्रीय / अंतरराष्ट्रीय खेल संघ / संघों द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। अधिक जानकारी के लिए आवेदक साइट https://sportsscholarship.ongc.co.in पर जा सकते हैं।
3.	ONGC की छात्रवृत्ति 1. SC-ST श्रेणी के उत्कृष्ट छात्रों के लिए 2. OBC श्रेणी के उत्कृष्ट छात्रों के लिए 3. सामान्य श्रेणी के उत्कृष्ट छात्रों के लिए	SC/ST/OBC/EWS Gen श्रेणी में छात्रों के लिए जो इंजीनियरिंग, एमबीबीएस, एमबीए और मास्टर इन जियोफिजिक्स/जियोलॉजी के पहले वर्ष में अध्ययनरत हैं, को प्रतिवर्ष 48000/-रू. की धनराशि छात्रवृत्ति के रूप में दी जाती है।	शैक्षिक योग्यता, इंजीनियरिंग या एमबीबीएस में पहले वर्ष में अध्ययनरत हों अथवा जियोसाइंसेस में मास्टर डिग्री या एमबीए में प्रथम वर्ष में अध्ययनरत हों। **प्रतिशत** कक्षा 12वीं में कम से कम 60 प्रतिशत अंक और पीजी कोर्सेस के लिए स्नातक में 60 प्रतिशत अंक। SC/ST की वार्षिक पारिवारिक आय रु. 4.5 लाख या उससे कम होनी चाहिए OBC & General की वार्षिक पारिवारिक आय 2.0 लाख या उससे कम होनी चाहिए। आयु सीमा 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।	उपरोक्त मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवार 'अभी आवेदन करें' विकल्प द्वारा सिर्फ एक क्लिक में अपना आवेदन जमा कर सकते हैं, जिसे इस वेबसाइट में ऊपरी दाएं कोने में देखा जा सकता है। संबंधित छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी के पास आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, यूजी पाठ्यक्रमों के लिए 10वीं और 12वीं तथा पीजी पाठ्यक्रमों के लिए स्नातक अंक तालिका उनके संस्थान प्रमुख/प्रिंसिपल/डीन द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित होनी चाहिए। साथ ही बैंक विवरण, पैन कार्ड की प्रति, कॉलेज/संस्थान आईडी की प्रति, तथा प्रवेश पर्ची की आवश्यकता होती है। यह आवेदन प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के अंतिम सप्ताह/नवम्बर के प्रथम सप्ताह मांगे जाते हैं। प्रत्येक वर्ष 07 अक्टूबर के बाद मांगे जाते हैं। https://ongcscholar.org/#/

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, (THDC) देहरादून।

संक्षिप्त परिचय :– टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड का नाम देश के ऊर्जा क्षेत्र की अग्रणी सार्वजनिक उपक्रमों में आता है। इसकी स्थापना जुलाई, 1988 में टिहरी बांध के निर्माण और रखरखाव के लिए हुई थी, जो एक जल–विद्युत परियोजना है। यह भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अधीन मिनी रत्न उपक्रम है। वर्तमान में यह सौर, पवन और थर्मल ऊर्जा के क्षेत्र में भी अपना वर्चस्व स्थापित करते हुए अहम योगदान दे रहा है। निगम वर्तमान में कंसलटेंसी सेवाएं भी मुहैया करा रहा है।

वर्ष 2013 बाढ़ की भयावहता को कम करने में भी टिहरी बांध का अहम योगदान रहा। विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर यह बांध नहीं होता, तो विनाशकारी बाढ़ की भयावहता और बढ़ गई होती और इसका प्रकोप सिर्फ उत्तराखंड तक ही सीमित नहीं रहता। यहां यह बताना जरूरी है कि टिहरी बांध के विशाल जलाशय में 9,20,000 Ft3 (2615 MCM) पानी संग्रह करने की क्षमता है। यह न सिर्फ 2013 में वरदान साबित हुआ था बल्कि हर मॉनसून सीजन में जब नदियों का जलस्तर बढ़ता है, तो यहां अतिरिक्त पानी संग्रह कर लिया जाता है और किसी भी तरह के नुकसान से राज्य और अन्य पड़ोसी क्षेत्र बच जाते हैं।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसमें स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा, कौशल विकास, ग्रामीण विकास, पर्यावरण की संरक्षा और सुरक्षा तक की गतिविधियां शामिल हैं। इसके अलावा कला का संवर्धन और विकास के साथ ही खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। टीएचडीसी आईएल वाटर स्पोर्ट्स हाई परफॉर्मेंस अकादमी की स्थापना टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने इंडियन क्याकिंग और कैनोइंग एसोसिएशन (आईकेसीए), उत्तरांचल ओलंपिक एसोसिएशन (यूओए) और युवा कल्याण और खेल विभाग, उत्तराखंड सरकार के साथ एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर कर टिहरी, कोटेश्वर, उत्तराखंड में टीएचडीसीआईएल वाटर स्पोर्ट्स हाई परफॉर्मेंस अकादमी की स्थापना की है। देश में अपनी तरह की यह पहली वाटर स्पोर्ट्स हाई परफॉर्मेंस अकादमी है। इस प्रशिक्षण संस्थान का उदेश्य पुरुष और महिला एथलीटों के लिए आवासीय सुविधा के साथ उनके प्रशिक्षण हेतु अत्याधुनिक उपकरण और सुविधाएं उपलब्ध कराकर एथलीटों के प्रदर्शन को बढ़ाना है। यह अकादमी कैनो स्प्रिंट, पैरा–कैनो और कैनो स्लैम के खेलों में विश्व चैंपियनशिप, एशियाई स्तर की चैंपियनशिप और रैंकिंग चैंपियनशिप सहित अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के लिए एथलीटों को प्रशिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

टीएचडीसी ने उत्तराखंड के सार्वजनिक उपक्रम यूजेवीएन लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उद्यम शुरू किया है। इस उद्यम का नाम, टीएचडीसीआईएल–यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड (TUECO) है। इस संयुक्त उद्यम का उदेश्य उत्तराखंड में अलग–अलग जगहों पर जल–विद्युत परियोजनाओं को स्थापित, परिचालित और उनकी देखरेख करना है।

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ''विद्युत उत्पादन हमारी कटिबद्धता, समाज का विकास हमारी प्रतिबद्धता'' के अपने लक्ष्य को साकार करते हुए, देश की प्रगति और विकसित भारत/2047 के विजन को पूरा करने में अपना अहम योगदान दे रहा है।

इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड, देहरादून (IOL)

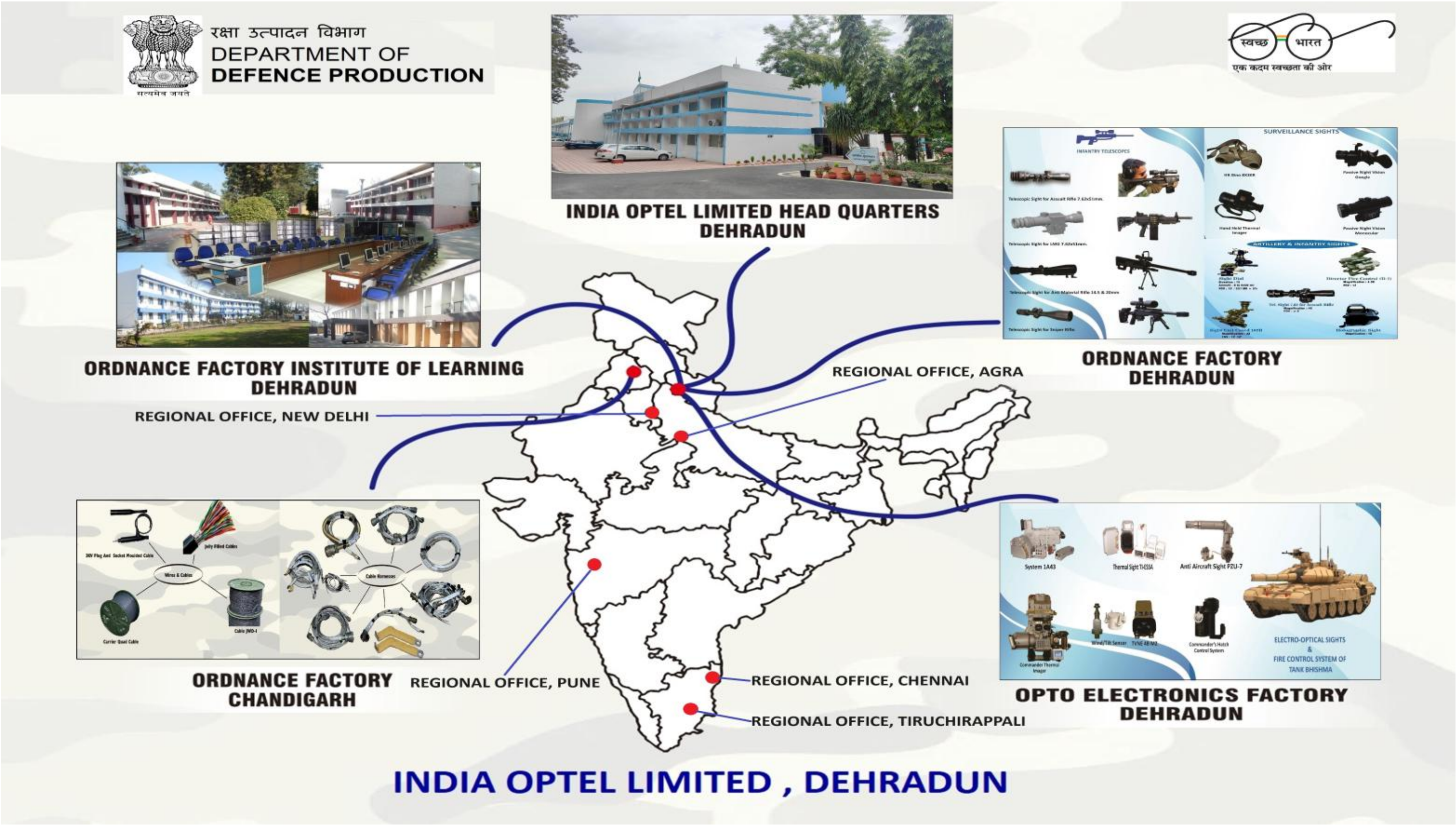

संक्षिप्त परिचयः– इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में एक उद्यम है, जिसे सशस्त्र सेनाओं एवं अन्य ग्राहकों के साथ–साथ गृह मंत्रालय के अधीन पैरा मिलिट्री फोर्सेज के लिए ऑप्टो इलैक्ट्रॉनिक्स के समाधान के क्षेत्र में विश्वसनीयता प्राप्त करने के लिए निगमित किया गया है। इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड की स्थापना 2021 में आई ऑफ द सोल्जर बनने के लिए की गई। रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में एक उद्यम है, जिसे सशस्त्र सेनाओं एवं अन्य ग्राहकों के साथ–साथ

गृह मंत्रालय के अधीन पैरा मिलिट्री फोर्सेज के लिए ऑप्टो इलैक्ट्रॉनिक्स के समाधान के क्षेत्र में विश्वसनीयता प्राप्त करने के लिए निगमित किया गया है।

इस नवनिर्मित उद्यम को भारत सरकार के दृष्टिकोण पर 'आत्म निर्भर' भारत अभियान के अंतर्गत इलैक्ट्रो ऑप्टीकल समाधानों के विस्तार करने की नयी तकनीकें विकसित करने हेतु नयी जिम्मेदारी सौंपी गयी है अर्थात 'इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड' भारतीय सैनिकों की दृष्टि बन कर रहेगी। इसमें पहले के आयुध निर्माणी बोर्ड की आधुनिकतम तकनीकी से युक्त तीन उत्पादन इकाईयां शामिल हैं जो अपने–अपने उत्पादन क्षेत्रों में उत्कृष्ट अनुभव रखती हैं।

आयुध निर्माणी देहरादून, आयुध निर्माणी, चण्डीगढ़ एवं ऑप्टो इलैक्ट्रानिक्स फैक्टरी, देहरादून।

ऑप्टो इलैक्ट्रानिक्स फैक्टरी, देहरादून– यह संस्थान सक्रिय रूप से आई.ओ.एल. सहित केंद्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत सभी रैंकों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। ऑफिल, देहरादून ऑफलाइन एवं ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक ऑडियो विजुअल सुविधाओं एवं तकनीक से परिपूर्ण है। ओफिल, देहरादून आवासीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए एक सुरक्षित, साफ एवं स्वच्छ वातावरण वाले छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराता है।

- ऑफिल, देहरादून अपने संकायों का चयन विशिष्ट एमएनसी, पीएसयू, एवं प्रतिष्ठित सरकारी संस्थानों जैसे आई.ओ.एल., आई.आई.टी.–रुड़की, सी.बी.आर.आई.–रुड़की, एम.ई.एस., डी.आर.डी.ओ., भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड़, भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड़ , सी.जी.एच.एस., केंद्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न प्रतिष्ठानों से करता है।

ऑफिल, देहरादून के मुख्य प्रशिक्षण क्षेत्र इस प्रकार हैं:–

- ऑप्टिक्स एवं नाईट विजन तकनीकी
- औधोगिक सरंक्षा (आग एवं , बिजली आदि)
- औधोगिक संबंध, मानव संसाधन प्रबंधन (HRM)
- आपदा प्रबंधन एवं पर्यावरण संरक्षण
- आई.एस.ओ., ई.एम.एस. एवं ओहसास
- सॉफ्ट स्किल्स एवं व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम
- कार्यालय प्रबंधन
- लेखा एवं वित्तीय प्रबंधन

- साइबर सुरक्षा
- बौद्धिक संपदा अधिकार (आई.पी.आर.)
- ई–गवर्नेंस
- जेम (GeM) प्रक्रिया
- लागत अनुकूलन (Cost Optimization)
- सिविल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम जैसे ग्रीन बिल्डिंग, सतत विकास आदि

आयुध निर्माणी रायपुर, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड रायपुर देहरादून की इकाई है। आयुध निर्माणी देहरादून का मुख्य कार्य रक्षा क्षेत्र हेतु उत्पादन करना है तथा कार्मिकों का चयन अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिताओं के माध्यम से किया जाता है, वर्तमान में निम्न कार्य आयुध निर्माणी हेतु आम जन के लिए किये जा रहे हैं :–

क्रसं	योजना/सेवा का नाम	लाभ	पात्रता/ लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयनप्रक्रिया
1	योगा केन्द्र, सीनियर क्लब इंडिया ऑप्टेल रायपुर देहरादून	सम्पूर्ण शरीर के स्वास्थ्य हेतु	सभी उम्र के स्त्री/पुरूष	सभी के लिए निशुल्क है तथा योगा प्रशिक्षण, योगा सिखाते हैं, जो सुबह 5:45 से सांय 7:00 बजे तक होता है तथा योगा का प्रशिक्षण भी दिया जाता है।
2	लाइफ सेंटर	सामग्री संग्रह एवं वितरण केन्द्र	गरीब परिवार के जरूरतमंद सभी बच्चे।	कोई भी व्यक्ति अपने लिए अनुपयोगी सामग्री एवं किसी अन्य के लिए उपयोग में आ सकने वाली वस्तु को यहां प्रदान कर सकता है।

रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स अनुप्रयोग प्रयोगशाला (DEAL)
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन
देहरादून–248001

रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स अनुप्रयोग प्रयोगशाला (डील) , रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की एक प्रमुख 'सिस्टम प्रयोगशाला' के रूप में विकसित है जो रक्षा संचार और निगरानी (सेना, नौसेना और वायु सेना) के अग्रणी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकियों के डिजाइन और विकास को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। डील बहुत कम आवृत्ति (वीएलएफ) से लेकर 94 गीगाहट्र्ज तक अत्यधिक उच्च आवृत्ति तक संचार और निगरानी प्रणालियों के विकास में प्रयासरत है।

सैटेलाइट–NATSAT के माध्यम से नेविगेशन हिमस्खलन चेतावनी और ट्रैकिंगः–

हमारे देश की बड़ी सीमा हिमालय क्षेत्र के अन्य देशों से लगती है। ये सीमावर्ती क्षेत्र अधिकांश महीनों में बर्फ से ढके रहते हैं और हिमस्खलन और खराब मौसम की स्थिति जैसे खतरों से ग्रस्त रहते हैं। हिमस्खलन इन क्षेत्रों में रहने वाले हमारे सुरक्षा बलों और ग्रामीणों के जीवन, प्रतिष्ठानों और अन्य महत्वपूर्ण संपत्तियों के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। इन हिमस्खलन संभावित क्षेत्रों में लोगों का सुरक्षित आवागमन एक बड़ी चुनौती है, जिसके लिए इन स्थितियों के लिए एक मजबूत हिमस्खलन चेतावनी प्रणाली की आवश्यकता होती है। संभावित हिमस्खलन क्षेत्रों के बारे में जागरूकता पैदा करके और अंतिम उपयोगकर्ता तक परिचालन हिमस्खलन पूर्वानुमान को समय पर प्रवाहित करके हिमस्खलन के कारण जीवन और बुनियादी ढांचे के नुकसान को कम किया जा सकता है। एक मजबूत हिमस्खलन चेतावनी प्रणाली की प्राप्ति विभिन्न सेंसरों से सर्वर और एल्गोरिदम तक वास्तविक समय डेटा इनपुट पर भी निर्भर करती है जो हिमस्खलन अलर्ट उत्पन्न करते हैं। NATSAT एक ऐसा समाधान है जिसे विकसित किया गया है, जो एक सैटकॉम आधारित हिमस्खलन पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणाली है। इसके माध्यम से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सेवारत सैनिकों एवं आम जन को वास्तविक समय के आधार पर हिमस्खलन और मौसम का पूर्वानुमान, की जानकारी दी जाती है।

मानव संसाधन पहल :–

डील में हर साल लगभग 30 संख्या में स्नातक/डिप्लोमा प्रशिक्षुओं और 60 संख्या में आईटीआई प्रशिक्षुओं की भर्ती की जाती है। छात्रों के लिए अलग–अलग समय पर विभिन्न शैक्षिक और औद्योगिक दौरे आयोजित किए जाते हैं। डील ने स्थानीय शिक्षा जगत को बढ़ावा देने के लिए ग्राफिक एरा

(डीम्ड–टू–बी) यूनिवर्सिटी, देहरादून और डीआईटी यूनिवर्सिटी, देहरादून के साथ भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। डील (डीआरडीओ) द्वारा श्रीनगर स्थित एनआईटी उत्तराखंड को अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन के लिए प्रायोजन भी प्रदान किया जाता है।

यंत्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान (आई.आर.डी.ई.)
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन देहरादून–248001

प्रयोगशाला का इतिहास

मूल रूप से यंत्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान (आईआरडीई) की स्थापना 1939 में रावलपिंडी (अब पाकिस्तान में) में वैज्ञानिक स्टोरों निरीक्षालय के लिए की गई थी, जिस पर भारत में सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले दूर संचार उपकरणों के निरीक्षण करने की जिम्मेदारी थी। कई संगठनात्मक और स्थान परिवर्तन करने के बाद तकनीकी विकास प्रतिष्ठान (इंस्ट्रूमेंट्स एंड इलैक्ट्रॉनिक्स) का रूप लिया, जिसमें उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्यों को शामिल किया गया था और इसकी स्थापना देहरादून में की गई। स्थापना के बाद के वर्षो के दौरान, इस पर अनुसंधान एवं विकास की जिम्मेदारियां सौंपी गई और 18 फरवरी, 1960 को यह आईआरडीई के रूप में इसका वर्तमान आकार अस्तित्व में आया।

आईआरडीई ने अतीत में दूरबीन, चश्मे, छोटे हथियार, मोर्टार और फील्ड बंदूक के लिए फायरिंग नियंत्रण उपकरण और विजयंत और एमबीटी, अर्जुन टैंक के लिए फायरिंग नियंत्रण प्रणाली आदि ऑप्टिकल उपकरणों का विकास किया है। आईआरडीई ने रेंज फाइंडर्स डेजिग्रेटर और विभिन्न रक्षा अनुप्रयोगों के लिए निकटता सेंसर जैसे लेजर आधारित उपकरण भी विकसित किए हैं। आईआरडीई को इमेज इन्सेंसिफायर और धर्मल इमेजर आधारित रात्रिकालीन दृष्टि उपकरणों के विकास के लिए जाना जाता है।

दूर–दर्शिता

- उच्च गुणवत्ता वाले उपकरण प्रदान करने की प्रतिबद्धता के साथ ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रो–ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करना ।

उद्देश्य

- अत्याधुनिक नाइट विजन डिवाइस और थर्मल इमेजर्स को डिजाइन और विकसित करना ।
- कॉम्पैक्ट लेजर आधारित उपकरणों को डिजाइन और विकसित करना ।
- एकीकृत इलेक्ट्रो–ऑप्टिकल निगरानी और फायरिंग नियंत्रण प्रणाली को डिजाइन और विकसित करना ।
- फोटोनिक्स के क्षेत्र में अनुसंधान करना ।

कार्य–क्षेत्र

- यंत्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान (आईआरडीई) की मुख्य कार्य–क्षेत्र क्षमता फायरिंग नियंत्रण प्रणाली और उपकरण, इन्फ्रा रेड खोज और ट्रैक सिस्टम, स्टैंड–अलोन निगरानी प्रणाली, ऑप्टिकल डिजाइन, होलोग्राफी, ऑप्टिकल इमेज प्रोसेसिंग और फोटोनिक लक्ष्य पहचान तकनीक, अनुकूली प्रकाशिकी, एकीकृत प्रकाशिकी, माइक्रो–ऑप्टिक्स और नैनो–फोटोनिक्स, टेराहर्ट्ज स्रोत, इमेजिंग और मार्गदर्शन, लक्ष्य पहचान और अधिग्रहण, रेजिंग और दिन और रात के दौरान सभी मौसम की स्थितियों के तहत जवाबी उपायों के लिए ऑप्टिकल, इलेक्ट्रो–ऑप्टिकल और ऑप्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन के क्षेत्र में डिजाइन और विकास में निहित है।
- प्रयोगशालाओं/संस्थानों के साथ प्रतिबद्धता एवं सहयोग

अकादमिक अनुसंधान एवं विकास हेतु

- आईआईटी–मुम्बई/कानपुर/दिल्ली/खड़गपुर/रुड़की/मद्रास
- आईआईएससी, बेंगलुरु
- केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएमटीआई), बेंगलुरु
- गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार (हरियाणा)
- सीएसआईआर– सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीईईआरआई), पिलानी
- सीएसआईआर– राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला (एनपीएल) आदि
- चारूसैट अंतरिक्ष अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र (सीएसआरटीसी), चांगा ।
- सीएसआईआर–सीएसआईओ, चंडीगढ़ ।

अकादमिक–अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना हेतु

- आईआईटी–मुम्बई/कानपुर/दिल्ली/खड़गपुर/रूड़की
- आईआईएससी, बेंगलुरू,
- उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी, देहरादून
- ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय, देहरादून
- दून यूनिवर्सिटी

डीआरडीओ के अंतर्गत यंत्र अनुसंधान और विकास संस्थान (आईआरडीई), देहरादून, रक्षा सेवाओं के लिए मुख्य रूप से ऑप्टिकल और इलेक्ट्रोऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में अनुसंधान, डिजाइन, विकास और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए समर्पित ।

उत्तर–रेलवे, मुरादाबाद मण्डल

संक्षिप्त परिचय :– उत्तराखंड राज्य में उत्तर रेलवे, मुरादाबाद मण्डल के अंतर्गत देहरादून, योगनगरी ऋषिकेश, ऋषिकेश ,हरिद्वार , रूड़की, लक्सर, कोटद्वार ,सनेहरोड ,हर्रावाला ,डोईवाल ,कांसरो ,रायवाला, मोतीचूर, ज्वालापुर, इक्कड़, पथरी ,ऐथल ,डौसनी , लंडौरा, ढंडेरा, रुड़की, इकवालपुर, वीरभद्र रेलवेस्टेशन आते हैं। मण्डल के देहरादून स्टेशन से वर्तमान में लगभग 21 गाड़ियाँ , हरिद्वार स्टेशन से लगभग 38 गाड़ियाँ ,योगनगरी ऋषिकेश स्टेशन से लगभग 11 गाड़ियाँ, ऋषिकेश स्टेशन से लगभग 05 गाड़ियाँ, कोटद्वार स्टेशन से लगभग 05 गाड़ियाँ सहित लगभग 80 गाड़ियों का इन स्टेशनों से प्रारंभ होकर संचालित की जा रहीं हैं।

यात्री अपनी रेल यात्रा के दौरान स्टेशन परिसर या गाड़ी मे निम्नलिखित प्रकार से सहायता ,सुझाव या शिकायत दर्ज कर सकते हैं :–

1. एकीकृत हेल्पलाइन नंबर 139,
2. रेल मदद एप।
3. मण्डल के सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर सहायता,सुझाव या शिकायत को दर्ज किया जा सकता है।
4. यात्री अपनी शिकायत को स्टेशन परिसर में स्टेशन मास्टर कार्यालय ,गाड़ी में ट्रेन मेनेजर के पास रखी शिकायत पुस्तिका में भी दर्ज कर सकते है।
5. यात्री मदद के लिए गाड़ी में ट्रेन मेनेजर ,टिकट चेकिंग स्टाफ ,रेलवे सुरक्षा बल को अवगत करा कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मुरादाबाद मण्डल नियंत्रक कक्ष 24X7 घंटे सतर्क रहता है तथा एकीकृत हेल्पलाइन नंबर 139, रेल मदद एप तथा मण्डल के सोशलमीडिया प्लेटफार्म पर प्राप्त सहायता ,सुझाव, शिकायत का तुरंत संज्ञान लेते हुए कार्यवाही की जाती है।

योजनाओं का विवरण निम्नवत है :–

<table>
<tr><th>क्र सं</th><th>योजना का नाम</th><th>लाभ</th><th>लाभार्थी / पात्रता</th><th>आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया</th></tr>
<tr><td>1</td><td>दिव्यांग जन कार्ड</td><td>रेलयात्रा भत्ते (मूल किराये) में रियायत</td><td>
<table>
<tr><th></th><th colspan="5">श्रेणीवार रियायत मेल एक्सप्रेस में</th></tr>
<tr><td>दिव्यांगता</td><td>1A</td><td>2A</td><td>3A</td><td>SL</td><td>2S</td></tr>
<tr><td>ओर्थोपेडिक</td><td>50 %</td><td>50%</td><td>75%</td><td>75%</td><td>75%</td></tr>
<tr><td>मानसिक</td><td>50 %</td><td>50%</td><td>75%</td><td>75%</td><td>75%</td></tr>
<tr><td>दृष्टिहीन</td><td>50 %</td><td>50%</td><td>75%</td><td>75%</td><td>75%</td></tr>
<tr><td>मूक–बधिर</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>50%</td><td>50%</td></tr>
<tr><td colspan="6">एक सहचर भी समान रियायत का पात्र है ।</td></tr>
</table>
नोटः मानसिक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों/पूर्ण रूप से दृष्टिहीन व्यक्ति/ पूर्ण रूप से श्रवण और वाकहीन व्यक्तियों (दोनों अक्षमताएं एक साथ), के लिए यह प्रमाणपत्र जारी की गयी तारीख से 5 वर्ष के लिए मान्य होगा। अस्थि विकृति से दिव्यांग और अधरंग व्यक्तियों के मामले में अस्थायी अक्षमता के लिए यह प्रमाणपत्र 5 वर्ष के लिए मान्य होगा और स्थायी अक्षमता के मामले में यह प्रमाणपत्र (i) 25 वर्ष आयु तक के व्यक्तियों के मामले में 5 वर्ष, (ii) 26 से 35 वर्ष तक की आयु वाले व्यक्तियों के लिए 10 वर्ष (iii) 35 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए यह प्रमाणपत्र पूरे जीवन के लिए मान्य रहेगा।
</td><td>सरकारी डॉक्टर (MBBS डिग्रीधारक) द्वारा निर्धारित प्रमाणपत्र के आधार पर निम्नलिखित वेबसाइट https://divyangjanid.indianrail.gov.in पर आवेदन करने पर दिव्यांगजन कार्ड बनता है जिसको दिखाने पर रियायती टिकट जारी किया जाता है।
टिप्पणी :
दिव्यांगजन प्रमाणपत्र पूर्णतः जांच के बाद ही रेलविभाग द्वारा जारी किया जाता है तथा इसके माध्यम से टिकट ऑनलाइन वेबसाइट https://www.irctc.co.in पर तथा ऑफलाइन भी बुक हो सकता है।
रियायत देने के लिए इस प्रमाणपत्र की फोटोप्रति भी स्वीकार की जायेगी। मूल प्रमाणपत्र रियायती टिकेट की खरीद के समय और यात्रा के दौरान, यदि माँगा जाता है, प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>कैंसर व् अन्य बड़ी / लाइलाज बीमारियों</td><td>रेल यात्रा भत्ते (मूल किराये) में रियायत</td><td>
<table>
<tr><th></th><th colspan="5">श्रेणीवार रियायत मेल एक्सप्रेस में</th></tr>
<tr><td>बीमारी</td><td>1A</td><td>2A</td><td>3A</td><td>SL</td><td>2S</td></tr>
<tr><td>कैंसर</td><td>50%</td><td>50%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>75%</td></tr>
<tr><td>थेलेसिमिया</td><td>50%</td><td>50%</td><td>75%</td><td>75%</td><td>75%</td></tr>
<tr><td>हार्ट</td><td>50%</td><td>50%</td><td>75%</td><td>75%</td><td>-</td></tr>
</table>
</td><td>मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल / अनुसन्धान केंद्र द्वारा जारी किया गया यात्रा हेतु रियायती पत्र के आधार पर रियायती टिकट जारी किया जाता है ।
टिप्पणी :
मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल / अनुसन्धान केंद्र द्वारा जारी</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td>में रियायत</td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td>किडनी</td><td>50%</td><td>50%</td><td>75%</td><td>75%</td><td>75%</td></tr>
<tr><td>टीबी</td><td>-</td><td>-</td><td>75%</td><td>75%</td><td>75%</td></tr>
<tr><td>एनआईएल</td><td>-</td><td>-</td><td>75%</td><td>75%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>हेमोफिलिया</td><td>-</td><td>-</td><td>75%</td><td>75%</td><td>75%</td></tr>
<tr><td>एड्स</td><td>-</td><td>-</td><td>50%</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>सिकलसेल एनीमिया</td><td>50%</td><td>50%</td><td>50%</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>एप्लास्टिकए नीमिया</td><td>50%</td><td>50%</td><td>50%</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="6">एक सह चर भी समान रियायत का पात्र है |</td></tr>
</table>
</td>
<td>किया गया यात्रा हेतु रियायती पत्र में वैधता तिथि, आवश्यक हस्ताक्षर व मुहर जांचने के पश्चात ही रियायती टिकट जारी किया जाता है । जिस कारण यह टिकट रेलवे आरक्षण केंद्र पर ऑफलाइन ही बन पाता है।</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>खान पान यूनिट</td>
<td>भारतीय रेलवे ने भोजन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 2017 में नई खान पान नीति शुरू की थी। इस नीति में रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई बिंदु शामिल हैं। यह बेहतर खान पान सेवा के माध्यम से यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाता है। उत्तराखंड राज्य में मुरादाबादमंडल के अंतर्गत 05 स्टेशन पर 64 कैटरिंग यूनिट कार्यरत हैं |</td>
<td>A-1, A व् B श्रेणी के स्टेशन पर छोटी यूनिट के लि, 25% आरक्षण किया गया है | |SC-6%, ST-4%, OBC-3%, अल्पसंख्य क– 3%, दिव्यांग– 2%, शहीद विधवा -4%, गरीबी रेखा के नीचे -3%, कुल– 25%</td>
<td>निविदा हेतु आवश्यक दस्तावेज –
क) तीन वर्ष का कैटरिंग का अनुभव
ख) GST रजिस्ट्रेशन
ग) PAN कार्ड
घ) FSSAI सर्टिफिकेट
ङ) Solvency सर्टिफिकेट
निविदा में प्रतिभाग करने हेतु प्रतिभागी का IREPS–e auction module पर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है जिसके हेतु पार्टी को ₹10,000+18% GST देना होगा जोकि non–refundable है। कैटरिंग यूनिट लगाने के उपरान्त स्टेशन व् कैटरिंग यूनिट के आधार पर तय की गयी लाइसेंस फीस को प्रतिभागी को समय से जमा करना होता है।
Website:https://www.ireps.gov.in/</td>
</tr>
</table>

4	**एक स्टेशन एक उत्पाद**	रेल मंत्रालय ने भारत सरकार के 'वोकल फॉर लोकल' दृष्टिकोण को बढ़ावा देने, स्थानीय एवं स्वदेशी उत्पादों को समुचित बाजार उपलब्ध कराने और समाज में हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से "एक स्टेशन एक उत्पाद" (ओएसओपी) योजना प्रारंभ की है। इस योजना का लक्ष्य देशभर के रेलवे स्टेशनों पर बिक्री केंद्र स्थापित करने प्रावधान के माध्यम से स्थानीय दस्तकारों, कुम्हारों, बुनकरों/हथकरघा कारीगरों, शिल्पकारों आदि को आजीविका के बेहतर अवसर प्रदान करना है। उत्तराखंड राज्य में मुरादाबादमंडल के अंतर्गत 04 स्टेशन	समस्त शिल्पकार या किसी लोकल उत्पाद से जुड़े विक्रेता।	पहले आओ पहले पाओ के आधार पर, पंजीकरण व् चयन क्रमवार सूची के अनुसार होगा। प्रार्थना पत्र स्टेशन अधीक्षक को देना होगा। **टिप्पणी :** पंजीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज **(क)** विकास आयुक्त हस्तशिल्प, विकास आयुक्त हथकरघा या अपेक्षित राज्य/केन्द्र सरकार प्राधिकरण द्वारा जारी कारीगर/बुनकर पहचान पत्र धारक। **(ख)** भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड)/ राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी)/खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) आदि के साथ नामांकित/पंजीकृत व्यक्तिगत कारीगर/बुनकर/शिल्पकार। **(ग)** पीएमईजीपी (प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम) के साथ पंजीकृत स्वयं सहायता समूह। **(घ)** समाज के हाशिए पर या कमजोर वर्ग। महिला स्वयं सहायता समूह प्रतिभाग कर सकते हैं परन्तु आरक्षण का प्रावधान नहीं है।

		पर 06 OSOP यूनिट कार्यरत हैं |		
5	**जन औषधि केंद्र**	**प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र** (PMJAY) भारत सरकार की एक योजना है, जिसके तहत सस्ती दवाइयों की सुविधा प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत, सरकार जनऔषधि केंद्रों को स्थापित करके जेनेरिक दवाइयों को सबसे कम कीमत पर उपलब्ध करवाती है। योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर ये स्टाल लगा है।	व्यक्तिगत D-pharma/ B-pharma डिग्रीधारक अथवा संस्था /NGO जो B-pharma/ D-pharma व्यक्ति को स्टाल पर नियुक्त करे |	निविदा में आवेदन करने हेतु आवेदक के पास वैध D–pharma / B–pharma की डिग्री होना आवश्यक है। ₹50,000 की जमानत राशि को निविदा के – दौरान जमा करना होता है। **Website:**https://www.ireps.gov.in/
6	**समाज सेवी संस्थाओं द्वारा संचालित बुक स्टाल**	समाज सेवी संस्था गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार स्टेशन पर बुक स्टाल संचालित किया जाता है, जिस पर उत्तम चरित्र के निर्माण हेतु पुस्तकें कम मूल्य पर उपलब्ध हैं|	समाज सेवी संस्था	परोपकारी और सामाजिक संगठन के पास समाज के सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए पुस्तकों और पत्रिकाओं का अपना प्रकाशन होना चाहिए। 2) ऐसे संगठनों को सोसायटी या ट्रस्ट या कंपनी के रूप में पंजीकृत होना चाहिए यानी सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत सोसायटी या ट्रस्ट डीड के तहत गठित ट्रस्ट या आयकर अधिकारियों के साथ पंजीकृत; या इन संगठनों की धारा 8 के तहत धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए निगमित लिमिटेड कंपनी को इस प्रमाणपत्र के साथ सीईओ शीर्षक संलग्न करना होगा। परोपकारी और सामाजिक संगठन की श्रेणी के

				तहत बुकस्टॉल के आवंटन के लिए जोनल रेलवे को ऐसे संगठनों के आवेदन निम्नलिखित के साथ होने चाहिए। **3)** उपरोक्त के अतिरिक्त प्रमाणपत्र; (i) आयकर विभाग के साथ संगठन के पंजीकरण का प्रमाण पत्र। आयकर अधिनियम की धारा 12(ए) के तहत इसके पंजीकरण के संबंध में, 1961: और (ii) आयकर विभाग से राजपत्र अधिसूचना (धारा 35एसी के लिए) या छूट प्रमाणपत्र (धारा 80जी के लिए)। जैसे कि संगठन को दिए गए दान को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 एसी या 80 जी या दोनों के तहत छूट दी गई है। **Website:https://www.ireps.gov.in/**

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय देहरादून। (RPO)

क्र सं	योजना/सेवा का नाम	लाभ	पात्रता	आवदेन एवं चयन प्रक्रिया
1.	**नए पासपोर्ट जारी करना:** ➢ यदि पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो आप नए पासपोर्ट (सामान्य/सरकारी/डिप्लोमेटिक पासपोर्ट) के लिए आवेदन कर सकते हैं।	पासपोर्ट जारी करण	भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। अन्य पात्रताओं व अपेक्षित दस्तावेजों के लिए दायें कॉलम में लिखित लिंक देखें।	आवेदन करने से पहले निम्नलिखित लिंक देखें : सूचना कार्नर–फार्म एवं शपथ पत्र–दस्तावेज सलाहकार https://portal2.passportindia.gov.in/AppOnlineProject/welcomeLink?request_locale=hi_IN&language=hi_IN# आवदेन के लिए पंजीकरण के लिए निम्नलिखित लिंक देखें https://portal2.passportindia.gov.in/AppOnlineProject/user/RegistrationBaseAction?request_locale=en आवदेन कैसे करें (सामान्य) https://passportindia.gov.in/AppOnlineProject/online/procEFormSub आवदेन कैसे करें (सरकारी/ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट) https://passportindia.gov.in/AppOnlineProject/online/procDiplomaticFormSub
2.	**निम्न कारणों से पासपोर्ट पुनः जारी करना:**	पासपोर्ट जारी	भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। अन्य	पुनः पासपोर्ट हेतु आवदेन के लिए निम्न लिंक पर क्लिक करें https://portal2.passportindia.gov.in/AppO

	➢ वर्तमान व्यक्तिगत विवरण में परिवर्तन। ➢ वैधता 3 वर्ष के भीतर समाप्त हो गई/एक वर्ष के भीतर समाप्त होने वाली है। ➢ वैधता 3 वर्ष से अधिक समय पहले समाप्त हो गई। ➢ पासपोर्ट में पन्नें पूरे भर गये हों। ➢ पासपोर्ट क्षतिग्रस्त या पासपोर्ट खो गया।	करण	पात्रताओं व अपेक्षित दस्तावेजों के लिए दायें कॉलम में लिखित लिंक देखें	nlineProject/user/RegistrationBaseAction ?request_locale=en पुनः पासपोर्ट जारी के दस्तावेज सलाहकार की जानकारी के लिए निम्न लिंक पर क्लिक करें https://portal2.passportindia.gov.in/AppOnlineProject/docAdvisor/reissuePassport
3.	**विविध सेवायें :** ➢ पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) जारी करना। ➢ ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम (जीईपी) के लिए पृष्ठभूमि सत्यापनः अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमासुरक्षा ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम (जीईपी) के साथ नामांकित भारतीय नागरिकों के लिए पृष्ठभूमि सत्यापन करना। ➢ समर्पण (सरेंडर) प्रमाणपत्रः भारतीय नागरिकता त्यागने और विदेशी राष्ट्रीयता प्राप्त करने के लिए पासपोर्ट कार्यालयों में भारतीय पासपोर्ट धारक को भारतीय पासपोर्ट सरेंडर करना।	संबंधित सेवा का जारी करण	इन सेवाओं के लिए आवेदक के पास वैध भारतीय पासपोर्ट होना आवश्यक है। अन्य आवश्यक दस्तावेजों तथा निर्धारित आवेदन प्रक्रिया के लिए दायें कॉलम में लिखित लिंक देखें	पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) आवेदन करने के लिए निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करें https://portal2.passportindia.gov.in/AppOnlineProject/online/pccOnlineApp ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम (जीईपी) आवेदन करने के लिए निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करें https://portal2.passportindia.gov.in/AppOnlineProject/online/gepOnlineApp समर्पण (सरेंडर) प्रमाणपत्र आवेदन करने के लिए निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करें https://portal2.passportindia.gov.in/AppOnlineProject/online/procFormSc

विदेश मंत्रालय
प्रवासी जुड़ाव प्रभाग
भारतीय प्रवासियों का कल्याण

प्रवासी भारतीयों के कल्याण के लिए कुछ योजनाएं/कार्यक्रम/सेवाएं इस प्रकार हैं :

1. प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार (पीबीएसए) : पीबीडी सम्मेलन के दौरान, भारत के माननीय राष्ट्रपति लगभग तीस (30) प्रतिष्ठित भारतीय प्रवासी सदस्यों को प्रतिष्ठित 'प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार' (पीबीएसए) से सम्मानित करते हैं, जो किसी अनिवासी भारतीय (एनआरआई), भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) या एनआरआई या पीआईओ द्वारा स्थापित और संचालित किसी संगठन या संस्था को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, जिन्होंने भारत के भीतर या विदेश में असाधारण सामाजिक और मानवीय कार्यों जैसे भारत के विकास में योगदान के लिए, भारत और अपने मेजबान देश के बीच सेतु बनाने के लिए या अपने देश में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पीबीएसए पुरस्कार विजेता विभिन्न क्षेत्रों में हमारे प्रवासी समुदाय द्वारा हासिल की गई जीवंत उत्कृष्टता का प्रतिनिधित्व करते हैं। 17वें पीबीडी सम्मेलन तक, 296 पीबीएसए पुरस्कार प्रदान किए जा चुके हैं।

2. प्रवासी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम (एसपीडीसी) : प्रवासी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम (एसपीडीसी) शैक्षणिक वर्ष 2006–07 में भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) और अनिवासी भारतीयों के बच्चों के लिए शुरू किया गया था ताकि वे भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक पाठ्यक्रम कर सकें और भारत को उच्च अध्ययन के केंद्र के रूप में बढ़ावा दे सकें। एसपीडीसी योजना के तहत व्यावसायिक और गैर–व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए ट्यूशन शुल्क, प्रवेश शुल्क और प्रवेश के बाद की सेवाओं के लिए 4000 अमेरिकी डॉलर तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मंत्रालय इस योजना के तहत हर साल 150 छात्रवृत्तियाँ प्रदान करता है, जिनमें से 50 ईसीआर देशों में भारतीय श्रमिकों के बच्चों के लिए आरक्षित हैं। ईसीआर देशों में भारतीय कामगारों के बच्चों के लिए आरक्षित 50 स्लॉट में से 1/3 स्लॉट (यानी 17) ईसीआर देशों में भारतीय कामगारों के बच्चों के लिए आरक्षित हैं जो भारत में पढ़ रहे हैं, सभी श्रेणियों में 50 प्रतिषत सीटों पर महिला आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि इनमें से कोई भी सीट नहीं भरी जाती है, तो उन्हें एसपीडीसी के तहत अन्य श्रेणियों के आवेदकों के लिए उपलब्ध कराया जाना है और इसके विपरीत। हाल ही में, इस योजना के तहत मेडिकल कोर्स को भी शामिल किया गया है। **वित्त वर्ष 2022–23 में एसपीडीसी दिशानिर्देशों में संशोधन के बाद, छात्रवृत्ति प्रदान करने के मानदंड इस प्रकार हैं** :

- एसपीडीसी का लाभ दुनिया भर के भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) और अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के बच्चों द्वारा उठाया जा सकता है।
- एसपीडीसी 17 से 21 वर्ष की आयु के आवेदकों के लिए खुला है।
- सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों को विदेश से ग्रेड 11 और ग्रेड 12 पास होना चाहिए। हालांकि, ईसीआर देशों में भारतीय श्रमिकों के बच्चों की श्रेणी के तहत कोटा के तहत आवेदन करने के लिए, जो भारत में पीछे रह गए हैं, उम्मीदवार को भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू) द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा प्रणाली से वरिष्ठ माध्यमिक (10 + 2) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- एक आवेदक/उम्मीदवार जिसने योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण की है और भारत में एक नामित संस्थान में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया है। भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालय स्नातक पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा मान्यता प्राप्त 'ए' ग्रेड संस्थान और यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), योजना और वास्तुकला स्कूल और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) डीएएसए योजना के माध्यम से, और अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करता है, एसपीडीसी के तहत छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकता है।
- अभ्यर्थी को भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत कोई अन्य छात्रवृत्ति या वित्तीय सहायता या कोई अन्य सहायता प्राप्त नहीं होनी चाहिए।
- अभ्यर्थी की कुल मासिक घरेलू आय ईसीआर देशों के अलावा अभ्यर्थी के निवास के देशों में 5000 अमेरिकी डॉलर के बराबर राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए। ईसीआर देशों के लिए, अभ्यर्थी/आवेदक के माता–पिता की कुल घरेलू मासिक आय 3000 अमेरिकी डॉलर के बराबर राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- नेपाल में रहने वाले भारतीयों के बच्चे भी निम्नलिखित दो मानदंडों को पूरा करने पर एसपीडीसी के लिए पात्र होंगे : (ए) दोनों माता–पिता को नेपाल में मिशन/पोस्ट में कम से कम दो साल की अवधि के लिए पंजीकृत होना चाहिए, और (बी) आवेदक ने आवेदन करने से पहले नेपाल में कक्षा XI और XII में दो साल की स्कूली शिक्षा पूरी की होनी चाहिए।

3. **भारतीय समुदाय कल्याण कोष** : भारतीय समुदाय कल्याण कोष की स्थापना 2009 में 17 ईसीआर देशों और मालदीव में भारतीय मिशनों में कैबिनेट की मंजूरी के साथ की गई थी। इसके बाद, मार्च 2011 में इसे विदेशों में सभी मिशनों और पोस्टों तक बढ़ा दिया गया। ये सेवाएँ भारतीय मिशनों द्वारा विदेशी देशों में संकटग्रस्त भारतीय नागरिकों को सबसे योग्य मामलों में साधन–परीक्षण के आधार पर दी जाती हैं। संकटग्रस्त प्रवासी भारतीयों को कोष सहायता मंत्रालय के भारतीय समुदाय कल्याण कोष के दिशानिर्देशों द्वारा शासित होती है, जिन्हें 1 सितंबर 2017 से संशोधित किया गया था ताकि विदेश में संकटग्रस्त भारतीयों के लिए अधिक कल्याणकारी गतिविधियों को शामिल करके योजना के दायरे का विस्तार किया जा सके।

2017 के संशोधित आईसीडब्ल्यूएफ दिशानिर्देशों में तीन अलग–अलग खंड हैं, जो विभिन्न आईसीडब्ल्यूएफ सहायता योजनाओं की व्यापक रूपरेखा दर्शाते हैं – **खंड ए** – संकटग्रस्त भारतीय नागरिकों के लिए व्यक्तिगत वित्तीय सहायता, **खंड बी** – सामुदायिक कल्याण गतिविधियाँ और **खंड सी–**

कांसुलर सेवाओं में सुधार। आईसीडब्ल्यूएफ योजना में अब व्यय वहन करने, प्रदान की जाने वाली सहायता के लिए पात्रता के मानदंड तय करने और पहले की योजना की तुलना में आईसीडब्ल्यूएफ योजना की व्यापक कवरेज के लिए विस्तृत प्रावधान हैं। संशोधित दिशानिर्देश ने उन दिनों की संख्या बढ़ा दी है जिनके लिए बोर्डिंग और लॉजिंग पर सहायता प्रदान की जा सकती है। संशोधित दिशानिर्देश में डॉक्टर की सिफारिश पर एक परिचर के साथ गंभीर बीमारी या चोट के कारण विकलांग व्यक्तियों के मामले में संकटग्रस्त भारतीयों को हवाई मार्ग प्रदान करने के मानदंडों का विवरण प्रदान किया गया है। कानूनी सहायता के मामले में, अपने प्रवासी भारतीय/विदेशी पतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं को कानूनी/वित्तीय सहायता के लिए 2017 के दिशानिर्देशों में एक अलग अनुलग्नक जोड़ा गया है। आईसीडब्ल्यूएफ सहायता के विभिन्न क्षेत्रों पर व्यय करने के लिए होम/एचओपी की वित्तीय शक्तियों को निर्दिष्ट किया गया है। मिशन/पोस्ट मंत्रालय से अनुमोदन भी मांग सकते हैं, जहां प्रस्तावित व्यय प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत कवर नहीं किया जा सकता है या प्रदान की जाने वाली सेवाएं दिशा–निर्देशों में शामिल नहीं हैं। विदेशों में भारतीय संस्कृति के प्रचार–प्रसार के लिए अधिकतम 10,000 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष व्यय के साथ मजबूत समर्थन प्रदान किया गया है, जिसमें प्रवासी भारतीयों द्वारा भारतीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन और भारतीय भाषाओं, कला रूपों को पढ़ाने वाले शिक्षकों/संकाय को मानदेय का भुगतान शामिल है। भारतीय छात्रों के कल्याण के लिए, मिशन/पोस्ट छात्रों की संख्या के आधार पर प्रति वर्ष 1500 अमेरिकी डॉलर से 20,000 अमेरिकी डॉलर तक खर्च कर सकते हैं। आईसीडब्ल्यूएफ के तहत कांसुलर सेवाओं में सुधार एक नया क्षेत्र है और इसका व्यापक रूप से योजना के खंड सी में उल्लेख किया गया है, ताकि प्रवासी भारतीयों को बेहतर कांसुलर पहुँच प्रदान की जा सके। मिशन इस निधि का उपयोग कांसुलर बुनियादी ढांचे में सुधार, हेल्पलाइन स्थापित करने, वॉक–इन संसाधन केंद्र आदि के लिए कर सकता है। विदेश स्थित भारतीय मिशन/केंद्र संकट के समय विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों और उनके आश्रितों को साधन–परीक्षण के आधार पर आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ) का भी उपयोग करते हैं।

4. प्रस्थान–पूर्व अभिमुखीकरण प्रशिक्षण (पीडीओटी) : विदेश मंत्रालय द्वारा जनवरी 2018 में पीडीओटी कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से खाड़ी और अन्य ईसीआर देशों में जाने वाले भारतीय प्रवासी श्रमिकों के कौशल को बढ़ाना था। इस कार्यक्रम के तहत, प्रवासी श्रमिकों को गंतव्य देश की संस्कृति, भाषा, परंपरा और स्थानीय नियमों और विनियमों को समझने में सक्षम बनाने के लिए निःशुल्क एक दिवसीय अभिमुखीकरण प्रशिक्षण दिया जाता है। अभिमुखीकरण प्रशिक्षण प्रवासी श्रमिकों को सुरक्षित और कानूनी प्रवास के मार्गों और उनके कल्याण और सुरक्षा के लिए विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के बारे में जागरूक करने में भी मदद करता है। यह पहल सफल रही है और इसे आगे भी बढ़ाया जा रहा है। पीडीओटी प्रशिक्षण के लिए संसाधन सामग्री जैसे पीडीओटी पर प्रशिक्षकों के लिए मैनुअल और प्रवासी श्रमिकों के लिए पीडीओटी पर पुस्तिका मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है। प्रवासी श्रमिकों के लिए आठ भाषाओं अर्थात् हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, मलयालम, तमिल, तेलुगु, पंजाबी और उर्दू में पुस्तिकाएं विकसित की गई हैं। ये पुस्तिकाएं विभिन्न केंद्रों पर एक दिवसीय पीडीओ प्रशिक्षण में भाग लेने वाले भावी प्रवासी श्रमिकों को वितरित की जाती हैं। वर्तमान में पीडीओटी 36 केंद्रों पर दी जा रही है, जिनमें से 14 एनएसडीसी द्वारा प्रबंधित हैं और 22 राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित केंद्र हैं। मंत्रालय राज्य सरकारों को प्रति उम्मीदवार 500 रुपये की दर से अभिविन्यास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए धनराशि प्रदान कर रहा है।

5. प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई) : प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई) ईसीआर देशों में जाने वाले सभी उत्प्रवास जाँच अपेक्षित (ईसीआर) श्रेणी के श्रमिकों के लिए एक अनिवार्य बीमा योजना है। यह योजना आकस्मिक मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में 10 लाख रुपये का बीमा कवर और दो साल के लिए 275 रुपये या तीन साल की वैधता के लिए 375 रुपये के मामूली बीमा प्रीमियम पर अन्य लाभ प्रदान करती है। अगस्त, 2017 से प्रभावी संशोधित पीबीबीवाई योजना ईसीआर और ईसीएनआर पासपोर्ट धारकों दोनों के लिए बीमा कवरेज प्रदान करती है और प्रवासी श्रमिकों के लाभ के लिए दावों का निपटान सरल बनाती है। ईसीआर देशों में जाने वाले ईसीआर पासपोर्ट धारकों द्वारा पीबीबीवाई का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है और यह भर्ती द्वारा किया जाता है। ईसीएनआर पासपोर्ट धारकों को पीबीबीवाई की सुविधा का लाभ उठाने के लिए ई–माइग्रेट पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करना आवश्यक है। बीमा कंपनियों के लिए पीबीबीवाई पॉलिसियां जारी करने के लिए ई–माइग्रेट पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य आवश्यकता है। ई–माइग्रेट पोर्टल पीबीबीवाई पॉलिसी की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर उसका ऑनलाइन नवीनीकरण करने की सुविधा प्रदान करता है। पीबीबीवाई अब निम्नलिखित के लिए प्रावधान करता है :

क. नियोक्ता, कर्मचारी के स्थान और कार्य के स्थान में परिवर्तन के बावजूद वैश्विक कवरेज,
ख. विदेश में भारतीय मिशनों/पोस्टों द्वारा आकस्मिक मृत्यु/स्थायी विकलांगता के प्रमाणन की बीमा कंपनियों द्वारा स्वीकृति;
और
ग. नामिती(यों) को बीमा पॉलिसी की ऑनलाइन नवीनीकरण और प्रति उपलब्ध कराने की सुविधा।

जब भी दावों के निपटान के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त होता है, तो मंत्रालय शीघ्र निपटान के लिए संबंधित बीमा कंपनियों के साथ मामले को उठाता है।

6. मदद पोर्टल: सरकार द्वारा सुशासन पहल के एक भाग के रूप में, एक ऑनलाइन व्यापक शिकायत निवारण पोर्टल – मदद – फरवरी 2015 में शुरू किया गया था। यह संकट में फंसे सभी भारतीय नागरिकों के लिए सुलभ है, जिसमें विभिन्न कारणों से विदेश में फंसे लोग भी शामिल हैं। मदद को वेबसाइट (www.madad.gov.in) या मोबाइल ऐप के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। शिकायतें CPGRAMS पोर्टल पर भी दर्ज की जा रही हैं और उनका समाधान किया जा रहा है। विदेश में सभी भारतीय मिशन और पोस्ट तथा चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में विदेश मंत्रालय के शाखा सचिवालय वाणिज्य दूतावास शिकायत ट्रैकिंग और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए इस पोर्टल से जुड़े हुए हैं। विदेश में भारतीय मिशन/पोस्ट शिकायतों पर कार्रवाई करते हैं और नियमित रूप से स्थिति को अपडेट करते हैं। मदद पोर्टल की विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से निगरानी की जाती है। मदद के अंतर्गत निपटाई जा रही शिकायतों में प्रत्यावर्तन, पार्थिव शरीर का परिवहन, मृत्यु मुआवजा, कार्य संबंधी समस्याएं, कारावास मामले, वैवाहिक विवाद, अज्ञात ठिकाने के मामले, काउंसलर सेवाएं, पासपोर्ट मुद्दे, अदालती मामले, छात्रों के मुद्दे आदि सहित कई तरह के काउंसलर मुद्दे शामिल हैं। बहुभाषी कॉल सेंटर, छात्र पंजीकरण, कैदी मॉड्यूल, पोर्टल 'ई–माइग्रेट' के साथ एकीकरण, भारत में राज्य सरकारों के साथ एकीकरण, भारतीय सामुदायिक कल्याण कोष के माध्यम से सहायता के लिए मॉड्यूल आदि को पोर्टल के दायरे में जोड़ा गया है। **मदद** के लिए एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। ट्विटर सेवा (@meaMADAD) भी मार्च 2017 में लॉन्च किया गया था ताकि ट्विटर पर प्राप्त शिकायतों का प्रबंधन और जवाब दिया जा सके।

7. उत्प्रवास मंजूरी (ईसी) : उत्प्रवास जांच आवश्यक (ईसीआर) पासपोर्ट धारकों को 18 नामित ईसीआर देशों अर्थात् अफगानिस्तान, बहरीन, इंडोनेशिया, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मलेशिया, ओमान, कतर, सऊदी अरब, दक्षिण सूडान, सूडान, सीरिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यमन में रोजगार के लिए विदेश जाने पर उत्प्रवास मंजूरी (ईसी) की आवश्यकता होती है। विदेश मंत्रालय, उत्प्रवासियों के संरक्षक जनरल के माध्यम से और 16 प्रवासियों का संरक्षक, ईसीआर देशों में रोजगार के लिए जाने वाले श्रमिकों को उत्प्रवास मंजूरी (ईसी) प्रदान करता है।

8. उत्प्रवास में कल्याणकारी उपाय और ई–गवर्नेंस – ई–माइग्रेटः परियोजना 2015 में शुरू की गई ई–माइग्रेट परियोजना, रोजगार के उद्देश्यों के लिए अधिसूचित देशों में प्रवास करने वाले ईसीआर श्रेणी के श्रमिकों के उत्प्रवास को सुविधाजनक बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है। यह पोर्टल भर्ती प्रक्रिया संचालित करने के लिए पूरी तरह से डिजिटल बी–2–बी प्लेटफॉर्म के रूप में एफई (विदेशी नियोक्ता) और आरए के लिए संपर्क रहित और कागज रहित प्रक्रिया प्रदान करता है। पोर्टल पूरे उत्प्रवास चक्र को तेज, पारदर्शी बनाने के लिए मिशनों, आरए, एफई और बीमा एजेंसियों को प्रवासियों का एक व्यापक और ऑनलाइन डेटाबेस भी प्रदान करता है। ई–माइग्रेट प्रणाली को पंजीकृत किए जा रहे ईसीआर श्रेणी के श्रमिकों के पासपोर्ट विवरणों के सत्यापन के लिए मंत्रालय की पासपोर्ट सेवा परियोजना (पीएसपी) के साथ एकीकृत किया गया है। ई–माइग्रेट को गृह मंत्रालय के आव्रजन ब्यूरो (बीओआई) प्रणाली के साथ भी एकीकृत किया गया है, जिसका उपयोग आव्रजन चेक पोस्ट (आईसीपी) और हवाई अड्डों पर पीओई द्वारा दिए गए ईसी के ऑनलाइन सत्यापन के लिए किया जाता है।

9. प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र (पीबीएसके) और क्षेत्रीय प्रवासी सहायता केंद्र (केपीएसके) : प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र की स्थापना 2008 में प्रवास से संबंधित मामलों पर सूचना प्रसार और प्रवासी श्रमिकों, संभावित प्रवासियों या उनके परिवार के सदस्यों/रिश्तेदारों/मित्रों से प्राप्त शिकायतों का पंजीकरण, जवाब देने और निगरानी करने के लिए की गई थी। प्रवासी भारतीय श्रमिकों से संबंधित सभी मामलों पर मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करने के लिए नई दिल्ली और दुबई (यूएई), शारजाह (यूएई), रियाद, जेद्दा (सऊदी अरब) और कुआलालंपुर (मलेशिया) में पीबीएसके स्थापित किए गए हैं। पीबीएसके के अलावा, दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, चेन्नई, पटना और कोच्चि में 6 क्षेत्रीय प्रवासी सहायता केंद्र (केपीएसके) भी स्थापित किए गए हैं, ताकि प्रवासियों या उनके रिश्तेदारों को विदेश में रोजगार से जुड़ी समस्याओं/शिकायतों के निवारण में सहायता मिल सके। ये केंद्र प्रवासियों की सहायता के लिए स्थानीय प्रवासी संरक्षक (पीओई) कार्यालय के साथ समन्वय में काम करते हैं।

10. विदेश में मरने वाले भारतीयों के पार्थिव अवशेषों का परिवहन : विदेश मंत्रालय के पास संकट में फंसे भारतीय नागरिकों को सहायता प्रदान करने के लिए विदेश स्थित सभी मिशनों/केंद्रों के साथ समन्वय करने के लिए सुस्थापित तंत्र/एसओपी हैं, जिसमें मृत्यु के मामलों में, स्थानीय दाह संस्कार/दफन या पार्थिव अवशेषों को भारत में उनके गृहनगरों में ले जाना और बीमा/मुआवजा दावों का निपटान शामिल है। विदेश में मरने वाले भारतीयों के पार्थिव अवशेषों के परिवहन में स्थानीय अधिकारियों द्वारा ऐसे शव/शवों को भारत ले जाने की अनुमति देने से पहले कुछ औपचारिकताएँ पूरी करना शामिल है। यदि मृत्यु अप्राकृतिक है, तो पुलिस जाँच पूरी की जानी है। ऐसे मामलों के लिए सभी भारतीय मिशनों/केंद्रों में एकल खिड़की मंजूरी मौजूद है। जैसे ही किसी भारतीय नागरिक की मृत्यु की सूचना विदेश में संबंधित भारतीय मिशन/पोस्ट को मिलती है, वे स्थानीय विदेश कार्यालय और अन्य संबंधित अधिकारियों से भारतीय नागरिक की मृत्यु के कारण के बारे में रिपोर्ट मांगकर सक्रिय कार्रवाई करते हैं। विदेश में हमारे

मिशन/पोस्ट मृतक भारतीय नागरिक के निकटतम रिश्तेदारों को सूचित करते हैं, और मृतक के परिवार की इच्छा के अनुसार शव को भारत लाने या स्थानीय स्तर पर दफनाने की सुविधा प्रदान करते हैं।

11. पासपोर्ट सेवाएँ : मंत्रालय पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को सरल बना रहा है। शुल्क के भुगतान और नियुक्तियों आदि के निर्धारण सहित आवेदन की अंतिम प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। पासपोर्ट पोर्टल (www.passportindia.gov.in) भारत में कहीं से भी और किसी भी समय किसी भी व्यक्ति के लिए सुलभ है। आवेदक भारत में कहीं से भी पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकता है। इस नागरिक–अनुकूल पहल ने आवेदकों को पासपोर्ट कार्यालय (पीओ) और इस प्रकार क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (आरपीओ) के तहत वांछित पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) / डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीओपीएसके) चुनने में सक्षम बनाया है, जहां वे अपना आवेदन जमा करना चाहते हैं, भले ही आवेदन पत्र में निर्दिष्ट वर्तमान आवासीय पता चयनित आरपीओ के अधिकार क्षेत्र में आता हो या नहीं। नागरिक mPassportSeva मोबाइल ऐप पर पासपोर्ट सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और पासपोर्ट सेवाओं के लिए आवेदन करने के लिए उन्हें कंप्यूटर और प्रिंटर की आवश्यकता नहीं है। मंत्रालय के mPassport पुलिस ऐप का उपयोग पुलिस अधिकारियों द्वारा आवेदकों के पिछले रिकॉर्ड के सत्यापन के लिए कागज रहित डिजिटल प्रवाह में किया जा रहा है। इसके अलावा, डिजिलॉकर को PSP प्रणाली के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया है, जिससे नागरिक कागज रहित मोड में डिजिलॉकर के माध्यम से पासपोर्ट सेवाओं के लिए आवश्यक विभिन्न दस्तावेज जमा कर सकते हैं। सरकार ने पासपोर्ट नीति और नियमों को सरल बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिससे नागरिकों के लिए आवेदन करना और पासपोर्ट प्राप्त करना आसान हो गया है। पासपोर्ट के शीघ्र जारी करने के लिए एक 'तत्काल योजना' है, जिसमें पासपोर्ट आवेदन के साथ 13 सूचीबद्ध दस्तावेजों (संदर्भ अनुलग्नक 1) में से 03 दस्तावेज जमा किए जाने हैं। इस योजना के तहत किसी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन प्रमाणपत्र या किसी तात्कालिकता के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। पासपोर्ट जारी होने के बाद पुलिस सत्यापन किया जाता है। आवेदकों द्वारा दिए जाने वाले सभी अनुलग्नक सादे कागज पर स्व–घोषणा के रूप में होंगे। सत्यापन/नोटरी की अब आवश्यकता नहीं है। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को और अधिक समावेशी बनाने के लिए, सरकार ने पुरुष से महिला या इसके विपरीत लिंग परिवर्तन के बाद पासपोर्ट में नाम और लिंग परिवर्तन के उद्देश्य से ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत जारी किए गए पहचान प्रमाण पत्र/पहचान पत्र को स्वीकार करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

दस्तावेजों का सत्यापन :– मंत्रालय में सत्यापन प्रकोष्ठ विदेशों में व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपयोग के लिए व्यक्तियों के शैक्षिक, वाणिज्यिक और व्यक्तिगत दस्तावेजों के प्रमाणीकरण के लिए सत्यापन सेवाएं प्रदान कर रहा है। इसके अलावा, भारतीय व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी निर्यात के साथ–साथ विदेशों में अन्य व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा सत्यापित वाणिज्यिक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। दस्तावेज़ के एपोस्टिल के लिए 50 रुपये का शुल्क देय है। (21 दिसंबर 2016 से पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से भुगतान बंद कर दिया गया है।) सामान्य सत्यापन निःशुल्क किया जाता है।

केन्दीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, देहरादून। (CGST)

क्र0 सं0	योजना/ सेवा का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रकिया एवं चयन प्रकिया
1.	उपभोक्ता कल्याण कोष	किसी परियोजना के लिए सहायता–अनुदान की मात्रा/राशि चयन समिति द्वारा मामले/ दर – मामले आधार पर तय की जाएगी	केंन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड नई दिल्ली के अधीन कोई भी फॉरमेशन/अन्य विभाग/ मंत्रालय/ निजी संस्थान/ एन.जी.ओ जिनकी उपस्थिति पूरे देश में हो वे वस्तु एवं सेवाकर पर उपभोक्ता जागरूकता या प्रचार के लिए जीएसटी उपभोक्ता कल्याण कोष से वित्तीय सहायता के लिए अपने मुख्यकय के माध्यम से प्रस्ताव भेज सकते हैं।	केंन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड को सीजीएसटी नियम, 2017के नियम 97(7ए) के राशि के अनुसार उपलब्ध कराई गई निधि की राशि में से अनुदान राशि के प्रस्ताव/आवेदन की जाँच प्रक्रिया को सलेक्शन कमेटी द्वारा अप्रैजल कमेटी की सिफारिश के आधार पर अंतिम रूप दिया जाता है। अप्रैजल कमेटी द्वारा सभी प्राप्त आवेदनों की जाँच की जाती है तत्पश्चात शार्ट लिस्टिंग और अनुमोदन के लिए सेलेक्शन कमेटी को भेजा जाता है। सेलेक्शन कमेटी का निर्णय अन्तिम होता है। इसके अलावा, जीएसटी परिषद द्वारा अपनी बैठकों में लिये गये निर्णयों को सीबीआईसी, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचनाओं के माध्यम से आम जनता के ध्यान में लाया जाता है और इसका कार्यान्वयन सीजीएसटी आयुक्त, देहरादून द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में किया जाता है। उपभोक्ता कल्याण कोष समस्त विवरण केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की वेबसाइट के यूआरएल https://cbic.gov.in/entities/cbic-content-mst/MTcwMDA%3D पर उपलब्ध है।
2	जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया	जीएसटी पंजीकरण समस्त विवरण जैसे पंजीकरण की प्रक्रिया, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज इत्यादि cbic.gov.in तथा gst.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है।		
3	यदि कोई जीएसटी कर चोरी करे, तो संबंधित सूचना कहां दी जा सकती है।	जीएसटी कर चोरी करने पर शिकायत पटल/नंबर जीएसटी चोरी की शिकायत CBIC Grievance Redressal Cell, New Delhi की ईमेल mitra-cbic@gov.in पर दर्ज की जा सकती है अथवा सीजीएसटी आयुक्तालय, देहरादून के क्षेत्राधिकार (समस्त उत्तराखंड) के अंतर्गत होने वाली जीएसटी चोरी की शिकायत ईमेल grievance.cgstddn@gov.in पर दर्ज की जा सकती है।		

आयकर विभाग, देहरादून

क्रम संख्या	योजना/सेवा का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	आयकर सेवा केन्द्र	आयकर से संबंधित किसी भी तरह की डाक दी जा सकती है।	भारत के समस्त नागरिक	आयकर सेवा केन्द्र में आयकर विभाग से संबंधित पूछ–ताछ की जा सकती है। आवेदन/ शिकायत/ प्रार्थना पत्र/ आयकर विवरणी दी जा सकती है। आयकर नोटिस का उत्तर जमा किया जा सकता है।
2.	ई–फाईलिंग	घर बैठे कोई भी करदाता समय से अपनी आयकर विवरण ऑनलाइन ई –फाइलिंग के माध्यम से जमा कर सकता है।	भारत के समस्त नागरिक	https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ उपरोक्त लिंक पर जाकर कोई भी करदाता अपनी आयकर विवरणी जमा कर सकता है व अपनी पूरानी आयकर विवरणी की पूरी जानकारी देख सकता है। आयकर नोटिस का उत्तर ऑनलाईन माध्यम से दे सकता है। आधार को पैन कार्ड से लिंक कर सकता है। अपना कर जमा कर सकता है व आयकर से संबंधित अन्य कार्य कर सकता है।
3.	80 वर्ष से अधिक		80 वर्ष से अधिक के	80 वर्ष से अधिक के करदाता को ऑनलाईन ई–फाईलिंग करने में छूट दी गई है।

	करदाता को ऑनलाईन ई–फाईलिंग में छूट		करदाता जिसकी आय पेंशन व ब्याज से है।	
4.	AIS App	AIS पर कोई भी करदाता अपने वित्त वर्ष के दौरान किये गये लेन–देन देख सकता है।	भारत के समस्त नागरिक	AIS पर अपना वित्तीय लेन–देन देख कर ही अपनी आयकर विवरणी उस अनुसार जमा करनी चाहिए जिससे आयकर विवरणी व 26 AS मेल खाये।
5.	CPC	करदाता आयकर विवरणी ऑनलाइन भर सकता है तथा रिफण्ड आसानी से मिल जाता है।	भारत के समस्त नागरिक	करदाता अपनी आयकर विवरणी ई–फाईलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन भरता है तथा उसकी प्रोसेसिंग सी.पी.सी. बैंगलूरू द्वारा तुरन्त किया जाता है तथा कर दाता को बिना विलम्ब के रिफण्ड मिल जाता है।
6.	Grievance Redressal	करदाता घर बैठे शिकायत दाखिल कर सकता है।	भारत के समस्त नागरिक	1. ई–निवारण यदि किसी करदाता को कोई कर सम्बन्धी शिकायत है तो वह ई–निवारण के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है तथा उसकी शिकायत का तुरन्त निस्तारण किया जाता है। 2. CPGRAM करदाता अपने कर सम्बन्धी शिकायत CPGRAM के माध्यम से भी दर्ज कर सकता है, जिसकी उच्च स्तर से निगरानी की जाती है तथा इसका निस्तारण तुरन्त किया जाता है।
7.	चेहरा रहित योजना	कर निर्धारण कार्य ऑनलाइन मोड में किया जाता है।	भारत के समस्त नागरिक / समस्त करदाता	आयकर विभाग द्वारा कर निर्धारण का कार्य चेहराविहीन प्रणाली द्वारा किए जाने की व्यवस्था की गई है, जिसमें करदाता आयकर विभाग द्वारा जारी किये गये नोटिसों के उत्तर ऑनलाइन दे सकते हैं।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून (NHAI)

संक्षिप्त परिचय :– भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1988 "राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, अनुरक्षण और प्रबंध के लिए एक प्राधिकरण का गठन करने तथा उससे संबद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम" के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को, अन्य छोटी परियोजनाओं सहित, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का काम सौंपा गया है जिसमें 50,329 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन करना शामिल है। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के अन्दर एक राज्य से दूसरे राज्य में यात्रियों के आवागमन और माल को लाने–ले जाने हेतु महत्वपूर्ण सड़कें होती हैं। ये सड़कें देश में लम्बाई और चौड़ाई में आर–पार फैली हुई हैं तथा राष्ट्रीय और राज्यों की राजधानियों, प्रमुख पत्तनों और रेल जंक्शनों, सीमा से लगी हुई सड़कों और विदेशी राजमार्गों को जोड़ती हैं। वर्ष 2017 में, सरकार ने भारत के अब तक के सबसे बड़े राजमार्ग विकास कार्यक्रम, भारतमाला परियोजना की घोषणा की, इसका फोकस लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करने, मल्टीमॉडल और कुशल परिवहन, उपलब्ध करवाने देश में अंतिम छोर तक संपर्क और मौजूदा आपूर्ति श्रृंखला के बुनियादी ढांचे में सुधार करने पर केंद्रित है। संबंधित कार्यों के लिए ठेके के निष्पादन हेतु स्वस्थ प्रतियोगिता को सुनिश्चित करने के लिए बोली मानदण्डों को अपनाने, उत्तम गुणवत्ता अपेक्षाओं के अनुरूप परियोजनाओं के कार्यान्वयन तथा प्रयोक्ताओं की सुख–सुविधा को देखने के लिए राजमार्ग प्रणाली के रख–रखाव के संबंध में यह सुनिश्चित करना है कि सभी संविदाओं के ठेके और प्रापण उद्योग की सर्वोत्तम परम्पराओं के अनुसार हों।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राजमार्गों पर आम नागरिकों हेतु निम्न सेवाएं भी प्रदान करता है :—

क्र. सं.	सेवा/ योजना का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	राष्ट्रीय राजमार्ग पर आम जनता के लिए टोल फ्री नंबर "1033"	**आपातकालीन सहायताः** दुर्घटना या अन्य आपातकालीन स्थितियों में तुरंत सहायता प्राप्त की जा सकती है। **सूचना और मार्गदर्शनः** यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की जानकारी या मार्गदर्शन के लिए कॉल कर सकते हैं। **शिकायत निवारणः** राजमार्ग पर होने वाली समस्याओं या असुविधाओं के लिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं। **सुरक्षा सुनिश्चित करनाः** टोल फ्री नंबर के माध्यम से सुरक्षा बलों को सूचित कर सकते हैं, जिससे सुरक्षा सुनिश्चित होती है। **वाहन सेवाएंः** वाहन खराब होने पर मदद प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि टोइंग सेवा या मरम्मत सेवा। 24X7 **उपलब्धताः** यह सेवा 24 घंटे और सातों दिन उपलब्ध रहती है, जिससे कभी भी सहायता प्राप्त की जा सकती है। **स्वास्थ्य सहायताः** किसी भी स्वास्थ्य आपातकाल के समय मेडिकल सहायता प्राप्त की जा सकती है। **यातायात और सड़क की स्थितिः** यातायात जाम या सड़क की स्थिति के बारे में ताजा जानकारी प्राप्त कर	यह सेवा उन सभी भारतीय नागरिकों एवं वाहन चालकों के लिए उपलब्ध है, जो लोग राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा कर रहे हैं।	आपको टोल फ्री नंबर 1033 पर कॉल करना होगा। यह सेवा 24 घंटे और सातों दिन उपलब्ध है। टोल फ्री कॉल सेंटर पर आपकी आवश्यकता के अनुसार विकल्पों में से एक का चयन करना होगा, जैसे कि आपातकालीन सहायता, सड़क की स्थिति, यात्रा संबंधित सुविधाएं आदि। आपको टोल फ्री सेवा के कर्मचारी से अपनी समस्या साझा करना होगा। आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। टोल फ्री सेवा के कर्मचारी आपकी समस्या को समझेंगे और उसका हल ढूंढने में मदद करेंगे। आपको उचित मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की जाएगी।

		सकते हैं। इस प्रकार टोल फ्री नंबर **1033** का उपयोग करके यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाया जा सकता है।		
2	टोल शुल्क में दी गयी छूट प्राप्त फास्टैग	**टोल शुल्क में छूटः** मुफ्त फास्टैग का उपयोग करके यात्रा करने वालों को टोल शुल्क में छूट प्राप्त होती है, जिससे वे यात्रा के खर्च कम कर सकते हैं। **यातायात में तेजीः** फास्टैग का उपयोग करने से यात्रा का समय भी कम लगता है क्योंकि यात्री को टोल प्लाजा पर रुकने की आवश्यकता नहीं होती। **ऑनलाइन रिचार्ज और प्रबंधनः** मुफ्त फास्टैग को ऑनलाइन रिचार्ज किया जा सकता है और उसका प्रबंधन भी आसान होता है, जो यात्रियों को सुविधा प्रदान करता है। **सुरक्षित यात्राः** फास्टैग के उपयोग से परिचालन कार्य सुविधाजनक बन जाता है और यात्रा की सुरक्षा भी बढ़ती है।	मुफ्त फास्टैग का उपयोग करने के लिए प्राथमिक आधारिक पात्रता होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि आपका वाहन फास्टैग योजना के लिए पंजीकृत होना चाहिए। कुछ विशेष श्रेणियों के लिए, जैसे कि एम्बुलेंस, आर्मेड फोर्स, राष्ट्रीय राजमार्ग पर गर्भवती महिलाएं ,विकलांग जन, आपातकाल वाहन, आदि, टोल छूट के अधिकारी होते हैं। इन विशेष श्रेणियों में आने वाले वाहनों के लिए मुक्त फास्टैग आवंटित किया जा सकता है।	मुफ्त फास्टैग के लिए पहले ऑनलाइन पोर्टल (https://exemptedfastag.nhai.org/Exemptedfastag) पर लॉगिन करें। यदि आपके पास पहले से अकाउंट नहीं है, तो पंजीकरण प्रक्रिया का पालन करें। आपको पोर्टल पर मुक्त फास्टैग के लिए आवेदन करने का विकल्प मिलेगा। आवेदन करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करें, जैसे कि वाहन नंबर, वाहन का प्रकार, आदि। आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे कि पंजीकरण प्रमाणपत्र, वाहन का प्रमाणपत्र, और अन्य संबंधित दस्तावेजों की स्कैन की कॉपी अपलोड करें। आवेदन की पुष्टि के बाद, फास्टैग आपके द्वारा भाराराप्रा क्षेत्रीय कार्यालय मे उपस्थित होकर प्राप्त किया जा सकता है इसे आप अपने वाहन में स्थापित करके इसका लाभ उठा सकते हैं ।
3	देश भर में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों	राष्ट्रीय राजमार्गों के माध्यम से सड़क परिवहन को सुगम बनाने से विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। ये राजमार्ग व्यापारिक गति	राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण की प्रक्रिया " नई दिल्ली के मुख्यालय से निविदा आमंत्रित करके निर्माण कंपनियों को आवंटित किए जाने के लिए आमंत्रित	पहले चरण में, नई दिल्ली के मुख्यालय के अधिकारी निर्माण के लिए एक योजना तैयार करते हैं। यह योजना राष्ट्रीय राजमार्ग के माप, लंबाई, चौड़ाई, और अन्य आवश्यक

	की प्रक्रिया	को बढ़ाने और स्थानीय व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में मदद करते हैं।	किया जाता है।	विवरणों को शामिल करती है। एक प्रस्ताव तैयार किया जाता है जिसमें योजना का सारांश, लागत का अनुमान, और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी होती है। नई दिल्ली के मुख्यालय द्वारा निविदा का आमंत्रण जारी किया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निर्माण कंपनियों को आवंटित किए जाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। एक समझौता के तहत, ठेकेदार के साथ सभी आवश्यक शर्तें तय की जाती हैं।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय–उत्तराखण्ड (मकान नं0 58/37, बलबीर रोड, देहरादून–248001) के अन्तर्गत निम्न 04 परियोजना कार्यान्वयन इकाई कार्यरत हैं–

परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, मकान नं0 181, शास्त्री पुरम, होटल गोदावरी के पास, दिल्ली रोड, रूड़की–247667 (उत्तराखण्ड) सी0यू0जी0 न0 8130006114 ई–मेल : piuroorkee@nhai.org	**परियोजना निदेशक,** भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, तीसरी मंजिल, श्री गुरू अंगद देव जी कॉम्पलेक्स, नैनीताल रोड, रूद्रपुर–263153 (उत्तराखण्ड) सी0यू0जी0 न0 8130006112 ई–मेल :pdpiurudrapur@nhai.org	**परियोजना निदेशक,** भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, मकान नं0 3ए/2, सिद्धबली विहार कॉलोनी, कोटद्वार रोड, नजीबाबाद, जिला–बिजनौर–246763 (उत्तर प्रदेश) सी0यू0जी0 न0 8130006113 ई–मेल : piunazibabad@nhai.org	**परियोजना निदेशक,** भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, मकान नं0 171, चरण–1, वसंत विहार (देहरादून)–248006 (उत्तराखण्ड) सी0यू0जी0 न0 8130006115 ई–मेल :piuvasantvihar@nhai.org

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI), जौलीग्रांट

क्र. स.	योजना / सेवा का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया	चयन प्रक्रिया
1.	एस.एच.जी रिटेल शॉप	स्वयं सहायता समूह	राज्य सरकार द्वारा अधिकृत स्वयं सहायता समूह	राज्य सरकार के संबंधित विभाग द्वारा नामित स्वयं सहायता समूह	देहरादून हवाई अड्डे पर एस.एच.जी. रिटेल शॉप, हेतु आवेदन स्वंय सहायता समूह द्वारा किया जाता है आवेदन को सत्यापित करने के लिए देहरादून हवाई अड्डे के वाणिज्य अनुभाग द्वारा आवेदन राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, उत्तराखण्ड के संबंधित अधिकारी को प्रेषित किया जाता है। तपश्चात आवेदन पर संबंधित अधिकारी की अनुमति के उपरांत स्वंय सहायता समूह को देहरादून हवाई अड्डे पर 15–15 दिनों के लिए रु0 1250 प्रति वर्ग मी स्पेस रेंट के आधार पर रिटेल शॉप आवंटित की जाती है। इसके अतिरिक्त कोई डाक्यूमेंट की आवश्यकता नही होती है।
2.	क्षेत्रीय उड़ान संपर्क योजना	संबंधित एयरलाइन एवं लोकल पब्लिक	विड qualify एयरलाइन	टेंडर द्वारा	भाविप्रा के निगमित मुख्यालय द्वारा

3.	सी.एस.आर. स्कीम	राज्य सरकार	राज्य सरकार द्वारा चयनित प्रोजेक्ट	राज्य सरकर द्वारा चयनित प्रोजेक्ट को जिलाधिकारी के द्वारा भाविप्रा के निगमित मुख्यालय को प्रेषित किया जाता है।	भाविप्रा निगमित मुख्यालय के सी.एस.आर. सेल द्वारा
4	रिजर्वेशन काउंटर	हवाई यात्री	विड qualify एजेंसी	टेंडर द्वारा	भाविप्रा की वाणिज्य पालिसी में निहित नियम एवं शर्तें के द्वारा
5	टोलफ्री नंबर के संबंध में	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए कोई टोल फ्री नंबर जारी नहीं किया गया है। हालांकि देहरादून हवाई अड्डे पर एयरलाइन्स/फ्लाईट से संबंधित जानकारी के लिए संबंधित एयरलांइस प्रबंधक को सम्पर्क किया जाता है एवं हवाई अड्डे पर किसी अन्य जानकारी/सुविधा/आपातकालीन स्थिति में ड्यूटी टर्मिनल प्रबंधक (9410770416) एवं सी.आई.एस.एफ. कंट्रोल रुम (7617579107) के दूरभाष पर सम्पर्क किया जाता है।			

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए0ए0आई0), पंतनगर

क्र0सं0	योजना/सेवा का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया	चयन प्रक्रिया
1.	एयरपोर्ट विस्तारीकरण	लोकल पब्लिक, पर्यटक, उद्योग	विड qualify टेण्डर द्वारा	टेण्डर द्वारा	भाविप्रा के निगमित मुख्यालय द्वारा। राज्य सरकार द्वारा युकाडा के माध्यम से भाविप्रा पंतनगर को 524.00 एकड़ अतिरिक्त भूमि विस्तारीकरण हेतु प्रदान की गई।
2.	सी.एस.आर. स्कीम	राज्य सरकार	राज्य सरकार द्वारा चयनित प्रोजेक्ट	राज्य सरकार द्वारा चयनित प्रोजेक्ट को जिलाधिकारी के द्वारा भाविप्रा के निगमित मुख्यालय को प्रेषित किया जाता है।	भाविप्रा के निगमित मुख्यालय के सी.एस.आर. सेल द्वारा
3.	समर विंटर सारणी	सम्बन्धित एयरलाइन एवं लोकल पब्लिक		केन्द्र सरकार द्वारा	वर्तमान में भाविप्रा पंतनगर में नई दिल्ली, देहरादून बनारस एवं पिथौरागढ़ के लिये फलाईट समर विण्टर सारणी के अनुसार प्रचालन में है।

भारत संचार निगम लिमिटेड, देहरादून। (BSNL)

1) भारतनेट परियोजनाः—

भारतनेट, दुनिया की सबसे बड़ी ग्रामीण दूरसंचार परियोजनाओं में से एक है, जिसे देश के सभी ग्राम पंचायतों (लगभग 2.5 लाख) में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25.10.2011 को राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन, अब भारतनेट) के निर्माण की परियोजना को मंजूरी दी थी, जिसका उद्देश्य भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) जैसे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) के मौजूदा फाइबर का उपयोग करके ब्लॉक मुख्यालयों (बीएचक्यू) को जीपी से जोड़कर और जीपी तक कनेक्टिविटी के अंतर की खाई को पाटने के लिए अंतिम मील में वृद्धिशील फाइबर केबल बिछाकर ग्राम पंचायत (जीपी) स्तर पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी

प्रदान करना है। सरकार वृद्धिशील ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) की मालिक है, और मौजूदा फाइबर का स्वामित्व बीएसएनएल के पास ही बना रहेगा। इसे भारतनेट का चरण माना गया, जिसका क्रियान्वयन बीएसएनएल द्वारा किया गया।

इस परियोजना के तहत ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फ़ाइबर से कनैक्ट किया जाता है। इस कार्य के सम्पादन हेतु उत्तराखंड राज्य में बीएसएनएल को दूरसंचार विभाग ने कार्यदायी संस्था बनाया है। बीएसएनएल इस परियोजना के तहत ग्राम पंचायत के अंतर्गत उपलब्ध ग्राम पंचायत भवन अथवा कोई और उपयुक्त सरकारी संस्थान (आंगनवाड़ी,सरकारी स्कूल इत्यादि) तक ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी पहुंचाई जाती है। इसके उपरान्त ब्रॉड्बैन्ड कनेक्शन की सुविधा के लिए ग्राम पंचायत एवं अन्य उपभोक्ताओ को स्वयं ही निकटतम दूरभाष केंद्र/उप मण्डल अभियंता/भारतनेट उद्यमी से सम्पर्क कर आवेदन करना होगा।

उत्तराखंड राज्य में 13 जिलों और 95 में से 30 ब्लॉको (बीएचक्यू सहित) के कुल 1849 ग्राम पंचायतों को भारतनेट चरण–1 परियोजना के अंतर्गत कवर किया गया है और शेष ब्लॉकों/ग्राम पंचायतों को बीएसएनएल द्वारा संशोधित भारतनेट परियोजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा, जिसे भारत सरकार द्वारा शीघ्र ही लांच किया जाएगा।

भारतनेट परियोजना के अंतर्गत ब्रॉडबैंड या इंटरनेट सेवाएं सरकारी संस्थानों जैसे स्कूल, अस्पताल, डाकघर, आंगनवाडी, पुलिस स्टेशन आदि को बीएसएनएल फाइबर कनेक्शन (एफटीटीएच) के माध्यम से प्रदान की जा रही है। इस उद्देश्य के लिए उत्तराखंड सरकार और बीएसएनएल उत्तराखंड के बीच विशेष सहायता योजना या राज्य के नेतृत्व वाले मॉडल के तहत बीएसएनएल फाइबर कनेक्शन (एफटीटीएच) कनेक्शन प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं, उपरोक्त एमओयू प्रथम चरण के तहत लगभग 3100 बीएसएनएल फाइबर कनेक्शन (एफटीटीएच) एवं द्वितीय चरण के तहत लगभग 1500 बीएसएनएल फाइबर कनेक्शन (एफटीटीएच) प्रदान किए जा चुके हैं। इस योजना के तहत ग्रामीण ग्राहकों को रियायती दरों पर बीएसएनएल फाइबर कनेक्शन (एफटीटीएच) भी प्रदान किए जा रहे हैं, जिसके लिए उपभोक्ता निकटतम उपमण्डल अभियंता कार्यालय एवं दूरसंचार इन्फास्ट्रक्चर प्रदाता (टीआईपी) से सम्पर्क कर सकते हैं । देश में भारत नेट को बढ़ावा देने और रोजगार पैदा करने के लिए बीएसएनएल ने भारत नेट उद्यमी योजना शुरू की है, जिसमें उत्तराखंड में 77 भारत उद्यमी भागीदारों की मदद से लगभग 11000 बीएसएनएल फाइबर कनेक्शन (एफटीटीएच) प्रदान किए गए हैं। उत्तराखंड में बीएसएनएल के पास कुल 252 भारतनेट ओएलटी हैं, जिनमें से कुल 10317 भारतनेट एफटीटीएच कनेक्शन हैं। यदि किसी गाँव में मोबाईल नेटवर्क नहीं है लेकिन वहाँ पर यदि बीएसएनएल या भारतनेट की ऑप्टिकल फ़ाइबर केबल उपलब्ध है तो वहाँ पर एफटीटीएच लग सकता है ।

2) 4जी संतृप्ति परियोजनाः–

उत्तराखंड परिमण्डल में बीएसएनएल ने दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए 4जी संतृप्ति परियोजना में 626 नए टावर लगाने की योजना बनाई है। कुल 626 टावरों में से बीएसएनएल उत्तराखंड ने बीओपी/बीआईपी श्रेणी में सीमा चौकी क्षेत्रों (आईटीबीपी, एसएसबी) के लिए 45 टावर प्रस्तावित किए हैं तथा इनमें से बीएसएनएल द्वारा उत्तराखंड में अब तक 240 टावर स्थापित किए जा चुके हैं एवं 4जी संतृप्ति परियोजना के 10 टावर से मोबाइल की 4जी सेवाएं भी शुरू कर दी गयी है।

4जी संतृप्ति परियोजना में बीएसएनएल ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 2617 गांवों को 4जी मोबाइल सिग्नल से कवर करेगा। सीमावर्ती क्षेत्रों में मोबाइल सिग्नल प्रदान करने के लिए प्रस्तावित 45 बीओपी /बीआईपी टावरों से बीएसएनएल 86 सीमा चौकियों को कवर करेगा।

बीएसएनएल ने 3 जी से 4जी नेटवर्क में अपग्रेडेशन के लिए उत्तराखंड में मौजूदा 1296 साइटों की 9.2 परियोजना के तहत योजना बनाई है। जिनमें से बीएसएनएल उत्तराखंड ने 814 साइटों में 4 जी नेटवर्क चालू कर दिया है जिसके माध्यम से अधिकांश जिला मुख्यालय/तहसील मुख्यालय/ ब्लॉक मुख्यालय को 4 जी नेटवर्क में अपग्रेड किया जा चुका है।

बीएसएनएल व्यापार मॉडल

1. मोबाइल सेवाओं की बिक्री एवं वितरण के लिए कोई भी 10वीं पास व्यक्ति ग्रामीण वितरक (आर.डी.)एवं डाइरेक्ट सेलिंग एजेंट (डी.एस.ए.) बनकर, स्वरोजगार द्वारा आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकता है। मोबाइल सेवाओं की बिक्री एवं वितरण के लिए बीएसएनएल के संबन्धित व्यापार क्षेत्र के जिला मुख्यालय पर आवेदन करना होगा एवं अनुभव प्रमाण पत्र के साथ शैक्षिक प्रमाण पत्र,पैन कार्ड, जीएसटी रजिस्ट्रेशन आदि डॉक्युमेंट की आवशयकता होती है, विभिन्न जिलों के बीएसएनएल कार्यालय का विवरण इस प्रकार से है
   1) कार्यालय महाप्रबंधक , बीएसएनएल क्रॉस रोड एक्सचेंज देहरादून।
   2) कार्यालय महाप्रबंधक, बीएसएनएल रोडवेज बस स्टैंड के पीछे, मायापुर हरिद्वार ।
   3) कार्यालय महाप्रबंधक, बीएसएनएल टेलीफोन एक्सचेंज एनटीआर बिल्डिंग अल्मोड़ा।
   4) कार्यालय महाप्रबंधक, बीएसएनएल टेलीफोन एक्सचेंज आवास विकास हल्द्वानी ।
   5) कार्यालय उप महाप्रबंधक बीएसएनएल टेलीफोन एक्सचेंज नई टिहरी।
   6) कार्यालय उप महाप्रबंधक बीएसएनएल मुख्य टेलीफोन एक्सचेंज, पौड़ी चुंगी के पास श्रीनगर (गढ़वाल),
2. भारत नेट उद्यमी योजना के तहत उत्तराखंड का कोई भी नागरिक बीएसएनएल उद्यमी पार्टनर बनकर व्यवसाय कर सकता है और साथ ही साथ बीएसएनएल में दूरसंचार इन्फास्ट्रक्चर प्रदाता (टीआईपी) बनकर भी फाइबर इन्टरनेट कनेक्शन (एफटीटीएच) का व्यवसाय कर सकता है। सम्पूर्ण जानकारी के लिए बीएसएनएल के नजदीकी कार्यालयों या बीएसएनएल सेवा केंद्र पर जाकर सम्पर्क कर सकते है।
3. कोई भी व्यक्ति बीएसएनएल फाइबर कनेक्शन (एफटीटीएच) लेकर अपना स्वरोजगार जन सेवा केंद्र खोल सकता है ।
4. यदि कोई व्यक्ति अपने मोबाइल पर इंटरनेट नहीं उपयोग करना चाहता है केवल फोनकॉल /मैसेज करना चाहता है तो ऐसे बीएसएनएल के ग्राहकों के लिए वर्तमान में STV–439 (असीमित वॉयस कॉल एवं 300 एस एम एस 90 दिनों की वैध्यता के साथ) उपलब्ध है।
5. बीएसएनएल नेटवर्क से संबंधित शिकायत बीएसएनएल ग्राहक केंद्र (कस्टमर केयर) के टोल फ्री नंबर 1503 एवं 18001801503 में दर्ज करा सकते है अथवा निकटतम उप मण्डल अभियन्ता के कार्यालय में संपर्क कर सकते है ।

दूरसंचार विभाग भारत सरकार, क्षेत्रीय इकाई देहरादून।

क्र0 सं0	योजना / सेवा का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	तंरग संचार पोर्टल	तरंग संचार पोर्टल, दूरसंचार विभाग की एक पहल है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को उनके इलाके में मोबाइल टावरों और उनकी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड्स (EMF) उत्सर्जन की सुरक्षा स्थिति के बारे में शिक्षित करना और जानकारी उपलब्ध कराना है। कोई भी इच्छुक नागरिक अपनी लोकेशन दर्ज कराकर या वर्तमान स्थान का चयन कर मानचित्र–आधारित मोबाइल टावरों को ईएमएफ सुरक्षा स्थिति के साथ देख	सभी नागरिक	नागरिक सुविधा का लाभ पोर्टल लिंक के द्वारा ले सकते है। https://tarangsanchar.gov.in/emfportal

		सकते हैं। पोर्टल पर राज्य और वर्ष का चयन कर मोबाइल टावरों की ईएमएफ ऑडिट रिपोर्ट को भी देखा जा सकता है। ऑडिट रिपोर्ट में मोबाइल टावर के पते, उस टावर के लिए मापी गई ईएमएफ वैल्यू, दूरसंचार विभाग की सीमा और अनुपालन स्थिति के बारे में विवरण होता है। इसके अतिरिक्त, इच्छुक नागरिक, 4,000/– रुपये का ऑनलाइन शुल्क देकर किसी भी स्थान पर ईएमएफ माप का अनुरोध कर सकता है। दूरसचार विभाग की स्थानीय फील्ड इकाई स्थान पर जाकर ईएमएफ का परीक्षण करके अनुरोधकर्ता को परीक्षण रिपोर्ट प्रदान करती है। दूरसंचार से संबंधित विषयों जैसे ईएमएफ, मोबाइल नेटवर्क, रेडियो, आदि पर लेख, पुस्तिकाएं और वीडियो इस पोर्टल पर उपलब्ध है।		
2	संचार साथी पोर्टल	संचार सभी पौर्टल मोबाइल ग्राहकों को सशक्त बनाने, उनकी सुरक्षा को मजबूत करने और सरकार की नागरिक केंद्रित पहलो के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दूरसंचार विभाग की एक नागरिक केंद्रित पहल है। संचार साथी में CHAKSHU, CEIR, TAFCOP, KYM, RICWIN, KYI मॉडयूल शामिल है। **i. CHAKSHU** नागरिकों को कॉल, एसएमएस या व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त संदिग्ध या अनचाहे संचार संदेश की रिपोर्ट करने की सुविधा देता है जो साइबर अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी, प्रतिरूपण फर्जी ग्राहक सेवा /लॉटरी ऑफर/ऋण प्रस्ताव/नौकरी की पेशकश/मोबाइल टावर की स्थापना/सेवाओं का वियोग या केवाईसी अपडेट/ऋण आदि या किसी अन्य दुरुपयोग के लिए होते हैं। संदिग्ध धोखाधडी संचार संदेश की ऐसी सक्रिय रिपोर्टिंग दूरसंचार विभाग को साइबर अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी आदि के लिए दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग की रोकथाम में मदद करती है। **ii. CEIR** मॉड्यूल खोए/चोरी हुए मोबाइल डिवाइस का पता लगाने की सुविधा देता है। यह सभी दूरसंचार ऑपरेटरो के नेटवर्क में खोए चोरी हुए मोबाइल डिवाइस को ब्लॉक करने की सुविधा भी देता है ताकि खोए/चोरी हुए डिवाइस का भारत में इस्तेमाल न किया जा सके। अगर कोई ब्लॉक किए गए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, तो उसकी ट्रेसेबिलिटी जेनरेट हो जाती है। एक बार मोबाइल फोन मिल जाने पर इसे नागरिकों द्वारा सामान्य इस्तेमाल के लिए पोर्टल पर अनब्लॉक भी किया जा सकता है। **iii-TAFCOP** मॉडयूल मोबाइल उपभोक्ता को उसके नाम पर लिए गए मोबाइल कनेक्शनों की संख्या की जांच करने की सुविधा देता है। यह उन मोबाइल	सभी नागरिक	नागरिक सुविधा का लाभ पोर्टल लिंक के द्वारा ले सकते है। https://sancharsaathi.gov.in/

		कनेक्शनो की रिपोर्ट करने की सुविधा भी देता है जिनकी या तो जरूरत नहीं है या जो उपभोक्ता ने नहीं लिए है। iv- **KYM** मॉडयूल के जरिए आप अपने मोबाइल डिवाइस को खरीदने से पहले ही उसकी वैधता की जांच कर सकते हैं। मोबाइल पैकेजिंग बॉक्स पर IMEI लिखा होता है. यह मोबाइल बिल / चालान पर पाया जा सकता है। आप अपने मोबाइल से ***#06#** डायल करके भी IMEI नंबर पता कर सकते हैं। यदि मोबाइल की स्थिति ब्लैक लिस्टेड, डुप्लिकेट या पहले से उपयोग में दिखाई दे रही है, तो कृपया मोबाइल खरीदने से बचें। **V- RICWIN** मॉड्यूल नागरिकों को स्थानीय भारतीय नबर (+91–XXXXXXXXXX) के साथ आने वाली अंतर्राष्ट्रीय कॉलों की रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त ऐसी कॉलो की रिपोर्ट नागरिकों द्वारा 1963/1800110420 नंबर डायल करके भी की जा सकती है। ऐसी कॉलों की रिपोर्ट दूरसंचार विभाग को संदिग्ध अवैध दूरसंचार सेटअपों का पता लगाने में मदद करता है, जो सरकारी राजस्व को क्षति पहुंचाते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। **vi- KYI** मॉड्यूल नागरिकों को वायरलाइन इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) के विवरण की जांच करने की सुविधा प्रदान करता है। मॉड्यूल नागरिकों को आईएसपी का पिन कोड, पता या नाम दर्ज करके देश भर में किसी भी आईएसपी की उपस्थिति की खोज करने में सक्षम बनाता है। इंटरनेट सेवाओं से असंतुष्ठ नागरिक अन्य वायरलाइन इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) की जानकारी **KYI** मॉड्यूल से प्राप्त करके इंटरनेट सेवा प्रदाता में बदलाव कर सकते हैं।		
3	**PM-WANI योजना**	सार्वजनिक वाई–फाई नेटवर्क के माध्यम से ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं की सुविधा और रोजगार का अवसर। अधिक जानकारी लिंक**-** https://pmwani.gov.in/wani पर उपलब्ध है।	सभी नागरिक	व्यापार करने में आसानी की सुविधा के लिए और स्थानीय दुकानों और छोटे प्रतिष्ठानों को वाई–फाई प्रदाता बनने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यह अनुमोदित किया गया है कि अंतिम–मील सार्वजनिक वाई–फाई प्रदाताओं को किसी लाइसेंस, पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी और उन्हें

				डीओटी की कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होगी।
4	**राज्यों को दूरसंचार आधारभूत संरचना हेतु विशेष सहायता योजना**	भारत सरकार ने पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता की एक योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य सरकारों को पूंजी निवेश परियोजनाओं के लिए 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्य में दूरसंचार आधारभूत संरचना से संबंधित पूंजीगत कार्यों /परियोजनाओं के लिए, इस योजना के तहत उत्तराखंड को 5000 लाख रुपये आवंटित किये गये हैं।		
5	**मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सुविधा**	मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सुविधा दूरसंचार सेवा उपयोगकर्ता को भौगोलिक क्षेत्र (जैसे दिल्ली से देहरादून) की परवाह किये बिना एक दूरसंचार आपरेटर से दूसरे दूरसंचार आपरेटर पर जाने की अनुमति देती है। यदि कोई ग्राहक अपने वर्तमान टेलीकॉम आपरेटर की सेवाओं से संतुष्ट नहीं है, तो वह अपने मोबाइल नंबर को अपनी पसंद के किसी अन्य सेवाप्रदाता में पोर्ट कर सकता है।	सभी नागरिक	दूरसंचार सेवा उपयोगकर्ता अपनी पसंद के आपरेटर के बिक्री स्थल पर यूपीसी कोड उल्लेखित ग्राहक अधिग्रहण फार्म/पोर्टिंग फार्म एवं जरूरी केवाईसी दस्तावेज जमा करके अपने मोबाइल नंबर पोर्ट करा सकते हैं। यूपीसी कोड जनरेट करने के लिए अपने मोबाइल से **PORT** के बाद एक स्पेस और 10 अंको का मोबाइल नंबर, कोष्टक में, जिसे पोर्ट किया जाना है। कोष्टक बंद लिखकर, 1900 पर एसएमएस करें। यूपीसी कोड सब्सक्राइबर के मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होगा।

भारत सरकार, दूरसंचार विभाग, बेतार अनुश्रवण केन्द्र, देहरादून।

क्र0सं0	योजना / सेवा का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	**सरल संचार पोर्टल (क)**	बेतार अनुश्रवण केंद्र (वायरलेस मॉनिटरिंग स्टेशन) का मुख्य उद्देश्य वायरलेस संचार के प्रभावी प्रबंधन और नियमन को सुनिश्चित करना है। इसके लिए, वे विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों को डीलर पजेशन लाइसेंस (डीपीएल) और गैर–डीलर पजेशन लाइसेंस (एनडीपीएल) जारी करते हैं। डीलर पजेशन लाइसेंस (डीपीएल) वायरलेस उपकरणों की बिक्री, खरीद और कब्जे के लिए जारी किया जाता है। यह लाइसेंस उन संगठनों को दिया जाता है जो वायरलेस उपकरणों की बिक्री और खरीद में शामिल होते हैं। डीपीएल के माध्यम से, बेतार अनुश्रवण केंद्र यह सुनिश्चित करता है कि वायरलेस उपकरणों की बिक्री और खरीद नियमों और विनियमों के अनुसार होती है। गैर–डीलर पजेशन लाइसेंस (एनडीपीएल) उन संगठनों को दिया जाता है जो वायरलेस उपकरणों का उपयोग करते हैं, लेकिन उनकी बिक्री और खरीद में शामिल नहीं होते हैं। एनडीपीएल के माध्यम से, बेतार अनुश्रवण केंद्र यह सुनिश्चित करता है कि वायरलेस उपकरणों का उपयोग नियमों और विनियमों के अनुसार होता है और उनका दुरुपयोग नहीं होता है।	सभी भारतीय नागरिक, सरकारी एवं निजी संगठन	सभी नागरिक सुविधा का लाभ पोर्टल लिंक के द्वारा ले सकते है। https://saralsanchar.gov.in
2	**सरल संचार पोर्टल (ख)**	बेतार अनुश्रवण केंद्र, मासिक एमेच्योर स्टेशन ऑपरेटर सर्टिफिकेट **(ASOC) / HAM** रेडियो परीक्षा आयोजित करता है, जिसमें व्यक्ति सरल संचार पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। बेतार अनुश्रवण केंद्र, शैक्षणिक संस्थानों और भारत स्काउट्स के साथ मिलकर **HAM** रेडियो के महत्व को उजागर करता है, जो आपात स्थिति और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान वायरलेस संचार स्थापना में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अन्य प्रणालियों के विफल होने पर भी कार्यशील रहता है। **HAM** रेडियो ऑपरेटर सेलुलर नेटवर्क अधिभार से स्वतंत्र, दूरस्थ और शहरी दोनों क्षेत्रों में जल्दी से स्टेशन स्थापित कर सकते हैं।		सभी नागरिक सुविधा का लाभ पोर्टल लिंक के द्वारा ले सकते है। https://saralsanchar.gov.in/

		HAM रेडियो की संचार सीमा कई कारकों पर निर्भर करती है, लेकिन सही उपकरण और स्थिति का सही उपयोग करके इसे बढ़ाया जा सकता है। आपके पास सही उपकरण और लाइसेंस होने के बाद विदेशों तक फैल जाती है । सिग्नल कितनी दूरी तय कर सकता है यह कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे ट्रांसमीटर की शक्ति, एंटीना का प्रकार और पर्यावरण की स्थिति।		
3	सरल **संचार** पोर्टल	वायरलेस मॉनिटरिंग स्टेशन (**WMS**) देहरादून, वायरलेस मॉनिटरिंग ऑर्गनाइजेशन का एक फील्ड ऑफिस है, जो दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय के तहत आता है। मार्कहम ग्रांट, देहरादून में स्थित, यह स्टेशन पूरे उत्तराखंड राज्य की सेवा करता है और रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की निगरानी करके नेटवर्क प्रदर्शन को अनुकूलित करता है। वायरलेस मॉनिटरिंग स्टेशन "घनीभूत आवृत्तियाँ" की पहचान करता है, उनमें हस्तक्षेप को कम करता है, और बैंडविड्थ का कुशल प्रबंधन करता है, जिससे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (**AAI**) और इसरो (**ISRO)** जैसी प्रमुख संगठनों के लिए निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित होती हैं। यह स्टेशन सुरक्षित हवाई यात्रा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह महत्वपूर्ण आवृत्तियों को हस्तक्षेप से मुक्त रखता है, हवाई यातायात नियंत्रण और नेविगेशन सहायता का समर्थन करता है, और इसरो के उपग्रह संचार और गहरे अंतरिक्ष मिशनों के लिए आवश्यक विशिष्ट आवृत्ति बैंड की सुरक्षा करता है। टीम स्पेक्ट्रम से संबंधित किसी भी मुद्दे पर त्वरित प्रतिक्रिया देती है, जिससे सभी उपयोगकर्ताओं के लिए एक स्वच्छ और हस्तक्षेप–मुक्त स्पैक्ट्रम बनाए रखा जा सके। भीड़–भाड़ वाले शहरी इलाकों में, अवैध वाइडबैंड बूस्टर, लाइसेंस प्राप्त दूरसंचार नेटवर्क को बाधित करते हैं, जिससे कॉल की गुणवत्ता खराब होती है और इंटरनेट की गति धीमी हो जाती है। WMS सक्रिय रूप से इन उपकरणों की पहचान करता है और उन्हें हटा देता है, जिससे लाखों लोगों के लिए संचार में सुधार होता है और अवैध बूस्टर के नकारात्मक प्रभावों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ती है। इसके अलावा, वायरलेस मॉनिटरिंग स्टेशन देहरादून चीन और नेपाल की सीमाओं पर स्पिलेज सिग्नल की निगरानी और पहचान करता है, और अपनी रिपोर्टिंग मुख्यालय को करता है, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके।	राज्य की सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन	राज्य के सरकारी एवं गैर सरकारी संबंधित विभाग सिग्नल व्यवधान के मामले में समाधान के लिए वायरलेस मॉनिटरिंग मुख्यालय **{Wireless Monitoring Organisation (WMO) and Wireless Planning and Coordination Wing}** से संपर्क कर सकता है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
कार्यालय– कल्याण आयुक्त

संक्षिप्त परिचय – इस कार्यालय का मुख्य कार्य उत्तराखण्ड एवं हिमाचल प्रदेश परिक्षेत्र में स्थित विभिन्न चूना पत्थर एव डोलमाइट खदानों एवं उपभोक्तओं से उपकर संग्रहण कर, उनके पंजीकृत चूना पत्थर एवं डोलमाइट खदान श्रमिकों एवं उनके आश्रितों हेतु विभिन्न योजनायें चलायी चली जाती थी एवं खदान प्रबंधनों को विभिन्न प्रकार के सहायता अनुदान प्रदान किये जाते थे, परन्तु वस्तु एवं सेवा कर (Goods & Service Tax) के क्रियान्वयन के पश्चात् उपकर को वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है, जिसके कारण भारत सरकार द्वारा उपकर संग्रहण का कार्य एवं कई योजनायें बंद कर दी गयी है। वर्तमान में इस कार्यालय के माध्यम से भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा हिमाचल प्रदेश परिक्षेत्र के पंजीकृत चूना पत्थर एवं डोलमाइट खदान श्रमिकों एवं उनके आश्रितों हेतु स्वास्थ्य एवं छात्रवृति योजनायें आदि चलायी जाती हैं।

1. वर्तमान में इस कार्यालय के माध्यम से भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा हिमाचल प्रदेश परिक्षेत्र के पंजीकृत चूना पत्थर एवं डोलमाइट खदान श्रमिकों एवं उनके आश्रितों हेतु उपरोक्त योजनाओं के साथ–साथ उत्तराखण्ड एवं हिमाचल प्रदेश के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्डो द्वारा चलायी जा रही योजनाओं की निगरानी एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु भारत सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं जैसे प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना इत्यादि योजनाओं के पंजीकरण की निगरानी का कार्य किया जाता है।

जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तराखण्ड।

संक्षिप्त परिचय :– भारत की जनगणना, जनगणना अधिनियम, 1948 और जनगणना नियम, 1990 एवं उसके तहत किए गए संशोधनों के कानूनी अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक दस वर्षों के अन्तराल में की जाने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। देश के सभी राज्यों में नियुक्त जनगणना निदेशक, अपने अपने राज्य में जनगणना के कार्य को निर्धारित समय सीमा में सम्पन्न करवाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। जनगणना के अंतर्गत पूरे देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों के मामलों में ग्राम स्तर तक के तथा शहरी क्षेत्रों के मामलों में वार्ड स्तर तक के जनसँख्या से सम्बंधित आंकड़े जैसे आयु, वैवाहिक स्थिति, धर्म, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मातृभाषा, शिक्षा का स्तर, विकलांगता, आर्थिक गतिविधि, प्रवासन, प्रजनन (महिला के लिए) आदि एकत्र किए जाते हैं। ये आंकड़े स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर मानव संसाधनों की स्थिति, जनसांख्यिकी, संस्कृति और आर्थिक संरचना की तस्वीर दर्शाते हैं तथा राष्ट्र के भविष्य की दिशा को निर्देशित करने और आकार देने के लिए अतिमहत्वपूर्ण होते है। सार्वभौमिकता और एकसाथता जनगणना की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। इसलिए, भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश में एक ही समय पर जनसँख्या की सटीक गणना करना एक अभूतपूर्व कार्य है।

भारत में जनगणना कार्य दो चरणों में किया जाता है:– i) मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना तथा ii) जनसंख्या गणना। मकान सूचीकरण और मकानों की गणना के दौरान, सभी भवनों, जनगणना मकानों और परिवारों की पहचान की जाती है और उन्हें संबंधित अनुसूचियों में व्यवस्थित रूप से सूचीबद्ध किया जाता है। यह मानव बस्तियों की स्थितियों, आवास की कमी और फलस्वरूप आवास नीतियों को तैयार करने में ध्यान रखने वाली आवास आवश्यकताओं पर व्यापक डेटा प्रदान करता है। यह परिवारों के लिए उपलब्ध सुविधाओं और संपत्तियों पर डेटा/सूचना की एक विस्तृत श्रृंखला भी

प्रदान करता है। यह चरण मकान सूचीकरण ब्लॉकों के जनसंख्या आकार की अधिक वास्तविकता देते हुए अगले चरण जनसंख्या की गणना के लिए आधार प्रदान करता है| जनगणना का दूसरे चरण, के दौरान प्रत्येक व्यक्ति की गणना की जाती है और उसके व्यक्तिगत विवरण एकत्र किए जाते हैं। किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या केवल जन्म–मृत्यु के आंकडो पर ही नहीं वरन प्रवास के आंकडो से भी प्रभावित होती है तथा जनगणना के अंतर्गत जनसंख्या के साथ–साथ अन्य आंकडों को भी एकत्र किया जाता है, जिस कारण जनगणना प्रति 10 वर्ष में करायी जाती है। आगामी जनगणना में पहली बार जनगणना के आंकड़े डिजिटल रूप से अर्थात् मोबाइल एप पर एकत्र किए जाएंगे। जनगणना के विषय में अधिक जानकारी वेबसाइट www.censusindia.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है|

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर)– का उद्देश्य देश में रहने वाले सामान्य निवासियों का एक व्यापक डेटाबेस तैयार करना है। यह कार्य, नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत बनाए गए नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियम, 2003 के तहत किया जाता है। इससे सरकार को योजनायें और नीतियाँ बनाने में मदद मिलती है तथा साथ ही इसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों जैसे पहचान दस्तावेज जारी करने, मतदाता सूची प्रबंधन और सार्वजानिक वितरण प्रणाली के डेटाबेस को अपडेट करने के लिए भी किया जा सकता है। प्रथम बार वर्ष 2010 में जनगणना के प्रथम चरण के साथ राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के आंकडे भी एकत्रित किये गये थे, जिन्हें वर्ष 2015 में अद्यतन भी किया गया था। परंतु विभिन्न स्तरों पर तैयार किये गये जनसंख्या रजिस्टरों को अधिकारिक तौर पर प्रकाशित नहीं किया गया।

जन्म–मृत्यु पंजीकरण– जन्म, मृत्यु, जन्म और मृत्यु की घटनाएं, घटना के घटित होने के स्थान पर ही पंजीकृत की जा सकती है, जिसके लिए सम्बंधित क्षेत्र के रजिस्ट्रार से संपर्क करना होता है। उत्तराखंड में ग्रामीण क्षेत्रों के मामलों में ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों तथा शहरी क्षेत्रों के मामलों में अधिशासी अधिकारियों/ नगर स्वास्थ्य अधिकारियों को रजिस्ट्रार के तौर पर अधिसूचित किया गया है। घटना की रिपोर्टिंग की सामान्य अवधि उसके घटित होने से 21 दिन है, हालाँकि, आरबीडी अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत विलंबित घटनाओं का पंजीकरण भी किये जाने का प्रावधान है| नागरिक पंजीकरण प्रणाली के तहत जन्म और मृत्यु पंजीकरण, केंद्रीय अधिनियम जन्म और मृत्यु पंजीकरण (आरबीडी), 1969 और मॉडल नियम, 1999 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाने वाला एक निरंतर और स्थायी कार्य है, जिसमें महत्वपूर्ण घटनाओं यानी जन्म, मृत्यु और मृत्यु, जन्म का पंजीकरण किया जाता है उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 02/01/2023 से जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, भारत सरकार द्वारा विकसित किये गए CRS पोर्टल पर एकसमान रूप से किया जा रहा है| जन्म मृत्यु पंजीकरण के विषय में विस्तृत रूप से जानकारी www.dc.crsorgi.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है|

खादी और ग्रामोद्योग आयोग, राज्य कार्यालय देहरादून।

क्र. सं.	योजना / सेवा का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	**खादी विकास योजना** (क) **संशोधित विपणन विकास सहायता (एमएमडीए) वित्तीय सहायता**	एमएमडीए का मुख्य उददेश्य खादी वस्त्रों में प्रौद्योगिकी उन्नयन कर मूल्य वर्धन, क्षमता निर्माण और कारीगरों और कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन देना है। इसके तहत कपास /मलमल, ऊनी और पॉलीवस्त्र के लिए मुख्य लागत पर 35 प्रतिशत और रेशम खादी के लिए मुख्य लागत पर 20 प्रतिशत की दर से संशोधित विपणन विकास सहायता (एमएमडीए) की गणना की जाती है, जिसमें कच्चे माल की लागत+ग्रे कपड़े पर कनवर्जन चार्ज	खादी संस्थाए/समिति/संस्थान (केवीआईसी) से संबद्ध/ पंजीकृत/ खादी संस्था (के आई), राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के केवीआईबी, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के केवीआईबी इकाइयों जिनके पास वैध खादी/पॉलीवस्त्र और खादी मार्क प्रमाण पत्र है तथा जो खादी ग्रामोद्योग आयोग/खादी बोर्ड/बैंक वित्त योजना के अंतर्गत,	केवीआईसी/ केवीआईबी से सम्बद्ध/पंजीकृत खादी संस्था (के आई) आवेदन कर सकते है जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग से प्रमाणित तथा वित्त पोषित हो एवं जिन्हे खादी मार्क प्रमाण पत्र प्राप्त हो तथा कामगारों की मजदूरी DBT के माध्यम से दी गई हो। खादी संस्थाए अन्य सभी शर्तों को पूर्ण करते हुए एमएमडीए पोर्टल के माध्यम से क्लैम प्रस्तुत कर सकते है। **केवीआईसी में सम्बद्ध/ पंजीकरण की प्रक्रिया :–** यदि किसी संस्था को केवीआईसी में सम्बद्ध / पंजीकरण करना हो तो उसके लिए संस्था को सर्वप्रथम आयोग के मॉडल बायलॉज के अनुसार संस्था को सोसाइटी रजिस्ट्रार के यहाँ पंजीकृत कराना होगा जिसमें कम से कम 09 कार्यकारिणी सदस्यों का होना अनिवार्य है,

		तथा बिना मार्जिन के प्रसंस्करण शुल्क शामिल है।	वित्त पोषित हैं, जिसका वार्षिक बजट केवीआईसी द्वारा विधिवत अनुमोदित है।	इनमे से 01 अध्यक्ष, 01 सचिव व 01 कोषाध्यक्ष होना चाहिए। तत्पश्चात आयोग की KVIC वेबसाईट **www.kvic.org.in or www.kviconline.gov.in** पर जाकर **khadi institution registration Sewa"** पर क्लिक कर संस्था का समस्त विवरण अपलोड करना होगा एवं उसकी हार्ड कॉपी दो प्रतियों में उस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आयोग कार्यालय में निर्धारित शुल्क रु. 10,000/= के साथ जमा करनी होगी। आवश्यक दस्तावेजों को जमा करने के पश्चात आयोग द्वारा संबंधित संस्था का स्थलीय भौतिक सत्यापन खादी तकनीकी अधिकारियों द्वारा किया जाता है तत्पश्चात प्रस्ताव आँचलिक खादी प्रमाणपत्र समिति (म.क्षे.) को संस्तुति सहित भेजा जाता है। उक्त समिति द्वारा संस्था को प्रथम अस्थायी प्रमाणपत्र 03 माह के लिए खादी कार्य करने के लिए दिया जाता है। पुनः संस्था का भौतिक सत्यापन किया जाता है। उक्त अवधि में संस्था का खादी कार्य संतोषजनक पाये जाने पर संस्था को पाँच वर्ष के लिए खादी प्रमाणपत्र नवीनीकरण करने हेतु आवेदन करना होता है। **खादी मार्क प्रमाणपत्र बनाने की प्रक्रिया** :– खादी मार्क प्रमाणपत्र की प्रक्रिया तीन श्रेणियों में संपादित की जाती है – 1) लिमिटेड कम्पनीज, प्राइवेट लिमिटेड कम्पनीज पार्टनरशिप फर्म आदि के खादी मार्क प्रमाणपत्र 05 वर्ष के लिए शुल्क रु. 5,00,000/– निर्धारित रखा गया है। 2) खादी संस्थाओं हेतु खादी मार्क प्रमाणपत्र 05 वर्ष के लिए शुल्क रु. 10,000/– निर्धारित रखा गया है। 3) व्यक्तिगत पीएमईजीपी उद्यमी तथा अन्य जो 1) व 2) में नहीं है, हेतु खादी मार्क प्रमाणपत्र 05 वर्ष के लिए शुल्क रु. 25,000/– निर्धारित रखा गया है। खादी मार्क प्रमाणपत्र हेतु आवेदन प्रक्रिया से

				संबंधित विस्तृत विवरण आयोग सर्कुलर standing order no.1724 दि.19.02.2014 तथा शुल्क हेतु सर्कुलर दि.13.03.2023 में उल्लिखित है। **खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट** – खादी संस्थाओं द्वारा ग्राहकों को पूरे वर्ष 10–15% की छूट खादी तथा पॉलीवस्त्रों की खरीद पर दी जाती है तथा 02 अक्टूबर (गांधी जयंती) के शुभ अवसर पर ग्राहकों को 30–35% तक की छूट दी जाती है। **स्कूल के बच्चों हेतु खादी को ड्रेस कोड बनाने पर विचार**– आयोग के ए.टी सप्लाई/खादी ग्रामोद्योग भवनों द्वारा राजकीय कार्यालयों / संस्थाओ /संगठनों के कार्मिकों की ड्रेस कोड एवं स्कूल के बच्चों की ड्रेस कोड में खादी के कपड़ों को शामिल करने का प्रावधान है। आयोग के ए.टी सप्लाई / खादी ग्रामोद्योग भवनों द्वारा समय पर संस्थाओं को खादी आपूर्ति हेतु ऑर्डर दिए जाते है।
	(ख) ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण पत्र योजना (आईसेक)	भारत सरकार द्वारा वास्तविक निधि आवश्यकता और बजटीय स्रोतों से इसकी उपलब्धता में अंतर के भुगतान हेतु बैंकिंग संस्थानों से निधि जुटाने के लिए योजना कार्यान्वत की जा रही है। इसके लिए संस्थाओं को ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया जाता है ।	खादी संस्था किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से बैंक वित्त प्राप्त कर सकते हैं।	खादी और पॉलीवस्त्र कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाले केवीआईसी/केवीआईबी के अंतर्गत सभी पंजीकृत संस्थाए आवेदन कर सकते है। चयन प्रक्रिया निर्धारित सीमा के आधार पर संस्थाए ऋण लेने के लिए बैंकों से संपर्क करती है और बैंक प्रचलित ब्याज दर पर ऋण प्रदान करते हैं। खादी संस्थाए अपनी संपत्तियों को केवीआईसी के पक्ष में सम्यक बंधक करती है और केवीआईसी बदले में, बैंक के लिए प्रतिभू होने के नाते कोलैटरल की रूप में आपसी समझौते के अंतर्गत बैंक को प्रथम चार्ज इन्टर–सी–एग्रीमन्ट के रूप में जारी करता है। खादी संस्था द्वारा लिए गए ऋण सापेक्ष संस्थ, द्वारा कुल ऋण का 4% ब्याज दिया जाता है शेष ब्याज आयोग द्वारा वहन किया जाता है । बैंक से वित्त प्राप्त करने हेतु संस्था के नाम से बैंक को ब्याज उपादान प्रमाणपत्र **(ISEC)** आयोग द्वारा जारी किया जाता है। साथ ही बैंक की मांग पर संस्था की आयोग द्वारा सम्यक प्रॉपर्टी का प्रथम चार्ज **(Inter–se agreement)** बैंक को दिया जाता है। आयोग

				द्वारा जारी ब्याज उपादान प्रमाणपत्र **(ISEC)** के आधार पर बैंक संस्था को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में मदद करता है। खादी संस्था के आवश्यक दस्तावेज जैसे सोसायटी रजिस्ट्रेशन, खादी प्रमाणपत्र तथा खादी मार्क प्रमाणपत्र, आयोग द्वारा स्वीकृत बजट आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होती है ।
	(ग) खादी कारीगरों के लिए वर्क शेड योजना	खादी कारीगरों को अपनी कताई और बुनाई गतिविधियों को कुशलता पूर्वक करने के लिए एक बेहतर कार्यस्थल प्रदान करना और कच्चे माल, उपकरणों, सहायक उपकरणों, अर्ध–तैयार/तैयार माल आदि के लिए भंडारण सुविधा प्रदान कराना है । **वित्तीय सहायता** 1.शौचालयों सहित व्यक्तिगत वर्कशेड 20 वर्ग मीटर निर्माण हेतु रु.1,20,000/– या वर्कशेड की लागत का 75 प्रतिशत (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए वर्कशेड की वास्तविक लागत का 90 प्रतिशत) जो भी कम हो। 2. शौचालयों सहित समूह वर्कशेड (न्यूनतम 5 तथा अधिकतम 15 कारीगर) प्रति कारीगर 10 वर्ग मीटर निर्माण हेतु रु. 80,000/– या वर्कशेड की लागत का 75 प्रतिशत (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए वर्कशेड की वास्तविक लागत का 90 प्रतिशत) जो भी कम हो।	केवीआईसी/राज्य केवीआईबी से संबद्ध खादी संस्थाओं के साथ काम कर रहे कारीगर, अपनी विभागीय गतिविधियों सहित इस योजना के पात्र होंगे। एडब्ल्यूएफटी, एमएमडीए प्रोत्साहन के तहत कवर किए कारीगर, एक वर्ष में कम से कम 100 दिन काम करते हों, बीपीएल श्रेणी को प्राथमिकता दी जाएगी। भूमि का स्वत्वाधिकार कारीगर और उसके पति या पत्नी के नाम पर होना चाहिए या कोई भी पैतृक/पारिवारिक संपत्ति जिसके लिए कानूनी रूप से सहमति प्राप्त की जाती है या कारीगरों को राज्य सरकार/पंचायत आदि द्वारा आबंटित भूमि भी वर्कशेड निर्माण के योग्य होगी।	आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर कामगारों की सम्पूर्ण जानकारी प्रमाणपत्रों सहित संस्थाओं द्वारा आयोग के राज्य/मंडलीय कार्यालयों को भेजी जाती है तत्पश्चात आयोग द्वारा गठित वर्कशेड कमेटी की बैठक मे पात्र कामगारों का चयन किया जाता है। आवेदन का प्रारूप तथा उपलब्ध गाइड लाइन संलग्न **(Annexure-C)** जिस संस्था में कारीगर कार्यरत होता है उस संस्था के द्वारा / माध्यम से ही वर्कशेड निर्माण का कार्य सम्पन्न कराया जाता है ।

			समूह वर्कशेड का निर्माण खादी संस्थाओं के स्वामित्व वाली भूमि पर किया जा सकता है और इसे कम से कम 10 वर्षों की अवधि के लिए कारीगरों को पट्टे पर दिया जाना चाहिए।	
	(घ) मौजूदा कमजोर खादी संस्थाओं के बुनियादी ढांचे का सुदृढीकरण और विपणन बुनियादी ढांचे के लिए सहायता	खादी संस्थाओं के बुनियादी ढांचे का सुदृढीकरण और विपणन बुनियादी ढांचे के लिए यह योजना कमजोर/बीमार/समस्या ग्रस्त/डी–श्रेणी वाले खादी संस्थाओं को आवश्यकता आधारित सहायता प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। **वित्तीय सहायता** 1) मौजूदा कमजोर खादी संस्थाओं के बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण अ)पूंजीगत व्यय– रु.5.75 लाख ब)कार्यशील निधि–रु.9.25 लाख कुल–रु.15.00 लाख 2) विपणन बुनियादी ढांचे के लिए सहायता अ) केवीआईसी के विभागीय केंद्र– सरकारी अनुदान 100 प्रतिशत संस्था का अंशदान–निल ब) केवीआईबी के विभागीय केंद्र– सरकारी अनुदान 85 प्रतिशत संस्था का अंशदान–15 प्रतिशत स) संस्थागत बिक्री केंद्र – सरकारी अनुदान 75 प्रतिशत	पर्याप्त बुनियादी ढांचे वाले खादी संस्थाए जो बीमार/ कमजोर/ समस्या ग्रस्त/डी श्रेणी के संस्थाए जिन्हे नवीनीकरण, मरम्मत, पुनःस्थापन की आवश्यकता है। अनुभवी कारीगरों के साथ, कच्चे माल की खरीद और मजदूरी के भुगतान के लिए धन की आवश्यकता होती है। खादी संस्थाए जो बेहतर कार्य निष्पादन करने के लिए मूल निकाय/पड़ोसी संस्थाओं के साथ कार्य साझेदारी के लिए बातचीत करने के लिए तैयार है। खादी संस्थाए जो आगे कार्यशील पूंजी की आवश्यकता के लिए आईसेक योजना के	आयोग द्वारा निर्धारित प्रोफॉर्मा में आवेदन किया जाता है, उसके बाद आयोग के तकनीकी अधिकारी द्वारा निरीक्षण कर सत्यता रिपोर्ट प्रमाणपत्रों के साथ आयोग द्वारा गठित कमेटी के समक्ष रखी जाती है तथा कमेटी द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। संस्था स्वयं आवेदन करती है आयोग के वित्तीय एवं तकनीकी कार्मिक द्वारा संस्था का भौतिक सत्यापन किया जाता है। जिसके आधार पर गाइडलाइंस के अनुसार संस्था का चयन किया जाता है। संस्था द्वारा आवेदन करने के लिए खादी संस्था के आवश्यक दस्तावेज जैसे– सोसायटी रजिस्ट्रेशन, खादी प्रमाणपत्र तथा खादी मार्क प्रमाणपत्र, आयोग द्वारा स्वीकृत बजट आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होती है ।

		संस्था का अंशदान 25 प्रतिशत	अंतर्गत बैंक वित्त प्राप्त करना चाहती है ।	
	(डं) बाज़ार संवर्धन (प्रदर्शनी)	केवीआईसी केवीआई उत्पादों का विपणन करने एवं लोकप्रिय बनाने हेतु निम्न प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। प्रदर्शनी का स्तर 1. राष्ट्रीय–25 दिन 2. आंचलिक–15 दिन 3. राज्य–10 दिन 4. जिला–07 दिन	आयोजकों हेतु पात्रता मापदंड– राष्ट्रीय, आंचलिक, राज्य और जिला स्तरीय प्रदर्शनी केवीआईसी राज्य कार्यालय/मंडलीय कार्यालय या राज्य केवीआईबी द्वारा आयोजित की जाती है। जिला स्तरीय प्रदर्शनियों का आयोजन खादी संस्थाओं/खादी फेडरेशन के माध्यम से भी किया जा सकता है।	ई – टेन्डर प्रक्रिया के माध्यम से प्रक्रिया की जाती है। **खादी वस्त्रों की मॉडलिंग** – प्रधान कार्यालय, खादी ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई के माध्यम से वस्त्रों की मॉडलिंग हेतु शो जैसे लेक्मे फैशन वीक आदि समय समय पर मुंबई /दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय प्रदर्शनी / ट्रैड फेयर में कराये जाते हैं। राष्ट्रीय, आंचलिक, राज्य और जिला स्तरीय प्रदर्शनियों का आयोजन केवीआईसी राज्य कार्यालय / मंडलीय कार्यालय या राज्य केवीआईबी द्वारा गांधी जयंती के अवसर से शुरू हो जाता है, जिनको राज्यों द्वारा अलग–अलग तिथियों में या किसी विशेष पर्व या मेले के अवसर पर लगाया जाता हैं जैसे कुम्भ मेले, माघ मेले, क्रिसमस ईव तथा नए वर्ष पर आदि।
	(ट) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एस एंड टी) योजना	योजना के अंतर्गत अनुसंधान और विकास कार्यक्रम उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने, कारीगरों की उत्पादकता और कमाई में वृद्धि, मानव श्रम में कमी, नए उत्पादों का विकास और बाजार मांग के अनुसार विविधीकरण तथा स्थानीय कच्चे माल की प्रभावी उपयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए कार्यान्वित किया जाता है।	**पात्र संस्थान** कोई भी प्रमुख तकनीकी संस्थान/विश्वविद्यालय /अनुसंधान एवं विकास संगठन/अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में लगे सरकारी संगठन, डिजाइन विकास/ केवीआईसी/केवीआईबी के प्रत्यक्ष सहायता प्राप्त संस्था और दर्पण पोर्टल के अंतर्गत पंजीकृत गैर सरकारी संगठन। खादी और ग्रामोद्योग मे अनुसंधान मे लगा हुआ व्यक्ति।	आयोग मुख्यालय द्वारा प्रक्रिया संपादित की जाती है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग अनुसंधान में लगे व्यक्ति या संस्थान हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एस एंड टी) योजना के तहत शर्त यह है कि किसी व्यक्ति को अनुदान या सब्सिडी किसी एक मामले में रु 50,000/– से अधिक नहीं होनी चाहिए और किसी संस्थान को किसी एक मामले में रु. 15,00,000/– से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसंधान कार्य के अंतर्गत पहचान किए गए क्षेत्रों को आयोग के विज्ञान और प्रौद्योगिकी परियोजना के तहत विचार के लिए प्रस्तावित किया जा सकता है। इन प्रस्तावों को दिशानिर्देशों में दिए गए निर्धारित प्रोफार्मा में प्रस्तुत करना होता है।

2	**ग्रामोद्योग विकास योजना** **(क) हनी मिशन कार्यक्रम**	मधुमक्खियो के संरक्षण और अप्रयुक्त प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके ग्रामीण व शहरी बेरोजगार युवाओ की आय में वृद्धि करना है। हनी मिशन के तहत प्रत्येक व्यक्ति को 10 बी बॉक्स, मौनवंश, टूल किट सहित कुल लागत का 90 से 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। अनुसूचित जाति/ जनजाति के व्यक्तियों को 90प्रतिशत अनुदान एवं अन्य को 80 प्रतिशत अनुदान एवं बीपीएल श्रेणी को निःशुल्क टूलकिट दी जाती है।	हनी मिशन हेतु पात्रता 1. कोई भी भारतीय नागरिक लाभार्थी हो सकता है। 2. आयुसीमा 18 से 55 वर्ष 3. 10 दिवसीय मधु मक्खीपालन का प्रशिक्षण एसबीईसी/ सीबीआरटीआई /मास्टर ट्रेनर /एनजीओ से लिया जा सकता है। 4. वैध आधार कार्ड/सरकार द्वारा जारी कोई अन्य पहचान पत्र। 5. लाभार्थी/उम्मीदवारों को जन्मतिथि, पता प्रमाण फोटो और मोबाइल नंबर आदि विवरण प्रस्तुत करना होगा। 6. चयनित लाभार्थी को स्वयं के योगदान के भुगतान के साथ–साथ उन्हें प्रदान की गयी मशीनरी, उपकरण और उपकरणों के रखरखाव के लिए स्वघोषित अंडरटेकिंग जमा करनी होगी। 7. एक परिवार से एक व्यक्ति ही सहायता का पात्र है।	स्टाम्प पेपर (नॉन जुडिशियल) पर शपथ पत्र। (जाति प्रमाणपत्र अनिवार्य है)। आवेदन राज्य कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, जी. एम. एस. रोड, कॉवली, देहरादून को निर्धारित प्रारूप में भरकर प्रेषित किया जा सकता है। आवेदन एवं शपथ पत्र का प्रारूप वैबसाइट में उपलब्ध है। आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, फोटोग्राफ, नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र, शैक्षिक योग्यता, बीपीएल, जाति तथा दिव्यांग प्रमाणपत्र यदि लागू है, आदि की आवश्यकता पड़ती है। मधुमक्खियां एवं बॉक्स, टूलकिट खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा जैम पोर्टल मे माध्यम से खरीद कर दिए जाते है। राज्य स्तरीय चयन समिति में आवेदक के चयन के उपरांत 10 दिवसीय मौनपालन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ।

			8. इच्छुक अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की किसी समान योजना से लाभ प्राप्त न किया हो। 9.अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग आवेदकों को कोई प्रशिक्षण शुल्क देय नहीं है अन्य वर्ग के आवेदकों को रु.500/– प्रशिक्षण शुल्क देय है। 10.अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा बीपीएल श्रेणी के लोगों को प्राथमिकता दी जायेगी।	
	(ख) कुम्हार सशक्तिकरण कार्यक्रम	मिट्टी के बर्तन बनाने वाले व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिये रोजगार के अवसर प्रदान करना है। योजना का लाभ लेने हेतु कुम्हारी दक्षता प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये 20 अभ्यर्थियों का एक बैच तैयार कर निःशुल्क प्रशिक्षण देने के उपरांत विद्युत चलित चाक वितरित किये जाते हैं। विद्युत चलित चाक प्राप्त करने के लिए विद्युत चलित चाक की कुल कीमत का 90–80 प्रतिशत अनुदान प्रदान की जाती है। अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को 90 प्रतिशत अनुदान ।	1. कोई भी भारतीय नागरिक लाभार्थी हो सकता है। 2. आयुसीमा 18 से 55 वर्ष 3. खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 10 दिन का निःशुल्क कुम्हारी दक्षता प्रशिक्षण। 4. वैध आधार कार्ड/सरकार द्वारा जारी कोई अन्य पहचान पत्र। 5. लाभार्थी/उम्मीदवारों को जन्मतिथि, पता प्रमाण फोटो और मोबाइल नंबर	50 रु. के स्टाम्प पेपर (नॉन जुडिशियल) पर शपथ पत्र। (जाति प्रमाणपत्र अनिवार्य है) यदि बीपीएल श्रेणी में हो तो बीपीएल प्रमाण पत्र यह प्रशिक्षण 20 व्यक्तियों के बैच में दिया जाता है । व्यक्तिगत प्रशिक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। आवेदन एवं शपथ पत्र का प्रारूप उपलब्ध कराया जाता है। यदि किसी व्यक्ति की आय कम है परंतु बीपीएल प्रमाणपत्र नहीं है तो ऐसी स्थिति में न्यूनतम धनराशि, अन्य पिछड़ा वर्ग / सामान्य वर्ग के लिए मशीनरी / टूल किट के मूल्य का 20 % अंशदान देय होगा। बैंक खाता एवं पैन कार्ड की आवश्यकता नही है।

		अन्य को 80 प्रतिशत अनुदान । बीपीएल कार्ड धारकों को निः शुल्क टूलकिट दी जाती है।	आदि विवरण प्रस्तुत करना होगा। 6. चयनित लाभार्थी को स्वयं के योगदान के भुगतान के साथ–साथ उन्हें प्रदान की गयी मशीनरी, उपकरण और उपकरणों के रखरखाव के लिए स्वघोषित अंडरटेकिंग जमा करनी होगी। 7. एक परिवार से एक व्यक्ति ही सहायता का पात्र है। 8. इच्छुक अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार की किसी समान योजना से लाभ प्राप्त न किया हो। 9. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा बीपीएल श्रेणी के लोगों को प्राथमिकता दी जायेगी।	
	(ग) चर्मशिल्प कार्यक्रम	चर्मशिल्प के अंतर्गत चर्मशिल्पकार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए फुटवेयर टूल किट प्रदान की जाती है। चर्मशिल्पकारो को कुल टूल किट कुल लागत का 90–80 प्रतिशत छूट प्रदान की जाती है । अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को 90 प्रतिशत अनुदान। अन्य को 80 प्रतिशत अनुदान।	1. कोई भी भारतीय नागरिक लाभार्थी हो सकता है। 2. आयुसीमा 18 से 55 वर्ष 3. वैध आधार कार्ड/ सरकार द्वारा जारी कोई अन्य पहचान पत्र। 4. लाभार्थी/उम्मीदवारों	10 रु. के स्टाम्प पेपर (नॉन जुडिशियल) पर शपथ पत्र। (जाति प्रमाणपत्र अनिवार्य है) यदि बीपीएल हों तो बीपीएल प्रमाण पत्र।

		बीपीएल कार्ड धारकों को निः शुल्क टूलकिट दिए जाते है ।	को जन्मतिथि, पता प्रमाण फोटो और मोबाइल नंबर आदि विवरण प्रस्तुत करना होगा। 5. चयनित लाभार्थी को स्वयं के योगदान के भुगतान के साथ–साथ उन्हें प्रदान की गयी मशीनरी, उपकरण और उपकरणों के रखरखाव के लिए स्वघोषित अंडरटेकिंग जमा करनी होगी। 6. एक परिवार से एक व्यक्ति ही सहायता का पात्र है। 7. खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 01 दिन का निःशुल्क क्रैशकोर्स प्रशिक्षण। 8. इच्छुक अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार की किसी समान योजना से लाभ प्राप्त न किया हो। 9. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा बीपीएल श्रेणी के लोगों को प्राथमिकता दी जायेगी।	
	(घ) ग्रामीण इंजीनियरिंग एवम् नवीन	प्रशिक्षण और आधुनिक, बेकार लकड़ी/टर्न वुड क्राफ्ट / लकड़ी के खिलौने से संबंधित मशीने,	1. कोई भी भारतीय नागरिक लाभार्थी हो सकता है।	20 रु. के स्टाम्प पेपर (नॉन जुडिशियल) पर शपथ पत्र। जाति प्रमाणपत्र अनिवार्य है

	प्रोद्यौगिकी उद्योग(आरईए नटीआई)	उपकरण और उत्पाद का विकास करने के साथ–साथ उत्पादन लागत एवं परिश्रम को कम करना। अ)वेस्ट वुड ब)टर्न वुड क्राफ्ट स)वुडन टॉय द)पंचगव्य पर आधारित उत्पाद मशीनें/उपकरण खरीदने हेतु अनुसूचित जाति/ जनजाति के व्यक्तियों को कुल लागत का 80–90 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। अन्य को 80 प्रतिशत अनुदान तथा बीपीएल श्रेणी को निःशुल्क टूलकिट दी जाती है।	2. आयुसीमा 18 से 55 वर्ष 3. वैध आधार कार्ड/ सरकार द्वारा जारी कोई अन्य पहचान पत्र। 4. लाभार्थी/उम्मीदवारों को जन्मतिथि, पता प्रमाण फोटो और मोबाइल नंबर आदि विवरण प्रस्तुत करना होगा। 5. चयनित लाभार्थी को स्वयं के योगदान के भुगतान के साथ–साथ उन्हें प्रदान की गयी मशीनरी, उपकरण और उपकरणों के रखरखाव के लिए स्वघोषित अंडरटेकिंग जमा करनी होगी। 6. वुडक्राफ्ट ट्रेड में आईटीआई प्रमाण पत्र या खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रशिक्षण या मानकों के अनुसार निःशुल्क प्रशिक्षण। 7. इच्छुक अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार की किसी समान योजना से लाभ प्राप्त न किया हो। 8. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा बीपीएल श्रेणी के लोगों	

			को प्राथमिकता दी जायेगी।	
3	**सेवा उद्योग (एसआई) प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, मोबाइल रिपेयरिंग, एसी रिपेयरिंग तथा सिलाई मशीन ऑपरेटर योजना**	योजना के तहत केवीआईसी द्वारा प्लम्बर तथा इलेक्ट्रिशियन का कार्य करने वाले व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाना एवं व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्लमबिंग, इलेक्ट्रिकल, मोबाइल रिपेयरिंग, एसी रिपेयरिंग तथा सिलाई मशीन ऑपरेटर हेतु टूल किट प्रदान करना। प्लमबिग तथा इलेक्ट्रिकल टूल किट प्राप्त करने के लिए कुल लागत का 80 से 90प्रतिशत तक अनुदान प्रदान किया जाता है । अनुसूचित जाति/ जनजाति के व्यक्तियों को 90 प्रतिशत अनुदान । अन्य को 80 प्रतिशत अनुदान तथा बीपीएल श्रेणी को निशुल्क टूलकिट दी जाती है।	1. कोई भी भारतीय नागरिक लाभार्थी हो सकता है। 2. आयुसीमा 18 से 55 वर्ष 3. वैध आधार कार्ड/ सरकार द्वारा जारी कोई अन्य पहचान पत्र। 4. लाभार्थी/उम्मीदवारों को जन्मतिथि, पता प्रमाण फोटो और मोबाइल नंबर आदि विवरण प्रस्तुत करना होगा। 5. चयनित लाभार्थी को स्वयं के योगदान के भुगतान के साथ–साथ उन्हें प्रदान की गयी मशीनरी, उपकरण और उपकरणों के रखरखाव के लिए स्वघोषित अंडरटेकिंग जमा करनी होगी। 6. एक परिवार से एक ही व्यक्ति सहायता का पात्र है। 7. 15 दिन का निःशुल्क तकनीकी प्रशिक्षण। 8. इच्छुक अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार की किसी समान योजना से लाभ	स्टाम्प पेपर (नॉन जुडिशियल) पर शपथ पत्र। जाति प्रमाणपत्र अनिवार्य है। आवेदन राज्य आयोग, जी. कार्यालय खादी और ग्रामोद्योग एम. एस. रोड, कॉवली, देहरादून निर्धारित प्रारूप में भरकर प्रेषित किया जा सकता है । आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, फोटोग्राफ, नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र, शैक्षिक योग्यता, बीपीएल, जाति तथा दिव्यांग प्रमाणपत्र यदि लागू है आदि की आवश्यकता पड़ती है । खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा जैम पोर्टल के माध्यम से प्लम्बिंग / इलेक्ट्रिकल के टूलकिट खरीद कर दिए – जाते है।

			प्राप्त न किया हो। 9. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा बीपीएल श्रेणी के लोगों को प्राथमिकता दी जायेगी।	
4	**प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना**	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत नए सूक्ष्म उद्यमों (इकाइयों) की स्थापना के लिए सरकारी सब्सिडी स्तर 1)सामान्य श्रेणी लाभार्थी का अंशदान 10प्रतिशत सब्सिडी की दर शहरी 15 प्रतिशत ग्रामीण 25 प्रतिशत 2)विशेष श्रेणी (अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग , अल्पसंख्यक, महिला, भूत पूर्व सैनिक, ट्रांसजेन्डर, दिव्यांग, पूर्वोत्तर क्षेत्र, आकांक्षी जिले, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्र (सरकार द्वारा अधिसूचित) लाभार्थी का अंशदान 05 प्रतिशत सब्सिडी की दर शहरी 25 प्रतिशत ग्रामीण 35 प्रतिशत। योजना के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में नई ग्रामोद्योग परियोजनाएं उत्पादन/ सेवा उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। पूर्व स्थापित उद्योगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अधिकतम परियोजना आकार– विनिर्माण क्षेत्र के लिए रु. 50.00 लाख और सेवा क्षेत्र के लिए	यह क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिये गैर–कृषि क्षेत्र मे सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना को विलय करके वर्ष 2008 से पीएमईजीपी योजना शुरू की गयी है। **पात्रता –** 1. 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति पात्र होगा। 2. विनिर्माण क्षेत्र के लिए रु.10.00 लाख और सेवा क्षेत्र के लिए रु.5.00 लाख से अधिक की परियोजना लागत के लिए न्यूनतम योग्यता 8 वी कक्षा पास होनी चाहिए। 3. अपेक्षित दस्तावेज – फोटो, आधार कार्ड,	आवेदक पीएमईजीपी के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सभी अपेक्षित दस्तावेजों को अपलोड करते हुए KVIC,KVIB एव DIC को आवेदन कर सकते है। **लाभार्थियों का चयन**– लाभार्थियों की पहचान राज्य/जिला स्तर की कार्यान्वयन एजेंसियों और बैंको द्वारा समन्वय के साथ जिला स्तर पर की जाती है तथा साथ ही समय समय पर जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किये जाते हैं। आईबीए के परामर्श से केवीआईसी ने एक स्कोरिंग मॉडल (स्कोर कार्ड) तैयार किया है। जिसका उपयोग पीएमईजीपी प्रस्तावों के मूल्यांकन और बाद में बैंको को आवेदनों/प्रस्तावों को अग्रेषित करने के लिए किया जाता है। **परियोजना स्वीकृति–** परियोजनाओं की तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता के अनुसार वित्तीय बैंको द्वारा स्वीकृति दी जाएगी और प्रत्येक परियोजना के लिए बैंक अपनी क्रेडिट निर्णय स्वयं लेंगे । आवेदन करने के उपरांत क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा स्क्रूटिनी के उपरांत संबंधित बैंक शाखा को आवेदन अग्रसारित किया जाता है, जिसका वित्तीय बैंक शाखा द्वारा ऋण स्वीकृत किया जाता है। ऋण स्वीकृत होने के पश्चात आवेदक द्वारा ईडीपी प्रशिक्षण लिया जाता है। ईडीपी प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत वित्तीय बैंक शाखा द्वारा प्रथम किस्त जो कि मार्जिन मनी के समतुल्य या अधिक हो, निर्गत किया जाता है। प्रथम किस्त निर्गत होने के उपरांत वित्तीय बैंक शाखा द्वारा मार्जिन मनी क्लैम पीएमईजीपी पोर्टल पर मार्जिन मनी क्लैम किया जाता है।

		रु.20.00 लाख।	परियोजना प्रस्ताव, आबादी प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता व तकनीकी योग्यता प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र । **पात्र गतिविधियां** खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा जारी नकारात्मक सूची में प्रकाशित उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योग इस योजना के अंतर्गत स्थापित किए जा सकेंगे।	बैंक द्वारा क्लैम करने के उपरांत मार्जिन मनी (सब्सिडी) की धनराशि बैंक को प्राप्त होती है जिसे बैंक फिक्स्ड डिपोजिट कर देती है, जिस पर किसी प्रकार का ब्याज अनुमन्य नहीं होता है। परियोजना का कार्य तीन वर्ष पूर्ण होने के उपरांत आयोग द्वारा हायर की गई ऐजन्सी द्वारा इकाई की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा वित्त पोषित बैंक शाखा को मार्जिन मनी समायोजन पत्र जारी किया जाता है, जिसके आधार पर वित्तीय बैंक शाखा द्वारा मार्जिन मनी अनुदान राशि को लाभार्थी के ऋण खाते में समायोजित किया जाता है।
5	**परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु निधि की योजना** (स्फूर्ति)	परंपरागत उद्योगों के पुर्नसृजन हेतु निधि की योजना (स्फूर्ति) वित्तीय सहायता 1)नियमित क्लस्टर – 500 कारीगरों तक वित्तीय सहायता– रु. 2.50 करोड़ 2) प्रमुख क्लस्टर – 500 से अधिक कारीगर वित्तीय सहायता – रु.5.00 करोड़ पारंपरिक उद्योगों और कारीगरों को क्लस्टरों में संगठित करना ताकि उन्हे प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके और उनकी दीर्घकालिक स्थिरता के लिए सहायता प्रदान कर पारंपरिक उद्योग कारीगरों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए स्थायी रोजगार प्रदान करना है।	कार्यान्वयन अभिकरणों (आईए) में गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ), केंद्र और राज्य सरकारों की संस्थाए और अर्ध सरकारी संस्थाए, राज्य और केंद्र सरकार के क्षेत्रीय कार्यकर्ता, पंचायती राज संस्थाएं, पंजीकृत उत्पादक समूह आदि शामिल होंगे, जिनके पास क्लस्टर विकास करने के किए उपयुक्त विशेषज्ञता होगी। भूमि लाने की जिम्मेदारी आईए की होगी। योजना निधि का उपयोग भूमि अधिप्राप्ति के	योजना के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करने में रुचि रखने वाले किसी भी कार्यान्वयन अभिकरणों (आईए) को पहले स्फूर्ति पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेजों और ऑनलाइन स्कोर कार्ड के साथ एक कान्सेप्ट नोट ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा। बुनियादी मापदंडों को पूरा करने वाले प्रस्ताव को आईए द्वारा चुने गए नोडल अभिकरण (एनए) को प्रस्तुत किया जाएगा। एनए प्रस्तुत दस्तावेजों के साथ अग्रेषित प्रस्ताव की जांच कर, अंतिम स्कोर को भी स्वीकृति प्रदान करेगा। एनए न्यूनतम मापदंडों को पूरा करने वाले प्रस्ताव को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर), जोकि तकनीकी एजेंसी द्वारा तैयार की जाती है, स्वीकार की जाती है। कारीगरों का संयुक्त भौतिक सत्यापन एमएसएमई और एनए द्वारा किया जाएगा। एमएसएमई डीपीआर के अनुसार प्रस्तावित क्लस्टर की व्यवहार्यता को स्वीकृति प्रदान करेगा और नोडल अभिकरण (एनए) को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। डीपीआर की जांच एनए की प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा की जाएगी। यदि प्रस्ताव योजना के मापदंडों को पूर्ण

			लिए नहीं किया जाएगा।	करता है तो इसे योजना संचालन समिति (एसएससी) के समक्ष रखने की सिफारिश के साथ मंत्रालय स्वीकृति हेतु भेज दिया जाता है।
6	**क्षमता निर्माण और कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम केवीआईसी**	केवीआईसी द्वारा कारीगरों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के साथ–साथ विभिन्न उद्योगों में कारीगरों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विभागीय और गैर–विभागीय प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किए जाने हेतु कौशल विकास कार्यक्रमो का संचालित किया जा रहा है। ये प्रशिक्षण केंद्र विभिन्न क्षेत्रों जैसे– साबुन और डिटरजेन्ट बनाना, खाद्य पदार्थ, बेकरी उत्पादन, रेडिमेड परिधान बनाना, मधुमक्खी पालन, अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना, मोटर बाइंडिग आदि में आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।	**पात्रता** 1. आयुसीमा 16 से 50 वर्ष के व्यक्ति 2. आवेदक का आधार कार्ड 3. शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र 4. जन्मतिथि संबंधित प्रमाण पत्र	प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण लेने के लिए पंजीकरण शुल्क रु.50.00 रखा गया है। कौशल विकास कार्यक्रम के तहत 1 सप्ताह, 2सप्ताह, 1 माह, 2 माह तथा 3 माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं, जिसके लिए अलग–अलग शुल्क निर्धारित किया गया है। सरकारी विभागों से एवं विशेष मांग पर आयोजित प्रशिक्षण हेतु शुल्क अलग से निर्धारित किया जाता है।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, देहरादून (NHB)

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के बारे में: राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में भारत सरकार द्वारा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी और सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। वर्तमान में, NHB के पूरे देश में 29 क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हैं। बोर्ड के व्यापक लक्ष्य और उद्देश्य एकीकृत हाई–टेक वाणिज्यिक बागवानी के लिए उत्पादन क्लस्टर/हब विकसित करना, फसल कटाई के बाद और कोल्ड चेन बुनियादी ढांचे का विकास, गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना और नई प्रौद्योगिकियों/उपकरणों/तकनीकों को अपनाने को बढ़ावा देना है।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड योजनाओं के लक्ष्य और उद्देश्य

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का मुख्य उद्देश्य बागवानी उद्योग के एकीकृत विकास में सुधार करना और फलों और सब्जियों के उत्पादन और प्रसंस्करण के समन्वय, रखरखाव में मदद करना है।

बोर्ड के विस्तृत उद्देश्य इस प्रकार हैं:–

1. **चिन्हित बेल्टों में हाई–**टेक वाणिज्यिक बागवानी का विकास और ऐसे क्षेत्रों को बागवानी गतिविधि से जीवंत बनाना, जो बदले में बागवानी के विकास के लिए केंद्र के रूप में कार्य करेगा।
2. क्षेत्र विस्तार परियोजनाओं के अभिन्न अंग के रूप में या परियोजनाओं के समूह के लिए सामान्य सुविधा के रूप में आधुनिक फसलोत्तर प्रबंधन बुनियादी ढांचे का विकास।
3. ताजा बागवानी उपज के लिए एकीकृत, ऊर्जा कुशल कोल्ड चेन बुनियादी ढांचे का विकास।
   राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड सब्सिडी के माध्यम से बागवानी के एकीकृत विकास के लिए किसानों और उद्यमियों का समर्थन करता है।

- राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड सब्सिडी क्रेडिट लिंक्ड और बैक एंडेड है।
- भूमि पूर्व–आवश्यकतारू आवेदक (ओं) का स्वामित्व या आवेदन की तारीख से न्यूनतम 10 वर्षों के लिए पंजीकृत पट्टा।
- ग्रांट ऑफ क्लीयरेंस (जीओसी) और लीयर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन छोड़कर किया गया है और स्कीम नंबर 1 और 2 के लिए अनिवार्य है।

<u>**उत्तराखंड में बागवानी**</u>

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड देहरादून का;ल; की स्थापना 2001 में की गई थी। बागवानी उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक है। राज्य में उगाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय फल लीची, आम, अमरूद, आंवला और खट्टे फल हैं, शीतोष्ण फल सेब, नाशपाती, आड़ू, बेर, खुबानी और अखरोट हैं। CEICdata-com पर बताए गए आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2022 में उत्तराखंड में बागवानी फसलों का क्षेत्रफल 296.390 हेक्टेयर था।

बागवानी उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक है। अपनी विविध कृषि–जलवायु परिस्थितियों और स्थलाकृति के कारण राज्य में बागवानी की काफी संभावनाएं हैं। राज्य लीची, आम, अमरूद, आंवला और नींबू जैसे उष्णकटिबंधीय फलों और सेब, नाशपाती, आड़ू, बेर, खुबानी और अखरोट जैसे शीतोष्ण फलों के उत्पादन के लिए जाना जाता है।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार				
क. सं	**परियोजना/योजना का नाम**	**लाभ**	**पात्रता**	**आवदेन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया**
1	योजना सं .1 बागवानी फसलों के उत्पादन और फसलकटाई उपरांत प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास			परियोजना के आवदेन ऑनलाइन स्वीकार किये जाते हैं जोकि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की वेबसाइट – www.nhb.gov.in पर किये जा सकते हैं। एनएचबी के योजना दिशानिर्देशों में संशोधन, जिसमें इसके कार्यान्वयन डिजाइन, दस्तावेज़ीकरण और मंजूरी प्रक्रिया शामिल है एनएचबी की योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक बैंक द्वारा सावधि ऋण की मंजूरी के बाद सीधे एनएचबी को क्लीयरेंस (जीओसी) के लिए आवेदन कर सकेगा। एनएचबी को ऑनलाइन जीओसी आवेदन की तारीख से एक

	परियोजना मोड पर खुली क्षेत्र की परिस्थितियों में वाणिज्यिक बागवानी विकास	**सहायता का पैटर्न:** पूर्वोत्तर, पहाड़ी और अनुसूचित क्षेत्रों में प्रति परियोजना 37.5 लाख रुपये तक सीमित कुल परियोजना लागत का 50% क्रेडिट लिंक्ड बैंक–एडेड सब्सिडी।	**गतिविधियां** :–2.00 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को कवर करने वाली परियोजनाओं के लिए परियोजना मोड पर खुले क्षेत्र की स्थिति, जिसमें से घटक जैसे रोपण सामग्री, वृक्षारोपण, उर्वरता, सिंचाई, मशीनीकरण, सटीक खेती, जीएपी, भूमि विकास, स्टोर रूम और श्रमिक क्वार्टर आदि शामिल हैं। (5 एकड़)। **योग्य फसलें:** आंवला, बादाम, सेब, खुबानी, केला, बेर, नीबू, नीबू, मंदारिन संतरा, मीठा संतरा, कस्टर्ड सेब, अंजीर, अंगूर, अमरूद, कीवी, आम, पपीता, पैशन फ्रूट, आड़ू, नाशपाती, अनानास, बेर, अनार, चीकू, स्ट्रॉबेरी, अखरोट, कटहल, काजू, नारियल, जैतून, खजूर, काली मिर्च, इलायची, सिट्रोनेला, जिरेनियम, स्टीविया, पामोरासा, पुदीना, अजवाइन और इमली।	महीने के भीतर स्वीकृत सावधि ऋण को वैध माना जाएगा, हालाकि, सावधि ऋण का वितरण और परियोजना की शुरुआत एनएचबी द्वारा जीओसी जारी करने के बाद ही की जाएगी। जीओसी टर्म लोन की पहली किस्त के वितरण और परियोजना की शुरुआत के लिए 3 महीने के लिए वैध होगी। तदनुसार, एनएचबी में आवेदनों को निम्नलिखित तरीके से निपटाया जाएगा। **1) Grant of क्लीयरेंस (जीओसी) –** आवेदक को जीओसी के लिए एनएचबी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा और जीओसी के लिए आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे: – एक। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और एनएचबी के निर्धारित टेम्पलेट में सुझाई गई जानकारी ही अनिवार्य होगी। बी। भार–मुक्ति प्रमाणपत्रप के साथ परियोजना भूमि दस्तावेज़ सी। बैंक स्वीकृति पत्र डी। बैंक मूल्यांकन नोट इ। वचनपत्र (निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र का हिस्सा होगा) आवेदन जमा होने के बाद, आवेदक को वित्तपोषण करने वाले बैंक को उत्तर/पुष्टि लिंक के साथ एक ईमेल भेजा जाएगा। संबंधित बैंक को दस्तावेजों की प्रामाणिकता की पुष्टि ऑनलाइन करनी होगी। बैंक द्वारा दस्तावेजों की पुष्टि पर रासेज़ किया गया। बैंक मंजूरी पत्र, मूल्यांकन नोट और भूमि दस्तावेज आदि, एनएचबी जीओसी जारी करेगा। GoC के लिए स्थान के निरीक्षण के चरण को मोबाइल ऐप आधारित स्व–निरीक्षण से बदल दिया

				जाएगा। जेआईटी के दौरान, जियो लोकेशन/फेंसिंग आदि जैसे मोबाइल ऐप के माध्यम से पहले कैप्चर किए गए विवरण को सत्यापित किया जाएगा। सब्सिडी दावा दस्तावेज भी बैंक/आवेदक द्वारा ऑनलाइन जमा किए जाएंगे। कोल्ड स्टोरेज/रिपनिंग चैंबर और संरक्षित संरचना के लिए तकनीकी डेटा शीट का हिस्सा होगी। कोल्ड स्टोरेज और राइपनिंग चैंबर के लिए बुनियादी डेटाशीट की जांच एनएचबी द्वारा जीओसी से पहले एनसीसीडी द्वारा की जाएगी। जीओसी पत्र में यह उल्लेख किया जाएगा कि आवेदक एनएचबी द्वारा निर्धारित मौजूदा मानकों/विनिर्देशों के अनुसार कोल्ड स्टोरेज/रिपनिंग चैंबर /ग्रीन हाउस का निर्माण करेगा। कानूनी इकाई के मामले में पंजीकरण प्रमाणपत्र/डीड डीपीआर का हिस्सा होगा। एनएचबी परियोजना दस्तावेजों की जांच के लिए वित्तपोषण करने वाले बैंकों पर निर्भर करेगा। **(2) आराम पत्र (एलओसी)** ● इच्छुक आवेदकों को उनके प्रस्तावित प्रोजेक्ट के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से सावधि ऋण स्वीकृत कराने में सुविधा प्रदान करने के लिए आईपीए प्रणाली को लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) से बदल दिया जाएगा। हालाँकि, आईपीए के विपरीत एलओसी अनिवार्य नहीं है और यह केवल उन लोगों को जारी किया जाएगा जो प्रस्तावित सुरक्षा के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थानों से अपना सावधि ऋण स्वीकृत कराने के लिए एक सुविधा पत्र चाहते

				हैं। ● आवेदक एलओसी के लिए एनएचई को ऑनलाइन आवेदन करेगा और एलओसी के लिए आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे। 1 –विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और एनएचबी के निर्धारित टेम्पलेट में सुझाई गई जानकारी ही अनिवार्य होगी। ● 2 –परियोजना भूमि दस्तावेज़ ● एनएचआर द्वारा जारी एलओसी की वैधता 6 महीने तक होगी, जिसे आसानी के आधार पर उचित कारणों के आधार पर 3 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। आवेदक को प्रस्तावित परियोजना के लिए 6 महीने की वैधता अवधि के भीतर सावधि ऋण स्वीकृत कराना होगा। ● बैंक/एफआई से सावधि ऋण स्वीकृत होने के बाद, आवेदक क्लीयरेंस अनुदान जारी करने के लिए एनएचबी से अनुरोध करेगा। आवेदन करने की प्रक्रिया जीओसी वही रहेगी जो ऊपर बताई गई है।
2	परियोजना मोड पर संरक्षित कवर में वाणिज्यिक बागवानी विकास	**सहायता का पैटर्न:** ग्रीन हाउस, शेड नेट हाउस, प्लास्टिक टनल, एंटी बर्ड/हेल नेट और रोपण की लागत के लिए स्वीकार्य लागत मानदंडों के अनुसार कुल परियोजना लागत का 50 प्रतिशत क्रेडिट लिंक्ड	**गतिविधियाँ:–** 2500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र वाली परियोजनाओं के लिए रोपण सामग्री, वृक्षारोपण, सिंचाई, उर्वरता, मशीनीकरण आदि घटकों सहित परियोजना मोड पर संरक्षित कवर के तहत परियोजनाएं। **पात्र फसलें:** फूलः	

		बैंक एंड सब्सिडी प्रति प्रोजेक्ट 56.00 लाख रुपये तक सीमित है।	एन्थ्यूरियम, गुलाब, ऑर्किड, लिलियम, गुलदाउदी, कार्नेशन और जरबेरा। बी। सब्जियाँः उच्च मूल्य वाली सब्जियाँः शिमला मिर्च, ककड़ी, टमाटर।	
3	समेकित फसल उपरान्त कटाई प्रबंधन परियोजनाएं	सहायता का पैटर्न: पूर्वोत्तर, पहाड़ी और अनुसूचित क्षेत्रों में प्रति परियोजना 72.50 लाख रुपये तक सीमित कुल परियोजना लागत का 50% क्रेडिट लिंक्ड बैंक–एडेड सब्सिडी।	गतिविधियांः पैक हाउस, रिपनिंग चैंबर, रेफर वैन, रिटेल आउटलेट, प्री–कूलिंग यूनिट, प्रसंस्करण प्राथमिक आदि से संबंधित परियोजनाएं। लागत मानदंड:– पैक हाउस 4 रुपये/यूनिट लाख 9 एमएक्स 6 एम के साथ @ 50% सब्सिडी, इंटीग्रेटेड पैक हाउस 50 लाख रुपये@यूनिट 9 एमएक्स 18एम के साथ @ 50% सब्सिडी, राइपनिंग चौंबर 1 लाख रुपये/एमटी @ 50% सब्सिडी, रेफर वैन– 25 लाख रुपये / 50% सब्सिडी, रिटेल आउटलेट 15 लाख रुपये/यूनिट / 50% सब्सिडी, प्री–कूलिंग	

			यूनिट – 25 लाख रुपये/6MT / 50% सब्सिडी, कोल्ड रूम 15 लाख रुपये/30MT 50% सब्सिडी प्राथमिक प्रसंस्करण 25 लाख रुपये/यूनिट / 50% सब्सिडी	
2	**योजना सं 2** बागवानी उत्पाद के लिए शीत संग्रहगार और संग्रहगारों के निर्माण आधुनिकीकरण के/विस्तार/ सब्सिडी योजना लिए पूंजी निवेश	सहायता का पैटर्नः पूर्वोत्तर, पहाड़ी और अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजना की पूंजी लागत के 50% की रूप में सहायता दी जाएगी। **लागत मानदंड:** **क्र.सं. विवरण लागत मानदंड** 1. कोल्ड स्टोरेज इकाइयां टाइप 1 एकल तापमान क्षेत्र के साथ > 250 मीट्रिक टन) प्रकार के बड़े कक्ष के साथ की बुनियादी मेजेनाइन है। ● संरचना @रु. 5000 मीट्रिक टन तक की क्षमता के लिए 8000/ मीट्रिक	योजना संख्याः बागवानी उपज के लिए कोल्ड स्टोरेज और भंडारण के निर्माण/ विस्तार/ आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश दर से सब्सिडी के सब्सिडी योजना। घटक और क्षमताः नियंत्रित वातावरण (सीए) और उनके आधुनिकीकरण सहित कोल्ड स्टोरेज से संबंधित क्रेडिट लिंक्ड परियोजनाएं इस घटक के तहत सहायता के लिए पात्र हैं और 5001 मीट्रिक टन से ऊपर की भंडारण क्षमता से लेकर 10000 मीट्रिक टन तक भंडारण क्षमता है।	

		टन। • @ रु. 5001 से 6500 मीट्रिक टन के बीच क्षमता के लिए 7600/ मीट्रिक टन। • @ रु. 6501 से 8000 मीट्रिक टन के बीच क्षमता के लिए 7200/MTI • @ रु. 8001 से 10000 मीट्रिक टन के बीच क्षमता के लिए 6800/MTI 2. कोल्ड स्टोरेज इकाइयां टाइप 2 कई तापमान और उत्पाद उपयोग के लिए प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग (पीईबी) प्रकार, 250 मीट्रिक टन से कम के 6 से अधिक कक्ष और बुनियादी सामग्री हैंडलिंग उपकरण • @ रु 5000 मीट्रिक टन तक की क्षमता के लिए मीट्रिक टन । 10000/ मीट्रिक टन • @ रु. 5001 से		

		6500 मीट्रिक टन के बीच क्षमता के लिए 9500 / मीट्रिक टन । • 6501 से 8000 मीट्रिक टन के बीच क्षमता के लिए रु. 9000 / एमटी की दर से। • 8001 से 10000 मीट्रिक टन के बीच क्षमता के लिए रु. 8500 / MT की दर से।		
3	**बागवानी को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी विकास और हस्तांतरण**	नर्सरी पंजीकरण एवं नवीनीकरण / जागरुकता कार्यक्रम / प्रर्दशनी आदि	पात्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान, आईसीएआर / एससयू / सीएयू / सरकारी एजेंसिया	

रेशमकीट बीज उत्पादन केंद्र (CSB)
राष्ट्रीय रेशमकीट बीज संगठन , भारत सरकार , प्रेमनगर देहरादून

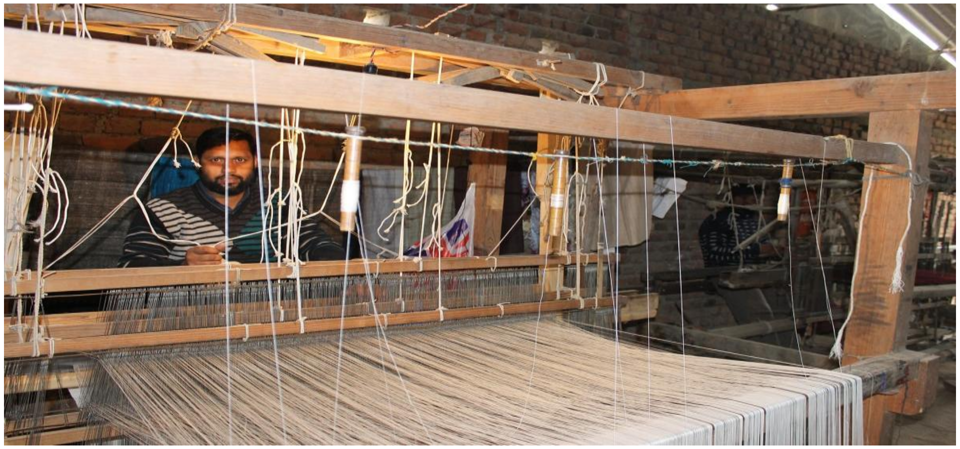

योजना एवं सेवा का नाम	लाभार्थी	पात्रता आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
द्विपज संकर बीज का उत्पादन एवं आपूर्ति	केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अधीनस्थ रेशमकीट बीज उत्पादन केंद्र, राष्ट्रीय रेशमकीट बीज उत्पादन केंद्र द्वारा द्विपज संकर बीज का उत्पादन किया जाता है । इस केंद्र द्वारा उत्पादित रेशमकीट बीज को उत्पादन के उपरान्त इस केंद्र पर उपलब्ध शीतागार (Cold storage Plant) में रखा जाता है एवं आवश्यकतानुसार रेशमकीट बीज को उत्तराखण्ड, उत्तरप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं जम्मू कश्मीर के रेशमकीट पालकों को आपूर्ति की जाती है । इस केंद्र द्वारा साल में लगभग 10 लाख द्विपज संकर बीज का उत्पादन किया जाता है। रेशमकीट बीज उत्पादन केंद्र का मुख्य कार्य राज्य रेशम विभाग को द्विपज संकर बीज की आपूर्ति कराना है। राज्य रेशम विभाग संकर बीजों को अपने प्रदेश के रेशम कीटपालको को आपूर्ति करते है। इन बीजों से रेशमकीट पालको द्वारा कोकून को उत्पादित कर रेशम की पैदावार की जाती है। इस प्रकार इस केन्द्र द्वारा उत्तर भारत के प्रदेशों को रेशमकीट बीज की आपूर्ति कर रेशमकीट पालकों की आमदनी एवं रोजगार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रेशमकीट पालकों उत्पादित कोया द्वारा ही रेशम का उत्पादन किया जाता है ।	राज्य रेशम विभाग द्वारा बीज उत्पादक / चौकी कीट पालक व बीज कोया उत्पादक का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। केन्दीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 2006 (संशोधन) को पारित करके केन्दीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 में रेशमकीट बीज सेक्टर के लिए गुणवत्ता सुधार लागू किय गये है। केंद्रीय बीज अधिनियम के अनुसार समस्त बीज उत्पादकों / चौकी कीट पालक व बीज कोया उत्पादको को प्रपत्र–12ए , 12बी , 12सी में आवेदन प्रस्तुत करना है। आवेदन पत्र की जानकारी केन्दीय रेशम बोर्ड बैंगलोर एवं राष्ट्रीय रेशमकीट बीज संगठन के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन केन्दीय रेशम बोर्ड के Website: csb.gov.in के माध्यम से किया जाता है।

भारतीय खान ब्यूरो देहरादून। (IBM)

संक्षिप्त परिचय :— भारतीय खान ब्यूरो का देहरादून कार्यालय एक आंचलिक कार्यालय हैं इस कार्यालय का अधिकार—क्षेत्र जम्मू कश्मीर, लेह, दिल्ली, चंडीगढ, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड एवं उत्तराखण्ड देहरादून अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली खानों में खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम 1957 के अनुरूप व्यवस्थित विकास, खनिजों के संरक्षण और खानों में पर्यावरण की सुरक्षा, पूर्वेक्षण और खनन, निम्न ग्रेड और अस्वीकृत खनिजों का उपयोग, खनन क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण, लाभकारी खनिजों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी अपनाये जाने के संबंध में खान मालिकों को सलाह दी जाती है।

यदि किसी क्षेत्र में रेत, बजरी एवं अन्य प्रकार का खनन होता है तथा आसपास के पर्यावरण को हानि होती है तो उससे सम्बन्धित शिकायत करने हेतु खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 23 सी के अनुसार, राज्य सरकारें किसी भी अवैध खनन के मामलों में कार्रवाई करने के लिए अधिकृत और जिम्मेदार है। इसके अलावा रेत और बजरी गौण खनिज होने के कारण विशेष रूप से राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। हालांकि, केंद्र सरकार ने व्यवस्थित और वैज्ञानिक खनन के लिए भारतीय खान ब्यूरो के दायरे में आने वाले गौण खनिजों के रूप में वर्गीकृत नहीं किए गए खनिजों के लिए Mining Surveillance System (MSS) / खान निगरानी प्रणाली शुरू की है। Mining Surveillance System अवैध खनन गतिविधियों का पता लगाने और उन पर अंकुश लगाने में राज्य सरकारों की सहायता के लिए विकसित की गई है। सिस्टम किसी भी असामान्य गतिविधि की खोज के लिए उपग्रह इमेजरी का उपयोग करके मौजूदा खनन पट्टा सीमा के आसपास 500 मीटर के क्षेत्र की जांच करता है, जहां अवैध खनन होने की संभावना है। पाई गई किसी भी विसंगति को ट्रिगर के रूप में चिह्नित किया जाता है। इस प्रकार उत्पन्न ट्रिगर्स को फील्ड निरीक्षण द्वारा सत्यापन के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेजा जाता है। नागरिकों और राज्य सरकारों के लिए उपयोगी डै मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है।

यदि कोई किसी विशेष क्षेत्र में, किस प्रकार के खनिज पाये जाते हैं, की जांच/सर्वेक्षण करवाने की प्रक्रिया— एमएमडीआर अधिनियम 1957 की धारा 4(1) राज्य सरकार के खान और भूविज्ञान निदेशालय को कुछ अन्य एजेंसियों के साथ पूर्वेक्षण संचालन करने की अनुमति देती है, जिसमें भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और मिनरल्स एक्स्प्लोरेशन लिमिटेड शामिल हैं। कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के तहत दिए गए रिकनेसेस परमिट या पूर्वेक्षण लाइसैंस या, जैसा भी मामला हो, खनन पट्टे के नियमों और शर्तों के तहत और उनके अनुसार किसी भी क्षेत्र में कोई रिकनेसेस, पूर्वेक्षण या खनन कार्य नहीं कर सकता है।

केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड/जल शक्ति मंत्रालय, देहरादून (CGWB)

क्र. सं.	योजना/सेवा का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	GWMR-Monitoring of Ground water level and quality across the State/ जीडब्ल्यूएमआर –राज्य भर में भूजल स्तर और गुणवत्ता की निगरानी।	केन्द्रीय भूजल बोर्ड, जनवरी, मई, अगस्त और नवंबर में स्थापित स्टेशनों का उपयोग करके राज्य भर में भूजल स्तर की त्रैमासिक निगरानी करता है। इसके अतिरिक्त, सीजीडब्ल्यूबी एक वर्ष में त्रैमासिक रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में स्प्रिंग में होने वाले निर्वहन को मापता है। वर्तमान में सभी जिलों में 266 निगरानी स्टेशन वितरित हैं। एकत्रित जल स्तर डेटा का उपयोग सालाना भूजल की स्थिति ओर उतार चढ़ाव का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है, जिसे ग्राउंडवाटर ईयरबुक के रूप में प्रकाशित किया जाता है, जिसमें वार्षिक, दशक भर और मौसमी आधार पर रूझानों का विवरण दिया जाता है। इसके अलावा, भूजल के नमूने मानसून के मौसम से पहले और बाद में (मई और नवंबर मे) निगरानी स्टेशनों से एकत्र किए जाते है और प्रयोगशाला विश्लेषण के अधीन होते है। इस डेटा का उपयोग राज्य की भूजल गुणवत्ता का आकलन करने, असामान्य भूजल गुणवत्ता वाले क्षेत्रों का पता लगाने और निवारक कार्रवाईयों की सिफारिश करने के लिए किया जाता है।	छात्र, शोधकर्ता वैज्ञानिक सरकारी अधिकारी, राज्य और जिला प्राधिकरण, संस्थान, कॉलेज और गैर सरकारी संगठन, आम लोग	किसी क्षेत्र विशेष में हेंडपंप/नलकूप/सिंचाई हेतु पानी की उपलब्धता है या नहीं, से संबंधित भूजल गुणवत्ता एवं भूजल स्तर के बारे में विवरण सार्वजनिक मंच पर भूजल वर्ष पुस्तिका (Ground water yearbook) के रूप में उपलब्ध है। इसके अलावा केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा किये गये

				विशेष अध्ययनों के आधार पर भूभौतिकीय सर्वेक्षण(Geophysical survey) आयोजित किये जाते हैं। डेटा और रिपोर्ट सीजीडब्लयूबी वेबसाइट पर उपलब्ध है। https://cgwb.gov.in/
2.	GWMR-Ground water Resource Estimation of Uttarakhand State/जीडब्ल्यूएमआर–उत्तराखण्ड राज्य का भूजल संसाधन अनुमान	मूल्यांकन में गतिशील भूजल संसाधनों या वार्षिक निकाले जाने योग्य भूजल संसाधन, कुल वर्तमान वार्षिक भूजल निष्कर्षण (उपयोग) और वार्षिक निकाले जाने योग्य संसाधनों (भूजल निष्कर्षण का चरण) के संबंध में उपयोग का प्रतिशत की गणना शामिल है। मूल्यांकन इकाइयों (तालुका/ब्लॉक/मंडल/फिरका) को भूजल निष्कर्षण के चरण के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जिसे बाद में दीर्घकालिक जल स्तर के रूझानों के साथ मान्य किया जाता है। उत्तराखण्ड राज्य में देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर और नैनीताल जिलों के 18 मूल्यांकन ब्लॉकों में हर साल मूल्यांकन किया जाता है। राज्य में कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण (2023) 20.20 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) आंका गया है। भूजल संसाधनों की प्रति वर्षा और अन्य स्त्रोतों जैसे सिंचाई से वापसी प्रवाह, नहर रिसाव आदि के माध्यम से की जाती है। वार्षिक भूजल पुनर्भरण का मुख्य स्त्रोत वर्षा है, जो कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण में लगभग 69.33 प्रतिशत का योगदान देता है। प्राकृतिक निर्वहन का प्रावधान रखते हुए राज्य का कुल वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन 1.861 बीसीएम आंका गया है। राज्य का वार्षिक भूजल निष्कर्षण (2023) 0.954 बीसीएम है, जिसका सबसे बड़ा उपयोगकर्ता सिंचाई क्षेत्र है। संपूर्ण राज्य के लिए भूजल निष्कषर्ण का चरण, जो कि वार्षिक निष्कषर्ण का प्रतिशत है, 51.69 प्रतिशत आंका गया है। उत्तराखण्ड राज्य के 18 मूल्यांकन किए गए ब्लॉकों में से 14 ब्लॉकों में भूजल विकास का स्तर 70 प्रतिशत से नीचे है और उन्हें सुरक्षित कहा जाता है, जबकि शेष 4 ब्लॉकों में भूजल विकास का स्तर 70 और 90 प्रतिशत के बीच है और उन्हें "सेमी क्रिटिकल" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।	छात्र, शोधकर्ता वैज्ञानिक सरकारी अधिकारी, राज्य और जिला प्राधिकरण, संस्थान, कॉलेज और गैर सरकारी संगठन, आम लोग	डेटा और रिपोर्ट सीजीडब्लयूबी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

3.	GWMRPMKSY-HKKPGW/ जीडब्ल्यूएमआर–पीएमकेएसवाई–एचकेकेपी–जीडब्ल्यू	NAQUIM आउटपुट और सुझावों के आधार पर, PMKSY-HKKP-GW योजना को उत्तराखण्ड राज्य में सफलतापूर्वक लागू किया गया था। लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड सरकार ने उधमसिंहनगर और हरिद्वार जिला में सौर (188) और विदयुत उर्जा (18) सबमर्सिबल पंपों द्वारा संचालित कुल 206 टयूबवेलों की स्थापना के माध्यम से पीएमकेएसवाई–एचकेकेपी–जीडब्लू योजना लागू की है। प्रत्येक टयूबवेल 5 से 6 किसानों के उपयोगकर्ता समूह के साथ लगभग 5 हेक्टेयर क्षेत्र का उपयोग करता है। सोलर पंपों की स्थापना से किसानों को बिजली/डीजल पर अतिरिक्त लागत खर्च किए बिना साफ पानी मिल रहा है, जिससे किसानों का लाभ होने के कुल सिंचाई उत्पादन दर में कमी आ रही है। इस योजना से 1030 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचित कमांड क्षेत्र तैयार हुआ है और 1085 लाभार्थियों (किसानों) की आय में वृद्धि हुई है। इस योजना के तहत लाभार्थी केवल छोटे और सीमांत किसान हैं, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों को प्राथमिकता दी गई है।	किसानों, सरकारी अधिकारी, राज्य और जिला प्राधिकरण, आम लोग	डेटा और रिपोर्ट सीजीडब्लयूबी वेबसाइट पर उपलब्ध है।
4.	GWMRIEC activities/ जीडब्ल्यूएमआर आईईसी गतिविधियॉ	वार्षिक रूप से सीजीडब्ल्यूबी राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए भूजल संरक्षण और प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने के उददेश्य से टियर 2 और टियर 3 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। छत्तीसगढ़ के नए रायपुर में स्थित सीजीडब्ल्यूबी के प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संबद्ध क्षेत्रों के पेशेवरों के लिए अनुकूलित प्रशिक्षण सत्र की व्यवस्था की जाती है। सीजीडब्लयूबी जल संरक्षण के महत्व को बताने और जमीनी स्तर पर एनएक्यूयूआईएम और अन्य हाइड्रोजियोलॉजिकल अध्ययनों से अंतदृष्टि साझा करने के लिए अक्सर सार्वजनिक संपर्क कार्यक्रम (पीआईपी) आयोजित करता है।	छात्र, शोधकर्ता वैज्ञानिक सरकारी अधिकारी, आम लोग	
5.	GWMR Central Ground WaterAuthority/जीडब्ल्यूएमआर केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण	देश में भूजल संसाधनों के विकास और प्रबंधन को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के तहत केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन किया गया है। सीजीडब्ल्यूए उद्योगों या बुनियादी ढांचा परियोजनाओं या खनन परियोजनाओं आदि के लिए भूजल निष्कर्षण के लिए 'अनापत्ति प्रमाण' (एनओसी) जारी करके भूजल विकास और प्रबंधन को नियंत्रित और प्रबंधन सीजीडब्लयूबी कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।	उद्योग मालिक, खनन कंपनियां, होटल और अन्य ढांचागत मालिक हाउसिंग सोसायटी, टैंकर और थोक जल आपूर्ति एजेंसियां	आवेदन एन ओसीएपी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। https://cgwb.gov.in/

केन्द्रीय जल आयोग, देहरादून (CWC)

संक्षिप्त विवरण :– केन्द्रीय जल आयोग, जल संसाधन के क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख तकनीकी संगठन है और वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय के एक संलग्न कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा है। केन्द्रीय जल आयोग को बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, नेविगेशन, पेयजल आपूर्ति और जल विद्युत विकास के प्रयोजन हेतु समूचे देश के जल संसाधनों के नियंत्रण, संरक्षण और उपयोग की योजनाओं को राज्य सरकार के साथ परामर्श कर शुरू करने, समन्वित करने तथा आगे बढ़ाने का सामान्य उत्तरदायित्व सौंपा गया है। वर्तमान में आयोग का काम 03 विंगों में विभाजित है, डिजाइन और अनुसंधान (डी. एंड. आर) विंग, नदी प्रबंधन (आर. एम) विंग और जल योजना और परियोजना (डब्ल्यू. पी एंड पी) विंग। आर. एम. विंग के अंतर्गत विभिन्न बेसिनों में 14 क्षेत्रीय संगठन हैं। उत्तराखंड राज्य में केन्द्रीय जल आयोग की विभिन्न गतिविधियाँ, जिनमें जल–मौसम विज्ञान प्रेषण स्थल भी शामिल हैं, दो क्षेत्रीय संगठनों ऊपरी गंगा बेसिन संगठन (यू. जी. बी. ओ.), लखनऊ और यमुना बेसिन संगठन (वाई. बी. ओ.), नई दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में आती हैं।

उत्तराखंड में केन्द्रीय जल आयोग के कार्यों का अवलोकन

1) **जल–मौसम संबंधी प्रेषण**– जल से सम्बंधित विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक तरीके से सभी नदी बेसिन के लिए जल–मौसम संबंधी आंकड़ो का मापन एवं संग्रह आवश्यक है, जिससे जल संसाधन परियोजनाओं की योजना और विकास, जलवायु परिवर्तन के कारण प्रभावों के आकलन से संबंधित अध्ययन, जल उपलब्धता अध्ययन, अभिकल्प बाढ़ और तलछट अध्ययन, बाढ़ स्तर/अंतर्वाह पूर्वानुमान, अंतर्राष्ट्रीय और अंतरराज्यीय मुद्दों का समाधान, नदी आकृति विज्ञान अध्ययन, जलाशय गाद अध्ययन, अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास, अनुसंधान संबंधी गतिविधियाँ आदि की जा सके। उत्तराखंड में, गंगा और उसकी सहायक नदियों जैसे अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, पिंडर, नयार, शारदा, कोसी, रामगंगा और यमुना पर आंकड़ो का मापन, संग्रह और संकलन के लिए 73 स्थलों का तंत्र है। इनमें से 24 गेज (जी), 29 गेज और निस्सारण (जी डी), 6 जी डी एस, 5 जी डी क्यू और 9 जी डी एस क्यू (गेज, निस्सारण, गाद और जल गुणवत्ता) साइट हैं। गैर–मानसून के दौरान प्रतिदिन 03 बार और मानसून के मौसम के दौरान प्रति घंटा जल स्तर देखा जाता है। प्रतिदिन एक बार निस्सारण, प्रतिदिन एक बार तलछट प्रेषण और 10 दैनिक आधार पर जल गुणवत्ता का प्रेषण किया जाता है। उत्तराखंड राज्य में कुल 96 वर्षामापी यंत्र केन्द्रीय जल आयोग द्वारा संचालित किये जा रहे हैं |

2) **वास्तविक काल आंकड़ा अधिग्रहण प्रणाली** – केन्द्रीय जल आयोग ने उत्तराखंड राज्य में स्वचालित वास्तविक आंकड़ा संग्रह और इसके प्रसारण के लिए 46 टेलीमेट्री स्टेशनों का तंत्र भी स्थापित किया है।

3) **बाढ़ पूर्वानुमान**– बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणाली, बाढ़ प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण गैर–संरचनात्मक उपाय है, जो आने वाली बाढ़ की अग्रिम जानकारी देता है। यह बचाव/राहत कार्यों की बेहतर योजना से बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंतर्वाह पूर्वानुमान बाढ़ गुंजाइश के साथ या उसके बिना जलाशयों के अनुकूल विनियमन में भी मदद करता है। राज्य में 04 स्तरीय पूर्वानुमान स्थल और 04 अंतर्वाह पूर्वानुमान स्थल हैं। बाढ़ पूर्वानुमान और जल स्तर की जानकारी आम जनता को वेबसाइट https://ffs.india-water.gov.in के माध्यम से वास्तविक समय के आधार पर उपलब्ध कराई जाती है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों एवं सरकारी संस्थानों द्वारा इस सेवा का व्यापक रूप से प्रयोग किया जा रहा है ।

यदि किसी व्यक्ति/नागरिक को बाढ पूर्वानुमान की सूचना प्राप्त करनी हो तो वह कैसे प्राप्त करे – वर्तमान में केंद्रीय जल आयोग द्वारा भारत में 340 स्टेशन (140 अंतर्वाह पूर्वानुमान + 200 स्थल पूर्वानुमान), इनमें से उत्तराखण्ड राज्य में 8 स्टेशन (4 अंतर्वाह पूर्वानुमान एवं 04 स्थल पूर्वानुमान) पर लघु अन्तराल (Upto 24 Hrs) पूर्वानुमान जारी किया जाता है। इस नेटवर्क को राज्य सरकार/परियोजना प्राधिकारियों के परामर्श से स्थापित किया गया है। बाढ़ के पूर्वानुमानों का प्रसार वेबसाइट https://ffs.india-water.gov.in के माध्यम से किया जाता है। उपरोक्त के साथ साथ 7 दिवसीय बाढ़ परामर्श पूर्वानुमान (Generated through basin &amp(specific mathematical models using IMD weather forecast products and near real & time satellite rainfall estimates) को वेबसाइट https://aff.india-water.gov.in/home.php पर प्रसारित किया जाता है। इसके अलावा केंद्रीय जल आयोग ने मोबाइल एप्लीकेशन Floodwatch India को भी लांच किया है, जिसमे निम्नलिखित जानकारी आम जनता के लिए उपलब्ध है:

1. बाढ़ पूर्वानुमान (24 घंटे तक)
2. निकटतम स्टेशन की बाढ़ की स्थिति
3. 7 दिवसीय बाढ़ परामर्श
4. राज्य में बाढ़ की स्थिति
5. जलाशय स्तर और उसकी स्थिति Floodwatch India एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर और Apple App स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।

4) **जल गुणवत्ता प्रयोगशाला**– उत्तराखंड के हरिद्वार (NABL मान्यता प्राप्त) जिले में केंद्रीय जल आयोग द्वारा प्रबंधित एक जल गुणवत्ता प्रयोगशाला (स्तर–II) है। 14 WQ अवलोकन स्टेशन और 15 नमूना स्थलों से 10 दैनिक आधार पर (महीने में तीन बार) नमूना एकत्र किया जाता है। इन नमूनों के लिए इस समय कुल 23 WQ मापदंडों का विश्लेषण किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को जल गुणवत्ता की जांच करानी हो तो, हिमालयी गंगा मण्डल जल प्रयोगशाला में 12 जल गुणवत्ता पैरामीटर (pH] Electrical Conductivity] Total Hardness] Calcium] Magnesium] Chloride] Alkalinity] Sodium] Potassium] Sulphate] Dissolved Oxygen and BOD NABL accredited), नदी आंकड़ा संकलन– 2, केंद्रीय जल आयोग, नयी दिल्ली के पत्र दिनाँक 17–12–2018 के अनुसार NABL जल गुणवत्ता पैरामीटर के विश्लेषण शुल्क दे कर, करा सकता है |

5) **गंगा नदी पर ई–प्रवाह निगरानी**– भारत सरकार ने 9 अक्टूबर, 2018 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से गंगा नदी के लिए न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह को अधिसूचित किया गया है, जिसमें केन्द्रीय जल आयोग अभिहित प्राधिकारी तथा आकड़ों का संरक्षक है तथा प्रवाहों के पर्यवेक्षण, मानिटरिंग, विनियमन तथा जब कभी भी अपेक्षित हो, समुचित प्राधिकारी को आवश्यक जानकारी रिपोर्ट करने के किये उत्तरदायी है| इसके अनुसार नदी पर विभिन्न स्थानों पर ई–प्रवाह बनाए रखा जाना है। यह आदेश उदगम वाले ग्लेशियरों से आरम्भ होने वाले ऊपरी गंगा बेसिन तथा देवप्रयाग से हरिद्वार तक और उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले तक गंगा नदी की मुख्य धारा को तथा अंत में मिलने वाली इसकी मुख्य सहायक नदियों के क्रमवर्ती सम्मिलनों पर लागू होता है |

6) **हिमनद झीलों और जलाशय की निगरानी** – हिमनद झीलों के प्रक्षोभ के कारण होने वाली आकस्मिक बाढ़, जिसे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (जीएलओएफ) कहा जाता है, भारतीय हिमालयी क्षेत्र में आम हैं , जहाँ भूस्खलन के कारण इस तरह की झील बनती हैं। भारतीय हिमालयी क्षेत्र को आवरण करने वाली हिमनद झीलों और जल निकायों की सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग–आधारित मैपिंग और निगरानी, उपग्रह इमेजरी के आधार पर जून से अक्टूबर तक केंद्रीय जल आयोग मुख्यालय द्वारा मासिक आधार पर की जाती है। केंद्रीय जल आयोग भारतीय हिमालयी क्षेत्र के 902 ग्लेशियल झीलों और जलाशयों की निगरानी जून से अक्टूबर तक करता है, तथा इसकी जानकारी मासिक व वार्षिक रिपोर्ट बना कर प्रासंगिक विभाग/प्राधिकरण के साथ साझा किया जा रहा है, जिसमें छह हिमालयी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (उत्तराखंड सम्मिलित) के NDMA और SDMA भी शामिल हैं, साथ ही इसकी जानकारी को केंद्रीय जल आयोग की वेबसाइट https://cwc.gov.in/en/glacial-lakeswater-bodies-himalayan-region पर भी प्राप्त किया जा सकता है।

7) **परियोजनाओं का मूल्यांकन और निगरानी**– केंद्रीय जल आयोग राज्य में वृहद् और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं और सतही लघु सिंचाई योजना की निगरानी और मूल्यांकन भी करता है।

8) **बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना** (DRIP) :– केंद्रीय जल आयोग देश के विभिन्न राज्यों के साथ उत्तराखंड राज्य में भी बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना का कार्य कर रहा है |

केंद्रीय जल आयोग के कार्य में सम्बंधित विभाग :–

- E–flow के सम्बन्ध में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन |
- बाढ़ पूर्वानुमान एवं चेतावनी के सम्बन्ध में SDMA एवं विभिन्न स्तर पर SDMA के घटक और राज्य सिंचाई विभाग |
- DRIP के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड।

विकास आयुक्त हस्तशिल्प कार्यालय, देहरादून।

क्र0 सं0	योजना का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	विपणन सहायता एवं सेवायें			
क	गांधी शिल्प बाज़ार	गांधी शिल्प बाज़ारों का आयोजन महत्वपूर्ण मेलों/ त्यौहारों/ प्रमुख नगरों/ ऐतिहासिक स्थानों/पर्यटन स्थलो आदि को ध्यान में रखते हुए तैयार किये जाने वाले वार्षिक रोस्टर के आधार पर किया जाता है। यह कारीगरों के बीच नियमित आय सुनिश्चित करेगा और इन आयोजनों के माध्यम से क्षेत्र के लोग अपनी आवश्यकता को पूरा कर सकेंगे। अवधि 7–15 दिनों की होगी और इसमें 50–300 स्टॉल शामिल किये जाएंगे। दैनिक भत्ता– रु. 800 प्रतिदिन (श्रेणी– क के शहर हेतु), रु. 500 प्रतिदिन (श्रेणी–ख के शहर हेतु) यात्रा भत्ता– रु. 4000 भाड़ा शुल्क– रु. 2000 दिया जाता है।	हस्तशिल्पी पहचान कार्ड धारी	आवेदन https://indian.handicrafts.gov.in/en के वेबसाइट से ऑनलाइन किया जा सकता है।

ख	अन्य संगठनो द्वारा आयोजित कार्यक्रमों मे निर्मित स्टॉल को किराए पर लिया जाना।	पर्यटन विभाग अथवा राज्य और केंद्र सरकारों तथा अन्य संगठनो द्वारा आयोजित स्थापित मेले में कारीगरों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने और बिक्री में सक्षम बनाने के लिए, कारीगरों को आवंटन हेतु मेलों में स्टाल प्रदान करने के लिए प्रावधान किया गया है। दैनिक भत्ता– रु. 800 प्रतिदिन (श्रेणी–क के शहर हेतु), रु. 500 प्रतिदिन (श्रेणी– ख के शहर हेतु) भाड़ा शुल्क सहित यात्रा भत्ता– रु. 6000 दिया जाता है।	हस्तशिल्पी पहचान कार्ड धारी	ऑनलाइन/ऑफ लाइन
ग	शिल्प प्रदर्शनी सह जागरूकता कार्यक्रम	शिल्प प्रदर्शनी सह जागरुकता कार्यक्रम में शिल्पकारों, उद्यमियों, छात्रों, शिक्षाविदों, विद्वानों आदि के साथ विचार विमर्श और ज्ञान साझा करने का सत्र शामिल है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय हस्तशिल्प और इससे जुड़ी विरासत, संस्कृति और परंपरा के बारे में जागरुकता फैलाना है। इसमें जनसाधारण / कॉलेज / विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए लाइव प्रदर्शन, कलाकृतियों का निर्माण करना भी शामिल है । यह कार्यक्रम आम जनता को कलाकृतियों के निर्माण में शामिल जटिल कौशल, कठिनाई और रचनात्मकता को समझने में सहायता करेगा। मानदेय रु. 4000 तीन दिनों के लिए दिया जाता है।	हस्तशिल्पी पहचान कार्ड धारी	आवेदन हस्तशिल्प सेवा केंद्र मे जमा किया जा सकता है
2	**डिज़ाइन एवं तकनीकी विकास कार्यक्रम**	यह घटक बाज़ार की वर्तमान डिज़ाइन आवश्यकताओं को पूरा करने पर केन्द्रित है तथा इसका उद्देश्य कारीगरों के मौजूदा कौशल का उपयोग करते हुए हस्तशिल्प क्षेत्र की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार नए डिज़ाइन/प्रोटोटाइपों का विकास करना है। प्रत्येक कार्यशाला में 20–30 कारीगरों का एक बैच होगा जो न्यूनतम 25 दिनों (5 घंटे प्रतिदिन की दर से) की अवधि से लेकर अधिकतम 65 दिनों की अवधि के लिए होगा। दैनिक भत्ता रु. 300 प्रतिदिन दिया जाता है।	हस्तशिल्पी पहचान कार्ड धारी	आवेदन हस्तशिल्प सेवा केंद्र मे जमा किया जा सकता है।
3	**गुरु शिष्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम**	योजना का उद्देश्य पारंपरिक शिल्प ज्ञान को शिद्ध हस्तशिल्पी (गुरु) से नयी पीढ़ी के कारीगरों (शिष्य) को स्थानांतरित करना है ताकि कौशल अंतर को कम एवं बाज़ार की मांग को पूरा किया जा सके। यह हस्तशिल्प क्षेत्र में तकनीकी एवं सॉफ्ट कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से पूरा किया जाएगा जिससे एक प्रशिक्षित कार्यबल का सृजन होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और समर्थ प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय कौशल अहर्ता ढांचा संरेखित पाठ्यक्रम की सूची में उल्लेखित घंटों के अनुसार होगी। आवश्यकता के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का बैच आकार 20–30	हस्तशिल्पी पहचान कार्ड धारी	आवेदन हस्तशिल्प सेवा केंद्र मे जमा किया जा सकता है।

		कारीगरों का होगा। संबन्धित शिल्प में पहचान कार्ड रखने वाले कारीगर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागीदारी के पात्र हैं। दैनिक भत्ता रु. 300 प्रतिदिन दिया जाता है।		
4	**टूलकिट वितरण कार्यक्रम**	टूल और कौशल से परिपूर्ण हाथ हस्तशिल्प क्षेत्र के वे दो आभूषण हैं जो उत्पादकता विस्तार के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये हस्तशिल्प कारीगरों को बड़े स्तर पर समान गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में सहायता करते हैं। उत्पादन और गुणवत्ता की एकरूपता का बढ़ना उच्च प्रतिस्पर्धा वाले अंतराष्ट्रीय हस्तशिल्प बाज़ार में बने रहने के प्रमुख घटक हैं। टूलकित वितरण के प्रावधान का आरंभ उपरोक्त आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए किया गया है। अधिकतम वित्तीय सहायता प्रति टूलकिट 10,000/— रूपए है और भट्टियों/करघों के लिए 20,000/— रुपए है अथवा वास्तविक जो भी कम हो।	हस्तशिल्पी पहचान कार्ड धारी	आवेदन हस्तशिल्प सेवा केंद्र मे जमा किया जा सकता है।
5	**कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ**			
क	पेंशन	रु. 8000 प्रति माह	हस्तशिल्पी पहचान कार्ड धारी शिद्धहस्तशिल्पी जिन्हें शिल्प गुरु पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार या राज्य पुरस्कार प्राप्त है। पिछले वित्त वर्ष मे वार्षिक आय रु. 100,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए	आवेदन हस्तशिल्प सेवा केंद्र मे जमा किया जा सकता है।
ख	**पुरस्कार**			
	शिल्प गुरु पुरस्कार	रु. 3.5 लाख का नगद पुरस्कार, सोने का सिक्का, ताम्रपत्र, शॉल, प्रमाणपत्र	भारत मे रहने वाला कोई भी शिद्धहस्तशिल्पी जिसके पास पहचान के तहत वैध फोटो आई कार्ड हो जो अति सम्मानित राष्ट्रीय पुरस्कार या राज्य पुरस्कार विजेता हो, आयु 50 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए तथा कम से कम 20 वर्षो का अनुभव हो।	आवेदन https://indian.handicrafts.gov.in/en के वेबसाइट से ऑनलाइन किया जा सकता है।
	राष्ट्रीय पुरस्कार			
क	शिल्प श्रेणी	रु. 2.0 लाख का नगद	वैध फोटो पहचान कार्ड धारक कोई भी शिल्पी जो भारत का नागरिक हो	

		पुरस्कार, ताम्रपत्र, शॉल, प्रमाणपत्र	तथा निवासी हो, जिनकी आवेदन आमंत्रित करने की तिथि पर 30 वर्षो से अधिक आयु हो और जिन्हें इस शिल्प मे कम से कम 10 वर्षो का अनुभव हो।	चयन समिति द्वारा तीन स्तर पर की जाती है
ख	अभिनव डिज़ाइन पुरस्कार	रु. 3.0 लाख का नगद पुरस्कार, ताम्रपत्र, शॉल, प्रमाणपत्र	अभिनव डिज़ाइन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार का एक घटक है जो सम्मानित संस्थान से चार वर्ष की डिग्री धारक डिज़ाइनर और संबन्धित शिल्प में पहचान के अंतर्गत वैध फोटो आई कार्ड धारक कारीगरों के एक समूह हो सह–सृजन के आधार पर प्रदान किया जाता है। भारत का कोई भी नागरिक एवं निवासी जिनकी आयु आवेदन आमंत्रित करने की तिथि पर 30 वर्ष से कम न हो और जिन्हें हस्तशिल्प क्षेत्र मे 10 वर्षो का अनुभव हो पुरस्कार के लिए पात्र है। डिज़ाइनर के पास मूर्तिकला, ललितकला , डिज़ाइन, फ़ैशन आदि मे किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 4 वर्ष की डिग्री होनी चाहिए।	
ग	स्टार्ट–अप उद्यम/उत्पादक कंपनी	रु. 2.0 लाख का नगद पुरस्कार, ताम्रपत्र, शॉल, प्रमाणपत्र	स्टार्ट–अप उद्यम जो की विगत पाँच वर्षो से सतत आर्थिक प्रगति की ओर हस्तशिल्प उत्पादो के उत्पादन के लिए इको–सिस्टम बनाने और रोजगार के अवसर सृजित करने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रहा हो। स्टार्ट–अप उद्यम द्वारा उद्यमिता विचारधारा को आगे बढ़ाने मे संतोषजनक प्रगति की जानी चाहिए। स्टार्ट–अप उद्यम की विकास संबंधी उपलब्धियों के क्रम मे रोजगार सृजन और हस्तशिल्प कामगारों के वेतन मे वृद्धि पर विचार किया जाएगा। स्टार्ट –अप को इस संबंध मे डीपीटीआई (वाणिज्य विभाग) के दिशानिर्देश के प्रावधानों का अनुसरण करना होगा। स्टार्ट–अप की मौजूदगी की न्यूनतम अवधि 5 वर्षो की होनी चाहिए व 10 वर्षो से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। उद्यम की चार्टर अकाउंटेंट या संबंधित लेखाकारों से सत्यापित पिछले 3 वर्षो के वित्तीय विवरण पर विचार किया जाएगा।	

मौसम विज्ञान केंद्र, देहरादून

मौसम विज्ञान केन्द्र, देहरादून द्वारा मौसम प्रेक्षण, जलवायु संबंधी जानकारी संग्रह तथा कृषि, सिंचाई, विमानन, विद्युत संयंत्र, योजना, औद्योगिक परिचालन, पर्यटन, आपदा प्रबंधन तथा मौसम के प्रति संवेदनशील अन्य गतिविधियों के लिए विभिन्न समय और स्थानिक पैमाने पर मौसम पूर्वानुमान चेतावनी सेवाएं प्रदान की जाती हैं । उत्तराखण्ड राज्य में मौसम प्रेक्षण हेतु 4 विभागीय मौसम वैद्यशाला देहरादून, पंतनगर, मुक्तेश्वर तथा टिहरी में स्थापित हैं । साथ ही राज्य के सभी जनपदों में विभिन्न स्थानों पर राज्य सरकार की मदद से 132 एडब्ल्यूएस (स्वचालित मौसम स्टेशन), 49 एआरजी (स्वचालित वर्षामापी स्टेशन), तथा 03 एग्रो एडब्ल्यूएस (कृषि स्वचालित मौसम स्टेशन) स्थापित किए गए हैं जो मौसम की रियल टाइम (वास्तविक समय) जानकारी प्रदान करते हैं । मुख्य विवरण निम्नवत है :–

क्र.सं.	योजना /सेवा का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	मौसम पूर्वानुमान और निगरानी सेवाएँ	मौसम पूर्वानुमान सेवाओं का उपयोग आपदा प्रबंधन, विमानन, कृषि, परिवहन, स्वास्थ्य, वनाग्नि, तीर्थाटन और पर्यटन क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। उत्तराखंड राज्य के लिए सैटेलाइट, रडार और ए.डब्ल्यू.एस. द्वारा चरम मौसम की निगरानी 24X7 की जाती है। शहर, जनपद और राज्य स्तर के लिए अगले 3 घंटों से लेकर 2 सप्ताह तक का मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी प्रदान की जाती हैं। उत्तराखण्ड राज्य हेतु प्रदान की जा रही मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी सेवाएं निम्नलिखित हैं:	सम्बंधित विभाग एवं आम जनमानस	1. वर्तमान मौसम जानकारी एवं मौसम पूर्वानुमान व चेतावनी आम जनमानस, निजी व सरकारी विभागों आदि के लिए https://mausam.imd.gov.in/dehradun पर निःशुल्क उपलब्ध है। 2. "दामिनी: बिजली चेतावनी" मोबाइल एप द्वारा आकाशीय बिजली की चेतावनी प्राप्त की जा सकती है। एप का लिंक निम्नलिखित है: एंड्राइड फोन:– https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lightening.live amini

		1. तात्कालिक मौसम पूर्वानुमान:– अगले 3 घंटों का जनपद स्तरीय मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी 2. मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान:– 5 दिनों का जनपद स्तरीय मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी तथा अगले 2 दिनों का दृष्टिकोण 3. विस्तारित अवधि मौसम पूर्वानुमान:– अगले 2 सप्ताह का राज्य स्तरीय मौसम पूर्वानुमान 4. शहरों के लिए मौसम पूर्वानुमान:– उत्तराखण्ड के प्रमुख शहरों के लिए (7) दिनों का मौसम पूर्वानुमान 5. पर्यटन व तीर्थाटन मौसम पूर्वानुमान:– चारधाम यात्रा, हेमकुंड साहिब आदि हेतु तात्कालिक एवं मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान 6. विशेष मौसम पूर्वानुमान: चुनाव, वनाग्नि, गणतंत्रता दिवस, बसंतोत्सव आदि हेतु विशेष मौसम पूर्वानुमान		एप्पल फोन:– https://apps.apple.com/us/app/damini-lightning-alert/id1502385645 3. "मौसम" मोबाइल एप द्वारा मौसम की जानकारी प्राप्त की जा सकती है: एंड्राइड फोन:– https://play.google.com/store/apps/details?id=com.imd.masuam एप्पल फोन:– https://apps.apple.com/us/app/mausam/id1522893967
2	कृषि मौसम परामर्श सेवा	उत्तराखंड में कृषि–मौसम फील्ड इकाइयों की मदद से जनपदवार मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवा जारी की जाती है। कृषि–मौसम संबंधी सलाह और चेतावनियों पर की गई उचित कार्रवाई से कृषि उपज में सुधार हो सकता है और क्षति/नुकसान से बचा जा सकता है। जनपदवार मौसम आधारित कृषि परामर्श सप्ताह में दो बार हर मंगलवार एवं शुक्रवार को जारी किया जाता है।	सम्बंधित विभाग एवं आम कृषक	1.मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवा https://mausam.imd.gov.in/dehradun पर निःशुल्क उपलब्ध है । 2. उक्त जानकारी के साथ ही कृषि सम्बंधित अन्य जानकारी https://www.imdagrimet.gov.in पर निःशुल्क उपलब्ध है 3- उक्त जानकारी "मेघदूत" मोबाइल एप के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकती है । एप का लिंक निम्नलिखित है: एंड्राइड फोन:– https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot एप्पल फोन:– https://apps.apple.com/us/app/meghdoot/id147404815

				5?ls=1 4. "दामिनी: बिजली चेतावनी" मोबाइल एप द्वारा आकाशीय बिजली की चेतावनी प्राप्त की जा सकती है। एप का लिंक निम्नलिखित है: एंड्राइड फोन:– https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lightening.live.damini एप्पल फोन:– https://apps.apple.com/us/app/damini-lightning-alert/id1502385645
3	जलवायु विज्ञान और डाटा आपूर्ति सेवाएँ	अनुसंधान, विकास, निर्माण, क्षति मूल्यांकन और विश्लेषण के लिए दीर्घकालिक जलवायु एवं मौसम संबंधी डाटा की आपूर्ति की जाती है।	सम्बंधित विभाग एवं आम जनमानस	2. मौसम और जलवायु सम्बंधित डाटा https://dsp.imdpune.gov.in पर पंजीकरण कर एवं डाटा शुल्क अदा कर प्राप्त किया जा सकता है | 3. मौसम और जलवायु सम्बंधित डाटा व मौसम रिपोर्ट mcdehradun@yahoo.co.in, metcentre-dehradun@imd.gov.in पर ईमेल अथवा कार्यालय पते पर पत्र लिखकर आवेदन किया जा सकता है| डाटा शुल्क तथा GST भुगतान के उपरांत डाटा उपलब्ध कराया जाता है|
4	विमानन सेवाएँ	उत्तराखंड में विभिन्न नागरिक हवाई अड्डों को वर्तमान मौसम सूचना सेवाएं प्रदान की जाती हैं। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विदेशी प्रतिनिधियों के उत्तराखंड दौरे के दौरान वी.वी.आई.पी. पूर्वानुमान जारी किया जाता है।	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एवं राज्य सरकार	हवाई अड्डों में स्थापित विमानन मौसम विज्ञान स्टेशन द्वारा वर्तमान मौसम सूचना सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

दूरदर्शन केन्द्र, प्रसार भारती देहरादून उत्तराखण्ड

डीडी फ्री डिश के बारे में :–

डीडी फ्री डिश डीटीएच सेवा का स्वामित्व और संचालन सार्वजनिक सेवा प्रसारक प्रसार भारती के पास है। इसे दिसंबर, 2004 में लॉन्च किया गया था। डीडी फ्री डिश बुके (चैनलों का समूह) में सभी चैनलों के लिए उत्कृष्ट चित्र गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। किसी भी कार्यक्रम को देखने के लिए ग्राहकों को कोई आवर्ती शुल्क नहीं देना होगा। अन्य निजी डीटीएच ऑपरेटरों के विपरीत, डीडी फ्री डिश जीवन भर के लिए निःशुल्क है और डीडी फ्री डिश चैनलों के एचडी चैनलों सहित संपूर्ण बुके के लिए दर्शकों से कोई मासिक या वार्षिक सदस्यता शुल्क नहीं लेता है। डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म के चैनल देखने के लिए, आपको डीडी फ्री डिश सेट टॉप बॉक्स और एक्सेसरीज के साथ डिश खरीदनी होगी जो खुले बाजार से मिल सकती है।

पूरा सेट लगभग रु. 2000/– सेट–टॉप–बॉक्स के प्रकार पर निर्भर करता है। संपूर्ण डीडी फ्री डिश रिसीव सिस्टम में एक सेट–टॉप–बॉक्स, छोटे आकार का डिश एंटीना एलएनबीसी, आरएफ केबल और अन्य सहायक उपकरण शामिल हैं।

आम तौर पर दुनिया भर में डीटीएच ऑपरेटर ग्राहक द्वारा देखे जाने वाले चैनल/बुके के आधार पर सक्रियण शुल्क के साथ–साथ मासिक सदस्यता शुल्क भी लेते हैं। डीडी फ्री डिश एक अनोखा फ्री–टू–एयर (एफटीए) डीटीएच प्लेटफॉर्म है जिसमें ग्राहक से कोई सक्रियण और मासिक सदस्यता शुल्क नहीं लिया जाता है।

यदि कोई व्यक्ति देश के किसी कोने में इसे खरीदता है तथा फिर किसी दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित होता है तो उसे वहां पर पुनः खरीदने की आवश्यकता नहीं होती। कोई भी व्यक्ति भारत में कहीं भी उपकरण ले जा सकता है और स्थानीय इंस्टॉलर के माध्यम से नए स्थान पर डिश स्थापित करने के बाद डीडी फ्री डिश का आनंद लेना जारी रख सकता है।

डीडी फ्री डिश के बुके/चैनलों में दूरदर्शन टीवी चैनलों, संसद टीवी चैनल, निजी टीवी चैनल, सिनेमा, संगीत, खेल, समाचार और समसामयिक मामलों, भक्ति/आध्यात्मिक/आयुष आदि सहित विभिन्न शैलियों के निजी टीवी चैनलों का एक समृद्ध बुके है, जो विविध भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के साथ–साथ शैक्षिक चैनल भी हैं। वर्तमान में बुके में 48 रेडियो चैनल उपलब्ध हैं। डीडी फ्री डिश पर वर्तमान में चैनल सूची का विवरण वेबसाइट http://prasarbhati.gov.in पर उपलब्ध है।

अन्य कार्यक्रम निम्नवत हैं :–

1. **सरोकार**– सरोकार कार्यक्रम में केन्द्र व राज्य सरकार की विकास सम्बन्धी व सम–सामयिक विषयों पर चर्चा की जाती है। जिसमें सरकार के प्रतिनिधि व सामाजिक संगठनों से जुड़े व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है। इसी कड़ी में दिनांक– 02.02.2024 सांय 4 बजे ''मेरी योजना'' पुस्तक ई–बुक विषय पर कार्यक्रम प्रसारित किया गया। जिसमे सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गयी है।
2. समय–समय पर भारत सरकार के निर्देशानुसार चलाए जा रहे लोक हित के कार्यक्रमों व सूचनाओं से दर्शको को जागरुक किया जाता है। माह के अंतिम रविवार को प्रधानमंत्री जी के विशेष कार्यक्रम 'मन की बात' को खूब प्रचारित–प्रसारित किया जाता है।
3. उत्तराखण्ड की लोक संस्कृति, बोली भाषा, खान–पान, रीति–रिवाज, गीत–संगीत को संरक्षण देने हेतु व नई–पुरानी प्रतिभाओं को हमरि माटी पाणी व लोकगीत–संगीत के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाया जाता है।
4. उत्तराखण्ड समाचार अपरान्ह 1 बजे, 5 बजे व सांय 6:30 बजे प्रसारित किए जाते है, जिसमें राज्य व केन्द्र सरकार के कार्यक्रमों को विशेष रुप में प्रसारित किया जाता है।
5. डीडी उत्तराखण्ड अपने कार्यक्रमों का प्रसारण 24×7 करता है, व कुछ प्रमुख डीटीएच प्रदाताओं में डीडी डिश 107, डिश टीवी, एनएक्सटी (हिंदुजा समूह), टाटा प्ले पर डीडी उत्तराखण्ड 1144 है। एस, आई.टी. आई. वायर और वायरलेस कंपनी (SITI cable network) डेन 449 और कई अन्य शामिल है। इसके अलावा सभी केबल नेटवर्क को प्रसार भारती (सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत) के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय चैनलों का प्रसारण करना होगा।
6. यदि कोई अधिकारी/कार्मिक सरकार द्वारा संचालित किसी योजना के बारे में दूरदर्शन के माध्यम से जानकारी देना चाहते हैं, तो वह दूरदर्शन के दूरभाष 0135–2674010 एवं मो0 9412217398 (कार्यक्रम प्रमुख) पर संपर्क किया जा सकता है। दूरदर्शन के ईमेल आई डी hopddkddun@gmail.com के माध्यम से भी सम्पर्क किया जा सकता है।
7. दूरदर्शन के कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने के लिए, प्रतिभागी का चयन केन्द्र के अवस्थानुसार कार्यक्रम प्रमुख (Fee structure) व कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता के विवेक द्वारा किया जाता है। कार्यक्रम में शामिल होने वाले अधिकारियों/विशेषज्ञों एवं अतिथियों को दूरदर्शन के शुल्क संरचना के अनुसार मानदेय दिया जाता है।

आकाशवाणी, देहरादून

आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित कार्यक्रमों का विवरण बिंदुवार निम्वत् है–

1. 100.5 एफ0एम0 आकाशवाणी देहरादून को प्रातः 05:55 से रात्रि 23:10 बजे तक रोजना सुन सकते हैं।
2. लोकसंगीत गढ़वाली, कुमॉऊनी, जौनसारी, रूहेलखण्डी, नीति माणा के लोकगीत इसमें गढ़वाल क्षेत्र के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से गायक, गायिका, वादक ढोल, मसकबीन, ढोल दमऊ कलाकारों को ग्रेड के मुताविक मानदेय देना होता है, साथ ही उन्हे टी0ए0, डी0ए0 भी दिया जाता है।
3. गढ़वाली प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण मई 2023 से किया जा रहा है।
4. गीत, गजल, भजन आदि कलाकारों को भी समय–समय पर अवसर दिया जाता है।
5. हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत समाचारों का प्रसारण भी इस केन्द्र से किया जाता है।
6. केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों की योजनाओं का भी कार्यक्रम में शामिल किया जाता है।
7. खेल, ग्राम जगत (गढ़वाली), कृषि जगत कार्यक्रमों में किसानों को नियमित जानकारी प्रदान की जाती है।
8. युवाओं को रोजगार के अवसर और युवाओं की प्रतिभाओं को भी समुचित अवसर दिया जाता है।
9. स्वास्थ्य तथा सम–सामयिक विषयों पर भी कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं।
10. विशेष अवसरों, पर्व त्योंहारों पर भी विशेष कार्यक्रम तैयार किये जाते हैं।
11. साहित्यिक गतिविधियों में कवि गोष्ठी, शेरी नशिस्त, गढ़वाली कवि गोष्ठी, महिलाओं, परिचर्चा, आपदा आदि विषयों पर भी कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं।
12. सैनिकों के लिये भी रोजाना कार्यक्रम प्रसारित करते रहते हैं, इसके अतिरिक्त फिल्म संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत को भी प्रसारित किया जाता है।
13. आकाशवाणी में ग्रेडेड कलाकारों को गायन और वादन हेतु आमंत्रित किया जाता है/बुकिंग प्रदान की जाती है। B, B HIGH and A ग्रेड के कलाकारों को आकाशवाणी शुल्क संरचना के अनुसार शुल्क प्रदान किया जाता है। देहरादून से बाहर के कलाकारों को TA, DA देने का भी प्रावधान है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं, के विरुद्ध शिकायतों का निवारण रिजर्व बैंक – एकीकृत लोकपाल योजना (आरबी–आईओएस)

- रिजर्व बैंक ने अपनी सभी विनियमित संस्थाओं को उनके ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों का समाधान करने हेतु अपने स्तर पर एक व्यवस्था बनाए रखने का आदेश दिया है, जिसे विनियमित संस्थाओं (आरई) का आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र माना जाता है। रिजर्व बैंक ने रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 (आरबी– आईओएस) के माध्यम से अपनी विनियमित संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई सेवाओं में कर्मियों से संबंधित ग्राहक शिकायतों के समाधान के लिए एक त्वरित और निःशुल्क वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र भी स्थापित किया है। बैंकों, गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), भुगतान प्रमाती प्रतिभागियों (पीएसपी) और साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) को शिकायत निवारण तंत्र के तहत विनियमित संस्थाओं के रूप में माना जाता है। किसी भी विनियमित संस्था के विरुद्ध सभी शिकायतों के लिए (आरबी–आईओएस) एक राष्ट्र का दृष्टिकोण अपनाता है। आरबी–आईओएस के अंतर्गत नहीं आने वाली विनियमित संस्थाओं के विरुद्ध शिकायतों का समाधान भारतीय रिजर्व बैंक के उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण कक्षों (सीईपीसी) द्वारा किया जाता है। आरबी–आईओएस और सीईपीसी के दायरे में आने वाली संस्थाओं की सूची **https://cms-tial-org-in** पर देखी जा सकती है।
- **अगर आपको शिकायत हो तो क्या करें : –** आप विनियमित संस्थाओं के विरुद्ध उसकी शाखा में या शिकायत निवारण पोर्टल पर ऑनलाइन या उसकी वेबसाइट पर बताए गए किसी अन्य तरीके से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत की पावती प्राप्त करें या संदर्भ संख्या सुरक्षित रखें।
- **आरबीआई लोकपाल से संपर्क कब करें :** निम्नलिखित मामलों में आरबीआई लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं।

विनियमित संस्थाओं से 30 दिन के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने पर विनियमित संस्थाओं को की गई आपकी शिकायत की तारीख से एक वर्ष और 30 दिन के भीतर कभी भी।

- **विनियमित संस्थाओं से प्राप्त उत्तर असंतोषजनक है–** संबंधित विनियमित संस्थाओं से उत्तर प्राप्त होने के एक वर्ष के भीतर कभी भी। **ध्यान दें:** आरबी–आईओएस में निर्दिष्ट शिकायत फार्म के अनुसार सभी अपेक्षित विवरण जानकारी शिकायत में शामिल होनी चाहिए। शिकायत किसी अन्य

मंच (जैसे न्यायालय) में निपटाई गई / लंबित नहीं होनी चाहिए या आरबी आई लोकपाल द्वारा पहले निपटाई नहीं गई हो। विनियमित संस्थाओं से संपर्क किए बिना आरबीआई लोकपाल के पास सीधे शिकायत दर्ज कराने पर उसे अस्वीकार किया जा सकता है।

आरबीआई के पास शिकायत कैसे दर्ज करें? –

किसी प्राइवेट बैंक द्वारा वसूल की जा रही अधिक ब्याज दर, जोकि लोन के दौरान अवगत नहीं करायी जाती है, की शिकायत तथा किसी भी बैंक कार्मिक द्वारा की गयी धोखाधडी या कार्यो के टालमटोल के लिए विनियमित संस्थाओं के विरुद्ध कोई भी शिकायत निम्न किसी भी माध्यम द्वारा दर्ज की जा सकती हैः आरबीआई के शिकायत प्रबंध प्रणाली (सीएमएस) पोर्टल https://cms.rbi.org.in के माध्यम से ऑनलाइन। आरबी–आईओएस के अनुबंध में निर्दिष्ट फॉर्म में भौतिक शिकायत (पत्र/डाक) केंद्रीकृत प्राप्ति और प्रसंस्करण केंद्र, चौथी मंजिल भारतीय रिजर्व बैंक, सेक्टर–1 सेंट्रल विस्टा, चंडीगढ़ 160017 को प्रेषित की जा सकती है।

इसके लिए शिकायतकर्ता का नाम, आयु और लिंग, व्यक्तिगत ई–मेल आईडी, मोबाइल नंबर (सूचना प्राप्त करने के लिए अनिवार्य), और लैंडलाइन नंबर (यदि उपलब्ध हो) के साथ शिकायतकर्ता का पूरा डाक पता, विनियमित संस्था जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है की शाखा या कार्यालय का नाम और पूरा पता, लेन–देन की तारीख और विवरण, शिकायतकर्ता की खाता संख्या, डेबिट या क्रेडिट कार्ड संख्या के विवरण सहित शिकायत उत्पन्न होने के पूरे तथ्य, इस हद तक कि वे शिकायत की विषय वस्तु के लिए प्रासंगिक हैं। शिकायत के निवारण के लिए आरई को प्रस्तुत अभ्यावेदन और आरई से प्राप्त उत्तर, यदि कोई हो, की तारीख और विवरण, शिकायतकर्ता को हुई हानि की प्रकृति और सीमा, और, मांगी गई राहत, साथ ही यह घोषणा कि आरबी–आईओएस, 2021 के खंड 10 के अनुसार शिकायत अस्वीकार्य नहीं है।

आरबीआई के पास शिकायत दर्ज करने के बारे में अधिक जानकारी कैसे प्राप्त करें : अधिक जानकारी के लिए आप आरबीआई संपर्क केंद्र के टोल–फ्री नंबर 14448 पर संपर्क कर सकते हैं। इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम (आईवीआरएस) युक्त संपर्क केंद्र 24×7 उपलब्ध है, जबकि संपर्क केंद्र कर्मियों से अंग्रेजी, हिंदी और दस क्षेत्रीय भाषाओं (असमि बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तेलुगु और तमिल) में बात करने की सुविधा राष्ट्रीय अवकाशों को छोड़कर सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे सेरात 10 बजे के बीच उपलब्ध है।
अधिक जानकारी के लिए आरबीआई की वैबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं–
https://www.rbi.org.in/commonperson/English/Scripts/FAQs.aspx?Id=3407,
https://www.rbi.org.in/commonperson/Hindi/scripts/faqs.aspx?id=3407)।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI), देहरादून।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, निवेशकों के हितों की रक्षा करने और प्रतिभूति बाजार और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों विकास को बढ़ावा देने और विनियमित करने के लिए SEBI अधिनियम, 1 9 9 2 द्वारा स्थापित एक विनियामक है। भारत के हर जिले तक निवेशक शिक्षा की पहुंच को बढ़ाने और इसे और व्यापक बनाने के स्कीम के रूप में, सेबी ने प्रतिभूति बाजार में निवेशक जागरूकता फैलाने के लिए सिक्योरिटीज मार्केट ट्रेनर्स को इमपैनल किया है। उत्तराखण्ड में कुल 11 सिक्योरिटीज मार्केट ट्रेनर्स हैं। अप्रैल 2024 से अगस्त 2024 तक उत्तराखण्ड राज्य में कुल 382 स्मार्ट कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं। व्यक्तिगत स्मार्टस और संगठन के रूप में स्मार्ट के लिए जानकारी विवरणिका सेबी की वैबसाइट पर है :– **https://investor.sebi.gov.in**

इसके अलावा, निवेश के लाभों और जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, ज्ञान के अंतर को पाटने और देश भर में प्रतिभूति बाज़ार से संबंधित जागरूकता और सशक्तिकरण की संस्कृति को बढ़ावा देने का भी प्रयास किया जाता है। सेबी, बाजार के बुनियादी संस्थाओं, मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर इंस्टिटयूट (एमआईआई) के साथ निवेशक जागरूकता के प्रयास में प्रादेशिक निवेशक सैमिनार (आरआईएसए) आयोजित करता है। अप्रैल 2024 से अगस्त 2024 के दौरान उत्तराखंड राज्य में कुल 10 क्षेत्रीय निवेशक सेमिनार आयोजित किया गया है।

उपरोक्त के अलावा, उत्तराखण्ड राज्य में प्रोजेक्ट गौरव का विवरण निम्नवत है :–

योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
गौरव योजना	कौशल विकास, रोजगार, स्वरोजगार, बैंकिंग, वित्तीय	उत्तराखंड के युवा	• उत्तराखंड सरकार की भूमिका: उत्तराखंड सरकार इस पहल का समर्थन कर रही है और इस कार्यक्रम को राज्य के सभी युवाओं के लिए सुलभ और लाभकारी बना रही है। GOUK कौशल विकास के लिए एक प्लेटफार्म प्रदान कर रहा है, जिससे BFSI क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार के

	सेवाओं और बीमा (BFSI) क्षेत्र में।		अवसर प्राप्त हो रहे हैं। • NSE नेशनल स्टॉक एक्सचैंज – के सहयोग से उत्तराखंड सरकार युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए कौशल विकास परियोजना चला रही है, जो रोजगार और स्व–रोज़गार के अवसर प्रदान करती है। इस योजना में 3 स्तर हैं: o स्तर 1: बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा (BFSI) क्षेत्र का मूलभूत ज्ञान (20 घंटे) प्रदान किया जाता है। अभी तक 9 जिलों के 13 कॉलेजों के 1500+ छात्रों ने स्तर 1 की ट्रेनिंग प्राप्त की है। o स्तर 2: विनियामक प्रमाणन (30 घंटे), जिसमें प्रतिभूति बाजार में न्यूनतम ज्ञान की आवश्यकता को पूरा किया जाता है। चयनित सफल उम्मीदवारों को रोजगार या स्वरोजगार के अवसर मिलते हैं। • स्तर 3: उन्नत प्रशिक्षण (40 घंटे), जिसमें स्तर 1 और 2 को पास करने वाले छात्रों को उद्योग में रोजगार के लिए तैयार किया जाता है। • युवाओं को प्रत्येक स्तर पास करने पर प्रमाण पत्र मिलेगा, और स्तर 3 के बाद रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे।

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD), क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून।

क्र0 सं0	योजना / सेवा का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	एमईडीपी (सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम)	20–30 एसएचजी / जेएलजी महिला सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	एसएचजी / जेएलजी महिला सदस्य, जो प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, पात्र होंगे।	पात्र (एसएचजी एवं जेएलजी समूह) एंकर एजेंसी को अपने संबंधित जिला विकास प्रबन्धक, नाबार्ड को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। प्रशिक्षण, कोई भी आय सृजन गतिविधि चाहे कृषि हो या गैर कृषि दोनों पात्र हैं। एक बार प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने के बाद प्रशिक्षण एक वर्ष के भीतर पूरा करना होगा। परियोजना को नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय की परियोजना मंजूरी समिति के समक्ष रखने के बाद मंजूरी दी जाएगी।
2	एलईडीपी (आजीविका उद्यमिता विकास कार्यक्रम)	60–120 एसएचजी / जेएलजी महिला सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम		

				उक्त के उपरांत एनजीओ, बैंक, कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), एसआरएलएम, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए), कौशल विकास निगम आदि, रुडसेटी/आरएसईटीआई, पंचायती राज संस्थाएँ संबंधित समूह सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करती हैं।
3	**भौतिक विपणन**	ग्रामीण, अर्ध–शहरी क्षेत्रों में एसएचजी/जेएलजी उत्पादों के लिए विभिन्न भौतिक विपणन हस्तक्षेपों का समर्थन।	एसएचजी फेडरेशन, गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ), कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) संस्थाएं, ट्रस्ट / फाउंडेशन / सोसायटी, धारा 8 कंपनियां (पहले धारा 25 कंपनियों के रूप में जानी जाती थीं), केंद्र / राज्य सरकार एजेंसियां, उपक्रम, निगम, बैंक, पीएसीएस , विपणन संघ, राज्य स्तरीय शीर्ष सहकारी समितियाँ – उपरोक्त पात्र एंकर एजेंसी द्वारा प्रस्ताव नाबार्ड को प्रेषित किया जाता है जिसके लिए उन्हें सुविधा शुल्क प्रदान किया जाता है और परियोजना के खर्च की प्रतिपूर्ति की जाती है।	पात्र (एसएचजी एवं जेएलजी समूह) एंकर एजेंसी को अपने संबंधित जिला विकास प्रबन्धक, नाबार्ड को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा । परियोजना को नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय की परियोजना मंजूरी समिति के समक्ष रखने के बाद मंजूरी दी जाएगी । गाड़ी की खरीद के लिए अनुदान के माध्यम से विपणन सहायता प्रदान की जाती है। [Movable Cart] ग्राम दुकान के लिए अधिकतम 02 वर्ष तक मासिक किराया, सेल्समैन वेतन सहायता प्रदान की जाती है। अधिकतम 15 दिनों के लिए 01 एसएचजी को मॉल आदि जैसे प्रमुख स्थानों पर स्टॉल लगाने के लिए सहायता भी उपलब्ध है।
4	**ई–कॉमर्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ओएनडीसी पर ऑनलाइन/**	ई–कॉमर्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ओएनडीसी पर ऑनलाइन/डिजिटल मार्केटप्लेस पर उत्पादों के प्रशिक्षण, ऑनबोर्डिंग और मार्केटिंग के लिए एसएचजी/जेएलजी/निर्माता संगठनों (पीओ)/सूक्ष्म उद्यमियों को अनुदान सहायता की योजना। इस कार्यक्रम के तहत ओएनडीसी, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॅन आदि जैसे विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर ऑनबोर्डिंग	एसएचजी/जेएलजी/ एसएचजी फेडरेशन, गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ), कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) संस्थाएं, ट्रस्ट /फाउंडेशन/सोसायटी, धारा 8 कंपनियां /धारा 25 कंपनियां, केंद्र/ राज्य सरकार	पात्र एंकर एजेंसी को अपने संबंधित जिला विकास प्रबन्धक, नाबार्ड को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा । परियोजना को नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय की परियोजना मंजूरी समिति के समक्ष रखने के बाद मंजूरी

	डिजिटल मार्केटप्लेस पर उत्पादों के प्रशिक्षण एवं अनुदान योजना।	के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण एंकर एजेंसी के माध्यम से प्रदान किया जाता है और एजेंसी को प्रशिक्षण और ऑनबोर्डिंग लागत के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।	एजेंसियां, उपक्रम, निगम, बैंक –ये एंकर एजेंसियां हैं जो नाबार्ड को प्रस्ताव प्रेषित करेंगे और स्वयं सहायता समूहों, संयुक्त देयता समूहों और निर्माता संगठनों को ट्रेनिंग प्रदान करेंगे ।	दी जाएगी ।
5	**नेशनल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग फैसिलिटी (ए. आई.एफ)**	केंद्र या राज्य सरकार की सभी योजनाओं के साथ समन्वय। योजना के परिचालन के लिए ऋणदाता संस्थानों की सहभागिता के साथ ऑनलाइन सिंगल विंडो सुविधा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट जो ऋणार्थियों को हर प्रकार की सहायता प्रदान करेगी । रु. 1 लाख करोड़ की वित्तपोषण सुविधा। रु. 2 करोड़ तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी सुविधा एक स्थान पर प्रति परियोजना रु 2 करोड़ की ऋण सीमा पर प्रतिवर्ष 3% ब्याज छूट। हालाँकि कुल ऋण राशि अधिक हो सकती है । ऋण दर पर प्रतिबंध, ताकि ब्याज सब्सिडी का लाभ लाभार्थी तक पहुंचे और किसानों के लिए सेवाएं किफायती रहें। वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक , लघु वित्त बैंक, एनसीडीसी, एनबीएफसी आदि समेत कई ऋण देने वाले संस्थान। एक पात्र संस्था विभिन्न स्थानों पर परियोजनाएँ लगा सकती है । ऐसी सभी परियोजनाएँ इस योजना के तहत रु 2 करोड़ तक के ऋण के लिए पात्र होंगी। किसान, कृषि उद्यमी, स्टार्टअप जैसे निजी क्षेत्र की एक पात्र संस्था के लिए ऐसे परियोजनाओं की सीमा अधिकतम 25 होगी। 25 परियोजनाओं की सीमा राज्य एजेंसियों, सहकारी समितियों के राष्ट्रीय और राज्य संघों, एफपीओ के संघों और स्वयं सहायता समूहों के संघों पर लागू नहीं होगी।	कृषि उपज बाजार समिति, कृषि–उद्यमी, केंद्र प्रायोजित सार्वजनिक–निजी भागीदारी परियोजना, किसान, किसान उत्पादक संगठन, कृषक उपज संगठनों का संघ संयुक्त देयता समूह, स्थानीय निकाय प्रायोजित सार्वजनिक–निजी भागीदारी परियोजना, विपणन सहकारी समिति, बहुउद्देशीय सहकारी समिति, सहकारी समितियों के राष्ट्रीय संघ, प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी, स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूहों के संघ चालू होना राज्य की एजेन्सियां, सहकारी समितियों के राज्य संघ राज्य प्रायोजित सार्वजनिक–निजी भागीदारी परियोजना – **ये योग्य संस्थाएं हैं जो इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।**	Jan&Smarth portal के माध्यम से या वित्त पोषक बैंक के माध्यम से या https://agriinfra.dac.gov.in/ से प्राप्त की जा सकती है। आवेदक सीधे जनसमर्थ पोर्टल के माध्यम से या एग्रीइन्फ्रा वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकता है या आवेदन और परियोजना प्रस्ताव की हार्ड कॉपी वित्तपोषण बैंक को जमा कर सकता है और बैंक को इसे पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 2 करोड़ तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी उपलब्ध है और किसी अन्य गारंटी की आवश्यकता नहीं है, हालांकि 2 करोड़ से अधिक के ऋण के लिए बैंक को अपने आंतरिक दिशानिर्देशों का पालन करना पड़ता है।

		स्थान का अर्थ है एक विशिष्ट स्थ्ळक (लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी) कोड वाले गाँव या कस्बे की भौतिक सीमा। ऐसी प्रत्येक परियोजना एक अलग LGD (लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी) कोड वाले स्थान पर होनी चाहिए। एपीएमसी अपने निर्धारित बाजार क्षेत्र में विभिन्न संरचना प्रकारों की बहुपरियोजनाओं के लिए पात्र होंगे। ब्याज सबवेंशन अधिकतम 7 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध होगा। इस वित्तपोषण सुविधा के तहत ऋण चुकाने के लिए अधिस्थगन न्यूनतम 6 महीने और अधिकतम 2 वर्ष हो सकता है। संवितरण 2020–21 से छह साल में पूरा होगा। नाबार्ड द्वारा अपनी नीति के अनुसार सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी पात्र ऋणदाता संस्थाओं को आवश्यकता आधारित पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।		
6	**कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम**	ग्रामीण युवाओं को नौकरी के अवसरों के साथ कौशल विकास प्रशिक्षण की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करना और पारंपरिक क्षेत्रों में मौजूदा श्रमिकों/कारीगरों की रीस्किलिंग/ अपस्किलिंग प्रदान करना।	कॉरपोरेट्स/एनएसडीसी संबद्ध प्रशिक्षण संस्थानों का सीएसआर, सरकारी एजेंसियां/सरकारी स्कूल/कॉलेज रुडसेटी/ आरएसईटीआई/ एनजीओ/ वीओ– **ये योग्य संस्थाएं हैं जो इस योजना के तहत प्रशिक्षण दे सकती हैं।**	**NABSKILL** पोर्टल के माध्यम से https:// www.nabskillnabard.org एक बार प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने के बाद, प्रशिक्षण एक वर्ष के भीतर पूरा करना होगा। प्रस्ताव पूरे वर्ष केवल ऑनलाइन मोड में ही भेजे जा सकते हैं।
7	**ग्रामीण मार्ट**	उत्पादकों/कारीगरों/बुनकरों को अपने स्थानीय रूप से निर्मित उत्पादों को बेचने के लिए एक खुदरा विपणन आउटलेट प्रदान करना। नाबार्ड अधिकतम 03 वर्ष की अवधि के लिए मासिक किराया, सेल्समैन वेतन, प्रचार, प्रशिक्षण, पीओएस मशीन आदि के लिए वित्तीय सहायता देता है।	एसएचजी फेडरेशन/परिपक्व एसएचजी जो उद्यमशील मोड में हैं (स्वैच्छिक पंजीकृत), उत्पादक संगठन/निर्माता समूह/कारीगर समूह/बुनकर समूह, प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (पीएसीएस)/ग्रामीण सहकारी	पात्र एंकर एजेंसी को अपने संबंधित जिला विकास प्रबन्धक, नाबार्ड को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा । परियोजना को नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय की परियोजना मंजूरी समिति के समक्ष रखने के बाद मंजूरी दी जाएगी ।

			समितियाँ, टीडीएफ/डब्ल्यूडीएफ क्षेत्रों में किसान क्लब फेडरेशन/समुदाय आधारित संगठन	
8	**जीआई टैगिंग**	गुणवत्ता बढ़ाने, बाजार पहुंच में सुधार, जागरूकता पैदा करने, अपने अधिकारों को लागू करने के लिए उत्पादकों की क्षमता को मजबूत करने, पंजीकरण की लागत में सब्सिडी देने के लिए भौगोलिक संकेतों के लिए पूर्व–पंजीकरण के साथ–साथ पंजीकरण के बाद की गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए शुरू से अंत तक सहायता प्रदान करना। नाबार्ड एक अनुभवी एजेंसी को नियुक्त करके जीआई टैगिंग के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जीआई टैगिंग के बाद अधिकृत उपयोगकर्ताओं बनने एवं प्रमुख स्थानों पर जीआई कियोस्क या स्टालों के लगाने के लिए के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर जीआई उत्पादों के विपणन में सहयोग करता है।	एसएचजी या किसान क्लब फेडरेशन, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस)/ग्रामीण सहकारी समितियां, कृषि और गैर– कृषि क्षेत्र दोनों के उत्पादक संगठन (एफपीओ, ओएफपीओ)	पात्र एंकर एजेंसी को अपने संबंधित जिला विकास प्रबन्धक, नाबार्ड को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा । परियोजना को नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय की परियोजना मंजूरी समिति के समक्ष रखने के बाद मंजूरी दी जाएगी ।

देहरादून (उत्तराखंड)

संक्षिप्त परिचय :– हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (हडको) आवास और शहरी विकास के क्षेत्र में एक प्रमुख तकनीकी वित्तीय संस्थान है। राज्य सरकार को आवास, शहरी विकास हेतु ऋण उपलबद्धता के अतिरिक्त, परामर्श सेवाएं, भवन निर्माण प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम के क्षेत्रों में हडको की सहायता सीधे या इसके विभिन्न संगठनों के माध्यम से दी जा रही है। हडको ने वर्तमान तक 14948 आवास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं के माध्यम से 19.66 मिलियन से अधिक आवास इकाइयां बनायी गई हैं तथा इसमें से 95 प्रतिशत इकाइयां आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और निम्न आय समूह (एलआईजी) के लिए हैं। हडको द्वारा ईडब्ल्यूएस आवासों अथवा अन्य आवासों का सीधा निर्माण नहीं किया जाता है। हडको एक वित्तीय संस्था है एवं आवास एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण हेतु धन उपलब्ध कराती है। इसके अलावा, फरवरी 2024 तक हडको ने 2418 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्तपोषित किया है।

हडको क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून ने उत्तराखंड राज्य में आवास इकाइयों के निर्माण में सहायता के अलावा, औद्योगिक संपदा के विकास, बसों की खरीद, बिजली क्षेत्र की परियोजनाओं आदि के लिए भी वित्तीय सहायता दी है। 2013 की आकस्मिक बाढ़ आपदा के बाद, हडको ने आठ मॉडल गांवों के पुनर्विकास को मंजूरी दी और इसके लिए 540 लाख रुपये का अनुदान मंजूर किया। उत्तराखंड राज्य के विकास में हडको ने अपने सी. एस. आर अनुदान को भी बड़े पैमाने पर बढ़ाया है। हाल ही में श्री केदारनाथ धाम के नियोजित विकास में सीएसआर सहायता के लिए 10.93 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है।

हडको द्वारा स्वयं के प्रशिक्षण भी समय समय पर आयोजित किये जाते हैं जिसमें विभिन्न सरकारों की संस्थाओं के कार्मिक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। क्षमता निर्माण कार्यक्रम में राज्य सरकार अपने कार्मिकों का चयन करके भी भेज सकती है एवं हडको उनकी आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण आयोजित कराता है।

हडको परामर्शी विंग द्वारा वस्तुशिल्प डिजाइन, सरकारी परियोजनाओं का मूल्यांकन, पर्यावरण इंजीनियरिंग, लेंडस्केप, मास्टर प्लान आदि क्षत्रों में परामर्शी सेवाएं अनुभवी पेशेवरों की टीम के द्वारा दी जाती है।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI), देहरादून

क्र सं	योजना /सेवा का नाम	लाभ	पात्रता /लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एव चयन प्रक्रिया
1.	एक्सप्रेस	100 लाख रुपये तक के सावधि ऋण की शीघ्र मंजूरी।	जो एमएसएमई इकाईयां कम से कम तीन वर्षों से परिचालन में हैं। यह योजना मशीनों/उपकरणों की खरीद के लिए मौजूदा अच्छा प्रदर्शन करने वाले एमएसएमई को बिना किसी मैन्युअल हस्तक्षेप के डिजिटल/ऑनलाइन 100 लाख रुपये तक के सावधि ऋण की शीघ्र मंजूरी प्रदान करती है। • एमएसएमई इकाइयों का उद्यम पंजीकरण होना चाहिये • एमएसएमई इकाइयों का जीएसटी पंजीकरण होना चाहिये • उधारकर्ता की सिबिल एमएसएमई रैंक सीएमआर 1 से सीएमआर 6 के बीच • वित्तीय आय और व्यापार (FIT) रैंक FIT 1 से FIT 8 के बीच • सभी प्रमोटरों/साझेदारों का सिबिल क्रेडिट विजन स्कोर 675 से कम नहीं होना चाहिए। 101 से 200 (क्रेडिट के लिए नया) के सिबिल क्रेडिट विजन/टीयू स्कोर वाले	बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप के डिजिटल/ऑनलाइन आवेदन । लोन की मंजूरी बैंक के द्वारा आंतरिक मूल्यांकन और रेटिंग के आधार पर की जायेगी। एक्सप्रेस रु 100 लाख तक की सावधि ऋण की शीघ्र मंजूरी हेतु आवेदन www.sidbi.in में लॉगइन करके आवेदन कर सकते हैं या नीचे दिये हुए लिंक के माध्यम से सीधा रजिस्टर किया जा सकता है। https://onlineloanappi.sidbi.in/OnlineApplication/ उक्त योजना में सिर्फ सिड्बी के द्वारा लोन दिया जाता है तथा अन्य अधिसूचित बैंकों द्वारा लोन नहीं दिया जाता है। इस योजना में लोन पूर्णतया डिजिटली स्वीकृत होता है तथा ब्याज दर उधारकर्ता की रेटिंग पर निर्भर करती है जो कि 8.75 प्रतिशत से 9.75 प्रतिशत के बीच होती

			प्रमोटर/साझेदार भी पात्र होंगे। • न्यूनतम जेबीबीबी का जोकाटा पैन स्तर समग्र सूचकांक	है तथा MCLR के परिवर्तन होने पर ब्याज दर परिवर्तित हो सकती है। लोन के लिए ऑनलाइन/डिजिटल माध्यम से ऊपर दिये हुए लिंक में जाकर आवेदन करना पडता है।
2.	अराइज	500 लाख रुपये तक के सावधि ऋण की शीघ्र मंजूरी।	मशीनरी/उपकरण वित्त के लिए 500 लाख तक के ऋण के लिए, परियोजना लागत के 100 प्रतिशत तक वित्तपोषण । • ब्राउनफील्ड संस्थाएँ जिनके पास न्यूनतम दो वर्षों का संचालन और लेखापरीक्षित खाते हैं कम से कम दो पूर्ण वर्षों के लिए। • अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों में नकद लाभ। अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों में नकद लाभ। • योजना के तहत मशीनरी/उपकरण वित्त के लिए नकद संपार्श्विक के साथ 100 प्रतिशत वित्तपोषण मॉडल के तहत 300 लाख से 500 लाख तक के ऋण के लिए। • उद्यम पंजीकरण • जीएसटी पंजीकरण • उधारकर्ता की सिबिल एमएसएमई रैंक सीएमआर 1 से सीएमआर 6 के बीच • सभी प्रमोटरों/साझेदारों का सिबिल क्रेडिट विजन स्कोर 675 से कम नहीं होना चाहिए।	डिजिटल/ऑनलाइन आवेदन । लोन की मंजूरी बैंक के द्वारा आंतरिक मूल्यांकन और रेटिंग के आधार पर की जायेगी ।
3	स्थापन	500 लाख रुपये तक के सावधि ऋण की शीघ्र मंजूरी।	योजना के तहत 500 लाख तक के ऋण के लिए, नई इकाई के प्रमोटरों के पास विनिर्माण गतिविधि में 3 साल का पूर्व व्यावसायिक अनुभव होना चाहिए। बीएफएस मानदंड (एसीआर/एफएसीआर सहित) सिडबी की मौजूदा ऋण नीति के अनुसार लागू होंगे।	डिजिटल/ऑनलाइन आवेदन । लोन की मंजूरी बैंक के द्वारा आंतरिक मूल्यांकन और रेटिंग के आधार पर की जायेगी ।
4	4 ई	750 लाख रुपए तक के सावधि ऋण की शीघ्र मंजूरी।	विनिर्माण या सेवा क्षेत्र में एमएसएमई इकाइयां कम से कम 3 साल के संचालन वाली मौजूदा इकाइयाँ। यूनिट को ऑडिटेड बैलेंस शीट के आधार पर तत्काल पिछले दो वर्षों में नकद लाभ	डिजिटल/ऑनलाइन आवेदन । लोन की मंजूरी बैंक के द्वारा आंतरिक मूल्यांकन और रेटिंग के आधार पर की जायेगी ।

			• उद्यम पंजीकरण, जीएसटी पंजीकरण •उधारकर्ता की सिबिल एमएसएमई रैंक सीएमआर 1 से सीएमआर 6 के बीच •सभी प्रमोटरों/साझेदारों का सिबिल क्रेडिट विजन स्कोर 675 से कम नहीं होना चाहिए।	
5.	कार्यशील पूंजी	• एमएसएमई की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए कार्यशील पूंजी सहायता। • एकाधिक बैंकों से बैंकिंग प्लेटफॉर्म चुनने का विकल्प (आईडीबीआई/सीयूबी/यस बैंक) • ड्राइंग पावर सेट करने के लिए ग्राहक के निर्देशों के अनुसार निर्बाध अनुमोदन। • कार्यशील पूंजी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए सावधि ऋण ग्राहकों के	नई और मौजूदा संस्थाएं जो किसी अन्य बैंक/वित्तीय संस्थान से कार्यशील पूंजी सुविधा का आनंद नहीं लेती हैं। • सावधि ऋण अधिग्रहण के एक भाग के रूप में कार्यशील पूंजी खातों के अधिग्रहण पर मानक दिशा–निर्देशों के अधीन विचार किया जा सकता है। • बैंक/वित्तीय संस्थाओं के प्रति कोई चूक नहीं।	डिजिटल/ऑनलाइन आवेदन । लोन की मंजूरी बैंक के द्वारा आंतरिक मूल्यांकन और रेटिंग के आधार पर की जायेगी ।

		लिए एकल खिड़की। • एमसीएलआर से जुड़ी आकर्षक ब्याज दर।		
6.	प्रोजेक्ट फंडिंग उत्पाद	परियोजना लागत के अधिकतम 80% के अधीन 50 करोड़ रु. तक का ऋण ।	• भूमि की खरीद और फैक्ट्री भवन के निर्माण के लिए संयंत्र और मशीनरी की खरीद, विविध अचल संपत्ति, छत पर सौर परियोजनाओं की स्थापना, अन्य ऊर्जा दक्षता उपकरणों के अधिग्रहण आदि के लिए ऋण। • व्यवसाय की एक ही पंक्ति में विस्तार/आधुनिकीकरण/प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए मौजूदा संस्थाओं को सहायता। • एमसीएलआर से जुड़ी आकर्षक ब्याज दर। • 2 वर्ष तक की अधिस्थगन के साथ 7 वर्ष तक पुनर्भुगतान। • लेखापरीक्षित खातों के साथ न्यूनतम दो वर्ष का परिचालन • अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों में नकद लाभ • बैंक/वित्तीय संस्थाओं के प्रति कोई चूक नहीं।	डिजिटल/ऑनलाइन आवेदन । लोन की मंजूरी बैंक के द्वारा आंतरिक मूल्यांकन और रेटिंग के आधार पर की जायेगी । प्रोजेक्ट फंडिंग उत्पाद हेतु विस्तृत जानकारी बैंक की तीन शाखाओं से प्राप्त की जा सकती है :– 1. देहरादून शाखा, सिड्बी 111/68/1, भूतल ओल्ड नेहरू कॉलोनी, धर्मपुर, सुविधा सुपर स्टोर के निकट, देहरादून–248001 (दूरभाष 0135–3508894) 2. हरिद्वार शाखा सिड्बी, भूतल अशोक चंदवानी कॉम्प्लेक्स, आर्यनगर चौक, ज्वालापुर रेलवे क्रासिंग के निकट, ज्वालापुर हरिद्वार 249407, (दूरभाष 0133–297478) 3. रूद्रपुर शाखा– सिड्बी, प्रथम तल, 22 आवास विकास, ICICI बैंक के निकट, दिल्ली नैनीताल हाइवे, रुद्रपुर, उधम सिंह नगर–263153 (दूरभाषः 05944–246806)

चीफ पोस्ट मास्टर जनरल कार्यालय, देहरादून। (CPMG)

क्र0 सं0	योजना/ सेवा का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		डाकघर बचत बैंक योजनाएं		
01	**बचत खाता** (SB)	04 प्रतिशत* ब्याज दर, न्यूनतम रु. 500/– से निवेश, चैक बुक, ATM, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग सुविधा उपलब्ध। **ATM** बिना डाकघर जाए कहीं भी ATM मशीन से नकदी निकालने की सुविधा। **नेट बैंकिग :** डाकघर बचत खाते को कहीं से भी डिजिटल रूप में संचालित करने की सुविधा, खाते का स्टेटमेंट देखने की सुविधा, डाकघर की विभिन्न तरह की योजनाओं में निवेश करने व खाता बंद करने की सुविधा। **मोबाइल बैंकिंग :** डाकघर बचत खाते को कहीं से भी डिजिटल रूप में संचालित करने की सुविधा एप के माध्यम से, खाते का स्टेटमेंट देखने की सुविधा, डाकघर की विभिन्न तरह की योजनाओं में निवेश करने व खाता बंद करने की सुविधा, नए ATM कार्ड जारी करने की सुविधा	एकल व संयुक्त वयस्क द्वारा खोला जा सकता है, 10 साल तक के अवयस्क का खाता अभिभावक द्वारा व 10 साल से ऊपर के अवयस्क का खाता स्वयं के नाम पर खोला जा सकता है, unsound mind के नाम पर अभिभावक द्वारा खाता खोला जा सकता है	निकटतम डाकघर में संपर्क कर दस्तावेज जमा करें। 1) खाता खोलने का फॉर्म (AOF) 2) KYC जैसे PAN कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, डी. एल., वोटर कार्ड, आदि 3) अवयस्क खाते के लिए जन्म प्रमाण पत्र
2	**राष्ट्रीय बचत प्रमाण**	7.7 प्रतिशत* ब्याज दर रु.1000/– से शुरू, आयकर धारा 80C के अंतर्गत छूट।	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार

	पत्र(NSC)			
3	किसान विकास पत्र (KVP)	7.5 प्रतिशत* ब्याज दर रु.1000/– से शुरू निवेश राशि 115 माह में दो गुना	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
4	महिला सम्मान बचतपत्र (MSSC)	7.5 प्रतिशत* ब्याज दर रु. 1000/– से रु. 2.00 लाख तक	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
5	वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS)	8.2 प्रतिशत* ब्याज दर रु. 1000/– से रु.30 लाख तक निवेश, त्रैमासिक आधार पर ब्याज राशि देय	1) 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक 2) 55 वर्ष से 60 वर्ष के सेवानिवृत्त सिविल कर्मचारी 3) 50 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम के सेवानिवृत्त रक्षा कर्मचारी एकल अथवा Spouse के साथ संयुक्त रूप में	उपरोक्तानुसार
6	लोक भविष्य निधि (PPF)	7.1 प्रतिशत* ब्याज दर रु. 500/– से रु.1.5 लाख तक निवेश एक वर्ष में, आयकर धारा 80 C के अंतर्गत छूट, परिपक्वता राशि के ब्याज पर आयकर छूट	1) एकल वयस्क द्वारा खोला जा सकता है। 2)अवयस्क /unsound mind के नाम पर अभिभावक द्वारा खाता खोला जा सकता है	उपरोक्तानु सार
7	सुकन्या समृद्धि खाता (SSA)	8.2 प्रतिशत* ब्याज दर, रु. 250/– से रु.1.5 लाख तक निवेश एक वर्ष में, आयकर धारा 80c के अंतर्गत छूट, परिपक्वता राशि के ब्याज पर आयकर छूट	10 वर्ष तक की बालिकाओं का खाता अभिभावक द्वारा खोला जा सकता है	निकटतम डाकघर से सम्पर्क कर निम्न दस्तावेज जमा करें 1)खाता खोलने का फॉर्म (AOF) 2)KYC जैसे PAN कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, डी. एल., वोटर कार्ड, आदि 3) बालिका का जन्म प्रमाण पत्र।

		जन सुरक्षा योजनाएं		
8	**प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)**	रू0 436/– प्रीमियम राशि प्रति वर्ष। 01 वर्ष की प्रति वर्ष नवीनीकृत होने वाली योजना, रू.02 लाख देय राशि किसी भी कारण से मृत्यु होने पर।	1) 18–50 वर्ष के नागरिकों के लिए 2) डाकघर में बचत खाताधारक	1) निकटतम डाकघर में उपलब्ध 2) डाकघर में बचत खाता होने की अनिवार्यता
9	**प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)**	रू 20/–प्रीमियम राशि प्रति वर्ष। 01 वर्ष की प्रति वर्ष नवीनीकृत होने वाली एक्सीडेंटल बीमा योजना, रु 01 से 02 लाख देय राशि दुर्घटना से मृत्यु/दिव्यांगता होने पर	1) 18–70 वर्ष के नागरिकों के लिए 2) डाकघर में बचत खाताधारक	उपरोक्तानुसार
10	**अटल पेंशन योजना (APY)**	गारंटीड न्यूनतम पेंशन योजना, 60 वर्ष पूर्ण होने पर 1000/–से रु.5000/– प्रति माह तक, योजना में शामिल होने पर मासिक अंशदान देना पडता है।	1) 18–40 वर्ष के नागरिकों के लिए 2) डाकघर में बचत खाताधारक	उपरोक्तानुसार
11	**नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) सिटीजन मॉडल**	रू. 500 से न्यूनतम शुरूआती योगदान पंजीकरण के साथ, स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना। नेशनल पेंशन सिस्टम मॉडल में सेवानिवृत्ति/70 वर्ष के बाद पेंशन की कोई धनराशि निश्चित नहीं है। एनपीएस एक प्रकार की पेंशन कम इन्वेस्टमेंट स्कीम है जोकि बाजार आधारित रिटर्न की गारंटी देती है। एनपीएस में वार्षिक योजना के तहत, एनपीएस में जमा की गई राशि का एक हिस्सा जीवनभर या एक निश्चित अवधि के लिए नियमित भुगतान के रूप में मिलता है। डाकघरों के माध्यम से भी इसे चुने जाने का विकल्प है।	18–70 वर्ष के नागरिकों के लिए	डाक विभाग की वेब साइट www.indiapost.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन खोलने की सुविधा
		जीवन बीमा		
12	डाक जीवन बीमा (पी.एल.आई.) योजनाएं:	डाक जीवन बीमा, योजना के अंतर्गत निम्न योजनाएं संचालित हैं :– संपूर्ण जीवन बीमा (सुरक्षा), परिवर्तनीय सम्पूर्ण जीवन बीमा (सुविधा), मियादी बीमा (संतोष), प्रत्याशित मियादी बीमा (सुमंगल), युगल सुरक्षा बीमा चिल्ड्रेन पॉलिसी। उक्त डाक जीवन बीमा (पीएलआई) योजना डाक विभाग द्वारा 1 फरवरी 1984 को शुरू की गयी थी जिसका लाभ वर्तमान में 50 लाख से अधिक पॉलिसी–धारक उठा रहे हैं। इस योजना का लाभ	केंद्र और राज्य सरकारों, रक्षा और अर्ध–सैन्य सेवाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों, शैक्षणिक संस्थानों, स्थानीय निकायों,	1) ग्राहको द्वारा पूर्णतः भरा हुआ प्रस्तावक फॉर्म, KYC दस्तावेज जैसेः आधार, पैन, फोटो तथा PLI extended clientele के अन्तर्गत डिप्लोमा/स्नातक/परा–स्नातक श्रेणी प्रस्तावक द्वारा स्व–घोषणा फॉर्म।

		निम्नवत हैं:— — अधिकतम बीमा राशि रु. 50 लाख तक। —आयु 19 से 55 वर्ष —धारा 80—C के अंतर्गत आय—कर में छूट —ऋण एवं सरेंडर की सुविधा —ऑनलाइन अथवा किसी भी डाकघर में प्रीमियम जमा करने की सुविधा —परिपक्वता राशि का भुगतान किसी भी डाकघर द्वारा प्राप्त करें |	पेशेवरों (जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आदि) तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) / बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) कंपनियों के कर्मचारी उठा सकते हैं। इस योजना का लाभ स्नातक / डिप्लोमाधारी प्रोफेशनल भी उठा सकते हैं |	2) डाक जीवन बीमा (पीएलआई) योजना का लाभ उठाने हेतु अपने नजदीकी डाक—घर से संपर्क करें |
13	ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आर.पी.एल. आई.) योजनाएं :	ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना के तहत निम्न योजनाएं संचालित हैं :— सम्पूर्ण जीवन बीमा (ग्राम सुरक्षा), परिवर्तनीय सम्पूर्ण जीवन बीमा (ग्राम सुविधा), मियादी बीमा (ग्राम संतोष), प्रत्याशित सावधि बीमा (ग्राम सुमंगल), 10 वर्षीय ग्रामीण डाक जीवन बीमा (ग्राम प्रिया), चिल्ड्रेन पॉलिसी (ग्रामीण बाल जीवन बीमा) डाक जीवन बीमा (पीएलआई) योजना डाक विभाग द्वारा 24 मार्च 1995 को शुरू की गयी थी| इस योजना का लाभ निम्नवत हैं :— —अधिकतम बीमा राशि रु. 10 लाख तक, आयु 19 से 55 वर्ष —धारा 80—C के अंतर्गत आय—कर में छूट तथा ऋण एवं सरेंडर की सुविधा। ऑनलाइन अथवा किसी भी डाकघर में प्रीमियम जमा करने की सुविधा —परिपक्वता राशि का भुगतान किसी भी डाकघर द्वारा प्राप्त करें।	वे सभी वयस्क व्यक्ति जो भारत के निवासी तथा ग्रामीण क्षेत्र में स्थायी निवासी हैं |	1) ग्राहको द्वारा पूर्णतः भरा हुआ प्रस्तावक फॉर्म, KYC दस्तावेज जैसे: आधार, पैन, फोटो। 2) ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आरपीएलआई) योजना का लाभ उठाने हेतु अपने नजदीकी डाक—घर से संपर्क करें।
		रिटेल सेवाएँ		
14	गंगाजल प्रोजेक्ट	सम्पूर्ण भारतवर्ष के नागरिकों तक 3000 डाकघरों के माध्यम से गंगोत्री का पवित्र गंगाजल पहुंचाया जाना ।	देश का कोई भी नागरिक इस सेवा का लाभ उठा सकता है ।	डाक विभाग के चयनित डाकघरों से ग्राहक गंगाजल खरीद सकते हैं । 250 मिली. की एक गंगाजल बोतल का मूल्य रु. 30/— है । इस संबंध में अधिक

				जानकारी हेतु https://www.indiapost.gov.in/ साइट पर जाकर Retail Services विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है।
15	आधार नामांकन एवं अद्यतन	नागरिक अपने आधार कार्ड में विवरण अपडेट करवा सकते हैं । इसके अतिरिक्त नए आधार बनवाने हेतु भी इस सुविधा का लाभ लिया जा सकता है ।	सभी नागरिक	आधार अद्यतन एवं 18 वर्ष से कम आयु के नए आधार बनवाने हेतु उत्तराखंड डाक परिमण्डल के 208 आधार केंद्रों में 211 किट पंजीकृत हैं। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के आधार बनवाने हेतु उत्तराखंड डाक परिमण्डल के 39 आधार केंद्र पंजीकृत हैं।
16	सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड	भारत सरकार की पहल के एक भाग के रूप में, डाक विभाग सॉवरेन गोल्ड बांड की बिक्री की सुविधा प्रदान करता है, जिसके तहत आरबीआई द्वारा सॉवरेन गोल्ड बांड की किश्तें खोले जाने पर प्रधान डाकघरों के माध्यम से आवेदन स्वीकार किए जाते हैं।	देश का कोई भी नागरिक इस सेवा का लाभ उठा सकता है ।	डाक विभाग के उत्तराखण्ड परिमण्डल के सभी प्रधान डाकघर और मुख्य डाकघर में यह सुविधा उपलब्ध है।
		फिलाटेली (डाक टिकट संग्रहण)		
17	माई स्टैम्प	माई स्टैम्प भारतीय डाक के डाक टिकटों की व्यक्तिगत शीट का ब्रांड नाम है। वैयक्तिकरण ग्राहक की तस्वीर और संस्थानों के लोगो, या कलाकृति, विरासत इमारतों, प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों, ऐतिहासिक शहरों, वन्य जीवन, अन्य जानवरों और पक्षियों आदि की छवियों को डाक शुल्क वाले चयनित टेम्पलेट शीट पर प्रिंट करके प्राप्त किया जाता है। यह योजना चयनित फिलाटेलिक ब्यूरो और पर्यटन स्थलों पर स्थित काउंटरों तथा महत्वपूर्ण/ चयनित डाकघरों में उपलब्ध है। एक माईस्टैम्प शीट में 12 स्टाम्प होते हैं और प्रत्येक स्टाम्प का अंकित मूल्य 5 रू0 है तथा एक शीट की कीमत 300 रू है। अतः माई स्टैम्प बनाने के लिए रू. 300/–प्रतिशीट का भुगतान करना होता है।	N/A	यह योजना नैनीताल और देहरादून फिलाटेलिक ब्यूरो और पर्यटन स्थलों पर स्थित काउंटरों तथा महत्वपूर्ण/ चयनित डाकघरों में उपलब्ध है ।
18	ढाई आखर पत्र लेखन	डाक विभाग द्वारा प्रति वर्ष ढाई आखर पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। पत्र को अंग्रेजी	राष्ट्रीय स्तर पर ढाई आखर पत्र लेखन प्रतियोगिता दो	डाक विभाग प्रति वर्ष अधिसूचना जारी करता है ।

	प्रतियोगिता	/ हिन्दी / क्षेत्रीय भाषा मे लिखा जा सकता है । राष्ट्रीय एवं परिमण्डलीय स्तर पर तीन विजेताओं को नकद पुरस्कार वितरण किया जाना होता है, जो कि निम्नवत देय होगा । **परिमण्डलीय स्तर** **राष्ट्रीय स्तर** प्रथम पुरस्कार रु. 25000 प्रथम पुरस्कार रु. 50000 दूसरा पुरस्कार रु. 10000 दूसरा पुरस्कार रु. 25000 तीसरा पुरस्कार रु. 5000 तीसरा पुरस्कार रु. 10000	वर्गों में की जाएगी । 18 वर्ष तक (1– अन्तर्देशीय पत्र कार्ड, 2– लिफाफा वर्ग) 18 वर्ष से अधिक (1– अन्तर्देशीय पत्र कार्ड, 2– लिफाफा वर्ग) ।	
19	दीनदयाल स्पर्श योजना	डाक विभाग छठी से नौवीं कक्षा के बच्चों को पुरस्कृत करने के लिए दीन दयाल स्पर्श योजना के तहत उन छात्रों को वार्षिक छात्रवृत्ति देने का प्रस्ताव है जिनके पास अच्छा शैक्षणिक रिकॉर्ड है और वे शौक के रूप में डाक टिकट संग्रह भी करते हैं।	कक्षा छः से कक्षा नौ तक के छात्र– छात्राएं ।	डाक विभाग प्रति वर्ष अधिसूचना जारी करता है
		अन्य सेवाएँ		
20	कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी)	डाकघरों के माध्यम से सीएससी सेवा मई 2020 में प्रायोगिक आधार पर शुरू की गयी। वर्तमान में उत्तराखंड सर्कल में 2611 डाकघर से 131 प्रकार की सीएससी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।	देश का कोई भी नागरिक इस सेवा का लाभ उठा सकता है।	डाक विभाग के उत्तराखण्ड परिमण्डल के 2611 डाकघरों में यह सुविधा उपलब्ध है।
21	पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीओपीएसके)	इस सुविधा के अन्तर्गत समस्त जनता को डाकघरों के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं।	देश का कोई भी नागरिक इस सेवा का लाभ उठा सकता है।	डाक विभाग के उत्तराखण्ड परिमण्डल में चयनित 6 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों (पीओपीएसके) के द्वारा सुविधा प्रदान की जा रही है ।
22	किसी ग्राम पंचायत में मिनी डाकघर खोलने की प्रक्रिया	**जनसंख्या** – सामान्य क्षेत्र हेतु 3000 (ग्राम समूहों व प्रस्तावित गांव सहित), पहाडी क्षेत्र – 500 (व्यक्तिगत गांव) व 1000 (ग्राम समूह) **दूरी** – सामान्य क्षेत्र हेतु (03 किमी न्यूनतम), पहाडी क्षेत्र – (03 किमी न्यूनतम एवं विशेष परिस्थितियों में निदेशालय दूरी की सीमा में छूट दे सकता है।) **प्रत्याशित आय** – सामान्य क्षेत्र – 33.33 प्रतिशत, पहाडी क्षेत्र –15 प्रतिशत होनी चाहिए।		
23	डाकमित्र बनने की प्रक्रिया	डाकमित्र बनने हेतु Common service centre (CSC) पंजीकरण होना चाहिए। इसके उपरांत डाकमित्र हेतु सीएससी डाकमित्र पोर्टल (https://dakmitra.csccloud.in/) पर आवेदन किया जा सकता है।		

नोटः– (*) तिमाही आधार पर परिवर्तनीय

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, देहरादून उत्तराखंड। (SLBC)

संक्षिप्त परिचय :– राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी), राज्य स्तर पर शीर्ष अंतर–संस्थागत मंच एवं बैंकरों की एक समिति के रूप में, राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। समिति, वित्तीय सेवा विभाग, भारत सरकार, राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड और बैंकों के साथ समन्वय का कार्य करती है। इसमें एसएफबी, आरआरबी, पीबी, राज्य सहकारी बैंक, आरबीआई, नाबार्ड सहित वाणिज्यिक बैंकों के प्रतिनिधि, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, खादी और ग्रामोद्योग आयोग आदि के प्रतिनिधियों सहित सरकारी विभागों के प्रमुख शामिल हैं। राज्य में कार्यरत वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधि, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे उद्योग निकाय, खुदरा व्यापारी, निर्यातक, किसान संघ आदि के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि अपनी विशिष्ट समस्याओं, यदि कोई हो, पर चर्चा करने के लिए एसएलबीसी बैठकों में विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं। एसएलबीसी की बैठकें त्रैमासिक आधार पर आयोजित की जाती हैं। प्रतिवर्ष एक विशेष एसएलबीसी बैठक आयोजित की जाती है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री/वित्त मंत्री बैठक की अध्यक्षता करते हैं।

बैठकों के दौरान भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं/सेवाओं में वित्तीय समावेशन करने, वित्तीय प्रक्रियाओं के सरलीकरण करने,ऋण/ब्याज/सब्सिडी/बीमा, गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों पर चर्चा की जाती है तथा दिशानिर्देश जारी कर, संबंधित विभागों/संस्थाओं को प्रेषित किये जाते हैं। ताकि लाभार्थी को वित्तीय सेवाओं का लाभ आसानी से पहुंच सके।

उत्तराखण्ड में लीड बैंकों का विवरण निम्नवत है :—

क्र.सं.	जनपद	बैंक का नाम
1	अल्मोडा	एसबीआई
2	बागेश्वर	एसबीआई
3	चमोली	एसबीआई
4	चम्पावत	एसबीआई
5	पिथौरागढ	एसबीआई
6	रूद्रप्रयाग	एसबीआई
7	पौडी	एसबीआई
8	टिहरी	एसबीआई
9	उत्तरकाशी	एसबीआई
10	नैनीताल	बैंक आफ बडोदा
11	ऊधमसिंहनगर	बैंक आफ बडोदा
12	देहरादून	पीएनबी
13	हरिद्वार	पीएनबी

भारतीय खाद्य निगम, देहरादून क्षेत्र। (FCI)

भारतीय खाद्य निगम की स्थापना खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत खाद्य नीति के मुख्य उद्देश्यों यथा किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रभावी मूल्य समर्थन करने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए पूरे देश में खाद्यान्नों का वितरण करने, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्नों के परिचालन और बफर स्टॉक का संतोषजनक स्तर बनाए रखने हेतु किया गया। अपनी स्थापना के बाद से, एफसीआई ने संकट प्रबंधन उन्मुख खाद्य सुरक्षा को एक स्थिर सुरक्षा प्रणाली में बदलने में भारत की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वाहनों/ट्रकों की वास्तविक समय पर आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए, एनआईसी – उत्तराखंड इकाई के सहयोग से वाहन स्थान ट्रैकिंग प्रणाली (वीएलटीएस) विकसित की गई है ताकि भू–निर्देशांक और मानचित्रों के माध्यम से ट्रकों की आवाजाही पर ऑनलाइन मोड में नजर रखी जा सके।

भा.खा.नि. उत्तराखंड राज्य मे, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना एवं अन्य कार्यक्रमों के तहत गेहूं का स्टॉक, राज्य सरकार को उपलब्ध कराता है। यह निगम ओपन मार्केट सेल्स स्कीम (OMSS) के तहत अतिरिक्त अनाज को विभिन्न इकाइयों, जैसे राज्य सरकारें, NCCF, NAFED ,केन्द्रीय भण्डार और निजी व्यापारियों को बेचता है। इस हेतु राज्य सरकारें भा.खा.नि के साथ एक वैध समझौते या समझौते के आधार पर इस OMSS में भाग लेने के योग्य होती हैं। थोक उपभोक्ता और निजी व्यापारी जो OMSS में अतिरिक्त अनाज की खरीद करने के इच्छुक हैं, उन्हें भा.खा.नि के नियुक्त प्राधिकारियों के साथ पंजीकरण करना होता है तथा उसके लिए DAFPD द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, जैसे खाद्य अनाज में व्यापार के लिए वैध लाइसेंस, कर अनुपालन आदि। थोक उपभोक्ता जैसे आटाचक्की, बेकरियों, खाद्यप्रसंस्करण उद्योग आदि, व्यावसायिक उद्योगों को भी भा.खा.नि. से अतिरिक्त अनाज की खरीद कर सकते हैं। खुले बाजार में गेहूं और चावल की उपलब्धता बढ़ाने और बाजार में गेहूं, चावल और आटे की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए डीएफपीडी के निर्देशानुसार भारतीय खाद्य निगम खुले बाज़ार में गेहूँ और चावल की बिक्री, योजना के तहत गेहूं और चावल को आटा मिलों/निजी व्यापारियों/थोक खरीदारों/निर्माताओं द्वारा ई–नीलामी के माध्यम से खरीदा जाता है और बेचा जाता है। राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश निगमों/सहकारिताओं/संघों/स्वयं सहायता समूहों को बेचा जाता है। भा.खा.नि द्वारा रक्षा/अर्धसैनिक बलों को भी खाद्यान्न राज्य–वार त्रैमासिक आवंटित किया जाता है।

भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित, देहरादून (NCCF)

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>योजना / सेवा का नाम</th><th>लाभ</th><th>पात्रता</th><th>आवेदन प्रक्रिया एवंचयनप्रक्रिया</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>मूल्य समर्थन योजना–रबी खरीद</td><td>उत्तराखण्ड राज्य के कृषकों को MSP के अनुसार गेहूं खरीद के सापेक्ष भुगतान की प्राप्ति।</td><td>उत्तराखण्ड राज्य के कृषक।</td><td rowspan="2">खरीफ–खरीद नीति 2024–25
खाद्य विभाग के अन्तर्गत एन.सी.सी.एफ. किसानों से मूल्य समर्थन योजना के अर्न्तगत धान / गेहूँ खरीद हेतु किसानों का पंजीकरण किया जाता है। स्थापित क्रय केन्द्रों पर बैनर के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया जाता है। उत्तराखण्ड राज्य में केवल गेहूँ एवं धान की खरीद का कार्य किया जाता है।
किसानों को धान/गेहूँ बेचने से पूर्व अपनी फसलों का विशेष ध्यान जैसे फसल को सही जगह एकत्रित करके रखा हो, फसल को नमी वाले स्थान पर ना रखे, नमी आने पर किसानों को उनकी फसल का सही भुगतान नहीं मिल पाता। किसान अपनी फसल को खेत से निकालने के बाद उसको साफ कर उसको उचित स्थान पर व्यवस्थित कर रखे।
संघ से कोई थोक विक्रेता भी गेहूँ/धान/अन्य फसल नहीं खरीद सकता है।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>मूल्य समर्थन योजना–खरीफ खरीद</td><td>उत्तरखण्ड राज्य के कृषकों को MSP के अनुसार धान खरीद के सापेक्ष भुगतान की प्राप्ति।</td><td>उत्तराखण्ड राज्य के कृषक।</td></tr>
</table>

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (NAFED), ऊधमसिंहनगर

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (NAFED) एक राष्ट्रीय स्तर की सहकारी एजेंसी है जो छः दशकों के अधिक समय से कृषक समुदाय के हितों के लिए कार्य कर रही है। यह मल्टी स्टेट को–ऑपरेटिव सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत है, जिसकी पंजीकरण संख्या 117 दिनांक 2 अक्टूबर, 1958 है।

NAFED उपभोक्ता मामलों (DOCA) के तहत कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के तहत मूल्य समर्थन योजना (PSS) में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर दलहन और तिलहन की खरीद के लिए भारत सरकार की एक केंद्रीय नोडल एजेंसी है और मूल्य स्थिरीकरण योजना (PSF) के तहत दालों की खरीद भी करती है जिससे दालों का एक राष्ट्रीय बफर स्टाक बनाए रखने और सेना, केंद्रीय अर्ध–सैन्य बलों (सीपीएमएफ), पीडीएस, एमडीएम, आईसीडीएस आदि के तहत राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को इसके प्रसंस्करण और आगे की आपूर्ति की व्यवस्था भी करती है।
NAFED पिछले कई वर्षों से DAC&FW की ओर से NFSM (दलहन और OS) के तहत दलहन और तिलहन के बीज उत्पादन कार्यक्रम और प्रमाणित बीज मिनीकिट के वितरण के लिए भारत सरकार की केंद्रीय नोडल एजेंसी भी है। विगत वर्षो में उत्तराखंड राज्य मे नेफेड की कुछ उपलब्धियाँ निम्नवत् प्रस्तुत की जा रही है :–

क्र. सं.	योजना/सेवा का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	मूल्य समर्थन योजना–रबी खरीद	उत्तरखण्ड राज्य के कृषकों को MSP के अनुसार गेहूं खरीद के सापेक्ष भुगतान की प्राप्ति।	उत्तराखण्ड राज्य के कृषक।	रबी–खरीद नीति
2	मूल्य समर्थन योजना–खरीफ खरीद	उत्तरखण्ड राज्य के कृषकों को MSP के अनुसार धान खरीद के सापेक्ष भुगतान की प्राप्ति।	उत्तराखण्ड राज्य के कृषक।	खरीफ–खरीद नीति 2024–25
3	किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन	जीवंत और स्थायी आय उन्मुख खेती और समग्र सामाजिक–आर्थिक विकास और कृषि समुदायों की भलाई हेतु नए 10,000 एफ.पी.ओ. बनाने के लिए सर्वागीण और व्यापक आधारित सहायक पारिस्थिति की तंत्र प्रदान करना	उत्तराखण्ड राज्य के 32 ब्लाकों में स्थापित एफपीओ के माध्यम से लगभग 5500 कृषकों	संचालन दिशा निर्देशिका भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

		है।	को जोड़ा जा चुका है।	
4	किसान उत्पाद संगठन बनाने की प्रक्रिया एवं लाभ	किसान उत्पाद संगठन बनने के बाद किसानों को उनके उत्पाद को उचित मूल्य पर विक्रय प्लेटफार्म उपलब्ध करा के उनको अधिकतम लाभ दिलवाया जाता है। साथ ही सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से किसानों को जोडा जाता है। मुख्यतः एफपीओ लघु एवं सीमांत किसानों का एक समूह है। इससे जुडे किसानों को न सिर्फ अपनी उपज के लिए बाजार मिलता है बल्कि खेत में लगने वाले खाद, बीज, दवाईयां और कृषि यंत्रो की खरीद भी उचित मूल्य पर मिलती है। इससे छोटे किसानों को अच्छा मोल मिल जाता है। इससे किसानों को उनकी उपज का मूल्य बिना किसी कटौती के तत्काल प्रदान किया जाता है एवं उपभोक्ताओ को प्रत्यक्ष खुदरा दुकानों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है।	उत्तराखण्ड राज्य के कृषक एवं उपभोक्तागण।	सर्वप्रथम इंप्लिमेंट एजेंसी द्वारा सीबीबीओ का चयन किया जाता है तथा संबंधित ग्रामों में जाकर बेसलाइन सर्वे किया जाता है तथा डीएमसी मीटिंग में एफपीओ का अप्रूवल लिया जाता है। सीबीबीओ द्वारा 10 डायरेक्टर की पहचान करके उनके नाम से किसान उत्पाद संगठन का पंजीकरण को–आपरेटिव सोसाइटी या कम्पनी एक्ट के तहत किया जाता है। सीईओ व लेखाधिकारी का चयन किया जाता है। किसान उत्पाद संगठन का पंजीकरण होने के उपरांत कम से कम समतल क्षेत्र व पहाडी क्षेत्र में 100 कृषकों को जोडा जाता है। आईएफपीसी की प्रसंस्करण इकाई शहरों में भी लगाई जा सकती है।

5	भारत ब्रांड योजना	भारत ब्रांड योजना के तहत उपभोक्ताओं को भारत आटा, भारत चावल एवं भारत दाल रियायती दरों पर उपलब्ध कराना।	उपभोक्ता मामले , खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के निर्देशानुसार गत वर्ष में नेफेड द्वारा उत्तराखंड राज्य मे उपभोक्ताओं को भारत ब्रांड पदार्थ रियायती मूल्यों पर उपलब्ध कराये गए जैसे भारत चना दाल मात्र 60 रुपए प्रति किलो, भारत आटा मात्र 27.50 रुपए प्रति किलो एवं भारत चावल मात्र 29 रुपए प्रति किलो।	उपभोक्ता मामले , खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नेफेड को भारत ब्रांड के प्रसंस्करण एवं वितरण के लिए एजेंसी नामित किया गया। उत्तराखंड राज्य मे नेफेड द्वारा विभिन्न शहरों में मोबाइल वैन एवं फेयर प्राइस पॉइंट के माध्यम से बिक्री की गयी।
6	पीएसएफ़ के अंतर्गत खरीदे गए प्याज का रियायती दरों पर खुदरा बिक्री।	बाजार मे प्याज़ की बढ़ती कीमतों से राहत दिलाने के लिए भारत सरकार के निर्देशानुसार नेफेड द्वारा पीएसएफ़ रबी – 23 मे खरीदे गए प्याज़ को उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर बेचा गया।	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार गत वर्ष मे नेफेड द्वारा उत्तराखंड राज्य मे उपभोक्ताओं को प्याज़ रियायती मूल्यों पर उपलब्ध कराया गया मात्र 25 रुपए प्रति किलो।	उत्तराखंड राज्य मे नेफेड द्वारा विभिन्न शहरों मे मोबाइल वैन एवं फेयर प्राइस पॉइंट के माध्यम से बिक्री की गयी।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, (GSI)
राज्य इकाईः उत्तराखंड
देहरादून

संक्षिप्त परिचयः– भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) की स्थापना स्वतन्त्रता से पूर्व रेलवे हेतु कोयला और खनिज संसाधनों की जांच, के रूप में शुरू हुई। वर्तमान में जीएसआई के मुख्य कार्य राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक सूचना और खनिज संसाधन मूल्यांकन के सृजन और अपडेशन से संबंधित हैं। इन उद्देश्यों को जमीनी सर्वेक्षण, वायु–जनित और समुद्री सर्वेक्षण, खनिज पूर्वेक्षण और जांच, बहु–अनुशासनात्मक भू–वैज्ञानिक, भू–तकनीकी, भू–पर्यावरण और प्राकृतिक खतरों के अध्ययन, ग्लेशियोलॉजी, भूकंपीय अध्ययन और मौलिक अनुसंधान के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। वर्तमान में, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, खान मंत्रालय से जुड़ा कार्यालय है। जीएसआई विभिन्न मिशनों के तहत मुख्य गतिविधियाँ कर रहा है–

मिशन 1–	बेसलाइन जियोसाइंस डेटा जनरेशन विशेष विषयगत मानचित्रण (एसटीएम) और राष्ट्रीय भू–रासायनिक मानचित्रण कार्यक्रम (एनजीसीएम)
मिशन 2–	प्राकृतिक संसाधन मूल्यांकन खनिज जांच
मिशन 3 –	भू–सूचना विज्ञान और मानचित्र प्रभाग
मिशन 4–	मौलिक और बहु–विषयक भू–विज्ञान। भूस्खलन और इंजीनियरिंग भूविज्ञान

उत्तराखण्ड की भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभिन्न आपदाओं एवं विशिष्ट परिस्थितियों में उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, की विभिन्न समितियों में नामांकित सदस्य के रूप में सहभागी रहता है तथा आवश्यकतानुसार संबंधित डाटा को भी साझा करता है।

जीएसआई ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में चौरा और गंगोट चूना पत्थर ब्लॉक राज्य सरकार को सौंप दिए हैं, जिसके लिए उत्तराखंड के भूविज्ञान और खनन विभाग के माध्यम से नीलामी प्रक्रिया चल रही है। एनजीसीएम कार्यक्रम के तहत देश के संपूर्ण भू–भाग को भू–रासायनिक नमूने के माध्यम से कवर किया जाता है, जो प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और विकास, पर्यावरण, कृषि, मानव स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक सरोकारों में अनुप्रयोग के साथ–साथ छिपे हुए खनिज भंडारों की खोज में सहायता करता है।

वर्ष 2013 में उत्तराखंड में आई भीषण प्राकृतिक आपदा के कारण पूरे देश के संवेदनशीलता मानचित्र की आवश्यकता पड़ी, जिसके लिए प्राथमिकता के आधार पर राष्ट्रीय संवेदनशीलता मानचित्रण (एनएलएसएम) कार्यक्रम सबसे पहले शुरू किया गया था।

जीएसआई उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों में जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण, जांच और योजना, जल संसाधन विकास, संचार और परिवहन परियोजनाओं के मूल्यांकन और ढलानों की स्थिरता में भू–तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करके उत्तराखंड राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और केदारनाथ (जून, 2013), चमोली आपदा (फरवरी, 2021), जोशीमठ भूस्खलन (जनवरी, 2023) और सिल्क्यारा बचाव अभियान (नवंबर, 2023) जैसी आपदा संबंधी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल है।

1. केदारनाथ त्रासदी (जून 2013) के उपरान्त भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के पॉच जनपदों में कार्य सत्र 2013 –14 के अन्तर्गत रूद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ व उत्तरकाशी मे सम्बन्धित आपदा प्रभावित क्षेत्रों की ढलानों के स्थायित्व हेतु प्राथमिक आंकलन किया गया था तथा इन प्रतिवेदनों को राज्य सरकार से सांझा किया गया था।

2. चमोली आपदा (फरवरी 2021) के दौरान भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), USDMA द्वारा गठित समिति सदस्य के रूप में भाग लिया तत्पश्चात एक USDMA द्वारा गठित 07 सदस्यीय समिति जिसमें भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण व वाडिया भूविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा रौंथी गाद के मलवे से जनित ऋषिगंगा झील व आपदा सम्बधित सर्वेक्षण किया था।

3. जनवरी 2023 में जोशीमठ भूधंसाव के समय में भी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, USDMA द्वारा गठित संयुक्त दल का सदस्य था तथा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के 1:5,000 स्केल पर भूवैज्ञानिक मानचित्रण का अधिदेश दिया गया था। भा.भू.स. ने इस सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन तैयार कर एक–एक प्रति मुख्य सचिव उत्तराखंड व सचिव USDMA उत्तराखंड को फरवरी 2024 मे सौंप दी गई थी।

4. सिल्क्यारा बचाव अभियान(नवम्बर 2023)के दौरान भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के तीन वरिष्ठ निदेशक गण का दल 18.11.2023 से 29.11.2023 तक Site पर विभिन्न बचाव दलों SJVNL, RVNL, ONGC, THDC के साथ सक्रिय रूप से भूवैज्ञानिक जानकारी को सांझा किया तथा NHIDCL द्वारा आयोजित बैठकों में भाग लिया।

उत्तराखंड के देहरादून और टिहरी गढ़वाल जिलों के रंगर गांव क्षेत्र में फॉस्फोराइट और संबंधित दुर्लभ धातु (आरएम) खनिजकरण के लिए सर्वेक्षण, बागेश्वर और अल्मोड़ा जिलों के चिरौली और आसपास के क्षेत्रों में आधार धातु और संबंधित खनिजकरण के लिए सर्वेक्षण, संचार मार्गों पर भूस्खलन या जन-सांख्यिकीय केंद्रों को हुए नुकसान का आपदा के बाद अध्ययन तथा जल संसाधन विकास परियोजना का भू–तकनीकी मूल्यांकन का कार्य जीएसआई द्वारा उत्तराखण्ड में किया जा रहा है।

उत्तराखण्ड राज्य में जीएसआई की ओर से सामरिक व महत्वपूर्ण खनिज में टिन, टंगस्टन, वैनेडियम, आरईई, फास्फोराइट इत्यादि पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है तथा इन्हें विभिन्न कार्यसत्र मदों में वार्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत लिया जाता है। खनिज अन्वेषण, भारतीय

भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का कार्य है तदोपरांत विशिष्ट खोज होने पर उसे ब्लाक के रूप में खान मंत्रालय से राज्य भूतत्व व खनिकर्म निदेशालय को हस्तान्तरित किया जाता है क्योंकि खनन राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है।

खनिजों के सर्वेक्षण/अन्वेषण कराये जाने हेतु वर्ष में एक बार भूतत्व व खनिकर्म विभाग उत्तराखण्ड के तत्वाधान से विभिन्न वैज्ञानिक संस्थाओं के विशेषज्ञ के साथ एक एसजीपीबी बैठक कर विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाती है तथा नये विषयों या खनिज अन्वेषण रसायनिक सर्वेक्षणीय, चिकित्सा भूविज्ञान तथा आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में संबंधित बिंदुओं को रखा जाता है जिन्हें बाद में केन्द्रीय भूवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाता है। सामान्यतः जीएसआई अपने कार्यसत्र के अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार सर्वेक्षण कार्यो को विभिन्न मिशन के अंतर्गत निष्पादित करता है।

वर्तमान में विभाग द्वारा किये जा रहे विभिन्न कार्यो की वार्षिक प्रतिवेदन जीएसआई के पोर्टल से डाउनलोड की जा सकती है। भूस्खलन से संबंधित रिपोर्ट को भी आपदा प्रबंधन हेतु उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण प्रबंधन केन्द्र उत्तराखण्ड के साथ भी जीएसआई केन्द्रीय मुख्यालय से साझा किया गया है।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून (SOI)

क्र0 सं0	योजना / सेवा का नाम	लाभ
1	सर्वेक्षण एवं मानचित्रण	भारतीय सर्वेक्षण विभाग (एसओआई) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत भारत का राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन है। यह देश के बहु–स्तरीय स्थलाकृतिक मानचित्रों के व्यवस्थित सर्वेक्षण और उत्पादन में तत्पर है जिसने विभिन्न एजेंसियों के लिए आधार और नींव प्रदान कर देश में थिमेटिक मानचित्रण, विस्तृत प्रकार के सेटेलाइट / हवाई छवि विश्लेषण और भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) परियोजनाओं को बढ़ावा दिया है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग ज्योडीय नियंत्रण (क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर) और

		ज्योडीय और भूभौतिकीय सर्वेक्षण, स्थलाकृतिक नियंत्रण, भारत में सर्वेक्षण और मानचित्रण, स्थलाकृतिक मानचित्र और वैमानिकी चार्ट का उत्पादन, विकासात्मक परियोजनाओं के लिए विशेष सर्वेक्षण करना, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का सीमांकन, देश में प्रकाशित मानचित्रों पर उनका सटीक चित्रण सुनिश्चित करना और अंतर–राज्यीय सीमाओं के सीमांकन पर भी सलाह देने के लिए उत्तरदायी है। उत्तराखण्ड राज्य में किसी विशेष क्षेत्र का सर्वेक्षण कराने के लिए निदेशक, उत्तराखण्ड भू–स्थानिक निदेशालय, देहरादून से निम्न पते पर सम्पर्क कर सकते हैं : उत्तराखण्ड भू–स्थानिक निदेशालय, सर्वे आफ इण्डिया, 17–ई. सी. रोड़, पोस्ट बॉक्स न. 122, देहरादून 248001, ई–मेल : ukgdc.ddn.soi@gov.in सम्पर्क नंबर 0135–2656402, 2711815, 2713915, भारत के महासर्वेक्षक के कार्यालय से सम्पर्क हेतु पता : भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय, पोस्ट बॉक्स न. 37, सर्वे आफ इण्डिया, हाथीबड़कला एस्टेट–248001 ई–मेल : sgi.soi@gov.in फोन नम्बर 0135–2744268।
2	राष्ट्रीय भू–स्थानिक नीति (2022)	भारत सरकार ने 28 दिसंबर, 2022 को राष्ट्रीय भू–स्थानिक नीति – 2022 (एनजीपी–2022) को अधिसूचित किया है । एनजीपी–2022 के अंतर्गत भारतीय सर्वेक्षण विभाग को जियोडेटिक रेफरेंस फ्रेम (जीआरएफ) की स्थापना और रखरखाव और नेशनल जियोस्पेशियल डेटा रजिस्ट्री (एनजीडीआर) और यूनिफाइड जियोस्पेशियल इंटरफेस (यूजीआई) का विकास जैसी कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएं सौंपी गई हैं। एन.जी.डी.आर. डेटासेट और सेवाओं के रजिस्ट्रों/कैटालॉग का एक सामान्य रूप से सुलभ सेट है। जबकि यू.जी.आई. इलैक्ट्रोनिक डेटा प्रश्न और प्रसंस्करण सेवा, एन.जी.डी.आर. में निहित भू–स्थानिक डेटा और मेटाडेटा का उपयोग करके उपभोक्ता–उन्मुख उत्पादों, अनुप्रयोगों, सेवाओं और समाधानों के प्रावधान और केन्द्रीय और राज्य स्तरीय साझेदार एजेंसी डेटा नोड्स में डेटा आपूर्ति श्रृंखलाओं के प्रयोगार्थ संचालित करना है।
3	सी.ओ.आर. एस. (CORS) कन्टीन्युस ओपरेटिंग रिफरेन्स स्टेशन	भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने विभिन्न केंद्र/राज्य सरकारी कार्यालयों के साथ साझेदारी करके देश में CORS नेटवर्क स्थापित करने की महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है। यह भू–स्थानिक बुनियादी ढांचा देशभर में वास्तविक समय में से.मी. स्तर की स्थान सटीकता की जानकारी की सुविधा प्रदान करेगा तथा सर्वेक्षण और मानचित्रण की उत्पादकता और विश्वसनीयता में सुधार करेगा जिससे भारत सरकार की पहल जैसे – स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया भू–अभिलेख आधुनिकीकरण (डीआईएलआरएमपी), शहरी नियोजन और विकास को बढ़ावा मिलेगा। सी.ओ.आर.एस. (CORS) सेवाएं एक समर्पित पोर्टल https://cors.surveyofindia.gov.in के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं । सी.ओ.आर.एस सेवायें सभी भारतीय नागरिकों/शिक्षण संस्थाओं/केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों के उपयोग हेतु उपलब्ध है। सी.ओ. आर.एस उत्पाद और सेवायें केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और शैक्षणिक संस्थानों के लिए निःशुल्क उपलब्ध है अन्य श्रेणीयों के लिए सदस्यता शुल्क के आधार पर यह सुविधा उपलब्ध है। इस सम्बन्ध में अतिरिक्त जानकारी निम्न पोर्टल पर उपलब्ध हैः : https://cors.surveyofindia.gov.in/subscriptioncharges.php
4	एनएचपी (NHP): नेशनल	यह राष्ट्रीय महत्व की एक परियोजना है जिसमें भारतीय सर्वेक्षण विभाग (एसओआई) केंद्रीय कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में एक नोडल भूमिका निभा रहा है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत में जल संसाधन सूचना प्रणाली की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार और लक्षित जल संसाधन प्रबंधन संस्थानों की क्षमता को मजबूत करना है। इस परियोजना का उद्देश्य जल संसाधनों की

	हाईड्रोग्राफी प्रोजेक्ट	योजना, विकास और प्रबंधन के साथ–साथ वास्तविक समय में बाढ़ पूर्वानुमान और जलाशय अवलोकन में सुधार करना है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग को विभिन्न प्रकार के भू–स्थानिक डाटासेट्स जैसे–नदी के दोनों किनारों पर 05 कि.मी. तक नदी बेसिन क्षेत्रों (मैदानी) के लिए 0.5 मी., 5 मी. तथा 10 मी. के मानचित्रण एवं डिजिटल एलिवेशन मॉडल (डी.ई.एम.) को तैयार करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है । भारतीय सर्वेक्षण विभाग हाई रेजोल्यूशन से परिशुद्ध नक्शे बनाकर विभिन्न विभागों को प्रदान कर रहा है। जिसके उचित उपयोग से ग्रामीण पंचायत प्रबन्धन/शहरी निकाय प्रबन्धन एवं पेयजल प्रबन्धन में सहायता मिल सकती है।
5	एनएमसीजी (NMCG) नेशनल मिशन फार क्लीन गंगा	यह परियोजना केंद्र सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इस परियोजना का उद्देश्य नवीनतम तकनीक के साथ ऋषिकेश, उत्तराखंड से हल्दिया, पश्चिम बंगाल तक गंगा नदी के लिए हाई रिज़ॉल्यूशन डिजिटल एलिवेशन मॉडल (एचआरडीईएम) और भौगोलिक सूचना पद्धति (जीआईएस) द्वारा डेटाबेस तैयार करना है। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे दो लाख पचास हजार वर्ग किमी क्षेत्र के प्रमुख कस्बों और शहरों को कवर करने हेतु मैपिंग की जा रही है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग को नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करके गंगा नदी के दोनों किनारों पर 10 किमी की सीमा तक कवर करने वाले 0.5 मीटर रिज़ॉल्यूशन के उच्च–रिज़ॉल्यूशन डिजिटल एलिवेशन मॉडल (डीईएम) और जीआईएस मानचित्र तैयार करने का काम सौंपा गया है। यह डाटा राजकीय विभागों की आवश्यकता/मॉग पर साझा किया जा सकता है।
6	स्वामित्व	ड्रोन तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्र में भूमि पार्सल के सर्वेक्षण के लिए 24 अप्रैल, 2020 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा स्वामित्व योजना शुरू की गई थी। पंचायती राज मंत्रालय की इस केंद्रीय क्षेत्र योजना में भारतीय सर्वेक्षण विभाग प्रौद्योगिकी भागीदार है। यह सर्वेक्षण करीब 3,73,344 गांवों के लिए किया जा रहा है। परियोजना के परिणाम में राजस्व/संपत्ति रजिस्टरों में अधिकार के रिकॉर्ड का अद्यतनीकरण और मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी करना शामिल होगा। सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में स्वामित्व योजना के अन्तर्गत ड्रोन सर्वे एवं मानचित्रण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, विज्ञान शाखा, देहरादून। (ASI)

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दिसंबर, **1861** में अस्तित्व में आया और देश के विभिन्न क्षेत्रों का व्यवस्थित सर्वेक्षण किया, हालांकि स्मारकों का संरक्षण और परिरक्षण, जो आज विभाग का एक प्रमुख कार्य है, इसके कार्यक्रमों के दायरे से बाहर रह गया था। 1904 में, **प्राचीन स्मारकों और पुरातत्व, ऐतिहासिक और कलात्मक रुचि की वस्तुओं की रक्षा और अधिग्रहण के उद्देश्य से बहुत जरूरी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम लागू किया गया।** स्वतंत्रता के बाद, प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के रूप में जाना जाने वाला एक व्यापक कानून बनाया गया। इस अधिनियम के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 3500 से अधिक स्मारकों को **राष्ट्रीय महत्व के केंद्रीय संरक्षित स्मारक घोषित किया है।** इनमें से, यूनेस्को ने 22 स्थलों को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थलों में सूचीबद्ध किया है। विश्व विरासत सूची में शामिल विभिन्न भारतीय स्मारक और स्थल हैं। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, आगरा का किला, ताजमहल, कोणार्क का सूर्य मंदिर, आदि। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभिन्न शाखाओं के माध्यम से कार्य करता है।

विज्ञान शाखा– यह मुख्य रूप से केंद्रीय संरक्षित स्मारकों के वैज्ञानिक संरक्षण के लिए जिम्मेदार है, इसके तहत 30 विश्व धरोहर स्मारकों सहित केंद्रीय संरक्षित स्मारकों का संरक्षण, उपचार, संग्रहालय प्रदर्शनियाँ और उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं का संरक्षण, विदेशों में स्मारक और विरासत स्थलों का संरक्षण का कार्य किया जाता है। गिरावट के कारणों का अध्ययन करने के लिए शोध भी किया जाता है। साथ ही पुरातत्व संस्थान, नई दिल्ली से पुरातत्व में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के छात्रों को संरक्षण पर प्रशिक्षण, वैज्ञानिक संरक्षण कार्यों के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम एवं कार्यशाला/सेमिनार आयोजित किये जाते हैं।

विज्ञान शाखा प्रयोगशालाएँ– ये प्रयोगशालाएँ विश्लेषणात्मक उपकरणों से सुसज्जित हैं जिनका उपयोग कार्बनिक और अकार्बनिक मूल के पुरातात्विक नमूनों के विस्तृत रासायनिक विश्लेषण में किया जाता है। इंफ़्रा–रेड और यूवी–विज़िबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, थर्मल ग्रेविमेट्रिक डिफरेंशियल थर्मल एनालाइज़र का उपयोग पिगमेंट, पेंट, मिट्टी के बर्तन, कार्बनिक सामग्री, विभिन्न प्रकार की निर्माण सामग्री आदि के विश्लेषण के लिए किया जाता है। माइक्रोस्कोपी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, मेटलोग्राफिक माइक्रोस्कोप और स्टीरियोमाइक्रोस्कोप से सुसज्जित है जिसका उपयोग जैविक मूल के नमूनों और पत्थर, प्लास्टर, चूना, मोर्टार आदि जैसी निर्माण सामग्री के नमूनों की जांच के लिए किया जाता है। पत्थर संरक्षण प्रयोगशाला पूरे देश में पुरातात्विक स्थलों से प्राप्त विभिन्न प्रकार के पत्थरों के भौतिक गुणों के मूल्यांकन और निर्धारण से संबंधित विभिन्न परियोजनाएं शुरू करती है और परिरक्षकों के आवेदन के बाद उनके जल प्रतिरोधी व्यवहार का निर्धारण करती है। नाजुक और अत्यधिक खराब हो चुकी वस्तुओं का पुनरुद्धार उपचार एक कठिन कार्य है और उनकी सफल बहाली के लिए सटीक और कुशल वस्तु विशिष्ट पद्धतियों को अपनाने के अलावा संवेदनशीलता और मानव कौशल की आवश्यकता होती है। शुद्ध धातुओं या मिश्रधातुओं से निर्मित पुरावशेष, पत्थर, टेराकोटा, लकड़ी, हड्डी, चमड़ा, तेल, प्लास्टर पैनल, कागज पेंटिंग, पांडुलिपियाँ, संग्रहालयों तथा अन्य स्थानों से प्राप्त मानचित्रों आदि को इस प्रयोगशाला में पुनर्स्थापित किया जाता है।

किसी राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किये जाने की प्रक्रिया एवं विश्व विरासत सूची में किसी स्मारक/स्थल/सांस्कृतिक धरोहर को सूचीबद्ध करने की सूचना :– प्राचीन स्मारकों से तात्पर्य ऐसे किसी संरचना या स्मारक, या कोई पुरास्थल से है जो कि कम से कम १०० साल पुराना हो। उस स्मारक/पुरास्थल की वास्तविक संरचना के साथ कोई छेड़–छाड़ नहीं की गयी हो एवं सबसे महत्वपूर्ण की राष्ट्रीय महत्व की ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक धरोहर हो। यदि राज्य में कोई स्मारक/पुरास्थल राष्ट्रीय महत्व के अनुरूप ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थिति रखता है, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, देहरादून मण्डल द्वारा स्मारक/पुरास्थल का गहन अध्ययन किया जाता है तदनुसार एक विस्तृत प्रस्ताव बनाया जाता है जिसमें स्मारक/पुरास्थल के ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व, संरक्षित, प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्षेत्र की सीमा इत्यादि की विस्तृत रुपरेखा दी जाती है। मुख्यालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली में एक निर्दिष्ट समिति द्वारा प्रस्ताव की विवेचना की जाती है। यदि स्मारक /पुरास्थल राष्ट्रीय महत्व के अनुरूप पाया जाता है तो प्रारंभिक अधिसूचना (Preliminary Notification) निकाला जाता है, एवं 02 माह तक कोई आपत्ति दर्ज ना होने की स्थिति में अंतिम अधिसूचना (Final Notification) जारी कर राष्ट्रीय महत्व का स्मारक/पुरास्थल घोषित कर दिया जाता है।

इसी प्रकार विश्व धरोहर स्थल एक ऐसा स्थल या क्षेत्र है जिसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) द्वारा प्रशासित अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा कानूनी संरक्षण प्राप्त है। विश्व धरोहर स्थलों को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक या अन्य प्रकार के महत्व के लिए यूनेस्को द्वारा नामित किया जाता है। विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के लिए उस स्मारक/स्थल/सांस्कृतिक/ प्राकृतिक धरोहर का वैश्विक महत्व होना आवश्यक है । विश्व धरोहर समिति के दिशा–निर्देशों के अनुरूप निर्धारित दस चयन मानदंडों में से कम से कम एक को पूरा करना चाहिए। इन मानदंडों को विश्व धरोहर सम्मेलन के कार्यान्वयन के लिए परिचालन दिशा–निर्देशों में स्पष्ट किया गया है। विश्व विरासत सूची में किसी स्मारक/स्थल/सांस्कृतिक/प्राकृतिक धरोहर को सूचीबद्ध करने के लिए एक निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना पड़ता है जिसमें विस्तृत रूप से स्मारक/स्थल/सांस्कृतिक/प्राकृतिक धरोहर का वर्णन एवं सम्बंधित प्रपत्र लगाने पड़ते हैं। यदि विश्व धरोहर समिति प्रस्तुत प्रारूप के अनुरूप उक्त उस स्मारक/स्थल/सांस्कृतिक/ प्राकृतिक धरोहर को संरक्षण योग्य निर्धारित करती है, तत्पश्चात उसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित करने हेतु प्रक्रिया शुरू होती है।

भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग, देहरादून (BSI)

देश के समृद्ध वानस्पतिक संसाधनों के सर्वेक्षण के मूल उद्देश्य की प्राप्ति के लिये भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना 13 फरवरी 1890 में हुई थी। वनस्पति सम्पदा की दृष्टि से धनी होने के कारण देश की पादप सम्पदा के सर्वेक्षण, पौधों की विस्तृत जानकारी, पारिस्थितिकी, आर्थिक महत्व एवं जिलों, राज्यों तथा राष्ट्रीय पादप सम्पदा के अध्ययन के लिये वर्ष 1954 में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का पुनर्गठन किया गया। शनैः शनैः विभाग की गतिविधियों में लुप्तप्राय, दुर्लभ तथा संकटग्रस्त पादप जातियों का संरक्षण, भंगुर पारिस्थितिक तंत्र, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मण्डल आरक्षित क्षेत्र, नृवानस्पतिक अध्ययन एवं वानस्पतिक उद्यानों व हरित गृहों में पादपों के रखरखाव आदि कार्यों को सम्मिलित कर इसके क्रियात्मक आधार का विस्तार किया गया ।

उत्तरी क्षेत्रीय केन्द्र 192 कौलागढ़ मार्ग, देहरादून में सह आवासीय परिसर के 16 एकड़ क्षेत्र में स्थित है। इस केन्द्र के पास विभिन्न शोध क्रियाकलापों के लिए पादपालय, संग्रहालय, पुस्तकालय, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी तथा प्रायोगिक वानस्पतिक उद्यान आदि क्रियाशील इकाइयां हैं। इस केन्द्र के आधुनिक एवं सुव्यवस्थित संग्रहालय में वानस्पतिक दृष्टिकोण से रोचक विभिन्न पादप समूहों जैसे शैवाल, कवक, हरितोद्भिद्, पर्णांग, अनावृतबीजी एवं आवृतबीजियों के रोचक नमूने प्रदर्शित किए गए हैं। प्रदर्शन हेतु कीटभक्षी पादप, परजीवी, विषयुक्त पादप, ''संकटग्रस्त प्रजातियों का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता'' के अंर्तगत आने वाले पौधे, स्थानिक एवं दुर्लभ, संकटग्रस्त एवं संकटापन्न जातियां तथा औषधीय एवं अन्य आर्थिक महत्व के पौधे रखे गए हैं।

इस केन्द्र द्वारा तीन प्रायोगिक उद्यानों जैसे राष्ट्रीय अनावृतबीजी संग्रहण, नागदेव प्रखण्ड, प्राकृतिक संरक्षित वन–खिर्सू एवं स्वर्ण जयंती उद्यान एवं धन्वन्तरि औषध वाटिका देहरादून का रख–रखाव, इस केन्द्र के कार्य क्षेत्र से संग्रहित दुर्लभ, संकटग्रस्त एवं संकटापन्न, असुरक्षित, औषधीय महत्व तथा आर्थिक महत्व के पौधों को रोपित एवं संरक्षित करने के लिये किया जाता है।

इस केन्द्र द्वारा समय समय पर अनेक वैज्ञानिक परियोजनाएं उत्तराखण्ड में संचालित की गई हैं जो निम्नवत् हैं :

1. गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान की वनस्पति।
2. राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड में पौधों की विविधता का आंकलन।
3. उत्तराखंड की वनस्पति एवं फ्लोरा ऑफ उत्तराखंड।
4. नंधौर वन्यजीव अभ्यारण्य, उत्तराखंड की वनस्पति।
5. सोनानदी वन्यजीव अभ्यारण्य, उत्तराखंड की वनस्पति।
6. केदारनाथ प्राकृतिक आपदा – वनस्पतियों पर प्रभाव पर अध्ययन।
7. बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य, उत्तराखंड की पादप विविधता आंकलन।
8. गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, उत्तरांचल की पुष्प विविधता का आंकलन।
9. भारत के उत्तराखंड की थारू और बोक्सा जनजाति का नृवंशविज्ञान अध्ययन।
10. देहरादून के मीठे पानी के शैवाल की विविधता।

वर्तमान में विशेष रूप से उत्तराखण्ड में इस केन्द्र द्वारा तीन परियोजनाएं : 1. झिलमिल कन्जर्वेशन रिजर्व, हरिद्वार; 2. देहरादून की वनस्पति प्रजातियों की चित्रमय पुस्तक का कार्य; 3. उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र (लिवरवॉट्र्स और मॉस) का ब्रायोफ्लोरिस्टिक अध्ययन। इन परियोजनाओं के अतिरिक्त विभाग द्वारा अन्य किये जाने वाले कार्य निम्नवत् हैं :

क्र. सं.	योजना/सेवा का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	पादपालय, म्यूजियम उद्यान	पादपों का संग्रहण, संरक्षण किया जाता है जिसका लाभ विद्यार्थी एवं शोधार्थी ले सकते हैं। पादपों की पहचान के लिये शुल्क की जानकारी https://bsi.gov.in पर उपलब्ध है, भ्रमण हेतु कोई भी शुल्क नहीं है।	विश्वविद्यालय, कालेज के विद्यार्थी एवं शोधार्थी	विश्वविद्यालय, संस्था, कालेज एवं स्कूल के कार्यालयाध्यक्ष की ओर से प्रेषित किये गये पत्र के आधार पर।
2.	इन हाउस प्रोजेक्ट झिलमिल कन्जर्वेशन रिजर्व एवं देहरादून की वनस्पति की पिक्टोरियल गाईट बुक	पादपों की फोटोग्राफी संग्रहण, उनकी पहचान इसके उपरान्त पादपालय में हर्बेरियम करना। एकत्र जानकारी को प्रकाशित करना।	विश्वविद्यालय, कालेज के विद्यार्थी एवं शोधार्थी, वैज्ञानिक वन विभाग के अधिकारी एवं फील्ड स्टाफ	प्रकाशित जानकारी को पुस्तकालय के विक्रय से सम्पर्क करके लिया जा सकता है।
3.	स्कालर अण्डर फलोरा ऑफ इण्डिया	फलोरा ऑफ इण्डिया के अन्तर्गत जे.आर.एफ. का चयन किया जाता है। इसकी जानकरी https://bsi.gov.in पर उपलब्ध करायी जाती है।	विश्वविद्यालय, कालेज के विद्यार्थी एवं शोधार्थी	इस योजना का संचालन कोलकाता मुख्यालय से किया जाता है, जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा/साक्षात्कार के द्वारा चयन किया जाता है।

भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण देहरादून (ANSI)

क्र स	योजना/ सेवा का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	क्षेत्रीय मानव विज्ञान संग्रहालय	प्रतिदर्शी के माध्यम से भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र की संस्कृति और परंपरा को जानने का अवसर	सोमवार से शुक्रवार (राजकीय अवकाश को छोड़कर) सबके लिए खुला है। (समय:प्रातः 9:30 बजे से सॉय 5:30	प्रवेश शुल्क कोई नहीं।

			बजे तक)	
2	अधिसदस्यता (वरिष्ठ अनुसंधान अधिसदस्य / कनिष्ठ अनुसंधान अधिसदस्य)	मानव विज्ञान एवं सम्बद्ध विषयों में मास्टर्स डिग्री के उपरांत अनुसंधान कार्य का अनुभव प्राप्त करने का अवसर	मानवविज्ञान एवं सम्बद्ध विषयों में मास्टर्स डिग्री	विज्ञापन भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता की वैबसाइट तथा स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित किये जाते हैं। बैचलर डिग्री किसी भी विषय में तथा मास्टर्स डिग्री मानवविज्ञान एवं सम्बद्ध विषय जैसे –सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान, पारिस्थितिकी विज्ञान, भूगोल, संस्कृत, भाषा विज्ञान आदि में होनी चाहिए। आवेदन भेजने का पताः निदेशक, भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, ई.एन, 7–9, सेक्टर–5, सॉल्ट लेक सिटी, कोलकाता–700091 https://ansi.gov.in/fellowhip-program/
3	इर्न्टनशिप / प्रशिक्षण	परा स्नातक (Post Graduation) की पढ़ाई के दौरान Hands on Training in Molecular and Anthropological/Genetic Techniques in DNA Lab.	मानवविज्ञाान एवं सम्बन्ध डिग्री के अध्ययन के दौरान	इस हेतु भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण, की वैबसाइट में https://ansi.gov.in उपलब्ध मार्गदर्शिका अनुसार आवेदन किया जा सकता है। आवेदन भेजने का पताः निदेशक, भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, ई.एन, 7–9, सेक्टर–5, सॉल्ट लेक सिटी,कोलकाता–700091
4	मानव जनसंख्या तथा आनुवांशिकी के अध्ययन तथा विशेष पुस्तकालय	किए गये शोध पर प्रस्तुत रिपोटर्स पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जाता है जोकि भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता के प्रकाशन एवं विक्रय खण्ड से खरीदी जा सकती है। इनका कैटलॉग सर्वेक्षण की वैबसाइट https://ansi.gov.in में देखा जा सकता है। इस पुस्तकालय में कार्यालयाध्यक्ष की पूर्व अनुमति के साथ सभी पुस्तकालय की सुविधा ले सकते हैं। पुस्तकें पढने हेतु पुस्तकालय सोमवार से शुक्रवार (राजपत्रित अवकाश को छोडकर) समय प्रातः 09:30 बजे से सांय 5:30 बजे तक सबके लिए खुला है।		

भारतीय प्राणि सर्वेक्षण, उत्तरी क्षेत्रीय केन्द्र, देहरादून विभाग। (ZSI)

संस्थान का संक्षिप्त परिचय :– भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय प्राणि सर्वेक्षण (जेड एस आई), भारत का एक अग्रणी वैज्ञानिक संगठन, 1916 में कोलकाता में अपनी स्थापना के बाद से भारत के जीवों का दस्तावेजीकरण और अध्ययन कर रहा है। वर्तमान में, ZSI के पूरे भारत में 16 क्षेत्रीय केंद्र हैं, जो समुद्र की गहराई से लेकर हिमालय की चोटियों तक सभी परिस्थितिक तंत्रों पर भारतीय प्राणि सर्वेक्षण, उत्तरी क्षेत्रीय केन्द्र, देहरादून 01 अगस्त, 1960 से प्राणियों पर उत्तराखण्ड, उत्तरप्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चण्डीगढ़ राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में कार्य कर रहा है।

क्रम संख्या	योजना/सेवा का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रकिया एवं चयन प्रकिया
1	प्राणि संग्रहालय एवं शोध–प्रयोगशाला	प्राणियों का संग्रहण, संरक्षण किया जाता है. जिसका लाभ विद्यार्थी व शोधार्थी ले सकते हैं। विभिन्न प्रकार के प्राणियों की प्रजात्तियों की पहचान और संग्रहालय भ्रमण हेतु कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है।	विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय के विद्यार्थी तथा शोधार्थी।	विश्वविद्यालय, संस्था, महाविद्यालय, विद्यालय के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रेषित किये गये पत्र के माध्यम से और पूर्व सूचना देने के आधार पर।
2	इन हाउस प्रोजेक्ट केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य तथा	प्राणियों का अवलोकन, फोटोग्राफी, संग्रहण तथा पहचान के उपरान्त नेशनल रिप्रोजिटी में संरक्षण करना।	विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय के प्राचार्य, विद्यार्थी,	प्रकाशित जानकारी को भारतीय प्राणि सर्वेक्षण, मुख्यालय, कोलकाता के प्रकाशन प्रभाग से सम्पर्क करके लिया

	गंगोत्री नेशनल पार्क, उत्तराखण्ड	एकत्र जानकारी को शोधपत्र और पुस्तक के माध्यम से प्रकाशित करना।	शोधार्थी वैज्ञानिक, वन विभाग के अधिकारी, एवं फील्ड स्टाफ, कस्टम और सेना कार्यालय द्वारा।	जा सकता है और कार्यालय की वेबसाईट https://zsi.gov.in पर भी सभी जानकारी उपलब्ध है।
3	स्कॉलरो/ शोधकर्ताओं को फोना ऑफ इण्डिया कार्यक्रम के अर्न्तगत चयन करना।	फोना ऑफ इण्डिया कार्यक्रम के अर्न्तगत शोधकर्ताओं का चयन किया जाता है। इसकी जानकारी https://zsi.gov.in पर उपलब्ध करवायी जाती है। फोना ऑफ इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत स्कॉलरों का चयन कर उन्हें शोधकार्य करने के लिए फेलोशिप दी जाती है और उनको भारतीय प्राणि सर्वेक्षण की शोधकार्य की परियोजनाओं में प्राणियों पर कार्य कैसे करना है शिक्षा दी जाती है।	विश्वविद्यालय, महाविद्यालय के विद्यार्थी तथा शोद्यार्थी।	इस योजना का संचालन भारतीय प्राणि सर्वेक्षण, मुख्यालय, कोलकाता द्वारा किया जाता है, जिसके अर्न्तगत नेशनल स्तर की परीक्षा/साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है और कार्यालय की वेबसाइट https://zsi.gov.in पर भी सभी जानकारी उपलब्ध है।

संस्थान का उत्तराखण्ड में योगदान– उत्तराखण्ड जैवविविधता की दृष्टि से सम्पत्र है और भारतीय प्राणि सर्वेक्षण उत्तराखण्ड राज्य के फोना के दो खंड प्रकाशित किए गए है। जिसमें उत्तराखण्ड की 4006 विभिन्न प्राणियों की प्रजातियों की जानकारियां उपलब्ध है। भारतीय प्राणि सर्वेक्षण, उत्तरी क्षेत्रीय केन्द्र, देहरादून 01 अगस्त 1960 से प्राणियों पर उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चण्डीगड राज्यों और केंन्द्र शासित प्रदेशो में कार्य कर रहें है और इस समय केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में भारतीय प्राणि सर्वेक्षण के वैज्ञानिक प्राणियों की प्रजातीय विविधता पर कार्य कर रहें है। उत्तराखण्ड के विभागों विशेषकर वन विभाग को प्राणीयों की विभिन्न प्रजातियों की विविधता और उनके संरक्षण के लिए कार्य करने की वैज्ञानिक शोध के द्वारा प्राप्त की गई जानकारियों को सांझा किया जाता है और प्राणियों के संरक्षण के लिए संयुक्त रूप से कार्य किया जाता है। उत्तराखण्ड के विश्वविद्यालयों के छात्रो और शोध छात्रो का वन्य प्राणियो की पहचान, उनके संरक्षण पर कार्य करने के लिए प्रशिक्षण और इंटर्नशिप निशुल्क दी जाती है। वन्यप्राणियो के संरक्षण के लिए सेमिनार और जागरूकता कार्यक्रम समय–समय पर आयोजित किए जाते हैं।

राष्ट्रीय जलसर्वेक्षण कार्यालय, देहरादून (NHO)

एक परिचय

(1) भारतीय राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय भारत सरकार के मुख्य जल सर्वेक्षक के अधीन कार्य करता है। यह विभाग, भारत में जल सर्वेक्षण एवं समुद्री मानचित्रण के केन्द्रीय संस्थान के तौर पर एक बहुत ही संगठित एवं स्थापित संस्थान है।

(2) भारतीय समुद्री सर्वेक्षण विभाग की स्थापना सन् 1874 में कलकत्ता में की गई, जो 1882 में रॉयल इंडियन मरीन का एक हिस्सा बन गया। सन् 1947 में भारत की स्वतंत्रता के पश्चात, 01 जून 1954 को समुद्री सर्वेक्षण कार्यालय को देहरादून में स्थानान्तरित किया गया जो तत्पश्चात 1997 में इसके बढ़ते राष्ट्रीय कद और बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय भूमिका के लिए राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण के रूप में नामांकित किया गया। राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय समुद्री मानचित्र और प्रकाशनों के प्रकाशन के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण है। 90% से अधिक विश्व व्यापार समुद्र के माध्यम से होता है। वर्तमान में विभाग के पास सर्वेक्षण कार्य के लिए सभी महासागरों में जाने वाले, आठ सर्वेक्षण पोतों का एक बेड़ा है। ये जहाज आधुनिक सर्वेक्षण उपकरणों और अंकीय आँकड़ा विश्लेषण प्रणाली से युक्त हैं, जो IHO द्वारा निर्धारित आधुनिक सर्वेक्षण मानकों और विशिष्टताओं के अनुसार जल सर्वेक्षणीय आँकड़ा एकत्र करने में सक्षम हैं। हमारे जहाजों और इकाइयों द्वारा दर्ज किए गए अंकीय आँकड़ा, गुणवत्ता नियंत्रण के लिए कठोर सत्यापन से गुजरते हैं। राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण विभाग ने जल सर्वेक्षणीय उत्पादों और सेवाओं के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों में जल सर्वेक्षण की दुनिया में प्रमुख विकास किए हैं।

अंतराष्ट्रीय परिदृश्य पर भारत, अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन (IHO) का एक सक्रिय एवं प्रभावशाली सदस्य है, तथा इसका विभिन्न समितियों में प्रतिनिधित्व है। भारतीय नौसेना जल सर्वेक्षण विभाग पूरी तरह से IHO के कार्यक्रमों का समर्थन करता है। यह विभाग विशेष रूप से क्षेत्रीय

विशेषज्ञता विकसित करने में, और जल सर्वेक्षणीय सर्वेक्षण में क्षमता निर्माण एवं समुद्री मानचित्रण में, भारत सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर इलेक्ट्रानिक नौवहन मानचित्र बनाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के रूप में, जल सर्वेक्षण के लिए विभिन्न देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

(3) अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों के रूप में यह कार्यालय हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से युक्त समुद्री सुरक्षा सूचना पर IHO प्रकाशन S–53 संयुक्त IMO/IHO/WMO मैनुअल के अनसार NAVREA VIII क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा जानकारी के लिए आवृत्त क्षेत्र प्रदान करता है।

सर्वेक्षण कार्य, जल सर्वेक्षण के लिए IHO मानक (S–44) के कठोर मानकों के अनुसार संचालित किए जाते हैं। जल सर्वेक्षण विभाग की भारतीय जल के लिए आधिकारिक इलेक्ट्रानिक नौपरिवहन मानचित्र बनाने में अग्रणी भूमिका है। भारतीय नौसेना जल सर्वेक्षण विभाग दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है और क्षेत्र के देशों और कुछ दक्षिण अफ्रीकी देशों के कार्मिकों को प्रशिक्षण देता है। विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के तहत, संबद्ध देश का जल सर्वेक्षण करने के लिए विभिन्न देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। भारत सरकार के मुख्य जल सर्वेक्षक नवएरिया आठ के समन्वयक हैं, तथा भारत के तट पर नवटैक्स सेवाओं के राष्ट्रीय समन्वयक भी हैं।

(4) पिछले कई दशकों से. राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय, देहरादून तटीय विन्यास से संबंधित भू–स्थानिक आँकड़ा के व्यवस्थित और मानकीकृत संग्रह में शामिल है। राष्ट्रीय हित के क्षेत्रों में समुद्र की गहराई, समुद्र की संरचना, मलबे की जांच, पानी के स्तंभ के वर्तमान और भौतिक गुणों का परीक्षण, नौवहन, सर्वेक्षण जहाजों के बेड़े द्वारा एकत्र किए गए ऑकड़ा को समुद्री पर्यावरण संरक्षण, समुद्री संसाधनों के दोहन, समुद्री सीमाओं की परिभाषा में उपयोग किए जाने वाले डेटाबेस के निर्माण के लिए मानकीकृत प्रसंस्करण के अधीन हैं। कार्यालय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) और अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन (IHO) के सम्मेलनों के अनुसार मानक नौवहन चार्ट और समुद्री प्रकाशनों का उत्पादन करता है। पिछले कुछ वर्षों से, यह विभाग लाइसेंसिंग प्रणाली के माध्यम के इलेक्ट्रॉनिक नौवहन चार्ट डिस्प्ले एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम (ECDIS) में उपयोग के लिए IHO के विनिर्देशों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशन चार्ट (ENC) के रूप में डिजिटल चार्ट का उत्पादन कर रहा है। और यह व्यापक रूप से नाविकों, शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों, नक्शानवीसों, पर्यावरणविदों, आदि द्वारा उपयोग किया जाता है। इस कार्यालय द्वारा प्रदत्त सेवाओं और उत्पादों के मूल्य और अन्य विस्तृत सूचनाओं को, कार्यालय की वैबसाइट www.hydrobharat.gov.in पर प्राप्त किये जा सकते हैं।

(5) सरकार के प्रमुख जल सर्वेक्षक, भारत के उत्तर हिंद महासागर में INT चार्ट स्कीमिंग क्षेत्र के लिए समन्वयक हैं। विभाग द्वारा उत्पादित विभिन्न समुद्री/नौवहन उत्पाद, मुंबई और विशाखापत्तनम में स्थित नौसेना चार्ट डिपो के माध्यम से नाविकों को उपलब्ध कराए जाते हैं। उपयोगकर्ताओं द्वारा उत्पादों और सेवाओं का बढ़ता उपयोग संगठन के महत्व का पर्याप्त प्रमाण है।

भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, देहरादून (FSI)

संक्षिप्त विवरण :– भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI), एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC), भारत सरकार का एक अधीनस्थ कार्यालय है। एफ.एस. आई नियमित आधार पर देश के वन संसाधनों की रिमोट सेंसिंग और फील्ड इन्वेंटरी आधारित आकलन करता है। संस्थान में की जाने वाली गतिविधियों में द्विवार्षिक वन आवरण आकलन (FCM), वन आवरण (Forest Cover) और वन प्रकारमानचित्र (Forest Type Map) तैयार करना, राष्ट्रीय वन इन्वेन्टरी (NFI) के लिए डिजाइन, डेटा प्रोसेसिंग करना शामिल है। इस आकलन को द्विवार्षिक भारत वन स्थिति रिपोर्ट (ISFR) में प्रकाशित करता है।

प्रशिक्षण :– इसके अलावा, यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के वन विभाग के कर्मियों को प्रशिक्षण देने और वानिकी क्षेत्र में अनुसंधान और विस्तार सेवाओं में भी कार्यरत है। यह संस्थान वन इन्वेन्टरी से संबंधित विशिष्ट परियोजनाओं पर कार्य कर रिपोर्ट भी तैयार करता है।

एफ.एस.आई वर्ष 2004 से नासा के एक्वा और टेरा उपग्रहों पर लगे मोडिस (मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो–रेडियोमीटर) सेंसर द्वारा पता लगाई गई वन अग्नि के स्थानों के बारे में राज्य वन विभागों को सचेत कर रहा है। इसके अलावा, संस्थान ने देश भर में बड़ी आग की घटनाओं पर नज़र रखने और एस.एफ.डी को विशिष्ट बड़ी आग की चेतावनियाँ प्रसारित करने के लिए बड़े वन अग्नि निगरानी कार्यक्रम भी शुरू किया है।

भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI), की स्थापना 1 जून 1981 को हुई। एफ.एस.आई ने "वन संसाधनों का पूर्व–निवेश सर्वेक्षण" (PISFR) का स्थान लिया, जो 1965 में भारत सरकार द्वारा FAO और UNDP के प्रायोजन के साथ शुरू की गई एक परियोजना थी। PISFR का मुख्य उद्देश्य देश के चयनित क्षेत्रों में लकड़ी आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए कच्चे माल की उपलब्धता का पता लगाना था। 1976 में अपनी रिपोर्ट में, राष्ट्रीय कृषि आयोग (NCA) ने देश के

नियमित, आवधिक और व्यापक वन संसाधन सर्वेक्षण के लिए एक राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण संगठन के निर्माण की सिफारिश की, जिससे FSI का निर्माण हुआ। एफ.एस.आई द्वारा की गई गतिविधियों की आलोचनात्मक समीक्षा के बाद, भारत सरकार ने 1986 में एफ.एस.आई के अधिदेश को पुनः परिभाषित किया ताकि इसे देश की तेजी से बदलती जरूरतों और आकांक्षाओं के लिए अधिक प्रासंगिक बनाया जा सके। एफ.एस.आई का मुख्यालय देहरादून में है और चार आंचलिक कार्यालय हैं।

भारतीय वन सर्वेक्षण (एफ.एस.आई) के उद्देश्यः

- देश में नवीनतम वन आवरण का आकलन प्रदान करते हुए द्विवार्षिक रूप से वन स्थिति रिपोर्ट तैयार करना तथा इनमें परिवर्तनों की निगरानी करना।
- वन तथा गैर–वन क्षेत्रों में सूची तैयार करना तथा वन वृक्ष संसाधनों पर डेटाबेस विकसित करना।
- वन संसाधनों पर स्थानिक डेटाबेस के संग्रह, संकलन, भंडारण तथा प्रसार के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना।
- संसाधन सर्वेक्षण, सुदूर संवेदन, जी.आई.एस आदि से संबंधित प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग में वानिकी कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
- एफ.एस.आई में अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना को सुदृढ़ करना तथा अनुप्रयुक्त वन सर्वेक्षण तकनीकों पर अनुसंधान करना।
- वन संसाधन सर्वेक्षण, मानचित्रण तथा इन्वेन्टरी तैयार करने में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के वन विभागों (एस.एफडी.) को सहायता प्रदान करना।
- परियोजना आधार पर एस.एफ.डी तथा अन्य संगठनों के लिए वानिकी से संबंधित विशेष अध्ययन/परामर्श तथा कस्टम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करना।

प्रवर्तन निदेशालय (ED)
देहरादून उप–जोनल कार्यालय

संक्षिप्त इतिहास :– अधिकांश देशों में, नशीली दवाओं की तस्करी गतिविधियों के माध्यम से अर्जित अवैध धन वास्तव में बहुत बड़ा और हैरान करने वाला है। इन आय का एक बड़ा हिस्सा आतंकवादी गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए उपयोग किया जाता है, जो विकसित, अविकसित या तीसरी दुनिया के देशों के लिए एक ज्वलंत मुद्दा है। इन मादक पदार्थों की तस्करी गतिविधियों और आतंकवादी खतरों/कार्रवाईयों का सीमा पार निहितार्थ है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अपने प्रस्ताव दिनांक 29–07–2005 में कहा था सदस्यों (राज्यों) पर मनी लॉन्ड्रिंग पर 40 सिफारिशों और आतंकवादी वित्तपोषण पर 9 विशेष सिफारिशों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मानकों को लागू करने का दायित्व है। ये सभी सिफारिशें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) का निर्माण हैं, जो विशिष्ट सिफारिशें करके मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का मुकाबला करने वाली दुनिया की मुख्य संस्था है। भारत भी एफएटीएफ के सदस्यों में से एक है। इस विषय पर इन सिफारिशों को समय–समय पर संशोधित किया जाता है और इन्हें दुनिया के 130 से अधिक देशों द्वारा अपनाया गया है।

प्रवर्तन निदेशालय का दायरा : प्रवर्तन निदेशालय धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों को लागू करने के लिए नामित एजेंसी है। इसका उद्देश्य बैंक धोखाधड़ी, ऑनलाइन मार्केटिंग धोखाधड़ी, पोंजी योजनाओं और लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार आदि जैसे गंभीर अपराधों की जांच करना है। अधिनियम के तहत अपराध संज्ञेय और दोष सिद्ध होने पर 3–7 वर्ष का कठोर कारावास होता है। यह अधिनियम (प्रवर्तन निदेशालय) को अपराध की आय को कुर्क करने और जब्त करने का भी अधिकार देता है। पीएमएलए, 2002 का कार्य और दायरा हाल के वर्षों में कई गुना बढ़ गया है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा कानून से संबंधित मामलों की जांच करता है। यह आर्थिक कानूनों को लागू करने और वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए जिम्मेदार है। ईडी देश में कहीं भी किसी भी विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसी (एलईए) द्वारा दर्ज किए जा रहे मामलों में ईसीआईआर दर्ज

करता है तथा अपराध की जांच स्वतः संज्ञान में लेता है। यह केवल तभी ऐसा कर सकता है जब कोई शिकायत एलईए के साथ की गई हो या सीमा पार निहितार्थ हो।

अपराध दर्ज करने के लिए ईडी से संपर्क करने के लिए कुछ सामान्य मार्गदर्शन – यदि कोई व्यक्ति फेमा और पीएमएलए से संबंधित मामले की रिपोर्ट करना चाहता है, तो उन्हें अपनी शिकायत प्रवर्तन निदेशालय के अलावा किसी अन्य एजेंसी या पुलिस के पास दर्ज करानी होगी या यदि माननीय न्यायालय ने ऐसा करने का निर्देश दिया हो। प्रवर्तन निदेशालय में शिकायत करने से पहले व्यक्ति को किसी अन्य एजेंसी या पुलिस से शिकायत करनी होगी जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय मामले की जांच करेगा और आरोपी की पहचान करेगा। यदि शिकायत में दर्ज अपराध अनुसूची अपराधों में से एक है, तो प्रवर्तन निदेशालय के पास सीधे शिकायत पर कार्रवाई करने की शक्ति है। ईडी सीमा पार निहितार्थ से संबंधित मामले की भी जांच कर सकता है जो पीएमएलए, 2002 की धारा 2 आर (ए) के तहत शासित है। अधिकारियों के पास जांच करने, तलाशी लेने, उस व्यक्ति की संपत्ति जब्त करने की शक्ति है जिसके खिलाफ शिकायत की गई है और आरोपी को गिरफ्तार भी कर सकते हैं। कोई व्यक्ति मामले को प्रवर्तन निदेशालय को संदर्भित करने के लिए अदालत में भी आवेदन कर सकता है ताकि यदि मामला पीएमएलए के दायरे में आता है तो प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मामले की जांच की जा सके। साथ ही राज्यों में कार्यरत केंद्र या राज्य सरकार के नियंत्रण में लोक सेवकों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच के लिए किसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।

ईडी सीबीआई और राज्य पुलिस द्वारा दर्ज मामलों में भी ईसीआईआर दर्ज कर सकता है जिनकी जांच सीबीआई और राज्य पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा की जा रही है। मामला उन अपराधों के लिए दर्ज किया जाना चाहिए जो पीएमएलए अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित हैं। अनुसूची अपराधों का अर्थ उन अपराधों से है जो अनुसूची के भाग ए, भाग बी और भाग सी के तहत निर्दिष्ट हैं। ये आईपीसी, 1860, एनडीपीएस अधिनियम, 1985, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908, यूएपीए, 1967, शस्त्र अधिनियम, 1959, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972, अनैतिक तस्करी (रोकथाम) अधिनियम, 1956 और अन्य विभिन्न अधिनियमों के तहत अपराध हो सकते हैं। पीएमएलए में विभिन्न अधिनियमों की 157 धाराएं शामिल हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, (CBI)
भ्रष्टाचार निरोधक शाखा देहरादून ।

संक्षिप्त परिचय :— केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा पूर्व में केवल केन्द्र सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों/कार्मिकों की जांच की जाती थी परंतु वर्तमान में हत्या, अपहरण, आतंकवाद, अपराध व धनशोधन मामले, बैंकिंग फ्राड, एवं अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से संबंधित कार्य भी किया जाता है। सीबीआई द्वारा किसी अपराध का स्वतः संज्ञान केवल संघशासित प्रदेशों एवं केन्द्र सरकार कार्मिकों के संबंध में लिया जाता है। केन्द्र के मामलों में केन्द्र सरकार के निर्देश एवं मा0 उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के निर्देशों पर ही जांच की जाती है तथा राज्य सरकार के मामले में राज्य सरकार द्वारा केन्द्र से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत अपराधों की जांच की जाती है। संबंधित कार्यो हेतु निम्न प्रभाग कार्य कर रहे हैं— भ्रष्टाचार निरोधक प्रभाग, आर्थिक अपराध प्रभाग, विशेष अपराध प्रभाग, अभियोजन निदेशालय, प्रशासन प्रभाग एवं नीति एवं समन्वय प्रभाग। साथ ही जनता को भ्रष्ट अधिकारियों/कार्मिकों के खिलाफ शिकायत करने हेतु जागरूकता अभियान संचालित किया जाता है।

यदि आम नागरिक किसी कार्मिक के खिलाफ शिकायत करता है तथा वह कार्मिक यदि राज्य सरकार का कर्मचारी है तो ऐसी स्थिति में सी.बी.आई स्वतः ही प्रकरण की जांच/कार्यवाही नहीं कर सकती है। राज्य सरकार द्वारा धारा–6 डी.एस.पी.ई. एक्ट में दी गयी स्वीकृति के पश्चात एवं डी.ओ.पी.टी द्वारा डी.एसपी.ई एक्ट की धारा–5 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी करने के पश्चात ही सी.बी.आई, उक्त शिकायत पर कार्यवाही कर सकती है। इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में सी.बी.आई किसी भी अपराध पर कार्यवाही कर सकती है।

यदि केन्द्र सरकार के किसी विभाग/कम्पनी या बैंक आदि का कोई कर्मचारी/अधिकारी किसी भी सरकारी कार्य करने या अपने सरकारी कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए रिश्वत/घूस मांगे तो उसकी कार्यवाही सीबीआई स्वतः कर सकती है। इस संबध में कोई भी शिकायत/सूचना सी.

बी.आई., भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, देहरादून को मोबाइल नंबर 9410549158 एवं 7060366445 पर Whatsapp/SMS/Call द्वारा तथा फोन संख्या–0135–2761799, फैक्सः–0135–2761100 एवं Email ID- **hobacddn@cbi.gov.in** पर भेजी जा सकती है ।

भारतीय मानक ब्यूरो, शाखा कार्यालय देहरादून। (BIS)

संक्षिप्त परिचय :– भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) राष्ट्रीय मानक निकाय है जिसको मूल रूप से 1947 में भारतीय मानक संस्थान (ISI) के रूप में स्थापित किया गया था और भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के तहत पुनर्गठित किया गया था। अपने नियामक ढांचे को बढ़ाने और आधुनिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए, बीआईएस अधिनियम को 2016 में संशोधित किया गया और बीआईएस को भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में

मान्यता दी गई । यह अधिनियम बीआईएस को गुणवत्ता मानकों को बढ़ावा देने, उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने और भारत में विभिन्न क्षेत्रों में मानकों को विकसित और कार्यान्वित करके व्यापार की सुविधा प्रदान करने का अधिकार देता है।

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) उपभोक्ता संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मानक विकसित और लागू करता है। (BIS) द्वारा जारी ISI, CRS, Hallmark जैसे प्रमाणन चिह्न उपभोक्ताओं को यह सुनिश्चित करते हैं कि उत्पाद निश्चित सुरक्षा और प्रदर्शन मानदंडों को पूरा करते हैं। इससे उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ता है और बिना गुणवत्ता वाले सामान की बिक्री को रोकने में मदद मिलती है, जिससे एक न्यायपूर्ण बाजार और सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) उपभोक्ताओं को मानकीकरण के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। BIS शिक्षा, कार्यशालाओं और जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से लोगों को यह समझाने का प्रयास कर रहा है कि मानकीकरण कैसे उनके जीवन को सुरक्षित और बेहतर बना सकता है। इसके अलावा, BIS भविष्य की पीढ़ी को मानकों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, ताकि वे गुणवत्ता और सुरक्षा के महत्व को समझ सकें। BIS द्वारा सभी हितधारकों के मानकों के महत्व के प्रति जागरूक करने के लिए हाल ही में कई पहल की गयी हैं जो निम्नवत हैं :–

1. भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) मानक निर्माण गतिविधियों को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठा रहा है और अनुसंधान संस्थानों के साथ मानकों के विकास के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर कर रहा है। BIS देहरादून शाखा कार्यालय ने राज्य के चार प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के साथ MoU किया है, जिसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) रूड़की, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (GBPUAT) पंतनगर, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT) उत्तराखंड और ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय शामिल हैं।
2. भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने समाज के हर वर्ग के उत्थान की जिम्मेदारी ली है। BIS देहरादून शाखा कार्यालय ने गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (GBPUAT) के साथ देश में किसानों के लिए पहला MoU हस्ताक्षरित किया है ताकि मानकीकृत कृषि प्रदर्शनी फार्म (SADF) विकसित किया जा सके। इसमें एक पायलट परियोजना चलाकर आईएसआई चिह्नित उत्पादों का उपयोग करने पर फसलों की गुणवत्ता और उत्पादकता में वृद्धि का मूल्यांकन किया जाएगा।
3. भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने देश की कार्यकारी व्यवस्था में निर्णय लेने वाली सबसे छोटी इकाई यानी ग्राम पंचायतों को मानक चिह्नित उत्पादों के उपयोग के लाभों के बारे में जागरूक करने की जिम्मेदारी भी ली है। BIS देहरादून शाखा कार्यालय ने ग्रामीण अवसंरचना विकास में सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले उत्पादों और उनके संबंधित भारतीय मानकों का विवरण देने वाली एक पुस्तिका विकसित की है। इसके अलावा राज्य सरकार के संबंधित विभाग के सहयोग से उत्तराखंड राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को मानकों के प्रति पूरी तरह से जागरूक किया है।
4. भारतीय मानक ब्यूरो राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए भारतीय मानकों के बारे में क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी आयोजित कर रहा है। BIS देहरादून शाखा कार्यालय ने लोक निर्माण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज्य आपदा प्रबंधन विभाग, अग्नि एवं आपातकालीन सेवाएं, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड आदि जैसे महत्वपूर्ण सरकारी विभागों को जागरूक किया है। आगामी कार्यक्रमों में सिंचाई विभाग, पेयजल विभाग आदि के साथ भी इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
5. भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ता संगठनों, गैर–सरकारी संगठनों (NGOs) और स्वयं सहायता समूहों (SHG) के साथ सहयोग कर उपभोक्ताओं के बीच मानकीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने का कार्य कर रहा है। BIS देहरादून शाखा कार्यालय विभिन्न भागों में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। इसमें नुक्कड़ नाटक, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन्स की जागरूकता और आकाशवाणी पर साक्षात्कार आदि कार्यक्रम शामिल हैं।

6. भारतीय मानक ब्यूरो ने छात्रों को मानकों के महत्व और देश में BIS द्वारा स्थापित मानकीकरण पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में शिक्षित करने की जिम्मेदारी ली है। इस संबंध में, विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में मानक क्लब खोले जा रहे हैं। BIS देहरादून शाखा कार्यालय ने 268 स्कूलों में मानक क्लब खोले हैं, जिनमें मुख्य रूप से सरकारी स्कूल शामिल हैं। इससे हमारी अगली पीढ़ी मानकों और उनके जीवन को बेहतर बनाने के तरीके के बारे में जागरूक होगी।
7. भारतीय मानक ब्यूरो ने मानकों को और अधिक मजबूत और अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए मानक मंथन नामक हितधारकों के परामर्श कार्यक्रमों की एक श्रृंखला शुरू की है। BIS देहरादून कार्यालय ने सभी हितधारकों को जागरूक बनाने और मानकों में सुधार के लिए उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए विभिन्न मानक मंथन कार्यक्रमों का आयोजन किया है।
8. भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने उपभोक्ताओं के अधिकारों को मजबूत करने के लिए बीआईएस केयर ऐप (BIS CARE APP) के रूप में एक महत्वपूर्ण पहल की है। यह BIS मानक चिह्नित उत्पाद की प्रामाणिकता की जांच करने और किसी भी कमी के मामले में शिकायत दर्ज करने के लिए एक स्मार्टफोन–आधारित एप्लिकेशन है। BIS देहरादून शाखा कार्यालय ने अपने सभी जागरूकता कार्यक्रमों में उपभोक्ताओं को BIS CARE ऐप के बारे में सूचित किया है।
9. भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने एक टोल–फ्री नंबर भी शुरू किया है। जिसमें कोई भी नागरिक अपने सवालों के लिए BIS टीम के साथ संवाद कर सकता है।
10. भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने उपभोक्ताओं की जिज्ञासाओं के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सार्वजनिक संपर्क सुविधा जैसी, नए डिजिटल आधारित सार्वजनिक इंटरैक्शन प्लेटफार्मों की शुरुआत की है। इसमें 'चलो मानकों के बारे में बात करें' और 'गुणवत्ता के लिए कार्य' पहल शामिल हैं।
11. भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने अपनी सभी गतिविधियों को डिजिटल प्लेटफार्मों पर स्थानांतरित कर दिया है और ISI मार्किंग, हॉलमार्किंग और अनिवार्य पंजीकरण योजना के लिए e-BIS पोर्टल के लिए हेल्पडेस्क भी स्थापित किया है।
12. भारतीय मानक ब्यूरो ने सभी स्वदेशी विकसित भारतीय मानकों को निःशुल्क उपलब्ध कराया है ताकि बिना किसी लागत के जानकारी प्रदान की जा सके।
13. उद्योगों का समर्थन करते हुए भारतीय मानक ब्यूरो MSME निर्माताओं के लिए आवेदन शुल्क में छूट और इन–हाउस परीक्षण सुविधाओं के विकास में भी छूट प्रदान कर रहा है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB)

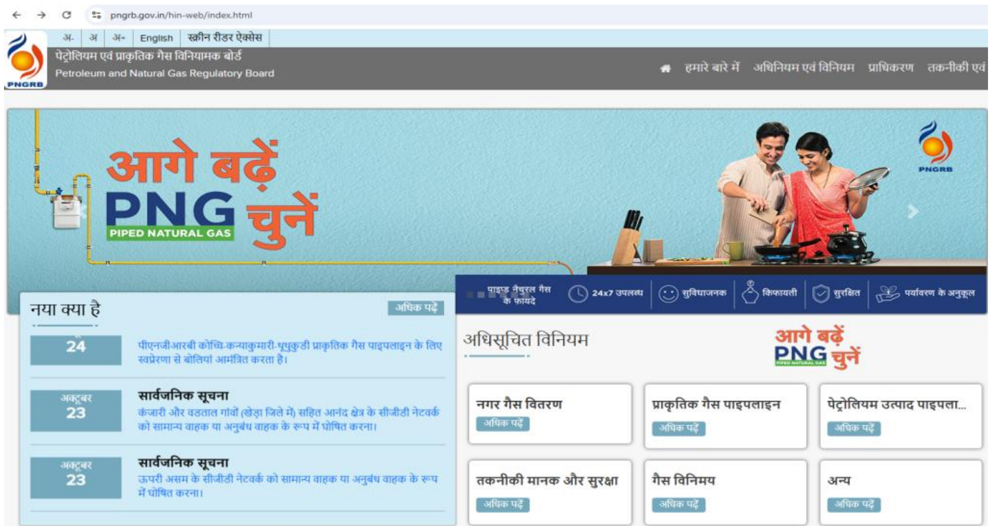

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड का संक्षिप्त परिचय एवं कार्य :–

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) का गठन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 की सं.19) की राजपत्र अधिसूचना, दिनांक 31 मार्च, 2006 के माध्यम से किया गया था। अधिनियम के अंतर्गत, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस से संबंधित कंपनियों की विनिर्दिष्ट गतिविधियों की संलिप्तता और प्रतिस्पर्धी बाज़ार को बढ़ावा देने के साथ–साथ और इस के बिना या आनुषांगिक मामलों के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड की स्थापना का प्रावधान है। बोर्ड को, शोधन, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण, विपणन और पेट्रोलियम की बिक्री, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन को छोड़कर देश के सभी भागों में पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पाद और प्राकृतिक गैस की निर्बाध और पर्याप्त आपूर्ति विनियमित करना सुनिश्चित करने के लिए विनियमित करने का भी अधिदेश दिया गया है।

बोर्ड के कार्य –

(क) कंपनियों के बीच ऋजु व्यापार का पोषण और प्रतियोगिता द्वारा उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करेगा।

(ख) कंपनियों को पंजीकृत करना – अधिसूचित, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों और केंद्रीय सरकार की संविदात्मक बाध्यताओं के अधीन रहते हुए, प्राकृतिक गैस का विपणन, द्रवित प्राकृतिक गैस टर्मिनलों की स्थापना और प्रचालन, ऐसी क्षमता से अधिक जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों या प्राकृतिक गैस के लिए भंडारण सुविधाएं स्थापित करना।

(ग) कंपनियों को प्राधिकृत करना – सामान्य वाहित्र या ठेका विहित्र बिछाने, उनका निर्माण, प्रचालन या विस्तार, नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाना, उनका निर्माण, प्रचालन या विस्तार।

(घ) पाइपलाइनों को सामान्य वाहित्र या ठेका विहित्र के रुप में घोषित करना।

(ङ) विनियमों द्वारा विनियमित करना –सामान्य वाहित्र या ठेका विहित्र तक पहुँच, जिसमें कंपनियों के बीच ऋजु व्यापार और प्रतियोगिता को सुनिश्चित किया जा सके और उक्त प्रयोजन के लिए पाइप लाइन पहुँच संकेत की को विनिर्दिष्ट करना, सामान्य वाहित्र या ठेका विहित्र के लिए परिवहन दरों को, नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क तक पहुँच को, जिससे पाइपलाइन पहुँच संकेतकी के अनुसार कंपनियों के बीच ऋजु व्यापार और प्रतियोगिता को सुनिश्चित किया जा सकें।

(च) अधिसूचित, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस की बाबत –पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा, फुटकर विक्रय केंद्रों पर उपभोक्ताओं के लिए कंपनी द्वारा नियत अधिकतम फुटकर कीमत के विषय में जानकारी का प्रदर्शन सुनिश्चित करेगा, कीमतों को मॉनीटर करेगा और कंपनियों के अवरोधक व्यापारिक व्यवहार के निवारण के लिए सुधारात्मक उपाय करेगा, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों का साम्यापूर्ण विवरण सुनिश्चित करेगा, फुटकर विक्रय केंद्रों के लिए फुटकर सेवा बाध्यताओं और कंपनियों के लिए विपणन सेवा बाध्यताओं के लिए, विनियमों द्वारा उपबंध और प्रवर्तन करेगा, परिवहन दरों को मॉनीटर करेगा और कंपनियों के अवरोधक व्यापारिक व्यवहार के निवारण हेतु सुधारात्मक कार्रवाई करेगा।

(छ) विनियमों द्वारा यथा अवधारित शुल्क और अन्य प्रभार उद्गृहित करेगा ।

(ज) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस से संबंधित क्रिया क्लाप पर सूचना डाटा बैंक रखेगा ।

(झ) विनियमों द्वारा तकनीकी मानकों और विशिष्टियों को अधिकथित करेगा, जिसके अंतर्गत पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस से संबंधित क्रिया–कलाप में सुरक्षा मानक हैं, जिसमें अनुप्रभावी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से संबंधित पाइपलाइन और अवसंरचना परियोजनाओं का निर्माण और प्रचालन भी सम्मिलित है।

(ञ) इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए ऐसे अन्य कृत्य करेगा जो उसे केंद्रीय सरकार द्वारा सौपें जाएं।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB)
जोनल यूनिट–देहरादून

संक्षिप्त इतिहास :–

अधिकांश देशों में, मादक पदार्थों की तस्करी की गतिविधियाँ अन्य अपराधों के प्रसार में एक बड़ी भूमिका निभाती हैं और मानव तस्करी, हथियारों के व्यापार आदि जैसे अन्य सभी प्रमुख अपराधों के लिए मौद्रिक समर्थन करती हैं। इस आय का एक बड़ा हिस्सा आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए भी उपयोग किया जाता है, जो कई विकसित, विकासशील देशों के लिए एक ज्वलंत मुद्दा है। इन मादक पदार्थों की तस्करी गतिविधियों और आतंकवादी खतरों/कार्रवाइयों के सीमा पार निहितार्थ हैं।

भारत 1972 के प्रोटोकॉल, मनोदैहिक पदार्थों पर कन्वेंशन, 1971 और मादक पदार्थों और मनोदैहिक पदार्थों में अवैध व्यापार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, 1988 द्वारा संशोधित स्वापक औषधि 1961 पर एकल कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता है। 14 नवंबर, 1985 से प्रभावी हुए स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 ने अधिनियम के तहत केंद्र सरकार की शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करने के उद्देश्य से एक केंद्रीय प्राधिकरण के गठन के लिए एक स्पष्ट प्रावधान किया। इस प्रावधान की उपस्थिति में, भारत सरकार ने 17 मार्च, 1986 को एनएआरसीओटीआईसीएस कंट्रोल ब्यूरो का गठन किया।

मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो का क्षेत्रः

नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुख्य कार्य : केंद्र सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन, N.D.P.S. के तहत विभिन्न कार्यालयों, राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकरणों द्वारा कार्यों के समन्वय के संबंध में उपाय करने के लिए केंद्र सरकार की शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करना है। एन. डी. पी. एस. अधिनियम, 1985 के प्रवर्तन उपबंधों के संबंध में अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम और तत्समय प्रवृत्त कोई अन्य विधि। विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और प्रोटोकॉल के तहत अवैध यातायात के खिलाफ जवाबी उपायों के संबंध में दायित्व का कार्यान्वयन जो वर्तमान में लागू हैं या जिन्हें भविष्य में भारत द्वारा अनुमोदित या स्वीकार किया जा सकता है। इन दवाओं और पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम और दमन के लिए समन्वय और सार्वभौमिक कार्रवाई को सुविधाजनक बनाने के लिए विदेशों में संबंधित अधिकारियों और संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सहायता। नशीली दवाओं के दुरुपयोग से संबंधित मामलों के संबंध में अन्य संबंधित मंत्रालयों, विभागों और संगठनों द्वारा की गई कार्रवाइयों का समन्वय। ..

एनसीबी नेटवर्क:—एनसीबी का मुख्यालय नई दिल्ली में है जिसका कार्यालय वेस्ट ब्लॉक—5, आर. के. पुरम, नई दिल्ली में है और वर्तमान में देश के प्रमुख शहरों में 30 क्षेत्रीय कार्यालय काम कर रहे हैं। जहाँ तक उत्तराखंड राज्य का संबंध है, एनसीबी का कार्यालय राजेश्वर नगर, फेज—1, सहस्रधारा रोड, देहरादून, उत्तराखंड में है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. क्या एनसीबी राज्य पुलिस द्वारा दर्ज मामलों की जांच अपने हाथ में ले सकती है?

हां, एनसीबी राज्य पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जांच किए जा रहे मामले दर्ज कर सकती है। एनडीपीएस अधिनियम 1985 में उल्लिखित अपराधों के लिए मामला दर्ज किया जाना चाहिए और मामलों में जब्त किए गए ड्रग्स/साइकोट्रोपिक पदार्थ समय—समय पर एनडीपीएस अधिनियम के तहत जारी अधिसूचनाओं के अनुसार प्रकृति में वाणिज्यिक मात्रा के होने चाहिए और देश के कई राज्यों में जांच की गुंजाइश होनी चाहिए।

2. एनसीबी किस प्रकार के अपराधों की जांच करती है?
एन. सी. बी. मादक पदार्थों की तस्करी और एन. डी. पी. एस. अधिनियम 1985 में सूचीबद्ध अन्य अपराधों जैसे अवैध फसलों की खेती और फार्मा दवाओं के डायवर्जन आदि से संबंधित मामलों की जांच करती है।
यह एनडीपीएस अधिनियम 1985 और पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम 1988 में सूचीबद्ध दवा कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। एनसीबी को मादक पदार्थों से संबंधित मामलों में वित्तीय जांच करने का भी काम सौंपा गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मादक पदार्थों के अवैध व्यापार से प्राप्त संपत्ति/धन का उपयोग आगे के अपराधों के लिए नहीं किया जाए।

3. क्या आप अपराध के पंजीकरण के लिए एनसीबी से संपर्क करने के लिए कुछ सामान्य मार्गदर्शन दे सकते हैं?
अन्य एजेंसियों को शिकायत दर्ज करना: यदि कोई व्यक्ति मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित किसी मामले की रिपोर्ट करना चाहता है, तो वह अपनी शिकायत नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में विशेष रूप से बनाए गए मानस पोर्टल के माध्यम से दर्ज कर सकता है, जो एनसीबी की वेबसाइट पर उपलब्ध है या सीधे राष्ट्रीय नार्कोटिक्स हेल्पलाइन नंबर 1933 पर कॉल कर सकता है। इसके अलावा, नशीली दवाओं की तस्करी या इसी तरह के किसी भी अपराध के बारे में जानकारी रखने वाला शिकायतकर्ता सीधे एनसीबी के क्षेत्रीय कार्यालयों से संपर्क कर सकता है, जिनकी उपस्थिति देश भर के 30 शहरों में है। एनसीबी के अधिकारियों के पास उस व्यक्ति की संपत्ति की जांच, तलाशी, जब्त करने की शक्ति है जिसके खिलाफ शिकायत की गई है और वे आरोपी को गिरफ्तार भी कर सकते हैं।

4. राज्यों में काम करने वाले केंद्र या राज्य सरकार के नियंत्रण में लोक सेवकों के खिलाफ अवैध नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों की शिकायत के लिए राज्यों में एनसीबी की स्थानीय शाखाओं से कैसे संपर्क किया जा सकता है, जब राज्य के अधिकार क्षेत्र में हुए अपराधों को दर्ज करने के लिए राज्यों की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है?
मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों में शामिल राज्यों में काम करने वाले केंद्र या राज्य सरकार के नियंत्रण में लोक सेवकों के खिलाफ एनसीबी द्वारा जांच के लिए किसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।

मानस – राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन पोर्टल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य पीड़ितों / नागरिकों को 24•7 मादक पदार्थों से संबंधित मुद्दों/शिकायतों की रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान करना है। यह पोर्टल केवल ड्रग्स संबंधित मामलों से संबंधित शिकायतों को संबोधित करता है जिसमें मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध बिक्री/खरीद/भंडारण/निर्माण तथा ड्रग्स या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस की अवैध खेती आदि संबंधित मामले शामिल हैं। प्रदान की गई जानकारी की NCB अधिकारियों द्वारा तुरंत समीक्षा की जाएगी। साथ ही सूचना देने वाले नागरिक की पहचान गुप्त रखी जाएगी।
नोटः यदि आप कोई ऐसी घटना देखते हैं जिससे मानव स्वास्थ्य या सुरक्षा को तत्काल खतरा हो सकता है, तो आपको इसकी सूचना अपने स्थानीय पुलिस को देनी चाहिए, 112 डायल करना चाहिए या संबंधित कानून प्रवर्तन प्राधिकरण के साथ साझा करना चाहिए। नागरिकों की पहचान और उनके द्वारा दी गई जानकारी गोपनीय रहेगी। https://ncbmanas.gov.in/

आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस, लैंसडाउन पौडी गढवाल।

अग्निवीर भर्ती योजना

क्र सं	योजना का नाम	लाभ	पात्रता	भौतिक मानदंड	आवेदन प्रक्रिया
1	अग्निवीर (सामान्य ड्यूटी)	प्रति वर्ष वेतन रू प्रथम वर्ष रू 30000 द्वितीय वर्ष रू 33000 तृतीय वर्ष रू 36500 चतुर्थ वर्ष रू 40000 चार साल की अग्निवीर सेवा के बाद बाहर निकलने पर उन्हें 10.4 लाख रुपये का एक बार सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा। अग्निवीर 48 लाख रुपये के बीमा कवर का हकदार होगा। वास्तविक ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर एक बार के लिए 44 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी।	उम्र रू 17½– 21 Yrs 10वीं/मैट्रिक उत्तीर्ण। कुल मिलाकर 45% अंक और प्रत्येक विषय में 33% अंक प्राप्त होने चाहिए।	1600 मीटर दौड़ : अधिकतम समय 5.45 मिनट चिन अप : न्यूनतम– 6 (छह) 9 फीट डिच, ज़िग ज़ेग उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।	आवेदक ज्वाइन इंडियन आर्मी पोर्टल (https://www-join Indianarmy.nic.in) पर स्वयं/कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
2.	अग्निवीर (क्लर्क/ स्टोरकीपर तकनीकी)		उम्र रू 17½– 21 Yrs 10+2 / इंटरमीडिएट परीक्षा किसी भी स्ट्रीम (आर्ट्स, वाणिज्य, विज्ञान) में कुल 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण और प्रत्येक विषय में न्यूनतम 50% अंक। कक्षा XII में अंग्रेजी और गणित/लेखा/बहीखाता में 50 % अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।		
3.	अग्निवीर ट्रेड्समेन 10वीं पास		उम्र रू 17½– 21 Yrs कक्षा 10वीं साधारण उत्तीर्ण। कुल प्रतिशत में कोई शर्त नहीं है लेकिन प्रत्येक विषय में 33% अंक प्राप्त होने चाहिए।		
4.	अग्निवीर ट्रेड्समेन 8वींपास		उम्र रू 17½– 21 Yrs कक्षा 8वीं साधारण उत्तीर्ण। कुल प्रतिशत में कोई शर्त नहीं है लेकिन प्रत्येक		

			विषय में 33% अंक प्राप्त होने चाहिए।		
5.	अग्निवीर (तकनीकी)	उक्त लाभ के साथ ही, सैन्यसेवा के कारण विकलांग होने पर अग्निवीर को अधिकतम 44 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी।	10+2/इंटरमीडिएट परीक्षा में भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित और अंग्रेजी के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ और प्रत्येक विषय में 40% अंकों के साथ उत्तीर्ण। या एनएसक्यूएफ स्तर 4 या उससे ऊपर के साथ आवश्यक क्षेत्र में न्यूनतम एक वर्ष का एनआईओएस और आईटीआई पाठ्यक्रम शामिल करने के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त राज्य एडन बीएड या सेंट्रल एडन बीएड से भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित और अंग्रेजी के साथ विज्ञान में 10+2/ इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण। या कुल मिलाकर 50% अंकों के साथ 10वींकक्षा /मैट्रिक पास और अंग्रेजी, गणित और विज्ञान में न्यूनतम 40% अंकों के साथ आईटीआई से 02 साल का तकनीकी प्रशिक्षण या दो/तीन साल का डिप्लोमा। 10वीं/मैट्रिक उत्तीर्ण। कुल मिलाकर 45% अंकों और प्रत्येक विषय में 33% अंकों के साथ उत्तीर्ण।	1600 मीटरदौड़ : अधिकतम समय 5.45 मिनट चिन अप : न्यूनतम – 6 (छह) 9 फीट डिच, ज़िग ज़ेग उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।	
6	अग्निवीर जनरल ड्यूटी (महिला सैन्य पुलिस)	ऊपर उल्लिखित है।	उम्र रू 17½– 21 Yrs 10वीं/मैट्रिक उत्तीर्ण। कुल मिलाकर 45% अंकों और प्रत्येक विषय में 33% अंकों के साथ उत्तीर्ण।	1600 मीटरदौड़ : अधिकतम समय 8 मिनट 7.5 फीटलॉन्ग जम्प 3 फ़ीट हाई जम्प उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।	ऊपर उल्लिखित है।

आभार

कतिपय देखा गया कि समस्त विभागों द्वारा योजनाओं का खूब प्रचार/प्रसार किया जाता है तथा मुख्यतः योजनाओं का लाभ क्या है, इसको बताया जाता है परंतु योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थी कैसे ले सकेगा? प्रक्रिया की जानकारी प्रायः नहीं दी जाती है जिस कारण, कई पात्र लाभार्थी वंचित रह जाते हैं। इसी समस्या के समाधान के लिए गत वर्ष में कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा उत्तराखण्ड सरकार के 55 विभागों की मुख्य योजनाओं/सेवाओं का संकलन करके एवं लाभ प्राप्त करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया का उल्लेख सरल भाषा में करते हुए "मेरी योजना" पुस्तक का विमोचन किया गया। पुस्तक को राज्य के समस्त जनप्रतिनिधियों/विभागाध्यक्षों एवं पुस्तकालयों को उपलब्ध करवायी गयी तथा पुस्तक सॉफ्ट कॉपी राज्य के समस्त विभागों की वैबसाइट में उपलब्ध है। इसके उपरांत मा. राज्यपाल महोदय एवं मा. मुख्यमंत्रीजी द्वारा केन्द्र सरकार के उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित विभिन्न प्रतिष्ठानों द्वारा भी संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं/सेवाओं की जानकारी आमजनमानस तक पहुंचाये जाने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके अनुपालन में "मेरी योजना" पुस्तक का केन्द्र सरकार का प्रथम संस्करण तैयार किया गया।

"मेरी योजना" पुस्तक के केन्द्र सरकार के प्रथम संस्करण को तैयार करने से पूर्व समस्त केन्द्रीय संस्थानों के सक्षम अधिकारियों के साथ लगभग एक दर्जन बैठक/वीडियो कॉन्फरेंसिंग आयोजित की गयी तथा पुस्तक में विभाग द्वारा किस प्रकार की सूचनाएं लिखी जायेंगी, इस संबंध में अवगत कराया गया। फिर केन्द्र सरकार के संस्थानों द्वारा सूचना प्रेषित की गयी, जिसको हमारे विभागीय कार्मिकों/अधिकारियों द्वारा पढ़ा गया एवं उनमें जो त्रुटियां प्रतीत हो रही थी उनको समय–समय पर संशोधित करने हेतु पुनः केन्द्रीय संस्थानों को भेजा गया तथा साथ ही वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से भी समझाया गया। फिर अंत में सभी सूचनाएं सुव्यवस्थित करने के उपरांत अंतिम अनुमोदन पत्र/सहमति पत्र के साथ केन्द्र सरकार के संस्थानों/विभागों द्वारा कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग को सूचना प्रेषित की गयी, जिसको अंतिम रूप से पुस्तक में प्रकाशित किया जा रहा है। अतः मेरा विश्वास है कि इस पुस्तक से जहां एक ओर आम जनमानस को केन्द्र सरकार के विभिन्न महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों द्वारा संचालित विभिन्न सेवाओं/योजनाओं/कार्यों की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो पायेगी वहीं इनका लाभ लेने में पुस्तक लाभकारी सिद्ध होगी एवं पाठकों, शोधार्थियों एवं नीति नियंताओं तथा विशेषकर युवाओं के भविष्य के लिए यह पुस्तक मार्गदर्शक का कार्य करेगी।

इस पुस्तक में केन्द्र सरकार के लगभग 80 प्रतिष्ठानों की जानकारी सरल हिन्दी भाषा में उल्लिखित की गयी है। पुस्तक तैयार करने में कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग की पूरी टीम यथा श्री एन. एस.डुंगरियाल–संयुक्त सचिव, श्री पूरनगिरि–उप सचिव, श्री जे.पी. मैखुरी–अनु सचिव, श्रीमती सरिता तोमर, श्रीमती वन्दना पाटनी, श्री ललित मोहन आर्य, श्री रावेन्द्र चौहान, डॉ. शैलेश कुमार पंत, श्री संजीव कुमार शर्मा, श्री धर्मेन्द्र पयाल–विशेषकार्याधिकारी, श्री जितेन्द्र पाण्डेय–निजी सचिव, श्री उमेश कुमार–अपर निजी सचिव तथा श्री नन्दराम– अनुभाग अधिकारी (पूर्व), श्री प्रकाशचन्द्र पालीवाल– अनुभाग अधिकारी, श्री नारायण सिंह राणा–समीक्षा अधिकारी, श्रीमती रंजना–समीक्षा अधिकारी, श्री रमेश कुमार–समीक्षा अधिकारी, श्री अजय सिंह भण्डारी–कम्प्यूटर सहायक, श्री मुकेश चन्द्र देवरानी– कनिष्ठ सहायक, श्रीमती कुसुम–पूर्व कनिष्ठ सहायक, श्री अमित वर्मा, श्री दिनेश कुमार एवं श्री प्रदीप पैन्यूली (सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान) के अपार सहयोग एवं अथक प्रयासों और कड़ी लगन के बिना पुस्तक पूर्ण होना असम्भव था। साथ ही केन्द्र सरकार के उपरोक्त प्रतिष्ठानों के प्रमुखों एवं उनके अधीनस्थ अधिकारीगणों तथा राज्य के समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव गणों के सहयोग हेतु आभार प्रकट करता हूं।

अन्त में विशेष मार्गदर्शक के रूप में प्रेरणास्रोत रहे प्रदेश के मा. राज्यपाल ले. जनरल (से.नि.) श्री गुरमीत सिंह जी एवं यशस्वी मा. मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और प्रदेश की प्रशासनिक मुखिया के रूप में श्रीमती राधा रतूड़ी, मुख्य सचिव महोदया का "मेरी योजना" पुस्तक के 'केन्द्र सरकार' प्रथम संस्करण को मूर्त रूप दिये जाने में भरपूर योगदान के लिए हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

(दीपक कुमार)
सचिव

उत्तराखण्ड में स्थापित केन्द्रीय संस्थान/विश्वविद्यालय/विभाग/संगठनों की सूची, पूरा पता, वैबसाइट एवं ईमेल आईडी

क्रसं	उत्तराखण्ड में स्थापित केन्द्रीय संस्थान/विश्वविद्यालय/विभाग/संगठन का नाम	पूरा पता एवं दूरभाष नंबर	ईमेल आईडी
1	हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर पौडी (HNBGU)	कुलपति, हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर, 246174 पौडी गढ़वाल। फोन न0–0134 6252143 Website: https://www.hnbgu.ac.in/	registrar.hnbgu@gmail.com dswoffice15@gmail.com msnegi50@gmail.com
2	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, देहरादून (IGNOU)	वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक, इग्नू क्षेत्रीय केंद्र ननूरखेडा, तपोवन, रायपुर रोड, देहरादून 248008 फोन न0–2789205, 2789200 Website: https://www.ignou.ac.in	rcdehradun@ignou.ac.in
3	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, देहरादून (NIOS)	क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, देहरादून (NIOS), बी0एस0 एन0एल0 टेलीफोन एक्सचेंज बिल्डिंग, निकट आई0एस0बी0टी0 टर्नर रोड, क्षेत्रीय केन्द्र देहरादून–248002 फोन न0–0135–2532592 Website: https://www.nios.ac.in/	rcdehradun@nios.ac.in
4	केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, देहरादून (CBSE)	क्षेत्रीय अधिकारी, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, 99 कौलागढ रोड उत्तराखण्ड 248001 Phone No. 0135-2757766 / 2757744 / 2753248 Website: https://www.cbse.gov.in/	roddn@cbse.gov.in roddn.cbse@nic.in
5	भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, देहरादून (IIRS)	निदेशक, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, कालीदास रोड़, देहरादून–248001, फोन न0 0135–2524399 Website: https://www.iirs.gov.in/	rpmd_office@iirs.gov.in director@iirs.gov.in
6	भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून (IIP)	प्रमुख, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून–248004, फोन न0 0135 2525725 Website: https://www.iip.res.in/	director@iip.res.inaranjan@iip.res.in
7	भारतीय प्रौद्योगिकी	कुलसचिव, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूडकी–247687 Website: https://www.iitr.ac.in/	registrar@iitr.ac.in

	संस्थान, रूडकी (IITR)		
8	केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रूड़की (CBRI)	निदेशक, केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रूड़की, जनपद हरिद्वार 247667, फोन न0 01332–272243 Website: https://cbri.res.in/	director@cbri.res.in nasrrlj@cbri.res.in
9	भारतीय प्रबन्ध संस्थान, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर, (IIM)	निदेशक, भारतीय प्रबन्ध संस्थान, कुण्डेश्वरी, काशीपुर, जनपद– ऊधमसिंह नगर, काशीपुर, उत्तराखण्ड 244713, फोन न0–05947–262175 Website: https://www.iimkashipur.ac.in/	diroffice@iimkashipur.ac.in
10	सॉफ्टवेयर टैक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, आईटी पार्क देहरादून। (STPI)	अपर निदेशक, सॉफ्टवेयर टैक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, आईटी पार्क देहरादून–248001 फोन न0–0135–24622928 Website: : www.stpi.in	rakesh.singh@stpi.in maneesh.kumar@stpi.in
11	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (ऋषिकेश) (AIIMS)	चिकित्सा अधीक्षक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (ऋषिकेश) एम्स–249203 फोन न0–0135–2462928 Website: https://aiimsrishikesh.edu.in/	ms@aiimsrishikesh.edu.in msoffice@aiimsrishikesh.edu.in
12	राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, देहरादून (NIESBUD)	निदेशक, एन0एस0टी0आई0 कैम्पस, ग्रीन पार्क, निरंजनपुर, माजरा, देहरादून, उत्तराखण्ड 248001, फोन0न0 0212 3865575 Website: https://niesbud.nic.in/	bssajwan@niesbud.gov.in directoreeniesbud@gmail.com directoree@niesbud.gov.in
13	केंद्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (CIPET)	संयुक्त निदेशक एवं प्रमुख, केंद्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान(सीपेट), कौशल एवं तकनीकी सहायता केन्द्र, हरिद्वार रोड़, डोईवाला, देहरादून–248140, फोन न0– 0135–2696075 Website: https://www.cipet.gov.in/	dehradun@cipet.gov.in
14	नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी (NIM)	प्रधानाचार्य, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी पिन कोड 249193 फोन न0–0135–2744578 Website: https://www.nimindia.net/	principal-nim@uk.gov.in
15	राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, देहरादून (NIEPVD)	कार्यवाहक निदेशक, राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, 116 राजपुर रोड, देहरादून– 248001 फोन न0– 0135–2744578 Website: https://niepvd.nic.in/	directorniepvd@gmail.com directorniepvd@nivh.gov. in dirctorniepvd@gamil.comdirector-niepvd@nivh.gov.in
16	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, नैनीताल (IVRI)	निदेशक, मुक्तेश्वर कैम्पस, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, नैनीताल 263138 उत्तराखण्ड। Website:	jointdirectorivrim1@gmail.com jointdirectorivrim1@gmail.com jdmukt.ivri@icar.gov.in

		https://www.ivri.nic.in/campuses/Mukteswar/Default.aspx	
17	आर्यभट्ट प्रेषण विज्ञान शोध संस्थान, नैनीताल (ARIES)	इंजीनियर–ई(कम्प्यूटर), आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान (ARIES), नैनीताल मनोरा पीक, नैनीताल, उत्तराखंड–263001 Website: https://www.aries.res.in/aries-0	directoraries@aries.res.in mohit@aries.res.in
18	भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद–वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून (ICFRE-FRI)	उप निदेशक (ए), भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद–वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून (ICFRE-FRI) न्यू फॉरेस्ट, देहरादून–248006 फोन न0–0135–2758295, 2224856 Website: http://fridu.edu.in/	adg_mx@icfre.org enquires@fridu.edu.in
19	भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून (WLII)	निदेशक, भारतीय वन्य जीव संस्थान, चन्द्रबदनी देहरादून 2646245 Website: https://wii.gov.in	wii@wii.gov.in dwii@wii.gov.in, vrt@wii.gov.in
20	विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोडा (VPKAS)	निदेशक, ICAR -विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, माल रोड़, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड, 263601, फोन न0– 05962241015 Website: https://vpkas.icar.gov.in/	Headcpd.vpkas@icar.gov.in director.vpkas@icar.gov.in
21	गोविन्द बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान, कोसी अल्मोड़ा (NIHE)	प्रशासनिक अधिकारी, गोविन्द बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान (NIHE), कोसी, कटारमल, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड, फोन न0– 05962241015 Website: https://gbpihed.gov.in/index.php	psdir@gbpihed.nic.in
22	वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान, देहरादून (WIHG)	निदेशक/प्रमुख, वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान, 33, जनरल महादेव सिंह रोड़, देहरादून। 248001 Website: www.wihg.res.in	director@wihg.res.in rksehgal@wihg.res.in
23	राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रूडकी (NIH)	कुलसचिव/निदेशक, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रूड़की–247667 Website: https://nihroorkee.gov.in/	varun_water09@yahoo.co.in
24	निदेशालय कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च, भीमताल नैनीताल (DCFR)	निदेशक, अनुसंधान भवन, इण्डस्ट्रीयल एरिया, भीमताल, 263136 जनपद–नैनीताल, उत्तराखण्ड 263136, 91-5942-247280, 247279 Website: https://www.dcfr.res.in/	director.dcfr@icar.gov.in dcfrin@rediffmail.com dcfrin@gmail.com dcfrpme@gmail.com

25	सहकारी प्रबंध संस्थान–देहरादून (ICM)	निदेशक, सहकारी प्रबंध संस्थान, 6 पुरानी मसूरी रोड़, राजपुर, देहरादून –248009, 0135 273 4272 Website: https://icmdehradun.com/	icmddn017@gmail.com
26	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी देहरादून (LBSNA)	निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी देहरादून (LBSNA) फोन न0– 2632350, 2632720 Website: https://www.lbsnaa.gov.in/	trdc.lbsnaa@nic.in
27	केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान संस्थान, देहरादून। (IISWC)	निदेशक, केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान संस्थान, 218 कौलागढ़ रोड़, देहरादून–248195, 0135 2758564 Website: http://www.cswcrtiweb.org/	charan_forest@rediffmail.com **directorsoilcons@gmail.com, director.iiswc@icar.gov.in**
28	बीएसएफ इंस्टीट्यूट ऑफ एडवेंचर एण्ड एडवांस ट्रेनिंग, डोईवाला देहरादून। (BIAAT)	कमांडेंट, बीएसएफ इंस्टीट्यूट ऑफ एडवेंचर एण्ड एडवांस ट्रेनिंग, डोईवाला देहरादून। 0135–2695879	comdtbiaat@bsf.nic.in
29	राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय, देहरादून। (NCC)	कर्नल, अपर निदेशक, एन.सी.सी. निदेशालय, बंगला न0 पी0–4, नागनाथ रोड़ घंघोड़ा कैण्ट, देहरादून–248141, फोन न0–0135 2976805	adguk-dte@nccindia.nic.in
30	भारत तिब्बत सीमा पुलिस मुख्यालय देहरादून (ITBP)	कमाण्डेन्ट (स्टॉफ), भारत तिब्बत सीमा पुलिस, क्षेत्रीय मुख्यालय, पो0 सीमाद्वार, जनपद देहरादून।	digddn@itbp.gov.in itcellddn@itbp.gov.in
31	भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून (IMA)	प्रमुख/कमांण्डेन्ट, भारतीय सैन्य अकादमी, चकराता रोड, देहरादून। Website: https://joinindianarmy.nic.in/	
32	सशस्त्र सीमा बल, सीमान्त मुख्यालय, अल्मोडा। (SSB)	उपमहानिदेशक (प्रशासन), सशस्त्र सीमा बल, सीमान्त मुख्यालय, गनियाध्योली, रानीखेत, अल्मोड़ा	control-ftrrkt-ssb@nic.in ig-ftrrkt-ssb@nic.in
33	प्रादेशिक सेना एवं 127 प्रादेशिक सेना पर्यावरण बल, देहरादून।	ले0 कर्नल/परियोजना अधिकारी, 127 प्रादेशिक सेना पर्यावरण बल, कुरूक्षेत्र मार्ग, देहरादून छावनी उत्तराखण्ड। Website: https://nams.nic.in/etf.php	gewetf@gmail.com

34	छावनी परिषद, गढ़ी कैंट, देहरादून।	अध्यक्ष/मुख्य अधिशासी अधिकारी, कैण्टोमेण्ट बोर्ड गढ़ी, देहरादून कैण्ट, उत्तराखण्ड 248003 Phone : 0135 – 2756814 Helpline No- 0135-2759860 Website: https://dehradun.cantt.gov.in/hi/	ceodehr-stats@nic.in
35	ऑयल एण्ड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन लि0, देहरादून (ONGC)	ई0डी0 प्रमुख कॉरपोरेट प्रशासन, ऑयल एण्ड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन लि0, ओ0एन0जी0सी0 रोड़, देहरादून Website: https://ongcindia.com/web/eng/dehradun	narayani_rs@ongc.co.in narayani_rs@ongc.co.in
36	टिहरी जल विकास निगम लि0, ऋषिकेश, देहरादून (THDC)	प्रबंध निदेशक, गंगा भवन, बाई रोड़, टी0एच0डी0सी0 कॉलोनी, ऋषिकेश 249201 Website: https://thdc.co.in/	prthdcil@thdc.co.in antripathy@thdc.co.in veersingh@thdc.co.in
37	इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड एवं आयुध निर्माणी, रायपुर देहरादून।	वरिष्ठ प्रबंधक, इण्डिया ऑप्टेल लिमिटेड रायपुर देहरादून–248008, फोन न0–0135– 2780427/ मुख्य महाप्रबंधक आयुध निर्माणी रायपुर देहराडून–248008 Website: https://www.indiaoptel.in/	div.hr@indiaoptel.in sangeetameena@ord.gov.in ofdun@ord.gov.in
38	रक्षा इलैक्ट्रॉनिकी प्रयोगशाला (DEAL) एवं रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन (DRDO), देहरादून।	निदेशक, रक्षा इलैक्ट्रानिक अनुप्रयोग प्रयोगशाला (डील) रायपुर देहराडून–248001 फोन न0 –0135-2787004 to 2787007 यंत्र अनुसंधान एवं विकास सस्थान, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन रायपुर रोड, देहरादून 248008, फोन: 0135–2787004 से 2787007 Website: https://www.drdo.gov.in/	director.deal@gov.in director.irde@gov.in
39	उत्तर रेलवे, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद	सीनियर डिविजन कॉमर्शियल मैनेजर, उत्तर रेलवे मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद–244001 Website: https://nr.indianrailways.gov.in/	cmimmb2016@gmail.com srdcmmb@gamil.com drmmbnr@gmail.com
40	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, देहरादून। (RPO)	क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, एन0सी0आर0 प्लाज़ा, 24ए, न्यू कैंटॉनमेंट रोड़, पुलिस स्टेशन, विजय कॉलोनी, हाथीबड़ कला, देहरादून। फोन न0–0135–2668668 Website: https://passportindia.gov.in/	rpo.dehradun@mea.gov.in rpo.dehradun@mea.gov.in
41	विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	संयुक्त सचिव (प्रवासी जुडाव), विदेश मंत्रालय, 301 सुषमा स्वराज भवन नई दिल्ली, फोन नं. 011–24156441	us2.oia2@mea.gov.in jsdeoia@mea.gov.in

		Website: https://mea.gov.in/	so1oia2@mea.gov.in consultant2.oia2@mea.gov.in
42	केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, देहरादून। (CGST)	आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर, ई ब्लाक नेहरू कालोनी, हरिद्वार रोड देहरादून। Website: www.gst.gov.in	commr-cexddun@nic.in tech.cgstddn@gov.in
43	आयकर विभाग, देहरादून।	आयुक्त, 13ए सुभाष रोड इरिगेशन कॉलोनी देहरादून। Website: https://www.incometax.gov.in/	dehradun.ccit@incometax.gov.in
44	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून (NHAI)	निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण म0न0 58/37, बलवीर रोड़, देहरादून 248001 फोन न0 0135 2669752/62 **Website: https://nhai.gov.in/**	routtarakhand@nhai.org
45	भारतीय विमानपतन प्राधिकरण, जॉलीग्रांट देहरादून एवं भारतीय विमानपतन प्राधिकरण, पंतनगर। (AAI)	**निदेशक,** भारतीय विमानपतन प्राधिकरण, जॉलीग्रांट, विमानपत्तन, देहरादून 248140 फोन न0 0135 2412052 Website: https://www.aai.aero/en/airports/dehradun	apd_vidn@AAI.AERO
46	भारत संचार निगम लि0, देहरादून (BSNL)	चीफ जनरल मैनेजर, टेलिफोन एक्सचेन्ज बिल्डिग, पटेल नगर, देहरादून 248001 फोन न0– 0135 2625050 Website: https://www.bsnl.co.in/	bsnlrecttukd@gmail.com
47	दूरसंचार विभाग, देहरादून एवं बेतार अनुश्रवण केन्द्र, देहरादून	कार्यालय– उप महानिदेशक (राज्य समन्वय), उत्तराखण्ड क्षेत्रीय इकाई, देहरादून, बीएसएनएल टेलीफोन एक्सचेंज, 197 राजपुर रोड देहरादून। Website: https://dot.gov.in/	dirc.ddnupw-dgt-dot@gov.in adgc2.ddnupw-dgt-dot@gov.in wms-uk-dot@nic.in
48	केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, कार्यालय कल्याण आयुक्त देहरादून।	कार्यालय कल्याण आयुक्त, भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, श्रम कल्याण संगठन (उत्तराखण्ड़ एवं हिमाचल प्रदेष परिक्षेत्र) 83/5, गली सं0 10, राजेन्द्रनगर, कोलागढ़ रोड़, देहरादून–248001 (उत्तराखण्ड)	**wccddn@gmail.com**
49	जनगणना निदेशालय, देहरादून	निदेशक, जनगणना कार्यालय निदेशालय मातावाला बाग, सहारनपुर रोड़, देहरादून 248001, फोन न0– 0135 2520085, 27525889	dir-uk.rgi@censusindia.gov.in

		Website: https://censusindia.gov.in/	
50	खादी और ग्रामोद्योग आयोग, देहरादून (KVIC)	सहायक निदेशक– आई0आई0, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, राज्य कार्यालय जी0एम0एस0 रोड़, कांवली, देहरादून–248001 फोन न0 0135–2724709 Website: https://www.kviconline.gov.in/	sodehradun@gmail.com
51	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, देहरादून (NHB)	उप निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार , निरंजनपुर सब्जी मण्डी, देहरादून–248171 फोन न0– 0135– 2621922, 2522767 Website: https://www.nhb.gov.in/	uk.nhb@gov.in
52	केन्द्रीय रेशम बोर्ड प्रेमनगर, देहरादून। (CSB)	वैज्ञानिक–डी एवं प्रभारी, रेशमकीट बीज उत्पादन केंद्र, राष्ट्रीय रेशमकीट बीज संगठन, केन्द्रीय रेशम बोर्ड – वस्त्र मंत्रालय – भारत सरकार, मीठीबेरी, प्रेमनगर, देहरादून – 248 007, Website: https://www.texmin.nic.in/	sspcddn@gmail.com, ssspcddn.csb @gov.in
53	भारतीय खान ब्यूरो, देहरादून (IBM)	क्षेत्रीय खान नित्रयंक, 161, ओल्ड नेहरू कॉलोनी, धरमपुर, देहरादून 248001 Website: https://mines.gov.in/	ro.dehradun@ibm.gov.in
54	केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड/जल शक्ति मंत्रालय, देहरादून । (CGWB)	क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, उत्तरांचल क्षेत्र, 419 ए कांवली रोड़, बल्लीवाला, देहरादून–248006, फोन न0–0135–2761562 Website: https://cgwb.gov.in/	rdur-cgwb@nic.in
55	केन्द्रीय जल आयोग, देहरादून (CWC)	अधीक्षण अभियंता, 156 बसंत बिहार, फेज–1 देहरादून 248006 दूरभाष :– 0135 2761562 Website: https://cwc.gov.in/en	sehocdehradun-cwc@nic.in
56	विकास आयुक्त हस्तशिल्प कार्यालय देहरादून।	सहायक निदेशक, कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प सेवा केन्द्र, 469/3, विजय पार्क एक्सटेंशन, देहरादून Website: https://indian.handicrafts.gov.in	cwtscddn20@gmail.com cwtscddn20@gmail.com dchandicraftalm@gmail.com
57	मौसम विज्ञान केन्द्र, देहरादून	प्रमुख, मौसम विज्ञान केंद्र, देहरादून मोहकमपुर, हरिद्वार रोड़, फोन नंबर- 7078675082 Website: https://mausam.imd.gov.in/dehradun/	mcdehradun@yahoo.co.in metcentre-dehradun@imd.gov.in
58	प्रसार भारती दूरदर्शन केन्द्र, देहरादून एवं आकाशवाणी केन्द्र	कार्यक्रम प्रमुख, प्रसार भारती, दूरदर्शन केन्द्र एवं आकाशवाणी केन्द्र हरिद्वार बाईपास रोड निकट रिस्पना पुल देहरादून Website: https://prasarbharati.gov.in/	hopddkddun@gmail.com airdoon15@gmail.com

	देहरादून।		
59	भारतीय रिजर्व बैंक, वित्तीय समावेशन और विकास विभाग, देहरादून (RBI)	सहायक प्रबंधक, वित्तीय समावेशन और विकास विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, देहरादून। Website: https://rbi.org.in/	fidddehradun@rbi.org.in manishpandey@rbi.org.in 8791202707
60	भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, नई दिल्ली (SEBI)	प्रबंधक, उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली, 8वां फ्लोर, फलैट बी टावर1, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली Website: ***https://www.sebi.gov.in/***	simrank@sebi.gov.in bhartendrakg@sebi.gov.in amitp@sebi.gov.in ***Mob.: 8587837489***
61	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उत्तराखण्ड क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून (NABARD)	सहायक महाप्रबंधक, कृषि क्षेत्र विकास विभाग, नाबार्ड, उत्तराखण्ड क्षेत्रीय कार्यालय, 42– आईटीपार्क, सहस्त्रधारा रोड देहरादून 248013 फोन नंबर– 0135 2609004 Website: https://www.nabard.org/	dehradun@nabard.org 8054488969
62	हाऊसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून (HUDCO)	क्षेत्रीय प्रमुख, आवास और शहरी विकास निगम, 74/1, राजपुर रोड, दूसरी मंजिल, जीएमवीएन बिल्डिंग, देहरादून 248001 फोन न0 0135–2740353, 2748405 Website: https://hudco.org.in/	dro@hudco.org
63	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, देहरादून (SIDBI)	उप–महाप्रबंधक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक(सिडबी) देहरादून–248001 फोन न0–0135–3508894 Website: https://www.sidbi.in/	vmakhloga@sidbi.in Ssinha@sidbi.in
64	चीफ पोस्ट मास्टर जनरल कार्यालय देहरादून। (CPMG)	चीफ पोस्टमास्टर, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल कार्यालय, पोस्टल डिपार्टमेंट उत्तराखण्ड सर्कल देहरादून। Website: https://www.indiapost.gov.in/	dpsdehradun248001@gmail.com dpsdehradun248001@gmail.com cp mg_utr@indiapost.gov.in
65	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, देहरादून (SLBC)	ए0जी0एम0, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, प्रशासनिक कार्यालय, न्यू कैण्ट रोड, देहरादून–248001, फोन न0– 01352742555,2716065,66,67 Website: http://www.slbcuttarakhand.com/	agmslbc.zodeh@sbi.co.in
66	भारतीय खाद्य निगम,	जनरल मैनेजर, भारतीय खाद्य निगम, पहली मंजिल यूसीएफ सदन,	agmsalesuk@fci.gov.in

	देहरादून (FCI)	प्रसार भारती भवन के पास, देहरादून, उत्तराखण्ड 248001 Website: https://fci.gov.in/	agmcontuk@fci.gov.in gmuk@fci.gov.in
67	भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारिता संघ, मर्यादित (NCCF)	शाखा प्रबन्धक, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारिता संघ, मर्यादित, 24 , राम विहार , बल्लूपुर, देहरादून, 248001, फोन न0–0135–2750074 Website: https://nccf-india.com/	nccfddn@rediffmail.com
68	भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित, ऊधमसिंह नगर (NAFED)	ब्रांच मैनेजर, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नेफेड), चावला थियेटर कम्पाउण्ड, काशीपुर रोड, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर–263153 Website: https://www.nafed-india.com/	nafrdp@nafed-india.com
69	भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग, देहरादून (GSI)	निदेशक, तकनीकी समन्वय, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण राज्य इकाई उत्तराखण्ड देहराडून–248008 Website: https://www.gsi.gov.in/	dir.suuk.ddn@gsi.gov.in ddg.suuk@gsi.gov.in
70	भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून (SOI)	सर्वेयर, तकनीकी अनुभाग (एसजीओ), सर्वे ऑफ इण्डिया, हाथी बड़ कला देहरादून–248001, फोन न0–9760117435 Website: www.surveyofindia.gov.in	sgo.technical.soi@gov.in vinaik.soi@gov.in
71	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, देहरादून (ASI)	अधीक्षण पुरातत्व रसायनज्ञ, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 29, न्यू कैन्ट रोड़, देहरादून – 248001, फोन 70–0135–2620318,2723390 Website: https://asi.nic.in/	scienceddn-asi@gov.in
72	भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग, देहरादून (BSI)	कार्यालय अध्यक्ष, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण उत्तरी क्षेत्रीय केन्द्र, कौलागढ़ मार्ग देहरादून–248195, फोन न0– 0135–2755478, 2753433 Website: https://bsi.gov.in/	sksbsinc@rediffmail.com hoo-nrc@bsi.gov.in
73	भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण विभाग, देहरादून (ANSI)	सकार्यालय अध्यक्ष, भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण, उत्तर पश्चिम क्षेत्रीय केन्द्र, 192/1, कौलागढ रोड देहरादून। Website: https://ansi.gov.in/	honwrc@ansi.gov.in ravikkoshal@gmail.com honwrc@ansi.gov.in
74	भारतीय प्राणि सर्वेक्षण (ज्यूलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया), देहरादून	प्रभारी अधिकारी, ज्यूलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, उत्तरी क्षेत्रीय केन्द्र, कौलागढ रोड देहरादून फोन नंबर – 0135–2755279 Website: https://zsi.gov.in/	nrc@zsi.gov.in drgaurav.sharma@gov.in nrc@zsi.gov.in

	(ZSI)		
75	राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय, देहरादून (NHO)	मुख्य जलसर्वेक्षक, राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय, 107 ए राजपुर रोड, देहरादून। Website: www.hydrobharat.gov.in	inho-navy@nic.in
76	भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, देहरादून FSI	महानिदेशक, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग कॉलागढ़ रोड, देहरादून–248195फोन न0– 0135–0135 – 2756139 Website: https://fsi.nic.in/	dgfsi@fsi.nic.in jdtfi@fsi.nic.in
77	प्रवर्तन निदेशालय, देहरूदन (ED)	निदेशक, 5वां, क्रॉस रोड, दून एमआरआई के पास, रेस कोर्स, देहरादून 248001, उत्तराखंड फोन न0– 0135 271 5572 Website: https://enforcementdirectorate.gov.in/	anjani@ediindia.org dddnszo-ed@gov.in
78	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, देहरादून (CBI)	शाखा प्रमुख, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, इंदिरा नगर कॉलोनी, आईटीबीपी रोड, इंद्रा नगर कॉलोनी, देहरादून, उत्तराखंड 248006 फोन न0– 0135 2761797 Website: www.cbi.gov.in	hobacddn@cbi.gov.in
79	भारतीय मानक ब्यूरो, शाखा देहरादून। (BIS)	निदेशक एवं प्रमुख, भारतीय मानक ब्यूरो, ब्लाक डी, ग्राउंड फलोर, यूसीएफ सदन, दीप नगर रोड विष्णु बिहार, उत्तराखण्ड। Website: www.bis.gov.in	hdhbo@bis.gov.in
80	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB)	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी), प्रथम–तल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बाबर रोड, नयी दिल्ली 110001 https://pngrb.gov.in/	contact@pngrb.gov.in
81	नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB)	देहरादून जोनल यूनिट 8/वी–राजेश्वर नगर, फेज़–1, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून–248001 टेलीः 0135–2715572, फैक्स– 0135–2716672 https://ncbmanas.gov.in/	supdt-ncb-ddn@nic.in
82	आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस,	किचनर लाइन्स, लैंसडाउन, पौडी गढवाल उत्तराखण्ड। (https://www.join Indianarmy.nic.in)	bmsta@nic.in

सेना

मेरी योजना

कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग